निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1927 (श०)

(सं० पटना 486) पटना, बुधवार, 7 सितम्बर, 2005

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

3 सितम्बर 2005

संख्या 4/एक1-3011/2002—श्र० नि०-2831—राज्य सरकार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-62 और 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है:—

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली 2005

भाग-1

प्रारंभिक

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ तथा विस्तार:—
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 है।
   (2) ये ऐसे किसी स्थापना से संबंधित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को लागू होंगे, जिसके संबंध में समुचित सरकार अधिनियम, के अधीन बिहार सरकार है।
   (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
   (4) इनका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।
2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) ''अधिनियम'' से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।
   (ख) ''प्रवेश'' या 'निर्गम'' से कोई गलियारा मार्ग सीढ़ियाँ, प्लेटफार्म, निसैनी और कोई अन्य साधन, अभिप्रेत है जो किसी भवन कर्मकार द्वारा सामान्यतया कार्यस्थल में प्रवेश करने या उससे चले जाने या खतरे की दशा में बचने के लिए उपयोग करने के लिए है;
   (ग) ''अनुमोदित'' से यथास्थिति, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमोदित अभिप्रेत है;
   (घ) ''आधार-पट्ट'' से धातु मचान की दशा में टेकों में भार का विभाजन करने के लिए पट्टी अभिप्रेत है;
   (ङ) मचान के संबंध में ''छंडक कक्ष'' से मचान के क्षैतिज या ऊर्ध्व सहारों के मध्य का वह भाग अभिप्रेत है चाहे वह उस भाग से टिका हो या उसके सहारे हो, जहां से भाग निलम्बित होता है और जो तल में संलग्न है;
   (च) ''अनुबंधनी'' से मचान में स्थिरता के लिए आड़े-तिरछे रूप से लगाया गया जुड़ने और कसनेवाला घटक अभिप्रेत है;
   (छ) ''दीवाल'' से कार्यकरण दाब की अपेक्षा निम्न दाब के अधीन कार्यकरण कोष्ठ को मुक्त वायु से या किसी अन्य कोष्ठ से पृथक करनेवाली कोई वायुरोधी संरचना अभिप्रेत है;
   (ज) ''नींव कोष्ठक'' से कोई ऐसा वायु या जलरोधी कोष्ठ, अभिप्रेत है जिसमें व्यक्तियों के लिए समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक वायु दाब के अधीन जलतल से नीचे सामग्री में उत्खनन का कार्य करना संभव हो;
   (झ) ''अंतिरबांध''-से ऐसी संरचना अभिप्रेत है जिसका सन्निर्माण सम्पूर्ण या भाग-रूप से जल स्तर से नीचे या भूगर्भ में भौम जल स्तर से नीचे किया गया है और कार्यस्थल का उपबंध करने के लिए आशयित है, जो जलमुक्त है;

(ञ) ''सक्षम व्यक्ति'' से राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक द्वारा उस रूप में अनुमोदित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बिहार राज्य में किसी परीक्षण स्थापन का है और जिसके पास उत्थापक साधित्रों, उत्थापक गियरों, तार-रज्जुओं या दाब संयंत्र या उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता, अनुभव और कौशल है;

(ट) ''संपीड़ित वायु'' से उस दाब तक यांत्रिक रूप से बढ़ाई गई वायु अभिप्रेत है जो समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब से अधिक है;

(ठ) ''सन्निर्माण स्थल'' से कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है जहां भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित कोई प्रक्रियाएं या संक्रियाएं की जाती है;

(ड) ''प्रवहणी'' से कोई ऐसी यांत्रिक-युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक भवन सामग्री, वस्तुएं या पैकेज या ठोस प्रपुंज के परिवहन के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है;

(ढ) ''खतरा'' से दुर्घटना का या क्षति का या स्वास्थ्य के लिए खतरा अभिप्रेत है;

(ण) ''निष्कासन'' से व्यक्तियों का किसी मेन-लाक में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब तक द्रुत निसंपीड़न और इसके पश्चात् तत्परता से किसी निष्कासन लोक में उनका पुनः संपीड़न अभिप्रेत है, जहां उनका तब विसंपीड़न अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित विसंपीड़न टेबुल के अनुरूप किया जाता है;

(त) ''भंजित करने का कार्य'' से किसी भवन से भिन्न किसी भवन या संरचना का सम्पूर्ण या आंशिक रूप से खण्डकरण करने या गिराने के आनुषंगिक या उससे संबंधित कार्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशीनों या अन्य उपस्कर का हटाना या खण्डकरण करना आता है;

(थ) ''उत्खनन'' से सन्निर्माण या भंजित करने के कार्य के संबंध में मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का हटाना अभिप्रेत है;

(द) ''कच्चा काम'' से ढूला या आकृति के लिए संरचनात्मक सहारा और अनुबंध अभिप्रेत है;

(ध) ''प्रज्वलन ताप'' से न्यूनतम लिक्विड ताप अभिप्रेत है जिस पर कोई चिंगारी या ज्वाला लिक्विड से उपर वाष्प शून्य में तात्क्षणिक चमक पैदा करती है;

(न) ''नौवाय या प्रतिरूपक मचान'' से ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण इस प्रकार किया जाता है कि मचान की ज्यामिति पूर्व अवधारित हो और मुख्य घटकों का अपेक्षित फासला नियत हो;

(प) ''रक्षक शलाका'' से स्तम्भ को सुरक्षित करने के लिए क्षैतिज शलाका अभिप्रेत है जो व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिए मचानों, भूमि मार्गों, धावन पथों और मार्गिकाओं के खुली तरफ के पार्श्व में परिनिर्मित की गई है;

(फ) ''परिसंकट'' से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है;

(ब) ''परिसंकटमय पदार्थों से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी विस्फोटकता, ज्वलनशीलता, विघटनाभिकता, अविषालु या संक्षारक गुणों या अन्य समान लक्षणों के कारण

(i) क्षति पहुंचा सकता है, या

(ii) मानव-तंत्र को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, या

(iii) हथालने, परिवहन या भंडारण करते समय कार्य-पर्यावरण में जीवन को हानि या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्रीय मानकों के अधीन या उस दशा में जहां ऐसे मानक विद्यमान नहीं है, साधारणतः स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस रूप में वर्गीकृत है;

(भ) ''उच्च दाब वायु'' से वातीय औजारों और युक्तियों को शक्ति प्रदाय करने लिए प्रयुक्त वायु अभिप्रेत है;

(म) ''स्वतंत्र रूप से सहबद्ध मचान'' से कोई ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका कार्यकरण प्लेटफार्म आधार से टेंकों को दो या अधिक पंक्तियों के सहारे है और जो आवश्यक सहबद्धों के अलावा भवन से पूर्णतया मुक्त रूप से खड़ा है;

(य) ''आड़'' से क्षैतिज रूप से फैला हुआ और लम्बाई में मचान को जकड़े हुए कोई घटक अभिप्रेत है और जो अदवार या मध्यपट्टी के लिए सहारे के रूप में कार्य करता है;

(यक) ''उत्थापक साधित्र'' से सामग्री, वस्तुओं या भवन कर्मकार के उत्थापन के लिए प्रयुक्त कोई क्रेन, उत्तोलक, डेरिक, विंच, जिन पोल, शेर लैग्ज, जैक, घिरनी आलंब या अन्य उपस्कर अभिप्रेत है;

(यख) ''उत्थापक गियर'' से किसी ''उत्थापक साधित्र'' की रज्जु, जंजीर, हुक, ढीला और अन्य उपसाधक अभिप्रेत है;

(यग) ''लाक परिचर'' से किसी मेन-लाक या मेडिकल-लाक का कोई ऐसा प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लाकों में व्यक्तियों के संपीड़न पुनः संपीड़न या विसंपीड़न के लिए सीधा उत्तरदायी है;

(यघ) ''न्यून दाब वायु'' से कार्यकरण कोष्ठों और मैन लाकों और मेडिकल लाकों के निपीड़न के लिए प्रदत्त वायु अभिप्रेत है;

(यङ) ''बारूद घर'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें, चाहे भूमि के ऊपर या उसके नीचे, विस्फोटकों का भंडारण किया जाता है या रख जाते हैं;

(यच) ''मैन-लाक'' से मेडिकल लाक से भिन्न कोई लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग कार्यकरण कोष्ठ में प्रवेश करने वाले या उसे छोड़ने वाले व्यक्तियों के संपीड़न या विसंपीड़न के लिए किया जाता है;

(यछ) ''सामग्री उत्तोलक'' से शक्ति या शारीरिक श्रम से प्रचालित और निलम्बित कोई प्लेटफार्म या बाल्टी अभिप्रेत है जिनका स्तम्भ शलाकाओं(गार्डरेल) में प्रचालन किया जाता है और अन्यय रूप से सामग्री के उत्थापन या उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा प्रवहण से बाहर किसी बिन्दु से प्रचालन और नियंत्रण किया जाता है;

(यज) ''सामग्री लाक'' से ऐसा कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें से होकर कोई सामग्री और उपस्कर एक वायुदाब पर्यावरण से अन्य में भेजे जाते हैं;

(यझ) ''चिकित्सा लाक'' से कोई दोहरा कक्ष लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग विसंपीडन के बुरे प्रभावों से ग्रस्त व्यक्तियों के चिकित्सीय पुनः संपीडन और विसंपीडन के लिए किया जाता है;

(यञ) ''राष्ट्रीय मानकों'' से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानकों के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत है;

(यट) ''पार्श्व-चर्च'' से किसी भवन के भवनमुख से आगे निकली हुई संरचना, जिसका भीतरी सिरा जकड़ा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शहतीर या अन्य सहारा आता है;

(यठ) ''संयंत्र या उपस्कर'' के अन्तर्गत कोई संयंत्र, उपस्कर, गियर, मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है;

(यड) ''दाब'' से स्तंभो में उतना वायु दाब अभिप्रेत है जो वायुमंडलीय दाबसे अधिक है;

(यढ) ''दाब संयंत्र'' से वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों एवं अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका अभिप्रेत है;

(यण) ''अड्डार'' से कोई क्षैतिज घटक अभिप्रेत है जिस पर कार्यकरण प्लेटफार्म का बोर्ड, तख्ता या मंच रखा जाता है;

(यत) ''उत्तरदायी व्यक्ति''से नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य या कर्त्तव्योंका पालन करने के लिए उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों के उचित पालन के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो;

(यथ) ''प्रकट संयोजी'' से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिए प्रयुक्त संयोजीट्यूब और फिटिंग का समंजन अभिप्रेत है;

(यद) ''समकोण युग्मक'' से समकोण पर ट्यूबों को जोड़ने के लिए स्विवेल या अड्डार युग्मक से भिन्न कोई युग्मक अभिप्रेत है;

(यध) ''रॉक बोल्ट'' से यांत्रिक प्रसरण बोल्ट या सीमेंटयुक्त या रेजिन निबंधन प्रणाली के साथ प्रयुक्त बोल्ट अभिप्रेत है जो रोक क्षमता में वृद्धि करने के लिए महराब या सुरंग की दीवार में बेधित छिद्रमें लगाया जाता है;

(यन) ''छत ब्रेकेट'' से ढलवा छत सन्निर्माण में प्रयुक्त ऐसे ब्रेकेट अभिप्रेत हैं जिनमें खिसकने से रोकने के लिए नुकीले बिन्दु या जकड़ने के अन्य साधन हैं;

(यप) ''सुरक्षा आवरण'' से जलप्लावन या जलप्लावित सुरंग से आश्रय के ओर निकलने के सुरक्षित साधन की व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा आवरण और दीवाल के बीच में सुरंग के शिखर को जलप्लावित होने से रोकने की दृष्टि से मुख और दीवाल के बीच संपीडित वायु सुरंग के ऊपरी भाग के आर-पार रखा गया कोई वायु और जलरोधी छिद्रपट अभिप्रेत है;

(यफ) ''निरापद कार्यकरण भार'' से उत्थापक गियर या उत्थापक साधित्र की किसी वस्तु के संबंध में सक्षम व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित और प्रमाणित वह भार अभिप्रेत है जो अधिकतम भार हैं जो ऐसी वस्तु

या साधित्र उसे सामान्य कार्यकरण स्थितियों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है;

(यब) "मचान" से कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जिससे या जिस पर से भवन कर्मकार, ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य करते हैं, जिनको ये नियम लागू होते हैं, और कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जो भवन कर्मकार को ऐसे स्थान पर पहुंचने में समर्थ बनाती है या सामग्री को वहां तक ले जाने में समर्थ बनाती है जहां पर उक्त कार्य किया जाता है अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई रक्षक शलाका, रोक फलक या अन्य रक्षा कवच और सभी फिक्सिंग के साथ कोई कार्यकरण प्लेटफार्म, मार्गिका, धावन, निसैनी या सोपान-निसैनी (ऐसी निसैनी या सोपान-निसैनी से भिन्न जो ऐसी संरचना की भागरूप नहीं है) आती है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्थापक साधित्र या उत्थापक मशीन या कोई संरचना नहीं आती है जो केवल ऐसे कोई साधित्र या ऐसी कोई मशीन को सहारा देने के लिए है या अन्य संयंत्र या उपस्कर को सहारा देने के लिए प्रयुक्त है;

(यभ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(यम) "खंड" के अन्तर्गत सुरंग अनुप्रस्थ काट की वक्रता के लिए निर्मित और सुरंग के आधार परिक्षेत्र के सहारे के लिए प्रयुक्त ढलवा लोहा या पूर्व निर्मित कंकरीट विभाजित संरचना आती है;

(यय) "सर्विस शैफ्ट" से किसी निर्माणधीन भवन कर्मकारों के आने-जाने या सामग्री को लाने ले जाने के लिए शैफ्ट अभिप्रेत है;

(ययक) "शैफ्ट" से क्षैतिज से पैंतालीस डिग्री से अधिक कोण पर अनुदैर्ध्य-अक्षवाला कोई उत्खनन अभिप्रेत है, जो-

(i) किसी भवन कर्मकार या सामग्री के किसी सुरंग में आने-जाने या उसमें से लाने लेजाने के लिए है; या

(ii) किसी विद्यमान सुरंग की ओर है;

(ययख) "ढाल" से कोई जंगम चौखटा अभिप्रेत है जो सुरंग के खान अग्रांग और उसके ठीक पीछे के आधार को सहारा देने के लिए है और इसके अन्तर्गत सुरंग में उत्खनन करने और उत्खनित क्षेत्र को सहारा देने के लिए परिकल्पित उपस्कर आता है;

(ययग) "आधार पट्टिका" से अधार पट्ट या काष्ठ मचान की खड़ी बल्ली से आलम्बी स्थल पर भार के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई घटक अभिप्रेत है;

(ययघ) "ठोस या अच्छे सन्निर्माण" से ऐसा सन्निर्माण अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है;

(ययङ) "ठोस या अच्छी सामग्री" से उस क्वालिटी की सामग्री अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं है वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहारसंहिता के अनुरूप है;

(यथच) ''खड़ी बल्ली'' से मचानों के सन्निर्माण में ऊर्ध्व सहारा या स्तंभ के रूप में प्रयुक्त ऐसा घटक जो भार को आधार पर या ठोस सन्निर्माण पर पारेषित कर देता है, अभिप्रेत है;

(यथछ) ''मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों'' से वे व्यवहार अभिप्रेत हैं जिनकी पालना भवन और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसे क्रियाकलापों में प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए की जाती है और ऐसे व्यवहार निम्नलिखित सभी या किसी के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

(i) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक;

(ii) राष्ट्रीय भवन संहिता,

(iii) उपस्कर और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के लिए विनिर्माता के विनिर्देश;

(iv) समय-समय पर संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सन्निर्माण उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार संहिता,

(यथज) ''इस्पात की शलाका'' के अन्तर्गत उत्खात क्षेत्रों का आधार बनाने और स्थिरीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी विशिष्ट सुरंग अनुप्रस्थ काट की अपेक्षाओं के अनुरूप आकृति के सभी इस्पात के बीम और अन्य संरचनात्मक घटक आते हैं; रज्जुओं या जंजीरों के माध्यम से निलंबित और ऊपर तथा नीचे किए जाने योग्य मचान अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत बोसुर्न कुर्सी या वैसा ही साधित्र नहीं है;

(यथझ) ''परीक्षण स्थापन'' से इन नियमों के अधीन अपेक्षित उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियर या तार रज्जुक के परीक्षण, परीक्षा, तापानुशीलन करने या वैसे ही अन्य परीक्षण या प्रमाणन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षण और परीक्षा करने की प्रसुविधाओं सहित कोई स्थापन अभिप्रेत है;

(यथट) ''बंधन'' से मचान को किसी दृढ़ स्थिरक स्थान से जोड़ने में प्रयुक्त संयोजन अभिप्रेत है;

(यथठ) ''रोक फलक'' से कोई ऐसा घटक अभिप्रेत है जो भवन कर्मकार और सामग्री के कार्यकरण प्लेटफार्म, प्रवेश, चौकी, प्रवेश मार्ग, एक पहिया ठेला, ढाल या अन्य प्लेटफार्म पर से गिरनेका निवारण करने के लिए उसके ऊपर स्थिर किया गया है;

(यथड) ''मध्यपट्टी'' से किसी स्वतंत्र संयोजन मचान में क्षैतिज रूप से रखी गई और एक आड़ को दूसरी से या एक टेक को दूसरे से अनुप्रस्थतः बांधने के लिए कोई घटक अभिप्रेत है;

(यथढ) ''कैंची मचान'' के अन्तर्गत कोई ऐसा मचान आता है जिसमें प्लेटफार्म के लिए आधार निम्नलिखित में से कोई है और जो स्वालंबी है, अर्थात् (i) विभक्त सिरा, (ii) मुड़वा (iii) सोपान-सीढ़ी (iv) तिपहिया, या (v) पूर्वोक्त में किसी के समान चलाय मान साधन;

(यथण) ''नालिकाकृत मचान'' से नालिकाओं और युग्मकों से सन्निर्मित मचान अभिप्रेत है;

(यथत) ''सुरंग'' से उपरिभार के नीचे उत्खनन द्वारा बनाया गया भूमिगत रास्ता अभिप्रेत है जिसमें से कोई भवन कर्मकार काम करने के लिए प्रवेश करता है या जिसमें से प्रवेश करने की अपेक्षा है;

(यथथ) ''अंतर्योम'' से शैफ्ट, सुरंग नींव कोष्ठक या काफर बांध के घेरे के भीतर का कोई स्थान अभिप्रेत है;

(यथद) ''यान'' से कोई यान अभिप्रेत है जो यांत्रिक या विद्युत शक्ति से नोदित या चालित है और इसके अन्तर्गत ट्रेलर, कर्षण इंजन, ट्रैक्टर, सड़क-निर्माती मशीन और परिवहन उपस्कर आते है;

(यथध) ''कार्यकरण कोष्ठ'' से सन्निर्माण स्थल का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जहां संपीडित वायु पर्यावरण में काम किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत मैन-लाक या मेडिकल-लाक नहीं आताहै;

(यथन) ''कार्यकरण प्लेटफार्म'' से कोई प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन कर्मकारों या सामग्रियों को सहारा देने के लिए किया जाता है और इसके अन्तर्गत कार्यकरण मंच आता है;

(यथप) ''कार्यकरण दाब'' से कार्यकरण कोष्ठ में का दाब अभिप्रेत है, जिसमें भवन कर्मकार को रखा जाता है;

(यथफ) ''कार्यस्थल'' से वे सभी स्थान अभिप्रेत हैं जहां भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने के लिए जाने की अपेक्षा है और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है।

(यथब) '' झुलता मचान'' से अभिप्रेत है, एक ऐसा मचान जो रस्सी, चेन से झुलता हो एवं जिसे उपर या नीचे लाया, ले जाया जा सके लेकिन इसमें बोट-स्वेन कुर्सी या अन्य समान उपकरण सम्मिलित नहीं है।

3\. परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन- उन शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

4\. व्यावृत्ति- इन नियमों के उपबंध अधिनियम द्वारा अधिरोपित अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिस्थापन के लिए या उनमें कमी करने के लिए है।

अध्याय - 2

विनियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों, भवन कर्मकारों, आदि के दायित्व और कर्तव्य

5\. विनियोजकों, कर्मचारियों और अन्यों के कर्तव्य और दायित्व

(1) ऐसे प्रत्येक नियोजक का जो भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित या उसके आनुषंगिक ऐसी किन्हीं सक्रियाओं या संकर्मों को कर रहा है, जिसे यह नियम लागू होते हैं यह कर्त्तव्य होगा कि वह

(क) इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं को पालना करें जो उससे संबंधित हैं; परन्तु यह कि इस खण्ड की अपेक्षाएं किसी भवन कर्मकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि और जब तक किसी कार्यस्थल में उसकी उपस्थिति उसके नियोजक के निमित किसी कार्य को करने के अनुक्रम में नहीं है और उसे उसके नियोजक द्वारा कार्य करने के लिए अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं किया गया है; और

(ख) इन नियमों की उन अपेक्षाओं की अनुपालन करें जो उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य, कृत्य या सक्रिया के संबंध में उससे संबंधित है;

कार्य, कृत्य या संक्रिया के संबंध में उससे संबंधित है;

(2) प्रत्येक नियोजक का, जो किसी मचान का परिनिर्माण या उसमें परिवर्तन करता है, इन नियमों के उपबन्धों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालन करने का कर्तव्य होगा जिसका संबंध ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को ध्यान रखते हुए जिसके लिए परिनिर्माण या परिवर्तन करने के समय मचान को डिजाइन किया गया था, मचान के परिनिर्माण या परिवर्तन से है; और ऐसा नियोजक, जो किसी ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य या उपयोग करता है, जिसे इन नियमों का कोई उपबन्ध लागू होता है, ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य या उपयोग ऐसी रीति से करेगा, जो उन उपबन्धों की अनुपालना में हो।

(3) जहां कोई ठेकेदार, जो ऐसी किसी संक्रिया या संकर्म का प्रबन्ध करता है जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवाओं के लिए संविदा के अधीन कोई कार्य या सेवा को करने के लिए किसी कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है तो ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करें जो उक्त कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश अन्तर्गत ऐसे कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति के प्रति निर्देश होगा और ठेकेदार उसका नियोजक समझा जाएगा।

(4) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करें जो उसके द्वारा किसी कृत्य को करने या उससे विरत रहने से और इन नियमों को क्रियान्वित करने में सहयोग करने से संबंधित हैं।

(5) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी कर्मचारी को कोई ऐसी बात करने के लिए अनुज्ञात न करें जो राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यसे संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार न हों।

(6) कोई कर्मचारी कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षा प्रचालन व्यवहारों के सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नहीं है।

(7) किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति जानबूझ कर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उसे या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचे।

(8) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भवन कर्मकार द्वारा प्रयोग करने के लिए ऐसेउत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति, परिवहन उपस्कर, यान या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के उपयोग को अनुज्ञात न करें जो इन नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुरूप न हों।

(9) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह शौचालयों, मूत्रालयों, धोवन सुविधाओं और कैंटीन को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाए रखे। कैंटीन ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालयों और मूत्रालयों और प्रदूषित वातावरण से दूर हो और साथ ही साथ भवन कर्मकारों की सहज पहुंच में हो।

(10) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों के अनुसार किसी अवधि के लिए मजदूरी के संदाय के लिए उसके द्वारा नियत और अधिसूचित तारीखों का पालन करें और ऐसी तारीखों और

ऐसी अवधि में कोई परिवर्तन भवन कर्मकारों और निरीक्षक को सूचना के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा। नियोजक इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट यथ समय और उसके द्वारा अधिसूचित स्थान और समय पर मजदूरी के संदाय सुनिश्चित करेगा जहां कोई नियोजक ठेकेदार हों वहां वह यह सुनिश्चित करेगा कि भवन कर्मकारों को मजदूरी का संदाय स्थापन के नियोजक या परिसर के स्वामी के जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है, प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीक स्वरूप प्राप्त करेगा।

(11) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा लिए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान, इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और जांच संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हों। सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक-प्राधिकारी की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों में दी गई उससे संबंधित अपेक्षाओं की अनुपालना करें।

6 वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के उत्तरदायित्व :-

(1) किसी परियोजना य उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को डिजाइन के लिए उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिजाइनर का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यकरूप से ध्यान दिया जाता है जो यथास्थिति, ऐसी परियोजनाओं और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित है।

(2) परियोजना में अंतर्वलित वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तकों द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिजाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या अन्य प्रक्रिया या सामग्री का प्रयोग अन्तर्वलित हो, जो यथास्थिति परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम के दौरान भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय हो।

(3) भवनों, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं की डिजाइन में अन्तर्वलित वृत्तिकों का यह भी कर्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहां अनुरक्षण और रखरखाव विशेष जोखिम वाला है।

7. राज्य सरकार और बोर्ड की सेवा में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व :-

किसी राज्य की सरकार या किसी बोर्ड की सेवा में लगे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का निष्पादन कराने में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करें।

8. कर्मकारों के कर्तव्य और दायित्व - (1)प्रत्येक भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालन करें जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के लिए और सहयोग करें और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित

उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट इसके नियोजक या फोरमैन या प्राधिकारवान किसी अन्य व्यक्ति को करे।

(2) कोई भवन कर्मकार, जब तक कि सम्यक रुप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता की दशा में के सिवाय, ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, नसैनी, हंच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं जिनका उपबंध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो नही हटाएगा या उनसे छेड़छाड़ नही करेगा। यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जायेगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार, प्रवेश के केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा।

(4) भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियोजक द्वारा उपबंधित शौचालय, मूत्रालय, धोवन बिन्दु, कैंटीन और अन्य सुविधाओं को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखें।

9. छूटः- राज्य सरकार, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों की सभी या किसी अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दे सकेगी-

(क) कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, यदि ऐसी सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन कार्य ऐसे कार्यकारों तक सीमित है जहां इन नियमों में उपबंधित उपायों का किया जाना सुविधाकारक नहीं है, या

(ख) कोई साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति, यदि ऐसी सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति की अपेक्षाएं प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं या उसके बदले में समान रुप से प्रभावी उपाय कर लिए गए हैं।

परन्तु ऐसी सरकार इस नियम के अधीन तब तक छूट नहीं देगी जब तक कि यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट, भवन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं करेगी।

भाग-2

राज्य सलाहकार समिति, स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय-3

राज्य सलाहकार समिति

(10) राज्य सलाहकार समिति का गठन बिहार राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति

(क) सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार-पदेन अध्यक्ष

(ख) बिहार विधान सभा के अध्यक्ष की अनुशंसित द्वारा नाम निर्देशित राज्य सरकार के बिहार विधान सभा का एक सदस्य-सदस्य

(ग) बिहार विधान परिषद के सभापति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित बिहार विधान परिषद के एक सदस्य - सदस्य

(घ) मुख्य निरीक्षक जो भवन निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियन्तासे अन्यून श्रेणी का नहीं होगा राज्य सरकार द्वारा नामित किय जायेगा इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य

(च) मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार - पदेन सदस्य

(छ) चार व्यक्ति जिसमें एक महिला होगी, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित - सदस्य

(ज) चार व्यक्ति जिसका नाम निर्देशन भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा - सदस्य

(झ) दो व्यक्ति जिसमें एक का वस्तुविदों या इंजीनियरों के राज्य स्तर के संगम से और एक का दुर्घटना बीमा का संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन किया जाये -सदस्य

(ञ) श्रमायुक्त, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार - पदेन सदस्य

(11) पदावधि :- (1) राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष का पदस्थायी होंगे।

(2) नियम 10 के खण्ड (ख) एवं (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष के लिए या यथास्थिति विधान सभा / परिषद का जबतक सदस्य रहता है। इसमें जो पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) नियम-10 के खण्ड (घ) खण्ड (ङ) और खण्ड (च) और (ञ) में निर्दिष्ट सदस्य, ऐसी अवधि के दौरान इस रूप में पदधारण करेंगे, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(4) नियम-10 के खण्ड (छ), खण्ड (ज) और (झ) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए इस रूप में पद धारण करेंगे, जिसको उसकी नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाती है।

परन्तु जहां ऐसे किसी सदस्य के उत्तराधिकारी की नियुक्ति, उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले अधिसूचित नहीं की जाती है तो ऐसा सदस्य उसके पदकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जबतक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।

पर या उसके पहले अधिसूचित नहीं की जाती है तो ऐसा सदस्य उसके पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जबतक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।

(5) यदि कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, ऐसे सदस्य और राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष को लिखित में सूचना देने के पश्चात् बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे सदस्य के प्रतिस्थानी को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को उक्त बैठक की बाबत ऐसे सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

(6) राज्य सलाहकार समिति का प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पुनर्गठित की जायेगी।

12. त्यागपत्र- (1) राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं हैं, ऐसी समिति के अध्यक्ष को पूर्व जानकारी देकर श्रम से संबंधित मंत्रालय के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित में पत्र देकर अपने पद को त्याग सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसकी राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या उस सरकार द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान पर इसमें जो भी पूर्वतर हो रिक्त हो जाएगा।

13. सदस्यता का समाप्त होना यदि राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, उस समिति के अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्राप्त किए बिना उक्त समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो वह उक्त समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह निर्देश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निर्देश दिए जाने पर ऐसा सदस्य उक्त समिति का सदस्य बना रहेगा।

14. सदस्यता के लिए निर्हता - (1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा-

(I) यदि वह विकृतचित का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(II) यदि वह अनुमोदित दिवालिया है; या

(III) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

(2) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई निरर्हता उपनियम (1) के अधीन उपगत की गई है, तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय राज्य सरकार करेगी।

15. सदस्यता से हटाया जाना- राज्य सरकार राज्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में उक्त सदस्य ऐसे हित का प्रतिनिधि नहीं रह गया है जिसका उसके द्वारा

ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे उचित अवसर न दे दिया गया हो।

16. रिक्तियां भरने की रीति - जब भी राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या रिक्ति होने की संभावना है, तब ऐसी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों में से, जिसका कि सदस्यता रिक्ति करने वाला व्यक्ति है, नियुक्ति द्वारा रिक्ति भरने के लिए कदम उठाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस सदस्य को शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

17. राज्य सलाहकार समिति के कर्मचारीवृन्द-(1) (i) राज्य सरकार अपने किसी एक अधिकारी को जो उस सरकार के उप श्रमायुक्त की पंक्ति से कम का नहीं है हो राज्य सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए उस सरकार की सेवा में से ऐसे अन्य कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझेगा।

(ii) ऐसे कर्मचारीवृन्द को ऐसा पारिश्रमिक संदेय होगा, जिसका विनिश्चय समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य सलाहकार समिति का सचिव-

(i) समिति की बैठक को बुलाने में ऐसी समिति के अध्यक्ष को सहायता करेगा और ऐसी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा ; और

(ii) ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किंतु ऐसी बैठकों में मत देने का हकदार न होगा ;

(iii) ऐसी समिति की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के आवश्यक उपाय करेगा।

18. सदस्यों के भत्ते-(1) राज्य सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य का यात्रा-भत्ता पदीय कर्तव्यों के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में उसे लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसे वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार समिति के गैर-शासकीय सदस्य को ऐसी समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए यात्रा भत्ते का संदाय ऐसी दर से किया जाएगा जो राज्य सरकार के राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) पंक्ति के अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की संगणना ऐसे राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) को अनुज्ञेय अधिकतम दर से की जाएगी।

19. कारबार का निपटारा-(1) ऐसा प्रत्येक विषय जिस पर विचार करने की राज्य समिति से अपेक्षा है, उस समिति की बैठक में विचार किया जाएगा या यदि ऐसी समिति का अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें तो राय के लिए आवश्यक कागजपत्र प्रत्येक सदस्य को भेजे जाएंगे और विषय का निपटारा बहुमत

के विनिश्चय के अनुसार किया जायगाः

परन्तु यह कि जहां किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और ऐसी समिति के सदस्य समान रूप से बटे हुए है वहां अध्यक्ष द्वितीयक या निर्णायक मत देगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए "राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष" पद के अंतर्गत ऐसी समिति का अध्यक्ष आता है जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट यायमनित किया गया है।

(2) राज्य सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति के गठन में कोई रिक्ति है या कोई त्रुटि है।

20. बैठकें-(1) राज्य सलाहकार समिति की बैठक उन स्थानों पर और ऐसे समयों पर होगी, जिसका विनिश्चय ऐसी समिति का अध्यक्ष करें और इसकी बैठक छह माह में कम से कम एक बार होगी या जब भी सरकार के द्वारा कोई विषय-वस्तु परामर्श के लिए निर्देशित किया जाता है।

(2) ऐसी समिति का अध्यक्ष समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा जिस कि वह उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में वह उसी स्थान पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नाम निर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में ऐसी बैठक में उपस्थित ऐसी समिति के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से किसी का चयन कर सकेंगे।

21. बैठकों की सूचना और कार-बार की सूची-

(1) साधारणतया, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का प्रस्तावित बैठक की दो सप्ताह की सूचना जाएगी।

परन्तु यह कि ऐसी समिति का अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो ऐसी बैठक के लिए दीर्घतर अवधि की सूचना दे सकेगा जो एक माह से अधिक की नहीं होगी।

(2) ऐसी समिति की बैठक के लिए कार-बार की सूची में सम्मिलित से भिन्न किसी कार-बार पर समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

22- गणपूर्ति-राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी कार-बार का संव्यवहार तबतक नहीं किया जाएगा जबतक उस बैठक से ऐसी समिति के कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों जिसमें कम से कम विधान सभा अथवा विधान परिषद् का एक सदस्य होगाः

परन्तु यह कि ऐसी समिति की किसी बैठक में छह सदस्य से कम उपस्थित हैं तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, को अन्य तारीख के लिए बैठक के स्थगन की उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए कि वह स्थगित बैठक में कार-बार को निपटाने की प्रस्थापना करता है, चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो और उसपर उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों कि संख्या को विचार में लिए बिना स्थगित बैठक में कार-बार का निपटारा करें।

अध्याय - 4

स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

23. स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति (1) अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र (1) में तीन प्रतियों में, अधिनियम की धारा (6) के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें कि स्थापना द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण किया जाना है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय दर्शाने वाला मांगदेय ड्राफ्ट होगा।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और रजिस्ट्री डाक से उसे भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदन पर उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को उसकी अभिस्वीकृति देगा।

24. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का दिया जाना - (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम-23 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यदि आवेदक ने इन नियमों में अधिकथित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है और ऐसी अवधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए जानेवाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-2 में होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-iii में रजिस्टर बनाएगा, जिसमें इन स्थापनों की विशिष्टियां दर्शित होंगी, जिनके संबंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

(3) यदि किसी स्थापन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबंध या अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो स्थापन का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से 30 दिन के भीतर जिसको ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन की तारीख व विशिष्टियों की और उसके कारणों की सूचना देगा।

25. अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि (1) जहां नियम (24) के उपनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस रकम से अधिक रकम संदेय है जिसका संदाय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में नियोजक द्वारा किया गया है तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त राशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो ऐसे नियोजक के द्वारा पहले से संदत्त रकम को मिला कर स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी उच्चतर रकम के बराबर होगी।

(2) जहां नियम (24) के उप नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-3 में रजिस्टर में यथाप्रविष्ट स्थापन की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन कारित किया गया है वहां वह उक्त रजिस्टर और अभिलेख में संशोधन उस परिवर्तन के लिए करेगा जो किया गया है ।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-3 में रजिस्टर में कोई संशोधन तबतक नहीं करेगा जबतक कि नियोजक द्वारा समुचित फीस का निक्षेप न कर दिया गया हो।

26. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

(1) नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा; अर्थात :-

(ख) किसी स्थापन से भवन कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(ग) इन नियमों से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) नियोजक पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना देगा।

(3) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ और पूरा होने से तीस दिन के पहले इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र - iv में उस निरीक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस क्षेत्र पर विचाराधिकार है जहां प्रस्तावित अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के, यथा स्थिति, प्रारंभ या पूरा होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी।

(4) स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए विधिमान्य होगा जो ऐसे स्थापन द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसके लिए उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाना है।

27. फीस नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है अर्थात्;

यदि किसी एक दिन में भवन या अन्य सन्निर्माण काल के लिए भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या -

(क)	100 तक है	500.00 रुपये
(ख)	100 से अधिक किंतु 500 से कम है	2000.00 रुपये
(ग)	500 से अधिक है	3000.00 रुपये

अध्याय - 5

अपील, आदेशों की प्रतियां, फीसों का संदाय आदि

28. अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाईल करना

(1) अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजकर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है और एक सौ रुपये का मांग देय ड्राफ्ट होगा।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न मदों के अधीन अपील के आधार उपवर्णित होंगे।

(4) जहां अपील ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालन नहीं करता है वहां अपीलार्थी को अपील अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उस प्रयोजन के संशोधन करने के लिए वापस किया जाएगा जो उस तारीख से जिसकी वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) जहां अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहां अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिए रखे जानेवाली ऐसी पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा।

(6)(i) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसपर मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा।

(ii) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिए सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा।

29. सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता - यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारीज कर सकेगा।

30. अपीलों का प्रत्यावर्तन - जहां कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारीज कर दी जाती है वहां अपीलार्थी अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु इस नियम के अधिन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसी खारीज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

31. अपील की सुनवाई - (1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है जब अपील सुनवाई के लिए ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तो पुष्टि करने वाला, उलटने वाला या फेरफारित करनेवाला आदेश पारित करेगा।

(2) अपील अधिकारी के आदेश में अवधारण के लिए बिंदु, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिए कारण कथित होंगे।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी

32. रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील में आदेश के प्रति - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक आदेश के लिए पचास रुपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी। खो जाने या विकृत हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति वैसे ही फीस के संदाय पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी।

33. फीस का संदाय- (1) रजिस्ट्रीकरण, अपील रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियों या दूसरी प्रतियों की आपूर्ति के लिए संदेय धन की सभी रकमें, यथा स्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अपील अधिकारी के पक्ष में निकाले गए और संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के मुख्यालय पर, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखा पर संदेय लिखे गए क्रास माँग देय ड्राफ्ट के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

(2) यथा स्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी, उपनियम - (1) के अधिन माँग देय ड्राफ्ट की प्राप्ति पर सुसंगत लेखाशीर्ष के अधीन, "श्रमायुक्त", श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग बिहार, पटना, के खाते में या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक में समुचित खाते में रकम जमा करने का प्रबंध करेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेखा मद में ट्रेजरी में जमा करेगा।

भाग - 3

सुरक्षा और स्वास्थ्य

अध्याय 6

साधारण उपबंध

34. अत्यधिक शोर, कम्पन आदि - नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि अत्यधिक शोर या कम्पन्न के बुरे प्रभावों से भवन कर्मकारों की संरक्षा के लिए प्रयाप्त उपाए किए गए हैं और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर शोर की प्रबलता स्तर किसी भी दशा में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 6 में अधिकथित सीमा से अधिक न हो।

35. अग्नि से परित्राण-नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित

करेगा कि, -

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था की जाती है

(i) अग्निशामक उपस्कर जो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर किसी संभावित अग्नि के शमण के लिए पर्याप्त हों ;

(ii) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त दबाव पर पर्याप्त जल का प्रदाय;

(iii) उपखंड (i) के अधीन उपबंधित अग्नि शमण उपस्कार के प्रचालन के लिए अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति;

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन उपबंधित अग्निशमण उपस्कर समुचित रूप से रखे जाते हैं और उनका निरीक्षण उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार नियमित अंतराल पर किया जाता है और ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है।

(ग) भवन कर्मकारों के परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक लांच या नौका या अन्य यान और प्रत्येक उत्थापक साधित्र जिसके अंतर्गत चलित क्रेन आती है के केबिन की दशा में उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशमन उपस्कर की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक लांच या नौका या यान का उत्थापक साधित्र पर की जाएगी।

36. आपात्कालीन कार्ययोजना - नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उस दशा में जहां ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां निम्नलिखित आपात् स्थितियों, जैसे

(क) अग्नि और विस्फोट,

(ख) उत्थापक साधित्रों और परिवहन उपस्करों का ढह जाना,

(ग) भवन शेड या संरचनाओं आदि का ढह जाना,

(घ) गैस रिसाव या खतरनाक मालों या रसायनों का छलकना,

(ङ) भवन कर्मकारों का डूबना, वाहिकाओं का धंसना और

(च) भू-स्खलन, भवन कर्मकार का दब जाना, जलप्लावन, आंधी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए आपात्कालीन कार्य योजना तैयार की जाती है और मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है।

37. मोटरों आदि की बाड़ लगाना - नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सभी मोटरों, दंतचक्र, जंजीरों और घर्षण गियरों, गतिपालक चक्र, पुरातंत्र मशीनरी के खतरनाक और चलित पुर्जों (चाहे यांत्रित शक्ति से चालित हों या न हों) और वाष्प पाईपों की सुरक्षित रूप से बाड़ या लपेट लगाई जाती है;

(ख) मशीनरी के खतरनाक पुर्जों की बाड़ ऐसी मशीनरी के गतिशील रहते या उसका प्रयोग करते समय हटाई नहीं जाती है;

(ग) किसी मशीनरी का कोई पुर्जा जो गतिशील है और जिसकी सुरक्षित रूप से बाड़ नहीं लगाई है का निरीक्षण, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो ऐसे निरीक्षण, स्नेहन समायोजन या मरम्मत के लिए कुशल व्यक्ति है।

(घ) मशीनों के पुर्जे तब साफ किए जाते हैं जब ऐसी मशीन रोकी जाती है;

(ङ) जब कोई मशीन सर्विसिंग सेवा या मरम्मत के लिए रोकी जाती है तब यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि ऐसी मशीन अचानक पुनः चालू न हो जाय।

38. अत्यधिक भार का उत्थापन और वहन - कोई नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) कोई भवन कर्मकार अपने हाथ से या सिर पर या उसकी पीठ या कंधों पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है जिसकी अधिकतम सीमा निम्नलिखित सारणी में दी गई है;

व्यक्ति	अधिकतम भार
वयस्क पुरुष	55 कि0 ग्रा0
वयस्क स्त्री	30 कि0 ग्रा0
कुमार पुरुष	30 कि0 ग्रा0
कुमारी स्त्री	20 कि0 ग्रा0

जबतक कि किसी अन्य भवन कर्मकार या यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो।

(ख) कोई भवन कर्मकार अन्य भवन कर्मकारों की सहायता से हाथ से या सिर पर या उनकी पीठ या कंधों पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है, जो खंड (क) के अधीन पृथक-पृथक रूप से प्रत्येक भवन कर्मकार के लिए दी गई अधिकतम सीमा के कुल योग भार से अधिक है, जबतक कि यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो।

39. स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति-(1) (क) पचास या अधिक भवन कर्मकारों को नियोजित करने वाला प्रत्येक स्थापन भवन कर्मकारों की बाबत नीति का लिखित कथन तैयार करेगा और उसे मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट नीति में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे अर्थात् :-

(i) भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में स्थापन की आशय और

प्रतिबद्धताएं;

(ii) अधिक्षेणियों के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को विनिर्दिष्ट खंड (क) में निर्दिष्ट नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए संगठनात्मक ठहराव;

(iii) प्रमुख नियोजक, ठेकेदार, उपठेकेदार, परिवहनकर्ता या अन्य अभिकरणों के जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में अंतर्ग्रस्त है, उत्तरदायित्व;

(iv) सुरक्षा व स्वास्थ्य और पर्यावरण के जोखिम के निर्धारण के लिए तकनीकें और ढ़ग तथा उनके लिए उपचारी उपाय;

(v) सन्निमार्ण कार्य में लगे हुए भवन कर्मकारों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों या अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए इन्तजाम;

(vi) खंड (क) में निर्दिष्ट नीति को प्रभावी करने के लिए अन्य इंतजाम;

(ग) खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट आशय और प्रतिबद्धता को, संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, सामग्री और भवन कर्मकारों को लगाने के संबंध में विनिश्चय करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

2. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

3. स्थापन, उपनियम(1) (के खंड) (क) में निर्दिष्ट नीति का निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, जबकभी आवश्यक समझा जाय, पुनरीक्षण करेगा, अर्थात् :-

(i) जब कभी ऐसा कोई विस्तार या रुपांतर ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है जिसका कि भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा; या

(ii) जब कभी कोई नया भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, पदार्थ, वस्तुएं या तकनीके जोड़ी जाती हैं, जिनका भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

4. उप नियम (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति हिन्दी और ऐसी स्थानीय भाषा में जो भवन कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, सन्निर्माण स्थल पर किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

40. खतरनाक और हानिप्रद पर्यावरण - कोई नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) जब कोई अंतर दहन इंजन परिरूद्ध स्थान पर उत्खनन् या सुरंग या किसी अन्य कार्य स्थान में रोचित किया जाता है जहां प्रतिदस लाख में पचास अंश से कम वायुमंडल के कार्बन मोनोक्साइड अंश रखने के लिए न तो प्राकृतिक संवातन और नहीं कृत्रिम संवातन प्रणाली पर्याप्त है, स्वास्थ्य परिसंकटों से भवन कर्मकारों को बचाने की दृष्टि से ऐसे कार्य स्थल पर पर्याप्त और उपयुक्त उपाए किए जाते हैं;

(ख) किसी भवन कर्मकार को, ऐसी किसी परिरूद्ध जगह या टैंक या ट्रेंच या उत्खनन में, जिसमें ऐसी प्रकृति की उतनी मात्रा में कोई धूल, धूम या अन्य उपद्रव्य बंद कर दिए गए है जो भवन कर्मकारों को हानिकर या क्लेशकर हो सकते हैं या जिसमें विष्फोटक, विषैला, अपायकर या गैसीय सामग्री या हानिकर वस्तुएं ले जाई गई है या भंडारित की गई है या जिसमें शुष्क बर्फ प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया गया है या जिसे धुमित किया गया है या जिसमें आक्सीजन की कमी की संभावना है, जबतक कि ऐसी धूल, धूम या अन्य अपद्रव्य और खतरों को जो उपस्थित हो सकते हैं, दूर करने के लिए और उसमें ओर वृद्धि होने कि निवारण के लिए सभी व्यवहार्यकदम न उठा लिए गए हों, और ऐसे कार्य स्थल या टैंक या ट्रेंच या उत्खनन को ऐसे भवन कर्मकारों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और ठीक होने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न कर दिया गया हो, प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

41 शिरोपरी संरक्षा-(1) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सुनिश्चित करेगा कि शिरोपरी संरक्षा का परिनिर्माण निर्माणाधीन प्रत्येक भवन को परिधि के साथ करेगा जब उसके पूर्ण होने पर ऊँचाई में पन्द्रह मीटर या उससे अधिक होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शिरोपरी संरक्षा चौड़ाई में दो मीटर से कम नहीं होगी और भवन के आधार के उपर पांच मीटर से अनाधिक की ऊँचाई पर परिनिर्मित की जाएगी और ऐसे शिरोपरि संरक्षा की बाहरी कोर उसकी भीतरी कोर से एक सौ पचास मिलीमीटर ऊँची होगी या उसका परिनिर्माण भवन में उसकी क्षैतिज ढलान से बीस डिग्री से अनाधिक के कोण पर किया जाएगा।

(3) नियोजक भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री, वस्तुओं या पदार्थों के गिरने की जोखिम वाले किसी क्षेत्र को रस्सियों से बांध दिया गया है या घेरा डाल दिया गया है या ऐसे क्षेत्र में कार्य पर भवन कर्मकारों से भिन्न व्यक्तियों को असावधानता वश प्रवेश से अन्यथा उचित रूप से रक्षित कर दिया गया है।

42. फिसलने, व्यवधान, विदारण, डूबने और गिरने संबंधी परिसंकट :- (1) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी गलियारों, प्लेटफार्म और सन्निर्माण कार्य के अन्य स्थानों को, नियोजक द्वारा धूल, मलवा या वैसी ही सामग्री के इकट्ठा होने से और अन्य बाधाओं से जो व्यवधान कारित कर सकती है, मुक्त रखा जाएगा।

(2) कोई तीक्ष्ण रूप से निकला हुआ भाग या निकली हुई कीलों या वैसे ही निकले हुए भाग को जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार को कोई विदारण परिसंकट कारित कर सकता है, नियोजक द्वारा हटा दिया जायेगा या उपयुक्त उपाय करके अन्यथा सुरक्षित किया जाएगा।

(3) कोई नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को सन्निर्माण कार्य पर ऐसे गलियारे या मचान, प्लेटफार्म या किसी अन्य उत्थापित कार्यकरण स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जो फिसलन भरी और खतरनाक स्थिति में है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जल, ग्रीस, तेल या अन्य वैसे ही पदार्थ को जो स्थल को फिसलन भरी कर सकते है, हटा दिया जाय या उसे फिसलने के संकट से सुरक्षित करने के लिए बालू, बुरादा डाल दिया जाएगा या उपयुक्त समाग्री से आच्छादित कर दिया जाए।

(4) जब कभी किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार जल में गिरने के संकट में फंस सकते हैं वहाँ उन्हें नियोजक द्वारा डूबने और ऐसे संकट से बचाने के लिए समुचित उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगें और यदि मुख्य निरीक्षक यह उचित समझता है तो ऐसे कार्यस्थल पर नियोजक द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक सहित पूर्णतया सज्जित नौका या लांच की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रत्येक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रत्येक खुली जगह या द्वार, जिसमें या जिसमें से कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार, यान या उत्थापक साधित्र या अन्य उपस्कर गिर सकते है, ऐसे गिरने से रोकने के लिए, नियोजक द्वारा आच्छादित या उपयुक्त रूप से रक्षित की जाएगी सिवाय वहां जहां कार्य की प्रकृति के कारणों से मुक्त पहुंच आवश्यक है।

(6) जहां कहीं किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकारों को ऐसे कार्य पर नियोजित रहते समय ऊँचाई से गिरने के संकट की जोखिम है, नियोजक द्वारा ऐसे संकट से उनहे बचाने के लिए पर्याप्त उपस्कर या साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

ऐसे उपस्कर या साधन राष्ट्रीयह मानकों के अनुरूप होंगे।

(7) जहां कहीं भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित सन्निर्माण स्थल पर किसी सामग्री, उपस्कर या भवन कर्मकार के गिरने की संभावना है वहां राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियोजक द्वार पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा जाल की व्यवस्था की जाएगी।

43. धूल, गैसें, धूम आदि-कोई नियोजक, धूल गैसे या धूमों के संकेन्द्रण का निवारण, अनुज्ञेय सीमा के भीतर उनके संकेन्द्रण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करेगा जिससे कि वे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार की क्षति या स्वास्थ्य संकट कारित न करें।

44. संक्षारक पदार्थ- नियोजक, यह सुनिश्चित करेगा कि संक्षारक पदार्थ जिसके अंतर्गत क्षार और अम्ल भी है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर ऐसे पदार्थो से संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से भंडारित और प्रयोग किए जाए जिससे यह भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को खतरा उत्पन्न न करे और नियोजक द्वारा ऐसे पदार्थ के हथालने या उपयोग के दौरान उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पदार्थों की भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार पर गिरने की दशा में नियोजक द्वारा तुरंत उपचारी उपाय किए जाएंगे।

45. नेत्र संरक्षण-नियोजक द्वारा नेत्रों के संरक्षण के लिए उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और भवन कर्मकार, जो वेल्डिंग, कर्तन, छीलन पीसने या इसी प्रकार की की सक्रियाओं में, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नेत्रों को संकट कारित कर सकते है, उनका उपयोग करेंगे।

46. सिर का संरक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र-(1) प्रत्येक भवन कर्मकार से जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के क्षेत्रों के भीतरकार्य करने या वहां से जाने की अपेक्षा है, जहां कही उसपर वस्तुओं या सामग्री के गिरने का संकट है नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के और परिक्षित सुरक्षा हैलमेटों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जल में या गीलीकंक्रीट में या

इसी प्रकार के अन्य कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा उपयुक्त वाटर-प्रूफ जूतों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर वर्षा में या इसी प्रकार की गीली स्थितियों में कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा टोप के साथ वाटर प्रूफ कोट की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर क्षार, अम्ल या अन्य वैसे ही संक्षारक पदार्थों का उपयोग और हथालने की अपेक्षा है नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समुचित संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रत्येक भवन कर्मकार को जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर ऐसी तीक्ष्ण वस्तुओं के हथालने में लगा है जो हाथों को क्षति कारित कर सकती है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त दस्तानों की व्यवस्था की जाएगी।

47. वैद्युत परिसंकट- नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले किसी ऐसे वैद्युत उपस्कर या साधित्र, मशीन या विद्युतमय वैद्युत सरकीट से, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसे नियोजन के दौरान वैद्युत परिसंकट कारित कर सकता है, शारीरिक संपर्क में आने से किसी कर्मकार के निवारण करने के लिए पर्याप्त उपाए करेगा।

(2) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के किसी सहज दृश्य स्थान पर हिन्दी में और किसी ऐसी स्थानीय भाषा में जो बहुसंख्यक भवन कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो, उपयुक्त चेतावनी प्रतीकों को प्रदर्शित और उनका अनुरक्षण करेगा।

(3) किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसी कार्य स्थलों पर जहां भूमिगत विद्युत शक्ति लाईनों की सही स्थिति ज्ञात नहीं है वहां ऐसे जैकहेमर (हथौड़ा) सब्बल या अन्य दस्ती औजार का प्रयोग करनेवाले भवन कर्मकारों को, जो विद्युतमय वैद्युत लाईन के संसर्ग में आ सकते है, नियोजक द्वार राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के विद्युत रोधी सन्नरक्षक दस्ताने और जूता आदि की व्यवस्था की जाएगी।

(4) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि, यावत् साध्य, कोई तार, जो जल के संसर्ग में आ सकता है या जो यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर भूमि या फर्श पर छूटा न रह जाए।

(5) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सभी वैद्युत साधित्र और धाराप्रवहण उपस्कर ठोस सामग्री से बनाए गए हो और उचित और पर्याप्त रूप से भू-संपर्कित किए गए हों।

(6) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी अस्थायी वैद्युत संस्थापन भू-क्षरण परिपथ वियोजक से उपबंधित हैं।

(7) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी वैद्युत संस्थापन

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

48. यानीय यातायात-(1) जब कभी कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किसी सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर जो सड़क से अतिनिकट अवस्थित है, किया जा रहा हो, जहां कोई यानीय यातायात भवन कर्मकारों को क्षतिकारित कर सकता है वहां नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा भवन अन्य सन्निर्माण कार्य को रोधित किया जाता है और ऐसे खतरे से निवारण के लिए उपयुक्त चेतावनी प्रतीक और प्रकाशों का प्रदर्शन या परिनिर्माण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वहां ऐसे यातायात को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में अनुरोध कर सकेगा।

(2) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर प्रयुक्त सभी यान, मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(3) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ग या वर्णन के यानों का ड्राईवर जिसका प्रचलन, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर किया जा रहा है, मोटर-यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का धारण करते हैं।

49. संरचनाओं का स्थायित्व- नियोजक यह सुनिश्चित करेगा, कि किसी संरचना की कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग ऐसी स्थिति में अरक्षित न छोड़ा जाय कि यह वायु दबाव, कम्पन के कारण या भवन या अन्य सन्निर्माण कार्यस्थल पर किसी अन्य कारण से न गिरे, न ढहे या न कमजोर हो।

50. गलियारों, आदि का प्रदीपन-नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के उस स्थल पर जहां भवन कर्मकारों से कार्य करने या निकलने की अपेक्षा है, सुरक्षित कार्यकरण स्थितियां बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रदीपन की व्यवस्था हो और गलीयारों, सीढ़ीयों और उतराई के स्थलों के लिए उससे कम प्रदीपन न हो जिसका उपबंध सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में किया गया है।

51. सामग्री का चट्टा लगाना-नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) सभी भवन सामग्रियों का भंडारन या चट्टा लगाई किसी गलीयारे या कार्यस्थल पर अवरोध से बचने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रीति से की जाती है;

(ख) सामग्री के ढ़ेर का भंडारण या चट्टा लगाई ऐसी रीति से की जाती है जिससे स्थायित्व सुनिश्चित हो सके;

(ग) किसी फर्श या प्लेटफार्म पर सामग्री या उपस्कर का भंडारण ऐसी मात्रा से अधिक नहीं किया जाता है जो उसकी सुरक्षित वहन क्षमता से अधिक हो;

(घ) फर्श या प्लेटफार्म के किसी किनारे के इतने समीप भंडारण या स्थापन नहीं किया जाता है जो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जो उसके नीचे या समीप में कार्य कर रहे हों।

52. मलबे का व्ययन - नियोजक किसी भवन या सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि

(क) मलबे की उठाई-धराई और व्ययन ऐसी किसी पद्धति से किया जाता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें;

(ख) मलबे का इस प्रकार इकत्रित करना, अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो परिसंकटमय हो जाय;

(ग) धूल को अनुज्ञात सीमा में रखने के लिए मलबे को पर्याप्त रूप से नम रखा जाता है;

(घ) मलबे को ऐसे भवन या सन्निर्माण कार्य की किसी ऊंचाई से भीतर या बाहर नहीं फेंका जाता है;

(ङ) कार्य को पूरा होने पर, बची हुई भवन सामग्री, वस्तु या अन्य पदार्थ या मलबे का व्ययन, किसी यातायात या व्यक्ति को कोई परिसंकट से बचाने के लिए यथा शीघ्र किया जाता है।

53. तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का प्रत्येक तल या स्तर, ऐसे तल या स्तर पर पहुंचने का स्थान समुचित रूप से संख्यांकित या चिन्हांकित है।

54. सुरक्षा हेलमेटों और जूतों का प्रयोग-नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्ति, जो भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में कोई कार्य या सेवा कर रहे है, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा जूते और हेलमेट पहनते है।

अध्याय - 7

उत्थापक साधित्र और गियर

55. उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर-

(क) सभी उत्थापक साधित्र, जिनमें उनके भाग तथा कार्यकरण गियर चाहे वे स्थिर हैं या चल रहे हैं ऐसे साधित्रों को एंकरिंग या स्थिरीकरण में प्रयुक्त कोई संयंत्र या गियर भी सम्मिलित हैं-

(i) ठोस सन्निर्माण, ठोस सामग्री के हैं और पर्याप्त मजबूत है जिससे कि वे प्रयोजन की पूर्ति कर सकें जिसके लिए उनका प्रयोग होना है और ऐसे सभी साधित्र प्रत्यक्ष गलतियों से मुक्त होंगे, और

(ii) उन्हें अच्छी मरम्मत द्वारा और कार्यकरण दशा में बनाए रखा गया है;

(ख) (i) प्रत्येक ड्रम या घिरनी, जिसके चारों ओर उत्थापक साधित्र की रस्सी लिपटी रहती है, ऐसी रस्सी के संबंध में पर्याप्त व्यास और ठोस सन्निर्माण की है;-

(ii) कोई रस्सी जो उत्थापक साधित्र के वाइंडिंग ड्रम पर समाप्त होती है, ऐसे ड्रम के साथ सुरक्षित रूप से बंधी है और ऐसे उत्थापक साधित्र की प्रत्येक प्रचालन स्थिति में ऐसी रस्सी के कम से कम तीन घुमाव ऐसे ड्रम पर रहें;

(iii) ड्रम का फ्लैंज रस्सी की अंतिम सतह से परे, रस्सी के व्यास से दुगना प्रक्षेपित है और यदि ऐसा प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रस्सी को ऐसे ड्रम से निकलने से रोकने के लिए एंटी-स्लैकनेस गार्ड जैसे अन्य उपाय उपलब्ध कराये जाएंगे।

(ग) प्रत्येक उत्थापक में पर्याप्त और दक्ष ब्रेक लगाए गए हैं जो-

(i) लटके हुए भार (जिसमें आंच भार भी है) को गिरने से रोकने में और जब भार नीचे किया जा रहा हो तो ऐसे भार को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में समर्थ है;

(ii) बिना आघात पहुंचाए कार्य कर सकते हैं,

(iii) शूज से युक्त हैं जिन्हें परिचालन के लिए आसानी से हटाया जा सकता है, और

(iv) समायोजन के सरल और आसान पहुंच वाले साधनों से युक्त हैं परन्तु यह कि इस खंड में दिया गया कुछ भी माप लिंक पर लागू नहीं होगा, जो इस खंड के अनुसरण में यथा उपलब्ध करायी गई ब्रेक के साथ उतने ही सुरक्षित रूप से प्रचालित की जा सकती है।

(घ) प्रत्येक उत्थापक साधित्र के नियंत्रण -

(i) इस प्रकार स्थित होंगे कि ऐसे साधित्र के चालक के पास अपने खड़े होने के स्थान या सीट पर प्रचालन के लिए व्यापक जगह हो और उसे भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का यथासाध्य अनिर्बाधित अवलोकन हो, और यह कि वह भार और रस्सीयों से दूर हो, और यह कि उसके ऊपर से कोई भार नहीं गुजरे;

(ii) ऐसे साधित्र के उचित प्रचालन के लिए अरगोनोमेट्रिक विचारों पर सम्यक ध्यान देते हुए स्थित किए गए है;

(iii) इस प्रकार अवस्थित है कि ऐसे साधित्र का चालक ऐसे साधित्र के पूर्ण प्रचालन के समय होलखंड की ऊंचाई से ऊपर रहता है;

(iv) के ऊपर या उसके पार्श्वस्थ पर उनके प्रयोजन और उनके प्रचालन की रीति के लिए स्पष्ट चिन्हांकन है।

(v) परिणामिक भार संचालन की दिशा में यथासाध्य गतिमान हो;

(vi) में, जहाँ आवश्यक है, वहाँ आकस्मिक संचालन या सरकाव को रोकने के लिए युक्ति लगाई गई है;

(vii) परिणामिक भार संचालन की दिशा में यथासाध्य गतिमान हो, और

(viii) जहाँ स्वचालित ब्रेक लगाई गई है, बिजली चले जाने की दशा में स्वत: ही अपनी तटस्थ स्थिति में आ जाय।

56. उत्थापक साधित्र की जाँच और कालिक परीक्षण- नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण

स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सभी उत्थापक साधित्रों का इनके सभी भागों और गियरों, सहित, चाहे वे स्थिर हैं अथवा चलायमान, प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व या इसमें, इसकी क्षमता अथवा स्थिरता को प्रभावित करने के लिए दायी परिवर्तन या मरम्मत करने के पश्चात् या निर्माण स्थल पर खड़ा करने के पश्चात् और प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची- i में विनिर्दिष्ट रीति से सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच और परीक्षण किया गया है;

(ख) सभी उत्थापक साधित्रों का प्रत्येक बारह मासों में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जहाँ अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जहाँ ऐसा परीक्षण करनेवाला सक्षम व्यक्ति यह राय बनाता है कि उत्थापक साधित्र सुरक्षित रूप से कार्य नहीं करता रह सकता, वह उत्थापक साधित्र के अपनी राय को तुरंत लिखित में सूचना देगा;

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए अच्छी तरह से परीक्षण से चाक्षुष परीक्षण अभिप्रेत है, जो यदि आवश्यक है तो अन्य साधनों जैसे परीक्षण किए गए भागों की सुरक्षा के विषय में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए परिस्थितियों के अनुसार की गई थोड़ी जाँच से संपूर्ण होता है।

57. स्वचालित सुरक्षित भारसूचक- (क) नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(i) प्रत्येक क्रेन के साथ जो यदि इस प्रकार बनी है कि निरापद कार्यकरण भार जिनको ऊपर या नीचे करके अथवा अन्य किसी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, निरापद कार्यकरण भार का स्वतः सूचक जुड़ा है जो जब कभी भार, निरापद कार्यकरण भार से अधिक हो जाता है तो संचालक को चेतावनी देता है;

(ii) जहाँ भी संभव हो कट-आउट लगाए गये हैं जो यदि भार, निरापद कार्यकरण भार से अधिक हो जाता है तो प्रत्येक क्रेन के उत्थापक भाग के संचालन को स्वतः ही रोक देता है;

(ख) खंड(क) के उपखंड(1) के उपबंध सभी को लागू है, सिवाय जहाँ जहाँ स्वचालित निरापद कार्यकरण भार सूचक लगाना संभव नहीं है, उस दशा में क्रेन पर संगत आनतियों अथवा जिब के अर्द्ध व्यासों पर लगी निरापद कार्यकरण भार दर्शाने वाली सारणी पर्याप्त समझी जाएगी।

58. संस्थापना- (क) नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) स्थापित उत्थापक साधित्रों की संस्थापना-

(i) सक्षम व्यक्तियों द्वारा की गई है;

(ii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्रों भार, कम्पन्न या अन्य असर के कारण विस्थापित नहीं हो सकतें।

(iii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्र का आपरेटर भार, रस्सी या ड्रम के कारण होने वाले खतरों

से बचा रहेगा; और

(iv) इस रीति से की गई है कि आपरेटर या तो प्रचालन के क्षेत्र को देख सकता है या फिर सभी भार लादने और भार उतारने वाले स्थलों से सिगनल या अन्य सम्पर्क प्रणाली से सम्पर्क कर सकता है;

(ख) उत्थापक साधित्रों के भागों तथा भार और-

(i) स्थिर वस्तुओं जैसे दीवारें और चौकी; या

(ii) इलेक्ट्रीकल चालकों के बीच पर्याप्त निर्वाधन दिया गया है;

(ग) उत्थापक साधित्रों को, जब उन्हें वायु भार लदान के लिए प्रयोग किया जाय तो ऐसे भार लदान को सुरक्षित रुप से सहन करने के लिए अतिरिक्त शक्ति, मजबूती, और दृढ़ता दी गई है।

(घ) उत्थापक साधित्र के किसी भाग में, ऐसे साधित्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत सक्षम व्यक्ति की इस आशय की राय लिए बगैर नहीं की गई है।

59. विंच- नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर वह सुनिश्चित करेगा कि-

(क)(i) यदि नियंत्रक लीवर अत्यधिक घर्षण या प्ले से आपरेट होता है तो विंचों का प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ii) दोहरे गियर विंचों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाय जब तक गियर शिफ्ट को लॉक करने का सकरात्मक उपाय न दिया हो;

(iii) दो गियरवाले विंचों पर गियर बदलते समय फाल और हुक एसेम्बली के अतिरिक्त कोई अन्य भार न हो;

(iv) विंच आपरेटर को अप्रासमान्य मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है;

(v) विंच आपरेटर के लिए अस्थायी स्थानों या आश्रयों के, जो विंच आपरेटरों या अन्य भवन निर्माण कर्मकारों के लिए परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं, प्रयोग की अनुज्ञा नहीं है;

(vi) नियंत्रण लीवर निष्क्रिय स्थिति में है और जब विंच पर कोई न हो तो जब भी संभव हो इसकी शक्ति को बंद कर दिया जाता है।

(ख) प्रत्येक भाप विंच को प्रयोग में लाने पर-

(i) छूटती भाप से निर्माण स्थल या अन्य कार्य स्थल के किसी भाग को धुंधला पड़ जाने से या किसी भवन निर्माण कर्मकार को अन्य रूप से होने वाली प्रतिबाधा या क्षति को रोकने के लिए उपाए किए गए हैं;

(ii) विंच आपरेटरों को पहिया टाईप नियंत्रणों पर छोटे हैंडलों के सिवाय विंच नियंत्रण विस्तारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और यह कि ऐसे लीवर पर्याप्त, मजबूत और सुरक्षित है और आलम्ब

पर तथा स्थायी नियंत्रक लीवर पर धातु संबंधकों के साथ जकड़े हुए हैं;

(iii) विस्तारित नियंत्रण लीवर, जो अपने भार के कारण गिर जाते है, प्रति संतुलित हैं;

(ग) किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक इलेक्ट्रीक विंच कार्य करते समय किसी त्रुटि की दिशा में किसी इलेक्ट्रीक नियंत्रण सर्किट को स्थानांतरित् करने, उनमें परिवर्तन करने या उनका समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं है।

(घ) भवन निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रीक विंचों का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ

(1) इलेक्ट्रो-मैगनेटिक ब्रेकभार को उठाए रखने में असमर्थ है या;

(2) एक या अधिक नियंत्रण स्थल, चाहे वे उत्तोलन के लिए है अथवा नीचे उतारने के लिए हैं, सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रहें है।

60. बाल्टियाँ- नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि टिप-अप बाल्टियों में ऐसी युक्ति लगी है जो आकस्मिक उलटने को प्रभावकारी ढंग से रोकती है।

61. पहचान और निरापद कार्यकरण भार का चिन्हांकन- नियोजक, भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) प्रत्येक उत्थापक साधित्र और वियोजित गियर इसके निरापद कार्यकरण भार- और पहचान के लिए स्टॉम्पित करके या अन्य किसी उपयुक्त साधन द्वारा स्पष्ट रुप से चिन्हांकित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक डैरिक (क्रेन डैरिक से भिन्न) - (i) जब ऐसे डायरीक का प्रयोग नीचले ब्लॉक के साथ एकल क्रय में या सभी ब्लॉक स्थितियों में संघ क्रय में किया जाता है, उसके निरापद कार्यकरण भार के लिए स्पष्ट रुप से चिन्हांकित है;

(ii) क्षेतिज से न्यूनतम कोण, जिस पर डैरिक का प्रयोग किया जा सकता है सुस्पष्टरुप से चिन्हांकित है;

(ग) प्रत्येक ऐसा उत्थापक साधित्र जिसका एक से अधिक कार्यकरण भार है, ऐसे प्रभावी साधनों से युक्त है जो आपरेटर को प्रयोग की सभी स्थितियों के अधीन प्रत्येक स्थान पर निरापद कार्यकरण भार निश्चित करने में समर्थ करता है;

(घ) उत्थापक गियरों का ऐसी स्थितियों के अधीन जिनमें ऐसे गियर प्रयोग किए जा सकते है निरापद कार्यकरण भार अभि निश्चित करने में ऐसे गियर का प्रयोग करनेवाले कर्मकार को समर्थ करने के लिए साधन दिए गए हैं और ऐसे साधन निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे-

(i) स्लिंग या किसी टेबलेट या पेन स्लिंग की दशा में टिकाऊ सामग्री के रिंग पर जो उससे दृढ़ता से जुड़ी है पर विशुद्ध अंको या अक्षरों में निरापद कार्यकरण भार का चिन्हाकरण और

(ii) या तो उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट साधन अथवा तार रस्सी स्लिंग की दशा में विभिन्न आकारों को तार, रस्सी स्लिंगों के निरापद कार्यकरण भार का कथन करने वाली सूचना जो इस प्रकार

प्रदर्शित करें पद 6 का किसी भी संबद्ध भवन निर्माण कर्मकार द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके।

62 उत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियरों की लदाई- नियोजक, भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या तार, या रस्सी असुरक्षित तरीके से या ऐसी रीति में प्रयोग नहीं की जा रही जिसमें भवन निर्माण कर्मकार के जीवन को जोखिम हो और यह कि उनपर उस दशा को छोड़कर जब जांच प्रयोजनों के लिए, किसी सक्षम व्यक्ति के निर्देशाधीन इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार लदाई की जाती है, उनके निरापद कार्यकरण भार से अधिक लदाई नहीं की जाएगी।

(ख) कोई उत्थापक साधित्र और उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई, धराई करनेवाला साधित्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है; यदि -

(i) अधिकारिता रखनेवाले निरीक्षक का जांच या परीक्षण के प्रमाण पत्र अथवा नियमों के अधीन दिए गए प्रमाण अथवा इन नियमों के अधीन दिए अनुसार रखे गए अधिप्रमाणित अभिलेखों के प्रति निर्देश में समाधान नहीं हो गया है।

(ii) ऐसे निरीक्षक की दृष्टि में कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई, धराई करनेवाला साधित्र भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है।

(iii) कोई पुली, ब्लाक, भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में तबतक प्रयोग नहीं किया गया जबतक ऐसे ब्लाक पर निरापद कार्यकरण भार और पहचान स्पष्टरूप से चिन्हांकित नहीं की गई;

63. आपरेटर का केब या केबिन- नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) बाह्य सेवा वाले प्रत्येक उत्थापक मशीन के आपरेटर को एक केब या केबिन दिया गया है जो-

(i) अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से बना है;

(ii) उपयुक्त सीट और एक फुट रेस्ट से युक्त है और जिसमें बंधन से सुरक्षा दी गई है;

(iii) आपरेटर को प्रचालन के क्षेत्र के पर्याप्त अवलोकन की सुविधा देता है;

(iv) आपरेटर को केब में कार्यकरण भागों तक आवश्यक पहुंच की सुविधा देता है;

(v) आपरेटर को मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है;

(vi) पर्याप्त रूप से संवातित है और

(vii) उपयुक्त अग्निशामकों से युक्त है।

64. उत्थापक साधित्रों को प्रचालन नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के स्थल पर यह

(क) प्रत्येक क्रेन चालक या उत्थापक आपरेटर के पास विशिष्ट उत्थापक साधित्र के प्रचालन के लिए पर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण है;

(ख) कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी उत्थापक साधित्र या स्सकाफ्लोल्ड विंच के नियंत्रण पर नहीं है या आपरेटर को सिगनल देने का कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) प्रशिक्षित आपरेटर द्वारा उत्थापक साधित्र को गति में आने से रोकने के लिए पूर्वावधानी ली जा रही है;

(घ) उत्थापक साधित्र का प्रचालन सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिगनलों द्वारा शासित है।

(ङ) उत्थापक साधित्र के आपरेटर का ध्यान कार्य करते हुए भंग नहीं होता है;

(च) कोई क्रेन उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र अथवा ऐसी क्रेन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र के किसी भाग पर सिवाय जांच प्रयोजनों के निरापद कार्यकरण भार से अधिक नहीं लगाया जाता है;

(छ) उत्तोलक प्रचालन के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसे प्रचालन में भार के नीचे खड़े होने या गुजरने से रोकने के लिए प्रभावी पूर्वावधानी ली गई है;

(ज) आपरेटर उत्थापक साधित्र को ऐसी दशा में जब शक्ति चालित हो या ऐसे साधित्र पर लगाया गया है, बिना देख-रेख के नहीं छोड़ता है,

(झ) कोई व्यक्ति लटके हुए भार पर या उत्थापक साधित्र पर सवारी नहीं करता है,

(ञ) भार का प्रत्येक भाग जब भार उत्तोलन हो रहा हो या नीचे किया जा रहा हो, किसी खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से लटकाया और सहारा दिया गया है।

(ट) ईंटों, टाइलों, स्लेटों या अन्य सामग्री के उत्तोलन के लिए प्रयुक्त पात्र, ऐसी किसी सामग्री को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त रूप से बंद है,

(ठ) उत्तोलन प्लेटफार्म, उस समय बंद रहता है, जब खुली सामग्री अथवा भार से लदे व्हील बैरिस सीधे ऐसे प्लेटफार्म पर रखें जाते है या जब ऐसी सामग्री अथवा व्हील बैरिस नीचे उतारे जाते है;

(ड) कोई सामग्री किसी उत्थापक साधित्र से इस प्रकार ऊपर-नीचे या धीमी नहीं की जाती है जिससे ऐसे साधित्र को अचानक झटका लगे,

(ढ) किसी बैरो के उत्तोलन के समय ऐसे बैरों का कोई पहिया तबतक सहारे के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है जबतक ऐसे पहिये के एक्सेल को बैरिंग में से बाहर फिसलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिए जाते हैं,

(ण) लम्बी वस्तुएं जैसे प्लैंक्स या गर्डरस के साथ, ऐसी वस्तुओं को ऊपर या नीचे करते समय खतरे की किसी संभावना को समाप्त करने के लिए टैग लगाइ जाती है,

(त) सामग्री नीचे उतारने की प्रक्रिया के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार को ऐसी सामग्री की लदाई-और

(त) सामग्री नीचे उतारने की प्रक्रिया के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार को ऐसी सामग्री को चढ़ाई-और उतराई देखने के लिए खाली स्थान में झुकने की अनुज्ञा नहीं है,

(थ) ऐसे स्थानों पर जहां यातायात का प्रवाह नियमित रहता है, भारों का उत्तोलन बंद स्थान पर किया जाता है या उस दशा में जब ऐसा उत्तोलन के समय यातायात रोकने अथवा मोड़ने के उपाए किए जाते है,

(द) भार को उसके उत्तोलन या उसके उतारई के दौरान किसी अन्य वस्तु के सम्पर्क में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए है जिससे ऐसे भार को खिसकने से बचाया जा सके,

(ध) भारी भारों को उपर या नीचे करते हुए, भारी-भार की दिशा देने के लिए साधित्र उपलब्ध कराए गए है और उनका प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसा भार को उपर या नीचे करने के दौरान भवन निर्माण कर्मकारो के हाथों को दबने से बचाया जा सके ।

65. उत्तोलक - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उत्तोलक टावरों की परिकल्पना निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है,

(ख) उत्तोलक शाफ्ट में कठोर पैनल या-

(i) भूमितल पर ऐसी शाफ्ट के चारो तरफ, और

(ii) अन्य सभी तलों पर ऐसी शाफ्ट तक पहुंच के चारो तरफ, अन्य पर्याप्त बाड लगाई गई है,

(ग) उत्तोलक शाफ्ट की दीवारें, पहुंच मार्गो के सिवाय ऐसी शाफ्ट के फर्श या पहुंच के प्लेटफार्म से कम से कम दो मीटर ऊँची है,

(घ) उत्तोलक के पहुंच मार्ग पर द्वार लगाए गए हैं जो-

(i) दृश्यता बनाए रखने के लिए जाली से युक्त हैं,

(ii) कम से कम दो मीटर ऊँचे हैं, और

(iii) ऐसी युक्ति से युक्त हैं जो ऐसी उत्तोलक के प्लेटफार्म के लैंडिंग छोड़ने से पूर्व द्वार बंदकर देती हैं और जबतक ऐसा प्लेटफार्म लैंडिंग पर न हो द्वार को खुलने से रोकता है,

(ङ) उत्तोलक के पहुंच मार्ग पर्याप्त रूप से प्रकाशित है,

(च) उत्तोलक प्लेटफार्म की गाइडस मुड़ने और अटकने की दशा में उछलने के प्रति सुरक्षा कवच देकर पर्याप्त प्रतिरोध दिखाती है,

(छ) शिरोपरी बीम और उनके सहारे ऐसे कुल अधिकतम चलायमान और स्थिर भार को जिनको उठाना ऐसी बीम और सहारों द्वारा कम से कम पांच सुरक्षा फैक्टर के साथ उठाना अपेक्षित होगा, उठाने में समर्थ है,

(ज) (i) पिंजरे या प्लेटफार्म के ओपर वाइंडिंग की दशा में उनको पर्याप्त निर्बाध गति उपलब्ध कराने के

लिए पिंजरे या प्लेटफार्म के उच्चतम रूकन के ऊपर और

(ii) ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म के निम्नतम रूकने के स्थान के नीचे, खाली स्थान उपलब्ध कराया गया है,

(झ) उत्तोलक शाफ्ट के मुख के ऊपर सामग्री को ऐसे शाफ्ट में गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त आवरण उपलब्ध कराया गया है,

(ञ) वाह्य उत्तोलक टावर पर्याप्त रूप से मजबूत नींव पर खड़े किए गए है और दृढ़ रूप से बंधे, गाइड और स्थिर हैं,

(ट) उस दशा में जब कोई अन्य सीढ़ी आसानी से पहुंच में नहीं है, तब प्रत्येक वाह्य उत्तोलक टावर के नीचले तल से मुख तक एक सीढ़ी लगाई गई और ऐसी सीढ़ी राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगी,

(ठ) किसी उत्तोलक इंजन की अंकित क्षमता ऐसे अधिकतम भार से, कम से कम डेढ़गुणा होगी,

(ड) उत्तोलन इंजन की सभी गियरिंग दृढ़ता से बंद है,

(ढ) उत्तोलन इंजन की भाफ पाईप किसी भवन निर्माण कर्मचारी को ऐसी पाईप से दुर्घटनावश छू जाने से बचाने के लिए पर्याप्त रूप से संरक्षित है,

(ण) उत्तोलन ईंजन के इलेक्ट्रिकल उपस्कर प्रभावी रूप से भूयोजित है,

(त) उत्तोलक में उत्तोलन ईंजन को, जैसे ही ऐसे उत्तोलक का प्लेटफार्म अपने रूकने के उच्चतम स्थान पर पहुंचता है, रोकने के लिए उपयुक्त युक्ति उपलब्ध है,

(थ) उत्तोलन ईंजन मौसम और गिरती हुई वस्तुओं के प्रति संरक्षण के लिए उपयुक्त आवरण से युक्त है,

(द) जनता के किसी आम रास्ते पर लगाया गया उत्तोलन ईंजन पूरी तरह से बंद है,

(ध) सभी भाप निष्कासक पाईप इस रीति से भाप का निस्सरण करती है कि इस प्रकार निस्सारित भाप किसी व्यक्ति को नहीं जलाती या आपरेटर के दृश्य में बाधा नहीं डालती,

(न) उत्तोलक की गति की दिशा जबतक विपरीत नहीं होगी जबतक वह पहले गतिहीन नहीं हो जाता जिससे कि ऐसी विपरीत दिशा में गति से होनेवाली हानि से बचा जा सके,

(प) कोई ऐसा उत्तोलक जिसकी परिकल्पना में व्यक्तियों की सवारी सम्मिलित नहीं है, ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म से गति में नहीं लाया जाता,

(फ) उत्तोलक के पालरा और रैचेट पहिओं की, जिसमें ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म को नीचे करने से पूर्व ऐसे पाल की ऐसी रैचेड पहियों से अलग करना अपेक्षित है, प्रयोग नहीं किया जाता है,

(ब) उत्तोलक का प्लेटफार्म ऐसे अधिकतम भार की, जिससे ऐसा प्लेटफार्म कम से कम तीन सुरक्षा फैक्टर के साथ उठा सकता है, उठाने में समर्थ है,

(भ) उत्तोलक का प्लेटफार्म उपयुक्त सुरक्षा गियर से युक्त है जो उत्तोलक रस्सी के टूटने की दशा में ऐसे प्लेटफार्म को इसके अधिकतम भार के साथ उठा सकता है,

(म) उत्तोलक के प्लेटफार्म पर व्हीलबैरो या ट्रक सुरक्षित स्थिति में प्रभावी रूप से ब्लोक किए गए हैं,

(य) उत्तोलक का पिंजरा या प्लेटफार्म, जहां भवन निर्माण कर्मकारों का लेंडिंग तल पर ऐसे पिंजरे में प्रवेश करना या प्लेटफार्म पर जाना अपेक्षित है, ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म को उस समय जब कोई कर्मकार ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म में प्रवेश करता है या छोड़ता है, गति में आने से रोकने के लिए लौकिंग इंतजाम से युक्त है,

(र) उत्तोलक के प्लेटफार्म का पार्श्व, जो भार की लदाई के लिए प्रयोग नहीं होता ऐसे प्लेटफार्म से भार के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिए, टो बोर्ड और तारों के जाल या अन्य किसी उपयुक्त साधनों से युक्त है,

(ल) उत्तोलक का प्लेटफार्म जिससे भार के किसी, भाग के गिरने की संभावना है, ऐसे को रोकने के लिए पर्याप्त आवरण से युक्त है,

(व) उत्तोलक के प्रति-भार, जो कई भागों का समूह है, इस प्रकार निर्मित है कि सभी भाग दृढ़ रूप से एक साथ जुड़े है,

(श) उत्तोलक के प्रति-भारगाइडस के मध्य रहते है,

(स) कार्य के प्रत्येक स्तर पर कर्मकार को ऐसा कार्य करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध है,

(ह) हिन्दी और साथ ही स्थानीय भाषा में सुपाठ्य सूचना निम्नलिखित स्थानों पर उपदर्शित की गई है:-

(i) उत्तोलक के प्लेटफार्म के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार ले जाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती है,

(ii) उत्तोलन इंजन के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार उठाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती है,

(iii) व्यक्तियों को प्लेटफार्म या पिंजरे में सवारी करने के लिए प्राधिकृत और प्रमाणित उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना व्यक्तियों की वह अधिकतम क्षमता दिखाती है जो ऐसे उत्तोलक पर एक बार में जा सकते हैं,

(iv) माल और अन्य सामग्री को ले जाने वाले उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना यह कथित करती है कि ऐसा उत्तोलक व्यक्तियों को सवारी के लिए नहीं है,

66. उत्थापक साधित्र तक पहुंच का साधन और उन पर बाड़ लगाना- नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि

(क) उत्थापक साधित्र के प्रत्येक भाग तक पहुंच के लिए सुरक्षित साधन उपलब्ध है,

(ख) यांत्रिकी शक्ति से चालित प्रत्येक क्रेन या टिप पर आपरेटर के प्लेटफार्म पर दृढ़ बाड़ लगाई गई है और उस तक पहुंच का सुरक्षित साधन है और जहां प्लेटफार्म तक ऐसी पहुंच सीढ़ी द्वारा है वहां-

(i) ऐसी सीढ़ी का पार्श्व, ऐसे प्लेटफार्म से समुचित ऊँचाई पर है या उसके स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त हैन्डहोल्ड, व्यक्तियों को ऐसे प्लेटफार्म से गिरने से रोकने के लिए उपलब्ध कराया गया है,

(ii) ऐसे प्लेटफार्म पर उठाई-धराई का स्थान बाधाओं और फिसलन से मुक्त है, और

(iii) उस दशा में जब सीढ़ी की ऊँचाई छह मीटर से अधिक है, ऐसी सीढ़ी पर उसकी ऊँचाई के प्रत्येक छह मीटर पर आराम करने के लिए प्लेटफार्म और जहां इस प्रकार उपलब्ध अंतिम प्लेटफार्म और सीढ़ी के शीर्ष के बीच दो मीटर से अधिक दूरी है तब ऐसे शीर्ष पर भी ऐसी प्लेटफार्म उपलब्ध है।

67. डेरिकों का रिगन-नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक डेरिक पर सामयिक तथा संगत रिगन योजना है और ऐसे डेरिकों और उसके गियर की सुरक्षित रिगन के लिए अन्य आवश्यक जानकारी है।

68. डेरिकों फुटका दृढ़ीकरण-नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि डेरिक के फुट को उसकी सोकट या सहारे से ऊपर निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाए किए गए है।

69. उत्थापक गिअर की संरचना और रख-रखाव-नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) प्रत्येक उत्थापक गिअर-

(i) उस कार्य को, जिसके लिए इसका प्रयोग होता है, करने के लिए अच्छे डिजाईन तथा संरचना अच्छी सामग्री और पर्याप्त मजबूती का है,

(ii) पेटेंट विकारों से मुक्त है, और

(iii) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण दशा में उचित रूप से बनाए रखा गया है,

(ख) नियोजित गिअर का संपद्रम यदि प्रयोग से उसका कोई आयाम किसी बिंदु पर दस प्रतिशत या अधिक घट जाता है, प्रयोग के समय नया डाला जाता है,

(ग) कोई चेन, जब खींची जाने पर लंबाई में उसकी लंबाई से पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है या ऐसी चेन की कोई कड़ी विरूपित हो जाती है अथवा अन्यथा नष्ट हो जाती है अथवा उसके ऊपर विकृत वेल्ड उभर आते है, प्रयोग में से हटा ली जाती है,

(घ) चेन से जुड़े रिंग हुक, स्लिंग और अंतिम कड़ी उसी सामग्री से बने है जिससे ऐसी चेन बनी है,

(ङ) किसी चुम्बकीय उत्थापक साधित्र को दी जानेवाली इलेक्ट्रीक आपूर्ति की वोल्टेज में उतार-चढ़ाव

दस प्रतिशत कम या अधिक से अधिक नहीं है।

70. उत्थापक गिअरों की जांच और कालिक परीक्षण- नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई उत्थापक गिअर विनिर्माता के लिए इसके प्रयोग से पूर्व या इसमें कोई सारभूत परिवर्तन जो इसके किसी भाग की इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने का दायी बनाते है, करने के पश्चात् किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची- i में विनिर्दिष्ट रीति में प्रारंभिक रूप से जांचा गया है और ऐसा गिअर ऐसी जाँच में परिवर्तित ऐसे गिअर को तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इसके स्वामी के उपयोग के लिए जांचा जाएगा।

(ख) प्रयोग किए जा रहे किसी उत्थापक गिअर का प्रत्येक बारह मासों में से कम से कम एक बार पूर्णरूपेण परीक्षण किया जाता है।

(ग) प्रयोग किए जा रहे किसी चेन का इसके प्रयोग के लिए प्रत्येक मास कम से कम एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाता है,

(घ) इन नियमों के अधीन नियोजित गिअरों की प्रारंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाणपत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र vii में लिए जाते हैं।

71. रस्सियां- नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के लिए किसी रस्सी का प्रयोग केवल तब किया जाएगा जब-

(i) वह अच्छी क्वालिटी की है और पेटेंट विकारों से मुक्त है।

(ii) तार रस्सी की दशा में उसका इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति में, सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया गया हो।

(ख) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयुक्त किसी उत्थापक सायंत्र और उत्थापक गिअर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मासों में कम से कम एक बार, ऐसे प्रयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

परन्तु यह कि जब ऐसी रस्सी में ऐसी कोई तार टूट जाता है तो उसके पश्चात् उसका निरीक्षण, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(ग) कोई तार-रज्जू, भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी यदि उक्त रज्जू की मोटाई वाले आठ भागों में से किसी एक के आयाम में दृश्यमान टूटी हुई तारें की संख्या उक्त रज्जू के कुल तारों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक हो जाती है या उक्त रज्जू में अत्यधिक टूट-फूट जंग या अन्य कमियों के चिह्न दिखाई देते हैं जो निरीक्षण करनेवाले व्यक्ति या निरीक्षक, जिसको अधिकारिता है, की राय में प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है।

(घ) तार-रज्जूओं में हुक, कड़ा और अन्य ऐसे भागों को जोड़ने के लिए रज्जूओं के कुंडी शिरोबंधन

और लूप उपयुक्त छल्ले से बनाए जाते हैं।

(ड.) किसी तार-रज्जू झूले में बनाए गए छल्ले या लूप शिरोबंधन निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

(i) तार रज्जू झूले में रज्जू की पूर्ण लड़ी सहित कम से कम तीन लपेटें और उक्त लड़ी में से प्रत्येक तक आधे तारों तक काटे हुई दो लपेटें होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उक्त लड़ी की लपेट रज्जू के बटान की दिशा में होगी,

(ii) तार-रज्जू झूलों के किसी शिरोबंधन में उक्त लड़ी के बाहर निकले हुए सिरे ढक दिए जाएँगे या इस प्रकार उपचारित किए जाएँगे जिससे सिरे पैने न रहें;

(iii) तन्तुमय रज्जू या रज्जू झूले में कम से कम चार लपेट होनी चाहिए, उक्त लपेट का अंतिम छोर उपयुक्त रीति में टोका गया होना चाहिए, और

(iv) कृत्रिम तंतु रज्जू या रज्जू झूले में लड़ी की कम से कम चार लपेट होनी चाहिए जिसके बाद में एक और लपेट प्रत्येक उक्त लड़ी तक आधे कटे तंतुओं की होगी और अंतिम लपेट आधे बचे, शेष वियोजक तंतुओं की होगी। झूलों का कोई भाग जिसमें उक्त लपेटें हैं, तन्तुओं की घटी संख्या सहित, उपयुक्त टेप या अन्य पदार्थ से सुरक्षित रुप से ढंका जाना चाहिए;

परंतु इस उपखंड की कोई बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी अन्य प्रकार के झूले का, जिसे उपरोक्त मानकों सहित झूले के समान दर्शित किया गया हो प्रयोग किया गया है।

72. उत्पादक गियरों का ताप-उपकार:- नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) आरोपक जंजीरों को छोड़कर, सभी जंजीरें और उक्त क्रेनों के उतोलन या अवनयन में प्रयोग किए जानेवाले सभी कड़े, कुड़ियाँ और फिरकियाँ प्रभावी रुप से किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अध ीन और निम्नलिखित अंतरालों पर तापनुशीतित कि जाय, अर्थात्-

(i) ऐसी जंजीरें, कड़े, हुक, कुंडे और फिरकियां जिनकी लम्बाई साढ़े बारह मिलीमीटर से अधिक नहीं है प्रति छः मास में कम से कम एक बार उक्त तापनुशीतित किए जाएँ, और

(ii) सभी अन्य ऐसी जंजीर, कड़े, हुक, कुंड और फिरकियाँ प्रति बारह मास में कम से कम एक बार उक्त रुप से तापनुशीतित किए जाएँ;

परंतु उपखंड (i) और उपखंड (ii) में यथा निर्दिष्ट उक्त तापनुशीत अपेक्षित नहीं होगा यदि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, निदेश देता है कि ऐसी जंजीरों, कड़ों, हुकों, कुंडों और फिरकियों पर कुछ अन्य उपचार किया जाए और ऐसी दशा में निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट उपचार किया जाएगा;

परंतु यह और कि उक्त क्रेनों पर अनन्य रुप से प्रयोग की जानेवाली ऐसी जंजीरों, कड़ों, हुकों, कुंडों और फिरकियों का अन्य उतोलन यंत्रों, जो हाथ द्वारा चालित है, की दशा में उक्त खंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंध, यथा स्थिति, लागू होंगे मानो यदि छः मास और बारह मास के अवधि

के स्थान पर उसमें क्रमशः बारह मास और दो वर्ष की अवधियां प्रतिस्थापित कर दी गई है;

परंतु यह और भी कि ऐसी दशा में जहाँ कि अधिक परिताप्राप्त निरीक्षक की यह राय है कि आकार, डिजाइन, सामग्री या ऐसी जंजीरों, कसों, हुकों, कुंडों और फिरकियों के प्रयोग की आवृत्ति के कारण भवन कर्मकारों, के संनरक्षण के लिए वाष्पशुद्धी ताप के लिए इस खंड की आवश्यकता नहीं है, मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वह उक्त नियोजक को लिखित में प्रमाण पत्र देगा कि उक्त प्रमाणन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कुंडों और फिरकियों को उक्त तपानुशीलन से छूट प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् इस खंड के उपबंध उक्त छूट के अधीन रहते हुए लागू होंगे;

परंतु यह और भी कि यह खंड निम्नलिखित को लागू नहीं होगा;

(i) चक्रदंत या दाँतेदार पहियों पर कार्य करने वाली घुंडीदार जंजीरें

(ii) घुंडीदार (अंतराल) जंजीरों, गरारी या तुलन मशीनों से स्थायी रुप से संलग्न कस, हुक और, कुंड; और

(iii) हुक और कुंडे जिनमें बाल बियरिंग या अन्य कठोरीकृत आवरण के पुर्जे हैं।

(ख) उच्चतातीय स्टील या मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या कोई असंवेष्ठित गरारी जिसपर स्पष्टतः ऐसे चिह्न सन्निहित किया गया है कि वह उक्त रुप में बनी है;

(ग) उच्चतातीय स्टील या मिश्र धातु स्टील से बनी कोई जंजीर या असंवेष्टिक गरारी किसी प्रकार के ताप उपचार के अधीन नहीं होगी सिवाय जहाँ कि ऐसी जंजीर या असंवेष्टिक गरारी की मरम्मत के प्रयोजन के लिए उक्त उपचार आवश्यक है और यह कि उक्त मरम्मत सक्षम व्यक्ति के निदेशन के अधीन की जा रही है;

(घ) कि ढ़लवांगारिता लोहे कि गरारी, जिसके पिछले इतिहास का पता मालूम नहीं है, के बारे में संशय है कि वह गलत ताप उपचारित की जाती थी, यह किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने के पूर्व प्रसामान्य बना ली जाती है।

73. वास्तविक जाँच और परीक्षण, आदि के पश्चात् जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र - नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 56, नियम 62, नियम 71 और नियम 72 के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति केवल वास्तविक जाँच या, यथास्थिति, उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट उपकरण के परीक्षण के पश्चात् प्रमाण पत्र जारी करें।

74. आवधिक परीक्षण, परीक्षा और उनके प्रमाण पत्रों का रजिस्टर- नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में-

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र xxvi में एक रजिस्टर रखा जाता है और नियम 56, नियम 62, और नियम 72 के अधीन यथा अपेक्षित उत्थापन साधित्रों, उत्थापन पियरों और उष्मा उपचार के ऐसे परीक्षण और परीक्षा की विशिष्टियाँ ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती है;

(ख) निम्नलिखित में के प्रत्येक की बाबत प्रमाण पत्र नीचे यथा उल्लिखित प्रपत्र में सक्षम व्यक्ति से अभिप्राप्त किया जाता है, अर्थात्-

(i) नियम 56 और नियम 71 के अधीन आरंभिक और आवधिक परीक्षण तथा परीक्षा की दशा में,-

(क) विंच, डेरिक और उनके सहायक गियर के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र v में; .

(ख) क्रेन या उत्तोलक और उनके सहायक गियर के लिए नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र vi में;

(ii) नियम 70 के खंड (घ) के अधीन लूज गियर के परीक्षण, परीक्षा और पुनः परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र vii में;

(iii) नियम 62 के अधीन तार- रस्सों के परीक्षण और परीक्षा की दशा में नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र viii में;

(iv) नियम 72 के अधिन लूज गियर की ऊष्मा उपचार और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र ix में;

(v) नियम 70 के खंड (ख) के अधीन, लूज गियर की वार्षिक सम्पूर्ण परीक्षा की दशा में, सिवाय वहाँ के, जहाँ ऐसी छूट की अपेक्षित विशिष्टियां, खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में सन्नलग्न की गई है, इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र (xxvi) में, और ऐसे प्रमाण पत्र खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न किए जाते है।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर और ऐसे रजिस्टर के साथ संलग्न खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र,-

(i) यदि रजिस्टर और प्रमाण पत्र उत्थापक साधित्रों, लूज गियर, तार-रस्सों से संबंधित है तो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर रखे जाते है;

(ii) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष माँग पर प्रस्तुत किए जाते है; और

(iii) ऐसे रजिस्टर में की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् कम से कम चार वर्ष के लिए प्रतिधारित किए जाते है;

(घ) ऐसा कोई उत्थापक साधित्र या उत्थापक गियर, जिसकी बाबत खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट की जानी अपेक्षित है और, यथास्थिति, खंड(क) या खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे रजिस्टर में परीक्षण और परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में तबतक नहीं प्रयुक्त होगा जबतक कि अपेक्षित प्रविष्टियां ऐसे रजिस्टर और प्रमाण पत्रों में नहीं कर दी गई है।

75. निर्वात और चुम्बकीय उत्थापक गियर- नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में,

(क) किसी निर्वात उत्थापक गियर, चुम्बकीय उत्थापक गियर या किसी अन्य उत्थापक गियर का, जहां इस पर का अपना भार अपघर्षक शक्ति द्वारा धारित किया जाता है, उस समय प्रयोग नहीं किया

जाता जबकि कर्मकार ऐसे गियर के नीचे संक्रियाएँ कर रहे हों।

(ख) किसी चुम्बकीय उत्थापक गियर का प्रयोग भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सम्बंध में विद्युत के ऐसे वैकल्पिक प्रदाय जैसे बैट्री का उपबंध किया गया है, जो मुख्य विद्युत आपूर्ति के असफल होने की दशा में तत्काल प्रवर्तन में आ सकती है

(ग) कोई भवन कर्मकार उत्थापक गियर या भार या भवन या ऐसे उत्थापक गियर में लटकी हुई अन्य सन्निर्माण सामग्री के झूला क्षेत्र के भीतर कार्य नहीं करेगा।

76. श्रृंखलाओं और तार-रस्सी में गांठ होना-नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी गांठवाली श्रृंखला या तार-रस्से का प्रयोग नहीं किए जाना है।

77. उत्थापक साधित्रों आदि के द्वारा व्यक्तियों को लाना ले जाना-

(1) नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन कर्मकार को निम्नलिखित के सिवाय विद्युत चालित साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया या ले जाया नहीं जाएगा -

(क) किसी क्रेन के केज में चालक के प्लेटफार्म पर; या

(ख) किसी उत्तोलक पर; या

(ग) किसी अनुमोदित लटके हुए कोई पाड़ (स्कैफोल्ड) पर;

परन्तु किसी भवन कर्मकार को निम्नलिखित दशा में शक्तिचालित उत्थापक साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया अथवा लाया ले जाया जा सकता है-

(i) ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी उत्तोलक या लटके हुए स्कैफोल्ड का प्रयोग युक्ति-युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है और उपनियम (2) की अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती है; या

(ii) ऐसी दशा में किसी वायवीय केबल वे या वायवीय रोप-वे पर जहां उपनियम (2) की अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती है;

(2) उपनियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात्-

(i) ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र को केवल एक स्थिति में प्रचालित किया जाता है।

(ii) ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र के संबंध में प्रयुक्त कोई विंच नियम 59 की अपेक्षाओं को पूरा करती,

(iii) कोई व्यक्ति ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र द्वारा निम्नलिखित के सिवाय लाया ले जाया नहीं जाएगा-

(क) किसी कुर्सी या केज में, या

(ख) किसी स्किप या अन्य आधान में जो कम से कम तीन फुट गहरा हो और जो किसी व्यक्ति के सुरक्षित वहन के लिए उपयुक्त हो और ऐसे कुर्सी, केज, स्किप या अन्य आधान अच्छी सन्निर्मित

है, और ठोस सामग्री का बना है, और उसमें पर्याप्त शक्ति है और वह उसमें से किसी अधिभोगी को गिर जाने से बचाने के लिए उपयुक्त साधनों सहित उचित रूप से रखा गया है और किसी ऐसी सामग्री या औजार से मुक्त है जो ऐसे अधिभोगी के हाथ की पकड़ या पैर की पकड़ में हस्तक्षेप कर सकता है या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और

(iv) कुर्सी, केज, स्किप या अन्य आधान को ऐसी घुमाई या नोक (टिपिंग) से, जो उसमें के किसी अधिभोगी के लिए खतरनाक हो सकती है, रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

78. उत्तोलक वहन करनेवाला व्यक्ति – नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) तबतक कोई भवन कर्मकार, किसी उत्तोलक द्वारा वहन नहीं किया जाता जिसमें ऐसा केज न लगा हो;

(i) जो इस प्रकार सन्निर्मित है कि जब उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हो तो ऐसे उत्तोलक द्वारा लाए ले जाने वाले किसी भवन कर्मकार को उससे बाहर गिर जाने से यह ऐसे केज के किसी भाग और किसी नियत संरचना के बीच या ऐसे उत्तोलक के किसी चलत भाग से उसके फंस जाने से या उस उत्तोलक मार्ग पर जिसमें ऐसा उत्तोलक चल रहा है, गिरनेवाले किसी वस्तु या सामग्री आहत होने से निवारित किया जा सके; और

(ii) उसके प्रत्येक ओर इस तरह फिट किया गया है जिससे कि ऐसे दरवाजे से उतरने के लिए स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था है जिसमें अच्छी इन्टरलाकिंग या अन्य युक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे दरवाजे को सिवाय तबतक नहीं खोला जा सकता जबकि ऐसा स्थान, उतरने के लिए स्थान पर हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तबतक नहीं हटाया जा सकता जबतक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो।

(ख) व्यक्तियों को लाने, ले जाने के लिए प्रयुक्त ऐसे प्रत्येक उत्तोलक के उत्तोलक मार्ग बाड़े का प्रत्येक दरवाजे पर यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी इंटरलाकिंग या युक्ति फिट की गई है ताकि ऐसे दरवाजे को सिवाय तब नहीं खोला जा सकता जबकि केज का ऐसा दरवाजा उतरने के स्थान पर न हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तबतक नहीं हटाया जा सकता जबतक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो।

(ग) भवन कर्मकारों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उत्तोलक में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और अच्छी स्वचल युक्तियों का उपबंध किया गया है कि ऐसे उत्तोलक का केज उस निम्नतर बिंदु के ऊपर वाले बिंदु पर विश्राम स्थिति की स्थिति में आ जाता है, जिस पर ऐसा केज भूम सके।

79. भार के अनुलग्नक :- नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जब स्लिंग का उत्तोलक की लंबी सामग्रियों के लिए उपयोग किया जाता है, उत्थापक बिम का उचित संतुलन करने के लिए स्लिंग लेग्स के बीच स्थान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है

और जब भार स्लिंग के दो या अधिक बिंदुओं से लटका हुआ होता है, ऐसे स्लिंग के उत्थापक लेग्स के छिद्रों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऐसे शक्तियों के स्लिंग का छिद्र हुक पर रखा जाता है या ऐसे उत्थापक लेग्स के छिद्रों को यथा स्थिति, उत्तोलक ब्लॉक, माल या संतुलन बिम के साथ जोड़ा जाता है।

(ख) पत्थर, ईंट, टाईल, स्लेट या अन्य वैसी ही वस्तुओं को उठाने या झुकाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र या आधान, उत्थापक के साथ इस तरह संलग्न किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं को गिरने से रोका जा सके।

(ग) लदे हुए व्हील बैरों को उठाने या झुकाने के लिए ऐसे व्हील बैरों को सीधे उत्थापक पर रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे व्हील बैरे हिल डुल न सके और ऐसा प्लेटफार्म, ऐसे व्हील बैरों में रखी गयी अंतर्वस्तु को गिरने से बचाने के लिए घेर दिया जाता है।

(घ) किसी उत्तोलक की लैंडिंग इस प्रकार डिजाईन और व्यवस्थित की जाती है कि ऐसे उत्तोलक पर भवन कर्मकारों को ऐसे उत्तोलक से किसी सामग्री की लदाई और उतराई के लिए खाली स्थान में झुकने की अपेक्षा न हो।

80. टावर क्रेन – नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) प्रशिक्षित और ऊंचाई पर कार्य करने में समर्थ आपरेटर से भिन्न किसी व्यक्ति को टावर क्रेन चलाने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है;

(ख) वह तल, जिसपर टावर क्रेन खड़ी की जाती है, पर्याप्त सहन क्षमता वाला है;

(ग) टावर क्रेनों और रेल पर चढ़ाए गए टावर क्रेनों के ट्रकों के लिए आधार गैस और सपाट सतह वाले हैं और ऐसी क्रेनें उत्खनन से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित दूरी पर खड़ी की जाती हैं और ऐसी क्रेनों के विनिर्माताओं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ढलान सीमाओं के भीतर प्रचालित की जाती हैं;

(घ) टावर क्रेनें वहां रोकी जाती है जहां निर्माण, प्रचालन और ऐसी क्रेनों के विघटन के लिए साफ स्थान उपलब्ध हो;

(ङ.) टावर क्रेनें इस प्रकार रोकी जाती हैं कि ऐसी क्रेनों के भार किसी अभियुक्त परिसर, सार्वजनिक मार्ग, रेल या ऐसे पावर केबलों के निकट हैंडल नहीं की जाती है सिवाय उन सन्निर्माण कार्यों के, जिसके ऐसी क्रेनों का प्रयोग किया जाता है;

(च) जहां दो या अधिक टावर क्रेनें रोकी और प्रचालित की जाती हैं वहां किसी खतरे या खतरनाक घटना से बचाने के लिए ऐसी क्रेनों के आपरेटरों के बीच सापेक्ष और उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जाती है;

(छ) टावर क्रेनों का प्रयोग ऐसे लोडिंग मैगनेट, या बाल सर्विस के विघटन, एकत्रीकरण और प्रचालन या वैसे ही अन्य प्रचालनों के लिए किया जाता है जो ऐसी क्रेनों की क्रेन संरचना पर अधिक भार-दबाव अधिरोपित कर सकती है;

(ज) ऐसे क्रेनों के बारे में, टावर क्रेनों और मानक सुरक्षित व्यवहार विनिर्माता के अनुदेश, ऐसे, क्रेनों को प्रचलित करने और उनका प्रयोग करने के दौरान अनुसरित किए जाते हैं।

81. उत्थापक विंचों और सिग्नलर, आदि के प्रचालन की अर्हता:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्थापक साधित्र को, चाहे वह यंत्र चालित हो या अन्यथा चलाने या प्रचालित करने के लिए या ऐसे उत्थापक साधित्र के चालक या ऑपरेटर को संकेत देने के लिए या किसी रिग या डेरिक के प्रचालन के रुप मे कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं किया जाता है जब तक कि वह-

(i) अठारह वर्ष से अधिक का है;

(ii) पर्याप्त रुप से दक्ष और विश्वसनीय है;

(iii) उत्थापक साधित्र के प्रचालन में अंतर्ग्रस्त प्रच्छन्न जोखिमों को जानकारी रखता है, और

(iv) आवधिक रुप से चिकित्सीय रुप से जाँच की जाती है, जैसा कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट है।

अध्याय 8

रनवे और ढलान

82. भवन कर्मकार द्वारा रनवे और ढलान का प्रयोग- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) भवन कर्मकार द्वारा प्रयोग के लिए प्रदत्त रनवे या ढलान चौड़ाई में चार सौ तीस मिलीमीटर से अन्यून है और 25 मिलीमीटर से अन्यून मोटे प्लेट से सन्निर्मित है या ऐसे, रनवे या ढलान के स्पैन और ब्रेसिंग के संबंध में अपेक्षित समर्पित भार या ढलान और डिजाईन और ऐसे रनवे या ढलाने का सन्निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं।

(ख) मंजिल या तल ऊपर 3 मीटर से अधिक पर अवस्थित भवन कर्मकार के उपयोग के लिए प्रदत्त प्रत्येक रनवे या ढलान चारो ओर से खुला है जिसके साथ पर्याप्त मात्रा में गार्ड-रेल है और ऊँचाई एक हजार मिलीमीटर से कम नहीं है।

83. यानों द्वारा प्रयोग- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य मे यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सभी रनवे या ढलान पक्के और मजबूत सन्निर्मित किए गए हैं तथा ब्रेसिड और समर्थित है;

(ख) परिवहन उपस्कर जैसे ट्रेलरों, ट्रकों या भारी यानों के उपयोग के लिए प्रत्येक रनवे या ढलान 3.7 मीटर से कम चौड़ाई के नहीं है और उनमें लकड़ी के चक्के लगाए गए हैं या पर्याप्त मजबूती के लिए कोई अन्य सामग्री लगाकर मोटाई वाले स्थान में दो सौ मिलीमीटर बट्टा 200 मिलीमीटर से कम नहीं हैं और ऐसे रनवे या ढलान के किनारे सुरक्षित हैं तथा ऐसे रनवे या ढलान सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए है।

84. ढलान का झुकाव: नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ढलान का झुकाव एक बट्टे चार (वन इन फोर) से अधिक नहीं किया गया और सामग्री ले जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले व्हील बेरो, भवन कर्मकारों द्वारा प्रयोग किए लगातार ढलान की कुल ऊँचाई 3.7 मीटर से अधिक नहीं हैं, लम्बाई में कम से कम 1.2 मीटर क्षैतिज अवतरण द्वारा उबड़-खाबड़ नहीं की गई हो, जैसा कि सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपबंधित है।

85. व्हील बेरों आदि द्वारा उपयोग- नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) व्हील बेरो, हैंडकार्ट्स या हैंड ट्रकों के लिए उपयोग किए गए प्रत्येक रनवे या ढलान चौड़ाई में एक मीटर से कम नहीं है और 30 मिलीमीटर अन्यून मोटे प्लैंकिंग से सन्निर्मित किए गए हैं और ऐसे उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से समर्थित और ब्रेसिड हैं।

(ख) प्रत्येक रनवे या ढलान जो किसी भी तल या भूतल से तीन मीटर से अधिक ऊँचाई पर अवस्थित है, उनके खुले छोड़ों को पर्याप्त मजबूती वाले उपयुक्त गार्ड-रेलों से संरक्षित किये जायेंगे।

अध्याय-9

जल या जल से लगे स्थल पर संकर्म करना

86. जल द्वारा परिवहन- (1) नियोजक किसी भवन के निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगा-

(क) जब किसी भवन निर्माण कर्मकार को किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर या किसी अन्य संकर्म स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए मार्ग द्वारा जाना हो तब उसके सुरक्षित परिवहन और उसके लिए उपयोग की जाने वाली नौकाओं तथा ऐसे प्रयोजन के उपयोग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भार साधक बनाने और उसके सुरक्षित नौवहन तथा अच्छी दशा में रखे जाने के लिए समुचित उपाए किए गए हैं।

(ख) उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी नौका से सुरक्षित ले जाया जा सके ऐसी होगी कि प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन प्रमाणित की जाए और वह संख्या ऐसी नौका पर सहज दृश्य स्थान पर मुखत्या दर्शाई जाएगी तथा व्यक्तियों की संख्या अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के खंड क में निर्दिष्ट नौका निम्नलिखित के अनुरूप होगी, अर्थात् :-

(i) ऐसी नौका में सवार भवन निर्माण कर्मकारों को प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण में रखा जाता है।

(ii) ऐसी नौका तत्समय यथा प्रवृत्तसुसंगत विधि के अनुसार पर्याप्त और अनुभवी कर्मीदल द्वारा नियंत्रित की जाती है।

(iii) ऐसी नौका की अड्वाल की दशा में जो ऐसी नौका के डेक के स्तर से साठ सेंटीमीटर से कम है तो ऐसे अड्वाल का खुला किनारा समुचित बाड़ से सज्जित होगा जिसकी ऊँचाई ऐसे डेक और सीकचों, खूंटे से एक मीटर से कम नहीं होगी तथा ऐसी बाड़ में उपयोग किए गए वैसे पुर्जे की दूरी दो मीटर से अधिक नहीं होगी।

(iv) ऐसी नौका के डेक पर जीवन रक्षा बोया की संख्या ऐसी नौका के कर्मीदल की संख्या दो सकर्म के बराबर होगी।

(v) ऐसी नौका के डेक पर की सभी जीवन रक्षा बोया अच्छी दशा में रखी जायेंगी और ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जिससे कि ऐसी नौका डूबती है तो तुरंत तैरने की स्थिति में हों तथा ऐसी जीवन रक्षा बोया में एक ऐसी नौका के चालक (स्टेयरमैन) की आसान पहुँच में होगा तथा दूसरा जीवन रक्षा बोया के बाद के भाग में अवस्थित होगा; और

(vi) नौका के चालक की स्थिति ऐसी होगी जिससे कि वह सभी आहार युक्तियुक्तः निर्बाध रुप से देख सके।

87. डूबने से बचाव- नियोजक किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल से लगे संकर्म स्थल पर जहाँ जल है जिसपर ये नियम लागू होते हैं, ऐसे स्थल पर भवन निर्माण कार्य में नियोजित कर्मकार अपने नियोजन के अनुक्रम में, वहाँ से उसके जल में गिरकर, डूबने की जोखिम है तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे स्थल पर समुचित बचाव उपस्कर दिए गए हैं और उन्हें तुरंत उपयोग के लिए अच्छी दशा में रखा गया है और ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के डूबने के खतरे से तुरंत बचाव की व्यवस्था के लिए उपाय किए गए हैं और जहाँ किसी भूमि या उससे लगी संरचना या जल के ऊपर या ऐसे जल पर प्रवाहमान बेड़े के किनारे से ऐसे गिरने की विशेष जोखिम है तो वहाँ स्थान स्थिति ऐसी भूमि, संरचना या प्रवाहमान बेड़े पर से ऐसे गिरने को रोकने के लिए उनके किनारे के पास सुरक्षित बाड़ लगाएगा और ऐसे संकर्म पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल पर भवन निर्माण कर्मकारों के पहुँचने तथा सामग्री के संचालन के लिए ऐसी बाड़ को हटा सकेगा या उसे कुछ समय के लिए खड़ा नहीं रखेगा।

अध्याय-10

परिवहन और मृदा संचालन उपस्कर

88. मृदा संचालन उपस्कर और यान- नियोजक भवन सन्निर्माण और अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर निम्नलिखित की बाबत सुनिश्चित करेगा-

(क) सभी स्थल और मृदा संचालन उपस्कर अच्छी सामग्री, उचित डिजाईन और ठोस निर्माण के बने हुए हैं तथा जिसके लिए ऐसे उपस्कर के उपयोग के लिए यह सुनिश्चित करना कि वे सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए संकर्म उपयुक्त है और उन्हें मरम्मत करके अच्छी दशा में रखा गया है और सुरक्षित प्रचालन अभ्यास मानकों के अनुसार उनका समुचित उपयोग किया जाता है।

परंतु आधानों की ढुलाई के परिवहन के लिए ट्रक या ट्रेलर बिना किसी कठिनाई के आधानों को ले जाने के लिए पर्याप्त आकारों के है तथा ऐसे प्रत्येक ट्रक या ट्रेलर के चारों कोनों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप मुड़े आँकड़े (विस्ट लॉक) लगे हुए हैं और ऐसा ट्रक या ट्रेलर ऐसे उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है तथा मास में कम से कम एक बार किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरिक्षण किया जाता है और ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है।

(ख) सभी परिवहन या मृदा संचालन उपस्कर और यानों का किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाता है और ऐसे उपस्कर या यान में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे तुरंत उपयोग से हटा लिया जाता है।

(ग) पावर ट्रक और ट्रेक्टरों में प्रभावकारी ब्रेक, हेडलाईट, पिछली बत्तियां लगी हुई हैं तथा उन्हें अच्छी तरह मरम्मत करके काम के लायक बनाए रखा जाता है।

(घ)(i) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भारी और लम्बी वस्तुएँ ले जाने के लिए दोनों तरफ के सीकचें ठोस निर्माण सामग्री के बने हुए हैं और त्रुटि रहित हैं;

(ii) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भार को बाँधने के लिए लगे सीकचों में ऐसे सीकचों का इधर-उधर बिखरने से रोकने के लिए ऊपर चारों ओर आर-पार जंजीरें दी हुई हैं; और

(iii) ऐसे सीकचों को लदाई या उतराई सही स्थिति में रखा जाता है।

(ङ) लारियों, ट्रकों, ट्रेलरों और वैगनों में लादने और उनसे उतारने के कार्य में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के आने-जाने के लिए सुरक्षित गैंग मार्ग की व्यवस्था की गई है;

(च) ट्रकों और अन्य उपस्कर पर लादे ले जाने की उनकी सुरक्षित भार वहन क्षमता से अधिक भार नहीं होगा तथा ऐसे ट्रकों और उपस्करों पर स्पष्ट रुप से लिखी जाएगी।

(छ) हेड ट्रकों के हैंडलों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि जिससे कि ऐसे ट्रकों पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों की सुरक्षा हो सके या ऐसे हैंडल पोर रक्षक युक्त होंगे।

(ज) ऐसे संकर्म में नियोजित परिवहन उपस्कर में कोई अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होगा।

(झ) किसी परिवहन उपस्कर का ऐसा चालक जो ऐसे उपस्कर पर कार्यरत है, किसी सिग्नलर के निदेश के अधीन काम करेगा।

(ञ) एकल विद्युत प्रदाय या सुरक्षित ऊँचाई पर निर्मित शिरोपरी तारों की बावत ऐसी पर्याप्त पूर्वावधानी बरती जाएगी जब मृदा संचालन उपस्कर या यानों को किसी चालू विद्युत कंडक्टर की खतरनाक सीमा के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा हो;

(ट) यानों और मृदा संचलन उपस्कर को ढलवा रास्ते पर उस समय नहीं छोड़ा जाएगा जब ऐसे यानों या उपस्कर के इंजन चालू हों।

(ठ) सभी मृदा संचलन उपस्कर, यान और अन्य परिवहन उपस्कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ही प्रचालित किए जाते हैं जो ऐसे उपस्कर यान या अन्य परिवहन उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए व पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित है और जिसके पास ऐसा प्रचालन कौशल है।

89. पावर चालित बेलचें और उत्खनित्र – नियोजक भवन निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि-

(क) ऐसे बेलचें या उत्खनित्र चाहे वे वाष्प या विद्युत या अंतर्दहन द्वारा प्रचालित किए जाते हों और

जिनका ऐसे संकर्म में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्समय राष्ट्रीय मानकों के अधीन यथा अपेक्षित रूप से निर्मित, संस्थापित, प्रचालित, परीक्षित है और उनकी जाँच की जाती है।

(ख) सचल क्रेन के उपयोग के लिए सज्जित उपस्कर-

(i) ऐसी सचल क्रेन के जाँच और परीक्षण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है;

(ii) क्रेन में स्वतः सुरक्षित कार्य भार संकेतक फिट है।

(ग) पावर चालित बेलचों के ढोल या झामें ऐसे ढोलों या झामों की मरम्मत करते समय या ऐसे ढोलों या झामों के दांते बदलते समय उनके संचलन को निर्बंधित करने के लिए पर्याप्त टेक लगाई गई है।

90. बुलडोजर - नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी बुलडोजर का प्रचालक ऐसे बुलडोजर के-

(i) ब्रेक लगा देता है;

(ii) ब्लेड और रिपर नीचे गिरा देता है; और

(iii) शिफ्ट लिवर को न्यूट्रल में डाल देता है।

(ख) किसी ऐसे बुलडोजर को जिसका उपयोग किया जाता है, कार्य समाप्त होने के पश्चात् समतल भूमि पर खड़ा करेगा;

(ग) बुलडोजर की चढ़ाई पर चढ़ते समय ऐसे बुलडोजर के ब्लेड को नीचे रखना;

(घ) आपातस्थिति के सिवाय बुलडोजरों के ब्लेडों के ब्रेक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है;

91. स्क्रेपर :- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई भी ट्रेक्टर और स्क्रेपर अपने प्रचालन के समय सुरक्षित रेखा से जुड़े हुए हैं।

(ख) स्क्रेपर के ब्लेडों को बदलते समय स्क्रेपर कटोरों (बाउल) टेक लगा दी गई

(ग) निचली ढाल पर स्क्रेपर का गियर डाल दिया गया है।

92. एस्फाल्ट परतें बिछानेवाली और उसे अंतिम रूप देनेवाली सचल मशीनें-नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर सुनिश्चित करेगा-

(क) मिश्रण उत्थापक लकड़ी या धातु की चादर से बने पिंजरे में होगा और उसे देखने, स्नेहन तथा अनुरक्षण के लिए उसमें खिड़की बनी होगी;

(ख) बिटुमेन स्कूप के किनारे मुड़े हुए हैं;

(ग) जब कोई एस्फाल्ट संयंत्र सार्वजनिक मार्ग पर कार्यरत है तो ऐसे मार्ग पर पर्याप्त यातायात नियंत्रण बनाए रखा जाता है और ऐसे संयंत्र पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों को प्रतिबिंबित जैकिटें दी जाती है;

(घ) ऐसे कार्य स्थल पर जहां अग्निकांड संभावित है वहां पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र तैयार रखे जाते है;

(ङ) उत्थापक में सामग्री तब डाली जाय जब ऐसे उत्थापक की नाली सूखने के पश्चात् गरम हो गई हो;

(च) एस्फाल्ट का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए खुले प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है;

(छ) निरीक्षण खिड़की को तबतक न खोला जाय जबतक कि ब्वायलर में दबाव बना रहता है, जो किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षति पहुंच सकता है।

93. समतल करनेवाला यंत्र (पैवर)- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समतल करनेवाले यंत्र के स्किप के नीचे से आनेवाले भवन निर्माण कर्मकारों को रोकने के लिए उसमें समुचित रक्षक लगे हुए हैं।

94. रोड रोलर - नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह भी सुनिश्चित करेगा कि-

(क) भूमि पर रोड रोलर का उपयोग किए जाने से पूर्व ऐसी भूमि की भारवहन क्षमता और सामान्य सुरक्षा विशेषतया ऐसी भूमि के ढलान के किनारों की जांच कर ली गई है;

(ख) ईंजन के गियर में न होने पर रोलर का ढाल पर न चलना।

95. सामान्य सुरक्षा - नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) प्रत्येक वाहन या मृदासंचालन उपस्कर निम्नलिखित से सज्जित है :-

(i) साईलेंसर;

(ii) पिछली बत्ती;

(iii) पावर और हाथ की ब्रेकें;

(iv) प्रतिवर्ती अलार्म; और

(v) आगे-पीछे आने-जाने के लिए सर्च लाईट जो ऐसे वाहन या मृदा संचालन उपस्कर के सुरक्षित चालन के लिए अपेक्षित है;

(ख) वाहन या मृदा संचालन उपस्कर की गाड़ी उत्खनन की जा रही भूमि से संलग्न अग्र भाग से कम से कम एक मीटर पर रखी जाएगी;

(ग) जब क्रेन या बेलचों को ले जाया जा रहा हो तो उस क्रेन या बेलचों का सिरा ऐसे ले जाई जा रही दिशा में है और उस क्रेन या बेलचे से संलग्न डोल या स्कूप ऊपर उठी हुई है और भार रहित है सिवाय तबके जब ऐसी यात्रा उतार की ओर की जा रही हो;

अध्याय - 11

कंक्रीट संकर्म

96. कंक्रीट के उपयोग के संबंध में साधारण उपबंध:- कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कंक्रीट या पुनर्बलित कंक्रीट के उपयोग से किये सभी सन्निर्माण नियमानुसार रेखांक पर आधारित है:-

(i) ऐसे सन्निर्माण में उपयोग किए जानेवाले इस्पात और कंक्रीट तथा अन्य सामग्री के विनिर्दिष्ट सम्मिलित है;

(ii) उपखंड (1) में यथा विनिर्दिष्ट सामग्री को सुरक्षापूर्ण लगाने और उठाई-धराई करने के लिए पद्धतियों के संबंध में तकनीकी ब्योरा दें;

(iii) ऐसे सन्निर्माण की प्रत्येक संरचना के प्रकार, क्वालिटी और व्यवस्था को उपदर्शित करें, और

(iv) ऐसे सन्निर्माण को पूरा करने के लिए किए जानेवाले उपायों की श्रृंखला का उल्लेख करें;

(ख) कंक्रीट कार्य के लिए उपयोग किए गए फर्मा और टेक संरचनात्मक और आपस में समुचित रूप से कसे हुए या बंधे हुए हैं जिससे कि ऐसे फर्मा या टेक की स्थिति और आकार को बनाये रखा जा सके ।

(ग) कंक्रीट संकर्म के लिए उपयोग किए गए फर्मा ढांचे में पर्याप्त सांकरी और अन्य सुरक्षित पहुंच ऐसे ढांचे के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है यदि ऐसा ढांचा दो या इससे अधिक मंजिल का है।

97. कंक्रीट तैयार करना और उससे उडेलना तथा कंक्रीट ढांचे को परिनिर्मित करना :- कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सीमेंट या कंक्रीट का कार्य कर रहा है:-

(i) चुस्त वस्त्र, दस्ताने, हेलमेट या कठोर टोपी, सुरक्षा चश्में, समुचित जूते और स्वश्वित्र या मास्क ऐसे कार्य करने में किसी खतरे से संरक्षा करने के लिए पहने हुए है;

(ii) ऐसे कार्य करने में खतरे से संरक्षण करने के लिए अपने शरीर को उतना ढके हुए रहेगा जितना कि अपेक्षित है;

(iii) ऐसा कार्य करने में अपने त्वचा से सीमेंट और कंक्रीट को दूर रखने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां बरतेगा।

(ख) चूने के गड्ढों के चारो ओर कंटीले तार लगाए गए हैं और उन्हें ढका गया है;

(ग) चूने के गड्ढों को जिनमें कर्मकारों के जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है ऐसे यंत्र से भरा और खाली किया जाता है;

(घ) उत्थापकों, उत्तोलकों, स्किप, बंकरों, प्रवीणकावों, घरण उपस्कर के भ्रमण पुर्जों को जो कंक्रीट संकर्म के लिए उपयोग किये जाते हैं और अन्य उपस्करों को जो भंडारण, परिवहन और कंक्रीट के तत्वों की अन्य उठायी-धराई में उपयोग किए जाते है उनके चारो ओर सुरक्षापूर्ण कांटेदार तार लगाए गए हैं जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे भ्रमण कर रहे पुर्जों के सम्पर्क से दूर रखा जा सके,

(ङ.) सीमेंट, चूना और अन्य धूलवाली सामग्री के लिए उपयोग किए जानेवाले स्क्रूवाहक पूर्ण रूप से मुंदे हुए हैं।

98. बाल्टियां :- कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) कंक्रीट की बाल्टियों जो क्रेन या वायु के बल मार्गों में उपयोग की जा रही है ने प्रक्षेपण से मुक्त है जिन से कंक्रीट का संचयन गिराया जा सके;

(ख) कंक्रीट बाल्टियां, भ्रमण संकेतों द्वारा शासित हैं जो ऐसे भ्रमण से होने वाले किसी खतरे से बचने के लिए आवश्यक है।

99. पाईप और पम्प :- कोई नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि --

(क) ऐसी कोई पाड़ जिसपर पम्प की हुई कंक्रीट के लिए कोई पाईप ले जाई जा रही है वह पर्याप्त मजबूत है जिससे कि यह ऐसी पाईप को उस समय जब ऐसी पाईप कंक्रीट या पानी से या किसी अन्य द्रव से भरी हुई है के लिए सहारा देने के लिए है और उसे भी भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ढोने के लिए है, जो उस समय ऐसी पाड़ पर सुरक्षापूर्ण उपस्थित हों;

(ख) पम्प की गई कंक्रीट का वहन करने के लिए प्रत्येक पाईप -

(i) उसके अंतिम सिरे के बिंदु पर उसके प्रत्येक मोड़ पर सुरक्षापूर्वक जुड़ा हुआ है;

(ii) ऐसे पाईप के अग्रभाग के निकट एक वायु निर्वातक वाल्व लगा हुआ; और

(iii) वह किसी पम्प नोजल के साथ किसी बोल्ट की गई कॉलर या अन्य पर्याप्त साधन से सुरक्षापूर्वक संलग्न है;

(ग) कंक्रीट पम्प का परिचालन मानक संकेतों से शासित होता है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुसंगत है;

(घ) किसी कंक्रीट पम्प के आस-पास नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकार सुरक्षा चश्में पहने हुए हैं।

100. कंक्रीट का मिश्रण करना और उड़ेलना :- कोई नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कंक्रीट सम्मिश्रण में ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी जो ऐसी कंक्रीट के सेट किए जाने को असामयिक रूप से प्रभावित करें, ऐसी कंक्रीट या संक्षरित इस्पात जो ऐसी कंक्रीट में उपयोग किया गया है को कमजोर करें;

(ख) जब कंक्रीट के शुष्क तत्व परिलुप्त स्थलों अर्थात शिलोस में मिश्रीत किये जा रहें हों:-

(i) मिश्रण के समय धूल को निकाला जाएगा; और

(ii) उपखंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट धूल के नहीं निकाले जाने की दिशा में भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसे मिश्रण करते समय स्वयस्त्र पहनेंगे;

(ग) जब कंक्रीट बाल्टियों से उड़ेली जा रही हो तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसी बाल्टियों के किसी प्रतिघात के रेंज से दूर रखा जाता है;

(घ) सेट की जानेवाली कंक्रीट का वर्गभार से नहीं दबाया जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है।

101. कंक्रीट प्रपट्ट और स्लैब :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) किसी कंक्रीट, प्रपट्ट या कंक्रीट स्लैब के सभी भाग समान रूप से उठाए गए है;

(ख) कंक्रीट प्रपट्ट उनकी अंतिम स्थिति में पर्याप्त रूप से कसे गए हैं और ऐसा कसाव ऐसी स्थिति में तबतक बना रहेगा जबतक ऐसे प्रपट्टों को सन्निर्माण के उस अन्य भाग द्वारा पर्याप्त रूप से सहारा नहीं मिल जाता जिनके लिए ऐसे प्रपट्ट उपयोग में लाए गए है;

(ग) कंक्रीट प्रपट्टों का अस्थायी कसाव, जब ऐसे प्रपट्टों को घुमाया जा रहा हो, ऐसे प्रपट्टों के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिए सुरक्षित रूप से जकड़ा गया है।

102. प्रतिबलित और पृष्ठ तनावग्रस्त तत्व - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) जब कंक्रीट गार्डस और खंभों पर कंक्रीट का प्रतिबलन किया जा रहा हो तब भवन सन्निर्माण कर्मकार सीधे ही जैक उपस्कर पर खड़े नहीं होते है;

(ख) कोई पूर्व प्रचलित कंक्रीट यूनिट का प्रयोग ऐसे यूनिट के किसी बिंदु पर और ऐसी युक्तियों के विनिर्माता द्वारा ऐसे संकर्म के लिए विनिर्दिष्ट युक्तियों द्वारा प्रयोग के सिवाय नहीं की जाती है;

(ग) पूर्व प्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खंभों को, परिवहन के दौरान उन्हें कसकर या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा खड़ा रखा जाता है;

(घ) पूर्व प्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खंभों के पूर्व पृष्ठांकित पुतीन के लिए ऐंकर फिटिंग को ऐसे

ऐंकर फिटिंग के विनिर्माण के अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित दशा में रखा जाता है;

(ङ.) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्व प्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खंभों के पृष्ठ तनाव संक्रिया के दौरान तनाव यंत्रों और जैक उपस्करों की सीध में या जैकों के पीछे खड़े नहीं होते हैं;

(च) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्व प्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खंभों के तारों को पृष्ठ तनाव के दौरान ऐसे कंक्रीट के ऐसे गार्डरों या खंभों के उपयोग के पूर्व पर्याप्त रूप से कठोर हो जाने से पहले, नहीं काटते हैं।

103. प्रकम्पक - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) ऐसा कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हालत में हो, कंक्रीट संकर्म मे उपयोग में किए जानेवाले प्रकम्पकों का प्रचालन करता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म कार्य करनेवाले प्रचालकों को सम्प्रेषित प्रकम्पक की मात्रा को कम करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करने होते हैं;

(ग) जब विद्युत प्रकम्पकों का कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जाता है :-

(i) ऐसे प्रकम्पकों को भूसंपर्कित किया जाएगा,

(ii) ऐसे प्रकम्पकों की प्रवाही तारें अत्यधिक विद्युतरोधी होंगे और

(iii) जब इन प्रकम्पकों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तब विद्युत धारा को बंद कर दिया जाएगा।

104. निरीक्षण और पर्यवेक्षण :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंक्रीट के संकर्म के लिए उत्तरदायी है वह फर्मा टेक, कसाव और अन्य सहारों का जो ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जा रहा है, निरीक्षण करता है;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा प्रत्येक फर्मा, परिनिर्माण के पश्चात् सुरक्षित है प्रत्येक फर्मा का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है कंक्रीट जमाये जाने के दौरान फर्मा, टेक, कसाव पुनर्टेक और अन्य सहारों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है;

(घ) खंड (क) और खंड (ग) के अधीन उल्लिखित निरीक्षणों के दौरान किसी असुरक्षित दशा का पता चलता है तो उसका तुरंत उपचार किया जाता है;

(ङ.) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है कार्य स्थल पर ऐसे निरीक्षणों के संबंध में खंड (क) और खंड (ख) में विदिष्ट निरीक्षणों के सभी अभिलेख रखता है और उन्हें अधिकारिता रखने वाले किसी निरीक्षक को मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है।

105. लट्ठा, तल और छतें:- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की जा रही फर्मा की संरचनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए यथा आवश्यक क्षितिजीय और द्विकोणीय कसाव का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दशाओं में उपबंध किया गया है और ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई टेकें समुचित रूप से शिखर पर और निर्माण तल पर रखी गई हैं तथा वे अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं;

(ख) जहां कंक्रीट संकर्म में टेकें उपयोग की जा रही है वहां शेष भूतल, आधार प्लेटें उपलब्ध करायी जाती है जिससे कि ऐसी टेकें मजबूत और समतल बनी रहें;

(ग) जहां किसी कंक्रीट संकर्म की तल से छत तक की ऊँचाई 9 मीटर से अधिक हो या जहां ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा के डेकों का दो या अधिक मंजिल में सन्निर्माण किया गया है और किसी टेक द्वारा सहारा लिया हुआ है या ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा पर अचल, चल और संघट्ट भार प्रति वर्ग मी० 700 कि० ग्रा० से अधिक हो वहां ऐसे फर्मा का ढांचा सुसंगत क्षेत्र के किसी व्यावसायिक इंजीनियरिंग द्वारा डिजाईन किया जाता है और ऐसे फर्मा के विनिर्देश और आरेख ऐसे सन्निर्माण स्थल पर रखे जाते है तथा उन्हें अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाता है;

(घ) जहां कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा की संरचना किसी व्यवसायिक इंजिनियर द्वारा डिजाइन की जाती है वहां ऐसा इंजीनियर सन्निर्माण और ऐसी संरचना के स्थायित्व के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

106. निर्लेपन :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा का निर्लेपन तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे फर्मा पर कंक्रीट पूर्ण रूप से सेट नहीं हो जाती, उसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त, उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता ऐसे परीक्षण और प्रमाणन का अभिलेख रखा जाता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म में निर्लेपित किए गए फर्मा हटा लिए जाते है या उन सभी क्षेत्रों से जिनमें भवन निर्माण कर्मकारों का कार्य करना या गुजरना अपेक्षित है, उन्हें निर्लेपित करने के पश्चात् शीघ्रता से समूह में इकट्ठा कर दिया जाता है;

(ग) बाहर निकली हुई कीलें, तार, तारबंधानी और अन्य फर्मा के उपांग जो पश्चात्वर्ती कंक्रीट संकर्म के लिए अपेक्षित नहीं है उन्हें खींच लिया जाता है, काट दिया जाता है या अन्यथा सुरक्षित बना दिया जाता है।

107. पुनरटेकन :- कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई पुनरटेकनें उसके निर्लंपन के पश्चात् किसी स्लैब या लट्ठे में उनके सुरक्षित सहारे के लिए उपलब्ध कराई जाती है या ऐसे स्लैब या लट्ठे के ऊपर सन्निर्माण होने के कारण अध्यारोपित भार के अध्यधीन होता है;

(ख) इस अध्याय के अधीन किसी कंक्रीट संकर्म में टेक के सम्बंध में लागू उपबंध ऐसे संकर्म में पुनर्टेकन के लिए भी लागू होंगे।

अध्याय - 12

ध्वस्त करना

108. तैयारी :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ध्वस्त करने संबंधी कार्य को आरंभ करने से पहले सभी सोसे या उसी प्रकार की सामग्री या बाहर की ओर खुलने वाली वस्तुओं को हटा दिया जाएगा और सभी जल, वाष्प, विद्युत, गैस और अन्य उसी प्रकार की प्रदाय संबंधी लाईनों को बंद किया जाएगा तथा उन पर समुचित रूप से ढक्कन लगाया जाएगा और समुचित सरकार के संबद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को यह सूचना दी जाती है और ध्वस्त करने संबंधी कार्य के आरंभ करने से पूर्व जब कभी आवश्यक हो अनुज्ञा ली जाती है अर्थात जहां कहीं जल, गैसें या विद्युत लाईन या विद्युत शक्ति को ऐसे ध्वस्त करने के दौरान बनाए रखना आवश्यक है वहां ऐसी लाईने उसी प्रकार अवस्थित रहेगी या उन पर्याप्त रूप से ढक कर उनकी संरक्षा की जाएगी जिससे कि इन्हें नुकसान से संरक्षित किया जा सके और भवन निर्माण कर्मकारों तथा आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

109. निकटवर्ती संरचनाओं का संरक्षण :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या किसी अन्य संकर्म स्थल पर किसी ध्वस्त करने संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है, ऐसे ध्वस्त करने संबंधी संकर्म के ध्वस्तकरण के दौरान ध्वस्त की जानेवाली संरचना के निकटवर्ती सभी संरचनाओं की दीवारों का निरीक्षण उनकी मोटाई और ऐसे निकटवर्ती संरचनाओं को या सहारों की पद्धति अवधारित करेगा और यदि ऐसे नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे निकटवर्ती संरचना असुरक्षित है या ऐसी ध्वस्तकरण प्रक्रिया के दौरान असुरक्षित होने की संभावना है तथा यह ऐसी निकटवर्ती असुरक्षित संरचना पर प्रभाव डालते हुए ध्वस्तकरण कार्य तबतक नहीं करेगा जबतक कि उपचारात्मक उपाय अर्थात चादरें खड़ी करने के टेकबंदी, कसाव या अन्य वैसे ही साधनों का उपयोग नहीं किया गया हो जिससे कि ऐसी असुरक्षित निकटवर्ती संरचना को ढहने से सुरक्षित और स्थिर रखा जा सके।

110. दीवारों, संभागों आदि का ध्वस्त करना :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) दीवारों या संभागों का कोई भी ध्वस्त करने संबंधी कार्य सुव्यवस्थित रीति से मानक सुरक्षा प्रचालन परिपाटी के अनुसार आरंभ किया गया है और शहतीर के सहारे को हटाने से पूर्व प्रत्येक मंजिल के प्रत्येक स्तर से किसी तल को शहतीर हटाने संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) चिनाई को न तो ढीला छोड़ा गया है और न ही उसे अत्यधिक मात्रा में या आयतन में या भार में गिरने दिया जाता है जिससे कि किसी तल की संरचनात्मक स्थिरता या संरचनात्मक सहारे को खतरा हो;

(ग) कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या संरचना के किसी अन्य भाग को ऐसी स्थिति में असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है कि वह वायु दाब या प्रकम्पन के कारण गिरे, ढ़हे या कमजोर हो जाए;

(घ) हाथ से बाहृय दीवारों को ध्वस्त किये जाने की दशा में ऐसा ध्वंस करने के लिए नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों के लिए खड़े होने की समुचित व्यवस्था की गई है इसके लिए खड़े होने की मजबूत मचान या पाड़ की व्यवस्था की गई है;

(ङ.) ऐसी दीवारों या उनके संभाग जिन्हें हाथ से ध्वस्त किया जाना है सबसे ऊँची तल पर जिसपर व्यक्ति काम कर रहा है, एक मंजिल से अधिक की ऊँचाई तक खड़ा नहीं छोड़ा जाता।

111. प्रचालन की पद्धति:- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि मलवा, ईंटें और अन्य सामग्री या वस्तुएं हटाई जाएगी -

(i) शूट, माध्यम द्वारा,

(ii) बाल्टी या उत्तोलक साधन द्वारा,

(iii) तलों को खोलकर, या

(iv) किसी अन्य सुरक्षित साधन द्वारा।

112. तल तक पहुँच - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म सथल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भवन का ध्वस्त किए जाने के दौरान सभी समय प्रत्येक भवन तक सुरक्षित पहुँच और निकास हो, जो प्रवेश वड़े कमरों के रास्ते, जाने के रास्ते या सीढ़ी द्वार से किए गए हैं वे इस प्रकार सुरक्षित हों कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को गिरनेवाली सामग्री या वस्तुओं के उपयोग में सुरक्षित रक्षोपाय उपलब्ध है।

113. संरचनात्मक इस्पात का ध्वस्त किया जाना :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सभी इस्पात संरचनाओं स्तम्भ से स्तम्भ तक और सोपान से सोपान तक ध्वस्त किए गए हैं और प्रत्येक संरचनात्मक इकाई जिसे ध्वस्त किया जा रहा हो वह किसी पृष्ठ तनाव के अधीन नहीं हो और ऐसी संरचनात्मक इकाई को इसके किसी अनियंत्रित रूप से लटकने या झुकने या गिरने से उपयुक्त रूप से रोकने की व्यवस्था की गई है;

(ख) वृहत संरचनात्मक इकाईया भवन से फेंकी या गिराई नहीं गई है किन्तु उपयुक्त सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर सावधानी पूर्वक नीचे गिराई गई है;

(ग) जहां उत्थापक साधित्र अर्थात् डेरिक ध्वस्त करने के लिए उपयोग में लाया गया है वहां वह तल जिस पर उत्थापक साधित्र लगाया गया है पूर्ण रूप से तख्तों से ढ़क दिया गया है या सहारा दिया गया है और ऐसे तल ऐसे उत्थापक साधित्र और उनके प्रचालन के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है।

114. सामग्री या वस्तु का भंडारण :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल

पर यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) सभी सामग्रियाँ और वस्तुएँ किसी भवन के जिसे ध्वस्त किया जा रहा है चबूतरे तल या जीनेद्वार पर भंडारित करके नहीं रखे गए हैं;

परन्तु यह कि यह खंड किसी भवन के तल के लिए तब लागू नहीं होगा जब ऐसा तल इतना मजबूत न हो कि जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं को भंडारित किए जाने के द्वारा अध्यारोपित भार को सुरक्षापूर्ण सहारा देने के लिए पर्याप्त है,

(ख) किसी सीढ़ीद्वार या गलीद्वार की पहुँच किसी सामग्री या वस्तु के भंडारण किए जाने से प्रभावित नहीं हुई है या रुकी नहीं है;

(ग) उपयुक्त रुकावटों का उपबंध किया गया है जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी स्थान में सामग्री या वस्तुओं को रुकावट या टकराव न हो।

115. तल का खोला जाना :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तल से मलबे को हटाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे प्रत्येक निष्कासन द्वार को जिसे पहुँच के लिए बंद नहीं किया गया है केवल सबसे ऊपरी तल या उस तल के सिवाए जहाँ कार्य हो रहा है, जिनमें उस तल से छत तक कोई संलग्नक लगाया गया है और ऐसे निकास द्वार को इस प्रकार रोका गया है कि कोई भवन निर्माण कर्मकार ऐसे निकास द्वार से जिसमें मलवा गिराया जा रहा है, 6 मीटर की क्षितिजीय दूरी के भीतर नहीं पहुँच सके।

116. निरीक्षण :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति जो ध्वस्त किए जाने कार्य के लिए उत्तरदायी है ऐसे ध्वस्त किए गए जाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर निरीक्षण करता है, जिससे कि ऐसे ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया के दौरान कमजोर या जर्जर तलों या दीवारों या खुली हुई सामग्री या वस्तुओं से होनेवाले खतरे का पता चल सके और यह कि किसी भवन निर्माण कर्मकार को जहाँ ऐसा खतरा विद्यमान है तबतक अनुज्ञा नहीं दी जाती है जबतक कि ऐसे खतरे को रोकने के लिए टेकबंदी या कसाव जैसे उपचारात्मक उपाय नहीं कर दिए जाते।

117. चेतावनी, संकेत, रुकावटें आदि :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) ध्वस्त किए जाने की संक्रियाओं के दौरान ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म में व्यक्तियों के अप्राधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए ध्वस्त किये जानेवाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म के प्रत्येक ओर लम्बाई और चौड़ाई में रुकावट और चेतावनी संकेत परिनिर्मित किया जाता है;

(ख) किसी बाह्य चिनाई की दीवार या किसी छत के ध्वस्त किए जाने के दौरान ऐसी दीवार या छत के निकटवर्ती भूतल स्तर के ऊपर 12 मीटर से अधिक से किसी बिंदु पर यदि व्यक्ति ऐसी दीवार या छत के नीचे वस्तुएं गिरा रहा है, उपयुक्त और सुरक्षित पकड़ चबूतरे का उपबंध किया जाता है और वह कार्य किए जानेवाले स्तर से 6 मीटर से अनधिक के ऊपर स्तर पर अवस्थित होता है और उसका अनुरक्षण किया जाएगा वहां के सिवाय जहां ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए बाहर की ओर बनी हुई पाड़ की व्यवस्था की गई है;

(ग) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त और मानक चेतावनी संकेत कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थानों या स्थलों पर संप्रदर्शित या परिनिर्मित किए जाते हैं।

118. ध्वस्त किए जाने की यांत्रिक पद्धति:- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्त किए जाने के प्रयोजन के लिए ध्वस्त किए जाने की यांत्रिक पद्धति अर्थात् लटकते हुए भार, क्लेम सेल बाल्टी, विद्युत बेलचा, बुलडोजर या अन्य उसी प्रकार की यांत्रिक पद्धतियों के लिए उपयोग किए जाने की दशा में निम्नलिखित अपेक्षा पूरी की जा रही है अर्थात्;

(क) भवन या संरचना या उनके भाग ऊँचाई में 24 मीटर से अधिक नहीं होंगे;

(ख) जहां ध्वस्त किए जाने के लिए किसी लटकते हुई भाग का उपयोग किया जाता है, वहां इस प्रकार ध्वस्त किये जाने वाली संरचना या उसके भाग की ऊँचाई के कम-से-कम डेढ़ गुने व्यास का ऐसा ध्वस्तकरण कोई जोन, ऐसे लटकते हुए भार के बिंदुओं के आसपास बनाए रखा जाएगा;

(ग) जहां ध्वस्तकरण के लिए किसी क्लेम सेल बाल्टी का उपयोग किया जा रहा है वहां ऐसी बाल्टी की मात्रा रेखा के 8 मीटर के भीतर ध्वस्तकण का एक जोन बनाए रखा जाएगा;

(घ) जहां किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म को पूर्ण रूप से या भारत गिराये जाने के लिए अन्य यांत्रिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है वहां उस क्षेत्र में जो ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म का जो गिरने वाला है के प्रभावित होनेवाले भाग में एक ध्वस्तकरण जोन जो उसे ऐसे प्रभावित भाग के ढाई गुनी ऊँचाई पर बनाये रखा जाएगा;

(ङ) ध्वस्त किए जाने की सक्रिया में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकार या अन्य आवश्यक व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ध्वस्तकरण जोन में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी उसके साथ पर्याप्त रूकावटों की व्यवस्था होगी।

अध्याय – 13

उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म

119. उत्खनन और सुरंग खोदने के संकर्म को करने के आशय के लिए अधिसूचना :- (1) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन संकर्म स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रारंभ करने से पूर्व 30 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने संकर्म के विस्तृत आरेख, सन्निर्माण की पद्धति और उसके कार्यक्रम के बारे में लिखित सूचना देगा।

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म या उसके किसी आनुषांगिक संकर्म या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के लिए अपेक्षित संकर्म में सम्पीड़क वायु का उपयोग किए जाने की दशा में मेनलाक के तकनीकी ब्योरे और आरेख सभी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों जिनके पास इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची II में या अधिकथित अर्हता हैं, के नाम और पतों सहित और ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रयोजन के लिए जो ऐसे नियोजक द्वारा नियत किए गए है; मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

120. परियोजना इंजीनियर :- (1) प्रत्येक नियोजक जो कोई उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म की परियोजना के सुरक्षित प्रचालन के लिए जिस के लिए ऐसा इंजीनियर नियुक्त किया गया है, किसी परियोजना इंजीनियर को नियुक्ति करेगा;

(2) ऐसा परियोजना इंजीनियर ऐसी परियोजना के क्रियाकलापों को सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण करेगा और वह सुरक्षापूर्ण कार्यकलापों के किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

121 उत्तरदायी व्यक्ति :-

(1) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में सुरक्षापूर्ण संचालन के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्वों में निम्नलिखित सन्निहित होगा:-

(क) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को निर्बाध रूप से करना;

(ख) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के संबंध में किसी खतरनाक स्थिति का निरीक्षण और उसे दूर करना;

(ग) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म से संबंधित किसी असुरक्षित प्रक्रिया या शर्तों से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करना;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

122. चेतावनी, संकेत और सूचनाएं:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित समुचित चेतावनी संकेत या सूचनाएं किसी सहज दृश्य स्थान पर हिन्दी और उस भाषा में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में लगे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, सम्प्रदर्शित और परिनिर्मित किए जाएंगें।

(ख) सम्पीड़क वायु में कार्य करने के संबंध में ऐसे चेतावनी संकेत और सूचनाएं निम्नलिखित होंगे-

(i) ऐसे सम्पीड़क वायु संकर्म में अन्तर्वलित खतरे;

(ii) अग्नि और विस्फोट जोखिम;

(iii) ऐसे खतरे या जोखिम से बचाव के लिए आपातकाल प्रक्रियाएं।

123. रोजगार आदि का रजिस्टर :-

(1) प्रत्येक नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य चल रहा हो वहां ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई कर रहे भवन

निर्माण कर्मकारों का एक रजिस्टर रखा जाता है और अधिकारिता रखनेवाले निरीक्षक की मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाता है।

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग कार्य की अवधि जिसमें ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित है रजिस्टर को दिन-प्रतिदिन के आधार पर रखी जाएगी और ऐसा रजिस्टर अधिकारिता रखनेवाले निरीक्षक के मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

124. प्रदीप्तिकरण :-

(1) नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी कार्य स्थलों को जिसमें उत्खनन या सुरंग खोदने का काम चल रहा है सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रदीप्त किया जाएगा;

(2) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य कर रहा है ऐसे सन्निर्माण स्थलों पर आपातकालीन जेनरेटरों की व्यवस्था करेगा जिससे के उन सभी संकर्म स्थलों पर जहां ऐसे उत्खनन कार्य या सुरंग खुदाई कार्य चल रहें हैं विद्युत आपूर्ति में रूकावट आने पर पर्याप्त प्रदीप्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

125. संरचना का स्थिरीकरण :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जहां कार्य स्थान या उत्खनन किए जानेवाले अन्य क्षेत्रों में या जिसमें सुरंग खुदाई का कार्य किया जा रहा है के निकटवर्ती किसी संरचना के स्थिरीकरण के संबंध में कोई संदेह होने पर नियम 120 में निर्दिष्ट परियोजना इंजीनियर ऐसी संरचना को सहारा देने के लिए और ऐसी संरचना के निकटवर्ती स्थान पर कार्य कर रहे किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए या ऐसी संरचना के निकटवर्ती किसी सम्पत्ति या समतुल्य को नुकसान से बचाने के लिए पुस्ता लगाना, इस्पात की चादरें खड़ी करना, टेकबंदी करना, कसाव करना जैसे साधनों या अन्य वैसे ही उपायों की व्यवस्था करेगा;

(ख) जहां कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो उत्खनन कार्य में लगा है उसके ऊपर ऐसे उत्खनन स्थल या किसी किनारे से किसी खतरनाक वस्तु के गिरने या सामग्री फिसलने से खतरा होने का पता चलता है जो उसके खड़े होने के स्थान से डेढ़ मीटर ऊँचा है ऐसे कर्मकार को ऐसे किनारे या छोर पर पर्याप्त आड़ खड़ी कर के सुरक्षित किया जाता है।

(ग) उत्खनन स्थल या उसके आसपास की जांच नियम 21 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वर्षा, तूफान, या ऐसे ही घटित होनेवाली अन्य घटनाओं के पश्चात् की जाएगी और ऐसी जांच करते समय किसी खतरे का पता चलने की दशा में ऐसे खतरे को रोकने के लिए तथा फिसलने और धसकने के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाता है;

(घ) किसी प्रतिधारण दीवार का सन्निर्माण करने के लिए अधिस्थापित अस्थायी खड़ी की गई चादरें उत्खनन के पश्चात् हटाई नहीं जाती है सिवाय तब कि जब नियम 121 में विनिर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने कोई निरीक्षण किए जाने के पश्चात् ऐसी सलाह न दी हो;

(ङ) जहां किसी उत्खनन स्थल के किनारे काटे जा रहे हो तथा किसी ऐसे लटके हुए किनारे के उप सामग्री या किसी वस्तु से सहारे की व्यवस्था की जाती है;

(च) किसी खुले उत्खनन या खाई के किनारे से 0.65 (शून्य दशमलव छः पांच) मीटर पर उत्खनित सामग्री भंडारित नहीं की जाती है और ऐसे उत्खनन का किनारा या खाई खुरची जाती है खंडित चट्टानें और अन्य सामग्री जो फिसल, लुढ़क या गिर सकती है ऐसे किनारे के नीचे कार्य कर रहे किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार पर वह चट्टान गिरने न पाए;

(छ) किसी व्यक्ति को उत्खनन या खाई में गिरने से रोकने के लिए उत्खनन कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर पर्याप्त और समुचित चेतावनी संकेत लगाया जाता है;

(ज) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति उत्खनन कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को वहां कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है जहां ऐसे उत्खनन में उपयोग की गई उत्खनन सामग्री या वस्तुओं से ऐसे किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को आघात या खतरा हो सकता है।

126. बल्ली लगाना, टेकबंदी करना और कसना :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में चादर खड़ा करने के काम में उपयोग में लाया गया ठोस मजबूत सामग्री की और पर्याप्त टिकाव है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग किया गया टेकबंदी या कसाव पर्याप्त विमाओं की ओर ऐसे स्थान पर लगाए है कि वे उन आशयित परियोजना के लिए प्रभावी हो सकें;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में लाए गए भूतल सहारे टेकबंद या कसाव पर्याप्त रूप से खड़े होने के क्षेत्र और स्थिरता वाले है, जिससे कि ऐसे टेकबंद या कसाव के हिलने को रोका जा सके।

127. सुरक्षित पहुंच :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि निसैनी, सीढ़ी या रैम्पस की उत्खनन में यथास्थिति सुरक्षित पहुंच और उत्खनन को फिसलने से बचाने के लिए जहां ऐसे उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, की व्यवस्था की गई है और ऐसे निसैनी, सीढ़ी या रैम्प सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

128. खाईयां :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति के खाई या उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है और ऐसी सुरंग जहां ऐसी गहराई 4 मीटर से अधिक है वहां किसी व्यावसायिक इंजीनियर की डिजाईन और आरेख के अनुसार किसी सुधरी हुई संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

129. खाईयों की गहराई :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) जहां किसी खाई की गहराई में चादर खड़ी करने की दो लम्बाईयों में एक दूसरे के उपर चादरें

खड़ी करने की अपेक्षा है नीचे की पाइलिंग तल को गहराई पर या ऊपरी पाइल की दीवारों पर लगाई जाती है और ऐसे चादरों की पाइलिंग नीचे की ओर ले जाई जाती है और उत्खनन जारी रहने के दौरान उसे कस दिया जाता है;

(ख) सभी चादर की पाइलें जो उत्खनन या, किसी खाई के उपयोग में लाई जाती है उनकी सुरक्षित रूप से किन्हीं अन्य साधनों द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर ढलाई की जाती है।

130. मशीनरी का लगाना और उपयोग करना :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कोई मशीनरी की जो उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए लगाई जाती है, उससे उस परिक्षेत्र में मशीनरी के प्रचालक या अन्य किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है।

131. श्वसन साधित्र :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी भवन निर्माण कर्मकार को जब वह सम्मिश्रक वायु पर्यावरण में कार्य कर रहा है तथा उसके उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए समुचित श्वसन साधित्रों की व्यवस्था की गई है;

(ख) ऐसे श्वसन साधित्रों को हर समय अच्छी हालत में बनाये रखा जाता है।

132. सुरंग खोदने संबंधी सामग्री के लिए सुरक्षा उपाय :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) जहां किसी छत या किसी सुरंग की दीवार सामग्री के गिरने या फिसलने का कोई खतरा हो वहां पर्याप्त उपाय अर्थात् टेकबंदी, रॉक बोल्ट या इस्पात के सेट आदि द्वारा सहारा देकर भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है;

(ख) उत्खनन करने या सुरंग खोदे जाने वाले क्षेत्र समुचित रूप से डिजाईन किए गए और अधिष्ठापित इस्पात सेट, रॉक बोल्ट या वैसे ही अन्य सुरक्षित साधनों द्वारा सुरक्षित किये जाते है।

(ग) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति किसी सुरंग में कार्य आरंभ होने से पूर्व में और तत्पश्चात् नियमित अंतरालों पर ऐसे सुरंगों में भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण और निरीक्षण करेगा ;

(घ) खंडित भूमि या चट्टानों वाले किसी सुरंग के निर्वाहिका क्षेत्र में जहां किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने की सम्भावना है उन्हें सहारों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

133. गैस यांत्रिकी औजार :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग के भीतर उपयोग किए जानेवाले गैस यांत्रिकी औजारों के लिए प्रदाय लाईनें यथास्थिति नाल या सुरक्षा चेन या सुरक्षा तार द्वारा फिट की गई हैं।

134 शैफ्ट-नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उत्खनन या सुरंग संकर्म में उपयोग किए जानेवाली शैफ्ट के चारों ओर समुचित ऊँचाईयों का सन्निर्माण करके बह जाने से सुरक्षित किया जाता है;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी शैफ्ट में प्रविष्टि करने के लिए अपेक्षित किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को ऐसी प्रविष्टि के लिए सुरक्षित उपायों की व्यवस्था की जाती है;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर प्रत्येक शैफ्ट में स्टील केसींग कंक्रीट पाइलिंग, टिम्बर शोरिंग, या अन्य पर्याप्त मजबूती की सामग्री से ऐसे शैफ्ट को भवन सन्निर्माण कर्मकार को कार्य के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने में संकर्म पर किसी शैफ्ट को ऐसे केसिंग ब्रासिंग के लिए समुचित डिजाईन के अनुसार किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर ऐसे केसिंग की गहराई तक व्यवस्था की जाती है;

(ङ.) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर यदि किसी शैफ्ट में प्रवेश के आस-पास यदि ऐसे प्रवेश के भूतल के चारों ओर अस्थिरता या असुरक्षा है तो किसी पुर्नप्रचालित शैफ्ट और शहतीर की व्यवस्था की जाती है।

135. शैफ्ट के लिए लिफ्ट :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म स्थल पर किसी शैफ्ट में अवरोही क्रम में 50 मीटर से अधिक नीचे भवन सन्निर्माण कर्मकारों और सामग्री या वस्तुओं के परिवहन के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।

136. संचार के साधन :- कोई नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अच्छी और प्रभावी संचार व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित अवस्थितियों में विश्वसनीय और प्रभावी संचार साधनों अर्थात् टेलीफोन या वाकी टॉकी का उपबंध किया जाता है, अर्थात्,

(i) किसी उत्खनन के वर्किंग चैम्बर;

(ii) सुरंग के साथ 100 मीटर के अंतराल में;

(iii) किसी मैन लाक के दरवाजे के निकट कुलाकारी चैम्बर होना;

(iv) किसी मेन लाक के प्रलंक चैम्बर के अंत: भाग;

(v) सहज दृश्य लाक अटेंडेंस की स्थिति की अवस्थिति;

(vi) सम्पीडक संयंत्र;

(vii) प्राथमिक उपचार केन्द्र और;

(viii) निवाहिका या किसी शेफ्ट के शिरे के बाहर,

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (viii) तक में निर्दिष्ट अवस्थितियों में हर समय उतनी संख्या में घंटियां और सीढ़िया उपलब्ध कराई जाती है जितनी ऐसी अवस्थितियों पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो ।

137. संकेत नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि मानक श्रव्य और दृश्य संकेत उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किया जाता है और कार्य स्थल तथा ऐसे अन्य अवस्थानों में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी में लाए जाना आवश्यक है, कार्य स्थलों में सहज दृश्य स्थान पर अवस्थित या उनके निकट सम्प्रदर्शित किए गए है ।

138. निकासी :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में उपयोग किए गए किसी यान के किसी भाग और किसी जुड़नार या अन्य उपस्कर के बीच ऐसे जुड़नार या उपस्कर की फेंक या झूलन को अनुज्ञात करने के पश्चात् आधा मीटर की न्यूनतम पार्श्विक निकासी की जाती है ।

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म का किसी लोकोमोटिव ड्राईव के लिए सीखों पर निकासी ऐसे ड्राईवर की सीट से ऊपर एक दशमलव दस मीटर से अधिक और उस प्लेटफार्म के ऊपर जहां ऐसा ड्राईवर उस चबूतरे पर खड़ा होता है, से 2 मीटर से अन्यून नहीं है या किसी भी अन्य विभाग से जो सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार 2 मीटर से अन्यून है ।

139. परिरक्षण :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा भवन सन्निर्माण कर्मकारों को उनके रक्षोपाय के लिए पर्याप्त संख्या में परिरक्षण उपलब्ध कराए गए, क्योंकि कार्य करने के दौरान उन्हें यान के भ्रमण या किसी सुरंग में अन्य सामग्री की उठाई-धराई करनेवाले उपस्करों से आघात हो सकता है ।

140. आंतरिक दहन इंजन का उपयोग :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी आंतरिक दहन इंजन का उपयोग तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि वह इस प्रकार न बनाये गये हो कि :-

(क) इंजन में प्रविष्ट, वायु को इसके प्रवेश करने से पहले ही निकाल दिया जाता है :-

(ख) इंजन द्वारा कोई गंध या चिनगारी नहीं निकलती है ।

141. प्रज्जवलनशील तेल :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रज्जवलनशील तेल जिसमें प्रज्जवन बिंदु तापक्रम से कम है जिससे किसी सुरंग में समागम किए जाने की संभावना है उसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में नहीं लाया जाता है ।

142. कपलिंग और होसेस:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत हाईड्रोलिक संयंत्र पर केवल उच्च दबाव हाईड्रोलिक कपलिंग और होसेस का उपयोग किया जाता है और ऐसे होसेस और कपलिंग उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्भाव्य नुकसान के विरूद्ध पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

143. होज अधिष्ठान:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में मनुष्य के साथ दुर्घटनाओं के विरूद्ध सभी हाइड्रोलिक लाइनें और संयंत्र जो 70 सेंटीग्रेड से अधिक के तापक्रम पर कार्य कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त रोधी या अन्यथा द्वारा संरक्षित किया जाता है।

144. अग्नि प्रतिरोधी होसेस:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब हाइड्रोलिक संक्रियात्मक मशीनरी और उपस्कर सुरंग में लगाए जाते हैं तब अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस से भिन्न कोई अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होस प्रयोग में नहीं लाया जाता है।

145. ज्वाला रोधी उपस्कर :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ सुरंग के भीतर प्रज्वलनशील या विस्फोटक वातावरण प्रचलित हैं और खतरा बना हुआ है वहाँ केवल ज्वालारोधी उपस्कर जो समुचित प्रकार का है तथा सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार है का उपयोग किया जाता है।

146. तेल और भूमिगत ईंधन का भंडारण :-नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सभी तेल, ग्रीज या भूमिगत भंडारित ईंधन, उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में मजबूती से सील किए गए आधानों तथा अग्नि प्रतिरोधी क्षेत्रों में विस्फोटक और अन्य प्रज्वलनशील रसायनों से सुरक्षित दूरी पर रखे जाते हैं ।

(ख) समुचित ज्वालारोधी अधिष्ठापन का ऐसा भंडारण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो खंड(क) में यथा विनिर्दिष्ट है।

147. भूमिगत गैस का उपयोग:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) नियम 120 के अधीन परियोजना इंजीनियर के पूर्वानुमोदन के सिवाय सुरंग के भीतर पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या किन्हीं अन्य प्रज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और भंडारण नहीं किया जाता है;

(ख) खंड "क" में विनिर्दिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने के पश्चात् सभी अवशिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों को ऐसी सुरंग से तुरंत हटा दिया जाता है;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी ऑक्सीएसीटिलीन गैस का सम्पीडित वायु पर्यावरण में उपयोग नहीं किया जाता है।

148. अग्निशमन के लिए जल :- नियोजक किसी भवन के स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर पर्याप्त संख्या में जल निकासों का उपबंध किया गया है और पूरी सुरंग में अग्निशमन संबंधी प्रयोजन के लिए आसानी से पहुंच के भीतर रखा जाता है और ऐसे जल निकासों को प्रभावी रूप से अग्निशमन के लिए बनाए रखा जाता है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर सभी एयर लॉक अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित होते है;

(ग) जब कभी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्नि लगती है तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को चेतावनी देने के लिए किसी श्रव्य अग्नि चेतावनी यंत्र का उपबंध किया जाता है;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी अग्निशमन के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या और प्रकार के अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की जाती है और आसानी से उपलब्ध रहते है;

(ङ) सुरंग या अन्य अवरूद्ध स्थानों पर वाष्पीकरण द्रवों उच्च दाव कार्बन-आक्साईड वाले अग्निशमकों का उपयोग नहीं किया जाता है;

(च) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्निशमन के लिए किये जानेवाले उपायों के संबंध में अनुदेश हिन्दी या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर नियोजित अधिकांश भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जानेवाली स्थानीय भाषा में लिखित रूप में ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के किसी सहजदृश्य और सुरक्षित स्थान पर सम्प्रदर्शित किए जाते है।

149. जल प्लावन:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जहां किसी शैफ्ट से एक से अनधिक सुरंग प्रचालित किए जाते है सुरंग खुदाई संकर्म के दौरान जल-प्लावन को रोकने के लिए किसी सुरंग के प्रवेश द्वार पर जलरोधी भित्ति दरवाजे अधिष्ठापित किए जाते हैं;

(ख) जब किसी ऐसे संकर्म का भित्तिदरवाजा बंद किया जाता है तब यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सुरंग के एकान्त भाग में कोई कर्मकार फंस नहीं जाय इसके लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं;

(ग) जहां सुरंग खोदने के संकर्म के दौरान किसी सुरंग में जल-प्लावन या जल भरने की संभावना है तो ऐसे जल भराव में से जल को बाहर निकालने के लिए तुरंत जलपम्पों को आरंभ करने की व्यवस्था की जाती है और खतरे से भवन सन्निर्माण कर्मकारों तथा अन्य व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए चेतावनी संकेत दिए जाते है।

150. इस्पात की कनातें :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग खोदने के संकर्म पर जहां जल-प्लावन होने की संभावना है वहां वायुरोधी इस्पात कनातों की व्यवस्था की जाती है, अवरोहि सुरंग की दशा में ऐसी कनातें ऐसी सुरंगों के

ऊपरी अर्द्धभाग पर लगाई जाती है जिससे कि वायु के पाकेटों को बचाव प्रयोजन के लिए प्रविधारित किया जा सके।

151. विश्राम गृह :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जहां किसी सुरंग खोदने के संकर्म में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को संपीडित वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है और उन्हें दबाव से भी सम्पीडित करने के पश्चात् कार्य स्थल पर एक घंटा या उससे अधिक रहना पड़ता है, वहां ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को विश्राम करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म और उत्खनन पर प्रत्येक मेनलॉक, मेडिकल लॉक या किन्हीं अन्य सुविधाओं को इन लॉकों में स्वच्छ अवस्था और अच्छी मरम्मतशुदा स्थिति में रखा जाता है;

(ग) किसी सुरंग खोदने के संकर्म में सन्निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का उपबंध किया जाता है और उसे हर समय उपलब्ध रखा जाता है;

(घ) प्रत्येक मेडिकल लॉक परिचर केन्द्र पर किसी सुरंग खुदाई संकर्म के सन्निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाती है।

152. रसायनों के प्रभावों की अनुज्ञेय सीमा :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी सुरंग या किसी शैफ्ट में कार्य करने का पर्यावरण जिसमें भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित है, कार्य करने के पर्यावरण में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-xii में या अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक किन्हीं खतरनाक पदार्थों का सांद्रण अन्तर्विष्ट नहीं है;

(ख) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति किसी सुरंग खोदने के संकर्म में कार्य आरंभ करने से पूर्व दिन में मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुज्ञेय नियत किए अंतराल पर आवश्यक निरीक्षण करता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभाव की अनुज्ञेय सीमा अधिक नहीं है और ऐसे परीक्षण का अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक की मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

153. संवातन :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वायु मुक्त सुरंग में वह कार्य क्षेत्रों में मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित संवातन पद्धति का उपबंध किया गया है, ताजा वायु प्रत्येक भवन भवन-सन्निर्माण कर्मकारों के लिए जो ऐसी सुरंग में भूमिगत नियोजित है प्रत्येक मिनट 6 घनफुट मीटर से कम नहीं है और अवधि वायु प्रवाह ऐसे सुरंग के भीतर 9 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं है।

154. वायु प्रदाय प्राप्ति बिंदु :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु सम्पीडकों के लिए वायु प्राप्ति बिंदु उन स्थानों पर अवस्थित है जहां वे वायु प्राप्त बिंदु, धूल, गन्ध, वाष्प और निर्वातित गैसों या अन्य सदूषणों से संदूषित नहीं हो।

155. आघात जेनरेटर :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी सुरंग में प्रत्येक सम्पीड़क वायु प्रणाली में ऐसे सम्पीड़क वायु प्रणाली में सम्पीड़क वायु के अदाप प्रदाय को बनाये रखने के लिए आपातकालीन विद्युत प्रदय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो ऐसे सम्पीड़क वायु प्रणाली के वायु सम्पीड़क और आनुषंगिक प्रणालियों के प्रचालन के लिए सक्षम है।

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खोदाई संकर्म पर आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली बनाये रखी जाती है और वह हर समय आसानी से उपलब्ध रहती है;

156. वायु मुख्य द्वार :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वायु मुख्य द्वार जिससे कार्य चैम्बर मेन लॉक या मेडिकल लॉक को जो किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किया जाता है, वायु प्रदाय कर रहा है, उन्हें दुर्घटनावश नुकसानियों से संरक्षित किया जाता है, जहां ऐसे संरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है, वहां दूसरे वायु मुख्य द्वार की व्यवस्था की जाती है।

157. बल्क हेड और एयर लॉक :- नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) जब किसी बल्क हेड या वायुरोधी डायफार्म जो सम्पीड़क वायु को प्रतिधारित करता है, तब उनका उपयोग किसी सुरंग या किसी शैफ्ट में किया जाता है, उन्हें ऐसे बल्क हेड या डायफार्म के अधिकतम कार्यकरण दबाव के 1.25 गुणे अधिकतम दबाव पर सन्निर्माण किया जाता है और ऐसे बल्क हेड या डायफार्म को नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल्क हेड या डायफार्म समुचित कार्यकरण स्थिति में है, इसका प्रत्येक उपयोग के पूर्व परीक्षण किया जाता है;

(ख) ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति खंड '(क)' में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षण का अभिलेख रखता है और ऐसी अभिलेख, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किए जाने पर निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) खंड '(क)' में निर्दिष्ट बल्क हेड या डायफार्म पर्याप्त प्रबलता और मजबूत सामग्री से तैयार किया जाता है और यह अधिकतम दबाव धारित करने की क्षमता रखता है जिसके लिए वे किसी भी समय उपयोग के अधीन रहता है;

(घ) किसी बल्क हेड एंकरेज और वायुलॉक को, उनके कार्य स्थल पर किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उन्हें अधिष्ठापित किए जाने के तुरंत पश्चात् उस स्थान पर परीक्षण किया जाता है।

158. डायफार्म:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी डायफार्म जो किसी शैफ्ट में आर-पार क्षितिजीय हेड के रूप में है, उन्हें उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर सुरक्षित रूप से स्थिर किया जाता है।

159. वहनीय विद्युत हस्त औजार :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत या किसी बन्द स्थान

में उपयोग किए जाने वाले सभी वहनीय विद्युत हस्त औजार और निरीक्षण लैम्प 24 वोल्ट से अनधिक की किसी वोल्टता पर प्रचलित किए जाते हैं।

160. सर्किट ब्रेकर :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक विद्युत वितरण प्रणाली और उसकी उपप्रणालियों के लिए भिन्नात्मक भूमिगत दोष सर्किट ब्रेकर का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन किया गया है और प्रत्येक सर्किट की संवेदनशीलता सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित की जाती है;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत स्थान पर किसी अर्द्ध अनुलग्न फ्यूज यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता है।

161. ट्रान्सफार्मर:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पीड़ित वायु के अधीन किसी सुरंग के किसी भाग में किसी ट्रान्सफार्मर का तब तक उपयोग नहीं किया जाता जब तक ऐसे ट्रान्सफार्मर का शुष्क प्रकार का और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न हो।

162. विद्युत धारा युक्त तारें:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म के कार्य क्षेत्रों में जिनकी पहुँच उन कर्मकारों से जो ऐसे विद्युत धारा युक्त लाईनों पर काम करने के लिए प्राधिकृत हैं, से भिन्न भवन सन्निर्माण कर्मकारों तक है, वहाँ कोई खुला विद्युत धारा युक्त तार नहीं हो।

163. वेल्डिंग सेट:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सुरंग में उपयोग किए जाने वाले सभी वेल्डिंग सेट मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित पर्याप्त क्षमता के और समुचित प्रकार के हैं।

164. वायु की क्वालिटी और मात्रा:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर प्रत्येक कार्यकारी चैम्बर जिसमें सम्पीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है वहाँ ऐसी वायु का प्रदाय उसमें कार्य कर रहे व्यक्ति प्रति मिनट 0.3 घनमीटर से अनधिक हो;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किए गए मैन लॉक और मेडिकल लाक के लिए सदैव सम्पीड़ित वायु का कोई सुरक्षित प्रदाय उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में प्रदाय की गई वायु यथाशक्य साध्य गंध और अन्य संदूषणों अर्थात् धूल, सुगंध और अन्य विषैले पदार्थों से मुक्त है।

165. कार्य संचालन तापक्रम:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म के किन्हीं कृत्यकारी चैम्बर में जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए गए हैं वहाँ तापक्रम 29 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है और यह कि अभिलेख रखने के लिए व्यवस्था की जाती है जिसमें तापक्रम ऐसे कृत्यकारी चैम्बर के भीतर प्रत्येक घंटे पर शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब द्वारा मापा जाता है और ऐसे अभिलेख अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को माँग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

166. मेन लॉक और सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करना:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर वह सुनिश्चित करता है कि-

(क) किसी सुरंग खुदाई संकर्म के उपयोग किए जानेवाले मेनलॉक पर्याप्त प्रबलता के हैं, मजबूत सामग्री के बने हुए है और किसी वायु दाब, आंतरिक या बाह्य को धारित करने के लिए डिजाईन किए गए है, जिसके लिए यह सामान्य उपयोग या किसी आपातकालीन उपयोग के अधीन होते हैं;

(ख)(i) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर मैन लॉक के दरवाजे इस्पात के बनाये जाते है,

(ii) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए गए मैन लॉक वायुरोधी होते हैं और जब ऐसे लॉक वायु दबाव में अधीन हो दरवाजों को सील करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की गई है;

(iii) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाए गए किसी मेन लॉक का जड़ाव मेनलॉक पर वायु द्वारा पड़ने वाला दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त प्रबलता का है।

(iv) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए गए मेनलॉक में कार्य कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध है,

(v) जहाँ किसी सम्पीड़ित वायु सुरंग में कार्य किया जा रहा है ऐसे सुरंग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी मेनलॉक का उपयोग किया जाता है,

(ग)(i) जहाँ किसी सुरंग खुदाई संकर्म में मेनलॉक का उपयोग किया जाता है वहाँ हिन्दी और स्थानीय भाषा में जो वहाँ काम कर रहे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, सुरक्षा निदेश ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म के सहजदृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित किए जाते हैं;

(ii) आपातकाल के सिवाय सम्पीड़न और विसम्पीड़न संक्रियाएँ सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाए गए किसी मेनलॉक में की जाती है;

(iii) किसी आपातकाल में भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग में लाए गए किन्हीं मेटिरियल लॉक का उपयोग किया जा सकेगा और इस का लिखित में अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक की माँग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है;

(iv) जहाँ किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर मेनलाक और मेटिरियल लॉक दोनो का अधिष्ठापन किया जाना अव्यवहार्य है वहां भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए मुख्य निरीक्षक की अनुज्ञा से मेटिरियल लाक का उपयोग किया जाता है

(v) सुरंग खुदवाई संकर्म पर सभी कर्मकारों का वातावरणीय दशाओं में सम्पीड़न मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किसी विसम्पीड़न प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है;

(vi) भवन सन्निर्माण कर्मकार के सम्पीड़न या विसम्पीड़न से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरंग खुदाई संकर्म में मेनलाक का उपयोग नहीं किया जाता है;

(vii) किसी आपातकाल के सिवाय सुरंग खुदाई संकर्म पर भवन सन्निर्माण कर्मकारों का निस्तारण मुख्य निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाता है:

(viii) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेनलाक में उसके विसम्पीड़न के दौरान किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार के गिर जाने या उसके बीमार पड़ जाने की दशा में, ऐसे मेनलाक का लॉक परिचार ऐसे मेनलॉक में तबतक दबाव डालता है जबतक कि ऐसे दबाव अधिकतम दबाव के बराबर न हो जाये जिसमें ऐसे विसम्पीड़न से पूर्व में भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा कृत्यकारी

चैम्बर में लगाया गया था और ऐसा लॉक परिचर, ऐसे गिर जाने की घटना के सम्बन्ध में, मेडिकल लॉक परिचर और ऐसी सुरंग खुदाई संकर्म में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करता है;

(ix) ऐसा कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जिसने किसी प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार से सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने का पूर्व में प्रशिक्षण लिया था उसे ऐसे सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है ;

(x) ऐसा कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार, जो सुरंग खुदाई संकर्म पर आठ घंटे की अवधि के भीतर एक छड़ से अधिक के दबाव से तीन विसम्पीड़कों से गुजर चुका है, उसे बचाव कार्य करने के प्रयोजन के सिवाय, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(xi) ऐसा कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो किसी सुरंग खुदाई संकर्म में आठ घंटे की अवधि के लिए किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है उसे तबतक दोबारा ऐसे पर्यावरण में नियोजित नहीं किया जाता जबतक उसने वातावरणीय दाब में 12 घंटे से अन्यून का समय विश्राम में नहीं बिताया हो :

(xii) किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में, उस दाब पर जो तीन छड़ों से अधिक है, सुरंग खुदाई संकर्म में तबतक नियोजित नहीं किया जाता जब तक कि मुख्य निरीक्षक से ऐसे नियोजित किए जाने के संबंध में लिखित में पूर्व अनुज्ञा नहीं ले ली गई हो;

(xiii) किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को, किसी सुरंग खुदाई संकर्म में एक मास के दौरान किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में लगातार 14 घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है;

(xiv) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार का एक रजिस्टर रखा जाता है ;

(xv) सुरंग खुदाई संकर्म में सम्पीड़क वायु पर्यावरण किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार के लिए एक पहचान बेज प्रदान किया जाता है ;

(xvi) उपखंड (xv) में निर्दिष्ट किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार के बेज में उसका नाम, कार्य के लिए उसको आवंटित किए गए मेडिकल लाक की अवस्थिति, उसके उपचार के लिए सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारी का टेलीफोन नम्बर और उसकी अज्ञात बीमारी और संदेहपूर्ण कारणों की दशा में निदेश अंतर्विष्ट होते हैं ;

(xvii) उपखंड (xvi) के अधीन भवन सन्निर्माण कर्मकार को प्रदाय किए गए सभी पहचान बेज का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाता है ;

(xviii) ऐसे सभी भवन सन्निर्माण कर्मकार जिनका नाम उपखंड (xvii) में निर्दिष्ट रजिस्टर में है उन्हें खंड (xv) के अधीन प्रदाय किए गए बेज सुरंग खुदाई संकर्म पर उनके कार्य समय के दौरान सभी समय पहनने होते हैं ;

(xix) सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में समुचित चेतावनी संकेत निम्नलिखित को रोकने के लिए सम्प्रदर्शित किये जाते हैं -

(क) अल्कोहलिक पेयों का उपभोग,

(ख) लाईटर, माचिस या आग लगने के अन्य स्त्रोतों का उपयोग और ले जाया जाना,

(ग) धुम्रपान, और

(घ) ऐसे व्यक्ति को प्रविष्टि जिन्होंने अल्कोहलिक पेयों का उपभोग किया हो।

(167) सुरक्षा अनुदेश : नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित है, ऐसे नियोजन के दौरान उनको सुरक्षा के लिए जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा।

(168) मेडिकल लॉक – नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि : –

(क) सुरंग खुदाई सकर्म पर जहाँ भवन सन्निर्माण, कर्मकार एक बार से अनाधिक दाब के किसी कार्यकारी चैम्बर में नियोजित किए जाते है वहाँ समुचित रूप से सन्निर्मित मेडिकल लॉक की व्यवस्था की जाती है ;

(ख) जहाँ किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर एक छड़ से अनधिक का सम्पीड़ित वायु दबाव है, वहाँ 100 से अधिक भवन सन्निर्माण कर्मकारों के लिए या उसके भाग के लिए एक मेडिकल लॉक का उपबंध किया जाता है और ऐसा मेडिकल लॉक ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए गए मुख्य लॉक के यथासंभव निकट स्थित होता है;

अध्याय – 14

दुरारोह छत का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण

169 दुरारोह छत पर संकर्म : – नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार दुरारोह छत पर कार्य कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय किए जाते है।

170 छत की रूकावटों का सन्निर्माण और अधिष्ठापन : – नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि : –

(क) छत ब्रेकेटों का निर्माण : – दुरारोही छत के गड्ढे को भरने के लिए छत ब्रेकेटस का सन्निर्माण किया जाता है और ऐसे ब्रेकेट्स का उपयोग-चबूतरे को समतल करने में किया जाता है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट छत अपने स्थल पर ऐसे ब्रेकेट के भीतरी और संलग्न कील बिंदु वाली धातु प्रक्षेपकों द्वारा सुरक्षित है और उस दुरारोह छत पर जिस पर इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षित रूप से चलाया जाता है या चोटी के खंभों के ऊपर किसी रस्सी को डालकर सुरक्षित किया जाता है और ऐसी छत से बांधा जाता है।

(171) रिगड् बोर्ड: – नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि : –

(क) दुरारोह छत पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाए गए सभी रिगड् बोर्ड पर्याप्त प्रबलता के है, मजबूत सामग्री के बने है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयोग के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रकार के है; .

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रिगड् बोर्ड की अच्छी तरह मरम्मत की जाती है और उनको प्रयोग में लाने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट रिगड् बोर्ड में किसी दुरारोह छत पर जहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, चोटी हुक या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा सुरक्षित है;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक रिगड् बोर्ड के अतिरिक्त ऐसे रिगड् बोर्ड के उपयोग किए जाते समय उसकी सम्पूर्ण लम्बाई के साथ पर्याप्त प्रबलता में जकड़ी हुई बचाव रस्सी लगी होगी।

अध्याय-15

निसैनी और सोपान निसैनी

172 सन्निर्माण और सुरक्षित उपयोग : - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि : -

(क) प्रत्येक निसैनी या सोपान निसैनी जो भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म में उपयोग में लाई जाती है, यह अच्छी संरचना, मजबूत सामग्री से बनी और पर्याप्त प्रबलता की है तथा उस प्रयोजन के लिए है जिसके लिए निसैनी या सोपान निसैनी उपयोग में लाई जाती है ;

(ख) जब किसी निसैनी का संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तब उसे किसी स्थिर ढांचे से बांध दिया जाता है जिससे कि ऐसी सीढ़ी पर कार्य करते समय वह फिसल न जाय;

(ग) कोई निसैनी या सोपान निसैनी खुली हुई ईंटों पर या अन्य खुली पैकिंग पर खड़ी नहीं की जाती है और उसका आधार स्थल समतल और मजबूत होता है;

(घ) स्थिर निसैनी के उपयोग की दशा में, जहाँ यह अपेक्षित है, पर्याप्त पैर रखने की जगह और तथा भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है;

(ङ.) प्रत्येक निसैनी : -

(i) सुरक्षित है जिससे कि असम्यक् झूलन को रोका जा सके,

(ii) उसके प्रत्येक सोपान पर समान रूप से समुचित रूप से टेक लगाए गए हैं,

(iii) इस प्रकार उपयोग में लाए जाए जिससे कि मसकन न हो,

(iv) यथा संभव इस प्रकार निकट रखा जाय जिससे कि एक पर भार का तारतम्य बना रहे;

(च) सभी निसैनी और सोपान निसैनी उनके उपयोग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो उपयोग में लाई जाए।

173 डंडे : - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई निसैनी जिसमें कोई डंडा गायब हो या दोषयुक्त है या ऐसे डंडे जो पूर्ण रूप से उसके कीलों के सहारे के लिए, नोक या अन्य वैसी ही जुड़नार पर निर्भर है, का उपयोग नहीं किया जाय।

174 निसैनी के लिए सामग्री : - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सन्निर्माण संकर्म में उपयोग में लाई गई सभी काष्ठ की निसैनी

(क) पर्याप्त प्रबलता की सन्निर्मित हो, और सीधी ग्रेडवुड से बनी हो और दोषों से मुक्त हो और ऐसे काष्ठ की लंबाई में ग्रेन हो ;

(ख) सीधी ग्रेडवुड से बने डंडे दोषों से मुक्त और सीधे हों उनके मोरटाइज या सुरक्षित रूप से खांचे बनाए गए हो,

(ग) यदि ऐसी निसैनी के जोड़ बैजों द्वारा सुरक्षित नहीं है तो उसे पुर्नप्रबलित धातु से बांधा गया हो।

अध्याय - 16

कैच प्लेटफार्म और होर्डिंग, शूट सुरक्षा बेल्ट और जाल

175 नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल याअन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कैच प्लेटफार्म सामग्री का भंडारण या किसी कार्यकारी प्लेटफार्म के रूप में उपयोग नहीं किया जाता,

(ख) कैच प्लेटफार्म कम से कम दो मीटर चौड़ा और झुका हुआ है जिससे कि ऐसे प्लेटफार्म को बाहरी किनारे की स्थिति आंतरिक किनारे से 1500 मि0मी0 ऊँची हो;

(ग) कैच प्लेटफार्म का खुला हुआ किनारा एक मीटर से अन्यून की ऊँचाई पर समुचित रूप से तारों से घेरा गया हो।

176 होर्डिंग्स :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि होर्डिंग्स का सन्निर्माण तब किया जाता है जब मुख्य निरीक्षक इसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे और ऐसे नियोजक को ऐसे होर्डिंग्स के सन्निर्माण करने का निदेश दें।

177 शूट, इसका सन्निर्माण और उपयोग :-नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) काष्ठ या धातु को शूट जो क्षितिजीय 45 डिग्री से अधिक के कोण पर है और सामग्री के हटाने के उपयोग में लाई जाती है, वे सभी ओर बंद है, सिवाय उनके जो खुले उपयोग के लिए सामग्री या वस्तुओं के प्राप्त करने या उनका निर्वहन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है ;

(ख) शूट के सभी छोर उनके सिरे के छोरों के सिवाय जब वे उपयोग में नहीं है, बन्द कर दिए जाते हैं ;

(ग) प्रत्येक शूट :-

(i) मजबूत सामग्री के सन्निर्मित है, पर्याप्त प्रबलता को है और उस प्रयोजन के लिए जिसका उपयोग आशयित उपयुक्त है;

(ii) ऊंचाई में 12 मीटर से अधिक है और इसका सन्निर्माण किसी व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा ऐसे सन्निर्माण के लिए तैयार की गई डिजाईन या आरेख तथा मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है।

(घ) प्रत्येक शूट के निर्वहन के समय एक समुचित चेतावनी सूचना सहज दृश्य अवस्थिति पर हिन्दी में लिख कर सम्प्रदर्शित की जाती है;

(ङ.) प्रत्येक शूट को तब पास किया जाता है जब मलवा जो एक ऊंचाई तक इकट्ठा जो जाता है, जिससे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को खतरा हो सकता है, किन्तु ऐसा पास किया जाना किसी भी दशा में दिन में एक बार से कम की आवृत्ति पर नहीं किया जाता।

178. सुरक्षा बेल्ट और इसका उपयोग :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सुरक्षा बेल्ट लाईफ लाईन और ऐसे लाईफ लाईन से संलग्न करने के लिए अन्य उपकरण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होते हैं;

(ख) प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार को उसके संरक्षण के लिए सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइफ लाईन प्रदाय की जाती है ओर ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसे बेल्ट और लाइफ लाइनों को अपने कार्य निष्पादन के दौरान उपयोग करते हैं;

(ग) सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाईन का उपयोग करनेवालों सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे बेल्ट ओर लाईफ लाईन के सुरक्षित उपयोग और अनुरक्षण का ज्ञान होता है तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुदेश प्रदाय किए जाते है,

(घ) खंड (ख) में निर्दिष्ट सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाईफ लाईन के उपयोग का पर्यवेक्षण करने वाला उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बेल्ट और लाईफ लाईन उपयोग के लिए दिए जाने से पूर्व ठीक है।

179. सुरक्षा जाल और इसका उपयोग :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) प्रत्येक सुरक्षा जाल पर्याप्त प्रबलता का है, मजबूत सामग्री का बना है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयोग किए जाने के लिए उपर्युक्त है;

(ख) सुरक्षा जाल और उनके उपयोग के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे सुरक्षा जालों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है और ऐसे सुरक्षा जालों के उपयुक्त और पर्याप्त बाँधे जाने की व्यवस्था करता है जिससे कि वह प्रयोजन जिसके लिए ऐसे सुरक्षा जाल आशयित है, उपयोग किये जाने का प्रयोजन को पूरा करता है।

180. सुरक्षा बेल्ट और जाल आदि का भंडारण:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा लाईफ लाईन और सुरक्षा जालों के सुरक्षित भंडारण के लिए, जब वे प्रयोग में नहीं है, समुचित व्यवस्था की गई है और यांत्रिक नुकसानी, रसायनों से नुकसानी और जैव वैज्ञानिक कारकों से नुकसानी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।

अध्याय – 17

संरचनात्मक चौखटा और फर्मा

181. साधारण उपबंध- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन संरचनात्मक चौखटा और फर्मा के लिए प्रशिक्षित भवन सन्निर्माण कर्मकार, ऐसे संरचनात्मक चौखटा या फर्मा, भवन या ढांचे को खोलने और किसी इंजीनियरिंग संकर्म, फर्मा, कच्चे संकर्म और टेकबंदी संकर्म के परिनिर्माण करने के लिए नियोजित किए जाते है;

(ख) किसी ढांचे के अस्थायी कमजोरी की दशा में या अनुपयुक्तता की दशा में खतरा उत्पन्न होने से रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

182. फर्मा, कच्चा संकर्म और टेकबन्दी :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) फर्मा और कच्चे संकर्म का इस प्रकार डिजाईन, सन्निर्माण और अनुरक्षण किया जाएगा कि ऐसे फर्मा और कच्चे संकर्म उस भार को, जो उन पर अधिरोपित किये जाए, सहारा दे सके;

(ख) ऐसे फर्मा को इस प्रकार परिनिर्मित किया जाता है कि कृत्यकारी चबूतरों, पहुंच के साधन, कसाव,

उठाई-धराई करने और स्थिरीकरण के साधन आसानी से फर्मा के साथ जोड़ा जा सके।

183. इस्पात के पूर्वरचित ढांचे का परिनिर्माण और उसे खोलना- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि

(क) इस्पात ढांचे और पूर्वरचित ढांचे के परिनिर्माण और उसे खोलने में नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकारों की खतरों से सुरक्षा के समुचित साधन अर्थात् निम्नलिखित का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है.

(i) निसैनी मार्ग या जोड़ा हुआ चबूतरा;

(ii) चबूतरे, बाल्टियां, नावनुमा कुर्सियां या अन्य समुचित साधन जो उत्थापक साधित्रों से निलंबित किए गए है;

(iii) संकट में सुरक्षा, लाईफ लाईन, पकड़ जाल या पकड़ चबूतरा;

(iv) विद्युत शक्ति से प्रचालित चल कार्यकारी, चबूतरा।

(ख) भवन या संरचना या फर्मा या कच्चे संकर्म या टेकबंदी या किसी सिविल इंजीनियरिंग संकर्म के परिनिर्माण या खोलने का कार्य प्रशिक्षित भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसे संकर्म के लिए उत्तरदायी की व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन किए जाते है;

(ग) इस्पात या ढाल से पूर्व रचित ढांचे इस प्रकार डिजाईन किए और बनाये जाते है कि ऐसे ढांचे सुरक्षित रूप से परिवहनित, परिनिर्मित किए जा सके और ऐसे ढांचे की प्रत्येक यूनिट का भार उस यूनिट के उपर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाते है;

(घ) ऐसे प्रत्येक भाग का डिजाईन, खंड(क), खंड(ख) और (ग) खंड में निर्दिष्ट ढांचे के प्रत्येक भाग की स्थिरता को बनाए रखता है, जब परिनिर्मित किया जाए और खतरे को रोका जाय, तब डिजाईन में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा;

(i) ऐसी भागों के परिनिर्माण के दौरान ढिलाई, परिवहन, भंडारण और स्थायी सहारे संबंधी परिचालनों में सुसंगत दशाएं और संलग्नक करने की पद्धति;

(ii) कार्यकारी चबूतरे के साथ रेलिंग के उपबंध और ऐसे रेलिंग या चबूतरा का ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पूर्जों का आसानी से चढ़ाने के लिए रखोपाय;

(ङ.) ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पुर्जों पर हुक और अन्य उपकरणों का बनाना या उपलब्ध कराना जो उत्थापन और परिवहन के लिए अपेक्षित है, ऐसे भाग को इस प्रकार आकार दिया जाता है सीमाओं में बनाया जाता है और ऐसे पृष्ठ तनावों को, जिनके लिए ऐसे हुक या अन्य उपकरण अध्यधीन किया है, सहाय देने के लिए अवस्थित किए जाते है;

(च) कंक्रीट से बनाये गए पूर्व रचित पुर्जे ऐसे कंक्रीट के सेट होने और आरेख में उपबंधित पर्याप्त सीमा तक उनके कठोर होने से पूर्व ढिले या परिनिर्मित नहीं किए जाते है और ऐसे पुर्जों का उनके उपयोग किए जाने से पूर्व उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नुकसानी के किसी चिन्ह का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है;

(छ) भंडारण स्थान इस प्रकार सन्निर्मित किए जाते है कि-

(i) ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पुर्जों के गिरने या लुढ़कने का कोई जोखिम न हो;

(ii) भंडारण की दशाओं में साधारणतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि भंडारण की पद्धति और

वातावरणीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिरता को बनाया रखा जाता है और नुकसानी से बचाया जाता है;

(iii) रेकों को मजबूत आधार पर सेट किया जाता है और इस प्रकार डिजाईन किया जाता है कि यूनिटें ऐसे भंडारण स्थलों में संयोग बश हिल न सकें;

(ज) ढांचागत ईस्पात या पूर्वरचित पूर्जे जब वे भंडारित या परिवहनित या उठाए या गिराए जा रहे हों उनके प्रतिकूल दबाव के अधीन न हों;

(झ) ढांचागत इस्पात और पूर्वरचित पूर्जो के उत्थापन के लिए लिफ्टें, क्लैम्प और अन्य साधित्र,

(i) ऐसे आकार और विमाओं के हो जिससे ऐसे पूर्जो को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य सुरक्षित पकड़ सुनिश्चित की जा सके,

(ii) अधिकतम प्रतिकूल उत्थापन दशाओं में अधिकतम अनुज्ञेय भार अंकित किय जाता है,

(ञ) ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पूर्जे ऐसी पद्धति और साधित्रों द्वारा उत्थापित किए जाते हैं, जो जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त घुमाव को रोका जा सके;

(ट) ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पूर्जे ऐसे पूर्जो से किसी संकर्म के किए जाते समय ऐसे पूर्जो के उत्थापन से पूर्व भवन सन्निर्माण कर्मकारों, सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण नुकसानी को रोकने के लिए रेलिंग और कार्यकारी चबुतरों की व्यवस्था की गई है;

(ठ) ढांचागत इस्पात द्वारा पूर्वरचित पूर्जो की उठाई-धराई या भंडारण या परिवहन या उनके उत्थापन या उनको उतारने के समय भवन सन्निर्माण कर्मकारों भवन संरचना या उपस्करों को होनेवाली क्षति से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवहार्य उपाए किए जाते है;

(ड) ढांचों पर तेज तुफान या तीव्र हवाओं या किन्ही अन्य खतरनाक परिस्थितियों में कार्य नहीं किया जाता ;

(ढ़) उस भवन सन्निर्माण कर्मकारों के जो ऊँचे या ढालू गार्डरों पर चल रहे हैं, गिरने का के जोखिम को पर्याप्त सामुहिक सुरक्षा के संपूर्ण साधनों द्वारा या गर्दिश में सुरक्षा के उपयोग द्वारा, जो पर्याप्त रूप से किसी मजबूत सहारे के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित है, कि सीमा तक, प्रकट किया गया है;

(न) ढांचागत इस्पात पूर्जे जिन्हें अत्यधिक ऊँचाई पर परिनिर्मित किया जाय उन्हें यथाव्यवहार्य रूप से धरातल पर समन्वित किया जाता है;

(त) जब ढांचागत इस्पात पूर्व निर्मित पूर्जे परिनिर्मित किए जा रहे हों, कार्य स्थल के समीप पर्याप्त विस्तारित क्षेत्र को तारों से घेर कर सुरक्षित किया जाएगा;

(थ) ऐसे इस्पात बंध जिन्हे परिनिर्मित किया जा रहा है, उन को तबतक पर्याप्त रूप से टेकबंदी, कसाव या तार बंधाई नहीं की जाती है, जबतक कि वह स्थायी रूप से सुरक्षित स्थिति में नहीं हो;

(द) जब कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसी स्थिति में हो कि उसको ऐसे प्रचालन से चोट लगने की संभावना है, तो संरचनात्मक संघटक उत्थापक मशीनों द्वारा उस स्थान पर नहीं रखा जाता है।

184\. फर्मा, नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) सभी फर्मा, भवन सन्निर्माण कर्मकारों, भवन या संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित

रूप से डिजाइन किए गए हैं;

(ख) संरचनात्मक चौखटे और फर्मे के लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति-

(i) सामग्री, काष्ठ, ढांचागत इस्पात और धातु की प्रबलता तथा समुचितता का उपयोग में लाये जाने से पूर्व निरीक्षण और परीक्षण करता है;

(ii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा के सभी प्रक्रमों को इसके अंतर्गत लाने की प्रक्रिया अधिकथित करता है,

(iii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा का पर्यवेक्षण करता है;

(iv) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा, संकर्म के निष्पादन के दौरान दुर्घटना या होनेवाली खतरनाक घटनाओं को रोकने को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है या उपाय करता है।

185. टेक हटाना :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जब टेक हटाई जाती है, तो किसी खतरे से बचने के लिए ऐसी टेकबन्दी के स्थान पर पर्याप्त अवलम्ब छोड़ दिए जाते हैं;

(ख) किसी खतरे से बचने के लिए टेक हटाए जाने पर किसी सहारे के साथ पर्याप्त रूप से कसाव या खिंचाव किया जाता है;

अध्याय-18

चट्टा लगाना और चट्टा हटाना

186. सामग्री और वस्तुओं के चट्टे लगाना और चट्टे हटाना:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) जहां सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने या चट्टा हटाने, भराई या खाली करने या उसके संबंध में उठाई-धराई की जा रही हो तथा उसे बिना सहायता के सुरक्षापूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता ऐसी उठाई-धराई से होने वाले किसी खतरे को रोकने के लिए दुर्घटना या खतरनाक घटनाओं के होने को रोकने के लए टेकबंदी या अन्य उपाय द्वारा युक्तियुक्त उपाय किए जाते हैं;

(ख) सामग्री या वस्तुओं में चट्टा लगाने का कार्य मजबूत नींव पर किया जाता है जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं के टिकने या इधर-उधर होने के लिए दायी नहीं है और ऐसे तल पर अधिक भार नहीं डाला जाता है जिस पर ऐसे चट्टे लगाने का कार्य चल रहा है;

(ग) सामग्री या वस्तुओं के किसी भंडागार या भंडारण स्थान के भाग या दीवारों पर तबतक चट्टे नहीं लगाए जाते जबतक यह ज्ञात नहीं हो कि ऐसी सामग्री वस्तुओं के दबाव को सहने के लिए ऐसे भाग या दीवार पर्याप्त रूप से मजबूत न हों;

(घ) सामग्री या वस्तुओं के चट्टे इतनी ऊँचाई पर और उस रीति में नहीं लगाए जाते जिससे कि ऐसे चट्टे की श्रेणी अस्थायी हो जाए और भवन सन्निर्माण कर्मकारों या आम आदमी को खतरा उत्पन्न हो;

(ङ) जहां भवन सन्निर्माण कर्मकार डेढ़ मीटर से अधिक की ऊँचाई के चट्टे पर कार्य कर रहा हो वहां चट्टे पर सुरक्षित पहुँचने के साधनों की व्यवस्था की जाती है;

(च) चट्टा लगाने या चट्टा हटाने संबंधी सभी संक्रियाएं, ऐसे चट्टे लगाने या चट्टे हटाने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षाधीन की जाती है;

(छ) सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं के चट्टे, उत्खनन, शैफ्ट, गड्ढे या किन्हीं अन्य ऐसे अभिमुख के निकट नहीं लगाए जाते हैं,

(ज) ऐसे चट्टे बहुत संकरे या अस्थिर होनेवाले है या गिरने वाले है तो उनके चारों ओर रूकावटे लगाई जाती है।

187. सीमेंट और अन्य सामग्री के थैलों के चट्टे लगाना :- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) चट्टे का खांचा ऊँचाई में दस थैलों से अनधिक की ऊँचाई पर नहीं होता है जबतक कि ऐसे चट्टे के खांचे को समुचित अनुलग्नक या अन्यथा पर्याप्त रूप से सहारा प्रदान करने के लिए चट्टे नहीं लगाए गए हों;

(ख) चट्टे के खांचे से थैलों का निकालते समय ऐसे चट्टे के खांचे की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाता है;

(ग) सीमेंट या चूनेवाले थैलों को शुष्क स्थानों पर भंडारित किया जाता है;

(घ) ईंट, टाईलें या ब्लाकों को मजबूत आधार पर भंडारित किया जाते हैं; —

(ङ.) पुर्नप्रवलित इस्पात को उसके आकार प्रकार और लंबाई के अनुसार भंडारित किया जाता है;

(च) पुर्नप्रवलित इस्पात के चट्टे यथा संभव कम ऊँचाई पर रखे जाते हैं;

(छ) किसी पाईप को ऐसे रैक या चट्टे में जिसमें ऐसे पाईप के मोड़े जाने में गिरने की संभावना हो, भंडारित नहीं किया जाता है।

(ज) जहां किसी खुली सामग्री के चट्टे लगाए जाते है वहां प्रतिस्थापित कोण बनाये रखा जाता है;

(झ) जब धूलकण ग्रस्त सामग्री भंडारण या उसकी उठाई-धराई की जाती है तो ऐसे भंडारण या उठाई-धराई से उत्पन्न होनेवाली धूल को दबाने के लिए उपाय किया जाता है और ऐसे भंडारण या उठाई-धराई के लिए भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर प्रदाय किए जाते हैं।

अध्याय-19

पाड़

188. पाड़ का सन्निर्माण:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करता है कि:-

(क) प्रत्येक पाड़ और उसके संघटक पर्याप्त रूप से सन्निर्मित है, मजबूत सामग्री से बने है, दोषों से मुक्त हैं और उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना आशयित है, सुरक्षित है,

(ख) पाड़ के लिए बाँस के उपयोग किए जाने की दशा में ऐसे बाँस उपयुक्त क्वालिटी तथा अच्छी स्थिति का है और इसकी गाँठ बाहर निकली हुई नहीं होगी और ऐसे बाँस का काम करते समय भवन सन्निर्माण कर्मकारों को होने वाले किसी क्षति से, बचाने के लिए उन्हें छीला जाता है;

(ग) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी धातु की पाड़ें सुसंगत राष्ट्रीय मानको के अनुरुप है;

189. किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पाड़ को परिनिर्मित करने या उसके जोड़ने या परिवर्तित करने या उसे खोले जाने के कार्य ऐसे परिनिर्माण, जोड़े जाने या परिवर्तन करने या उसे खोले जाने के लिये कार्य ऐसे परिनिर्माण जोड़े जाने या परिवर्तन या खोले जाने के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किए जाते हैं।

190. अनुरक्षण:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म में उपयोग की गई पाड़ को अच्छी मरम्मत करके अनुरक्षित किया जाता है और इसके दुर्घटनापूर्ण विस्थापन या किन्हीं अन्य खतरों के विरुद्ध उपाय किया जाता है;

(ख) किसी पाड़ या उसके भाग को भागत: निसमन्वित नहीं किया जाता है, और न ही उसे ऐसी स्थिति में रहने दिया जाता है जब तक कि:-

(i) ऐसे पाड़ की सुरक्षा के लिए किसी उत्तरदायी द्वारा ऐसे पाड़ के शेष भाग पर स्थिरता या सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है;

(ii) भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसी पाड़ के शेष भाग का उपयोग नहीं किए जाने की दशा में हिन्दी और किसी ऐसी भाषा में जो अधिकांश भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, लिखित में यह आवश्यक सावधानी सूचना कि ऐसी पाड़ उपयोग में लाने के लिए अनुपयुक्त है, उस स्थान पर जहाँ ऐसी पाड़ का परिनिर्माण किया जाता है, संप्रदर्शित की गई है।

191. मानक, आड़, अड्वार:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि--

(क) पाड़ के मानक निम्नप्रकार है:-

(i) साहुल, जहाँ साध्य हो,

(ii) ऐसी पाड़ के आशयित उपयोग के लिए सभी संभाव्य कृत्यकारी परिस्थितियों और दशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी पाड़ की स्थिरता को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रुप से सटी हुई दूरी पर स्थिर किया जाना,

(iii) ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यथा साध्य निकट दूरी रखना;

(ख) यथावश्यक पूर्ण प्लेट या किसी आधार प्लेट की व्यवस्था करके किसी पाड़ के मानक के विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं;

(ग) ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए धातु की पाड़ की आड़ों को लंबवत् अंतरालों पर रखा जाता है;

(घ) बांस की पाड़ की आड़ों को यथा संभव निकट रखा जाता है, ऐसे पाड़ की स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए किसी पाड़ के मानकों पर जकड़ा जाता है ।

192. कृत्यकारी चबूतरा:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थलों पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कृत्यकारी चबूतरा सन्निर्माण ऐसे भवन के स्थायी ऊपरी तल के निकट वाले किसी भवन के सामने या उसके किनारे पर और किसी ऐसे स्तर पर जहाँ ऐसे भवन का सन्निर्माण कार्य किया जा रहा

है, उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) किसी पाड़ के प्रत्येक खंड पर नियोजित किए जाने वाले भवन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या, ऐसे चबूतरे पर पाड़ का कार्य और सामग्री या वस्तुएँ तथा औजार जो उनके साथ ऐसे खंड पर ले जाये जाते हैं, के अनुकूल एक चबूतरे का डिजाईन किया जाता है;

(ग) किसी पाड़ के प्रत्येक खंड में सुरक्षित कार्यकारी भार और भवन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या जिन्हें नियोजित किया जाना है, ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी के लिए सम्प्रदर्शित की जाती है।

193. बोर्ड, तख्ता और छत:- नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) कृत्यकारी-चबूतरे के सन्निर्माण में उपयोग किये गये बोर्ड तख्ता और छत समान आकार और प्रबलता के हों और ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भार और भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या को सहारा देने के लिए समर्थ हैं;

(ख) धातु की छत जो किसी कृत्यकारी चबूतरा का एक भाग बनाती है, बिना फिसलने वाले पृष्ठतल की व्यवस्था की गई है;

(ग) ऐसा कोई बोर्ड या तख्ता जो कार्यकारी चबूतरे का भाग बनता हैं, इसके किनारे को टेक के परे तब तक प्रक्षेपित नहीं किये जाते है जब तक कि इसे प्रभावी रुप से मुड़ने या उठने से रोका नहीं जाता;

(घ) बोर्ड तख्ता या छत जकड़े जाते हैं और सुरक्षित किए जाते है;

(ङ) किसी ऐसे एक समय में प्रत्येक दिन दो से अनधिक कृत्यकारी चबूतरे ऐसे खंड पर भवन निर्माण कर्मकारों या सामग्री या वस्तुओं को सहारा देने के लिए उपयोग में नहीं लाये जाते हैं;

(च) ऐसी किसी क्षति को रोकने के लिए, जो सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण कारित होती है, सुरक्षा जालों या अन्य समुचित साधनों का उपयोग करके समुचित उपाय किए जाते हैं;

(छ) ऐसी पाड़ के किसी चबूतरे पर कंक्रीट या अन्य मलबे या सामग्री को इकट्ठा होने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है;

(ज) किसी दीवार के छोर पर जहाँ कार्य किया जाना है, ऐसे कार्य स्थल पर कृत्यकारी चबूतरा या जहाँ साध्य हो, ऐसी दीवार के छोर के परे कम से कम शून्य दशमलव सात मी० मी० दूरी पर बनायी जाती है।

194. क्षतिग्रस्त पाड़ की मरम्मत :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि —

(क) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार ऐसी पाड़ पर, जो क्षतिग्रस्त या क्षीण हो गई है, जब तक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सुरक्षा उपाय नहीं कर लिए जाते है, कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है;

(ख) ऐसे स्थानों पर, जहाँ पाड़ की मरम्मत का जिम्मा ले लिया हो, चेतावनी संकेत संप्रदर्शित कर दिए जाते हैं।

195. खुली जगह:-नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) ऐसे कार्यकरण प्लेटफार्म पर पहुँचने के सिवाय किसी भी कार्यकरण प्लेटफार्म में कोई भी खुली जगह नहीं है;

(ख) किसी प्लेटफार्म पर जहाँ भी खुली जगह अपरिहार्य है, ऐसे प्लेटफार्म से सामग्री या भवन निर्माण कर्मकारों के गिरने से परित्राण के लिए उपयुक्त सुरक्षा जालें, पट्टे या इसी प्रकार के कोई अन्य साधनों की व्यवस्था करके आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं;

(ग) किसी पाड़ पर एक कार्यकरण प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर पहुँचना यदि अपेक्षित हो, ऐसे प्लेटफार्मों पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुरक्षित सिढ़ी की व्यवस्था कर दी जाती है।

196. रक्षक पटरियाँ:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ऐसे कार्यकरण प्लेटफार्म को प्रत्येक पार्श्व पर जिससे किसी व्यक्ति के गिरने की संभावना है, ऐसे प्लेटफार्म से किसी भवन निर्माण कर्मकार, सामग्री या औजारों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित रक्षक पटरियों और यथोचित मजबूती के टो-बोर्ड की व्यवस्था कर दी जाती है।

197. विभिन्न नियोजकों के भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाई गई पाड़- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) जहाँ किसी ऐसी पाड़ या पाड़ के किसी ऐसे भाग का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग पूर्व में किसी अन्य नियोजक द्वारा उसके भवन निर्माण कर्मकारों के लिए किया गया है, ऐसी पाड़ या उसके भाग का उपयोग केवल, उसके उपयोग के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे निरीक्षण और जाँच के पश्चात् ही किया जाता है कि ऐसी पाड़ या भाग ऐसे निरीक्षण और जाँच के पश्चात् ही किया जाता है कि ऐसी पाड़ या भाग ऐसे उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है,

(ख) यदि किसी पाड़ या उसके भाग में उपयोग के सुभीते के लिए किसी सुधार, परिवर्तन या उपांतरण को जरूरत समझी जाती है तो ऐसा सुधार, परिवर्तन या उपांतरण ऐसी पाड़ या भाग के उपयोग में लाने से पूर्व खंड (क) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के परामर्श से किया जाता है।

198. विद्युत शक्ति लाईन से संरक्षण:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाड़ पर कार्य करने वाले ऐसे किसी भी भवन निर्माण कर्मकार को विद्युत तारों या खतरनाक उपस्कर के सम्पर्क में आने से रोकने के लिए उसके परित्राण के लिए सभी आवश्यक और व्यवहारिक उपस्कर लिए जाते हैं।

199. रक्षावरण जाल और तार की जालियाँ:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ पाड़ किसी ऐसे क्षेत्र में परिनिर्मित की जाती हैं जहाँ सन्निर्माण क्रियाकलापों से नजदीक के पैदल चलने वालों या यानीय यातायात को सामग्री के गिरने से परिसंकट की संभावना हो सकती है, वहाँ ऐसी पाड़ के आवरण के लिए तारों की जालियाँ या रक्षावरण जाल उपयोग में लाए जाते हैं।

200. टावर पाड़:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि--

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में ली गई प्रत्येक टावर पाड़ की ऊँचाई ऐसी पाड़ के आधार माप की लघुतर की आठ गुनी से अधिक नहीं है;

(ख) टावर पाड़ को भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने के पूर्व किसी भवन या किसी स्थिर इमारत के साथ रस्सी से बाँध दिया जाता है;

(ग) कोई भी ऐसी टावर पाड़ जिसे घुमाया या संचयक किया जा सकता है:

(i) उसके स्थायित्व को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है और यदि आवश्यक हो, उसके आधार पर यथोचित रुप से भारित किया जाता है;

(ii) उसका केवल समतल और भूतल पर ही उपयोग किया जाता है;

(iii) जिसमें ऐसी पाड़ को स्थिति में रखने के लिए सकारात्मक परिबंधन युक्तियों के साथ कास्टरों की व्यवस्था है।

(घ) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार, औजार, सामग्री, पाड़ पर नहीं रहता है, जब इसे एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदला जाता है।

201. पाड़ के निलंबन के लिए गियर:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि--

(क) पाड़ के निलंबन के लिए उपयोग में ली गई जंजीरें, रस्से या उठाने वाले गियर यथोचित मजबूती की अच्छी सामग्री के बने और उनके उपयोग के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है तथा अच्छी मरम्मत से पोषित किए जाते हैं;

(ख) पाड़ के निलंबन के लिए प्रयुक्त जंजीरें, तार, रस्से और धातु की नालियाँ-

(i) प्रत्येक जकड़ बिंदु पर और ऐसी पाड़ के समर्थन के लिए प्रयुक्त उस पाड़ के अन्य मुख्य सहायक सदस्यों की आड़ी लकड़ियों को उचित रुप से तथा मजबूती से जकड़कर बाँध दी जाती है, और

(ii) इस प्रकार की स्थिति में रखी जाती है जिससे कि पाड़ की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

202. मचिका पाड़ और शहतीर पाड़:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि--

(क) कोई भी मचिका पाड़ तीन खन से अधिक सन्निर्माण नहीं की जाती है या यदि उसका कार्यकरण प्लेटफार्म भूमि या फर्श या अन्य भूतल जिस पर ऐसी पाड़ निर्मित की जाती है, से ऊपर चार प्वाईंट पाँच मीटर से अधिक है, तो ऐसी मचिका पाड़ की पेशावर इंजीनियर द्वारा डिजाईन की जाती है और उपयोग में लिए जाने से पूर्व मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है;

(ख) कोई भी मचिका पाड़ किसी निलंबित पाड़ पर निर्मित नहीं की जाती है,

(ग) कोई भी शहतीर या जिब पाड़ तक उसके सहारे के सामने के पार्श्व यथोचित रुप से समर्थित, स्थिर या जकड़ नही किया जाता है और यथोचित लंबाई के बाहरी सहारे को जहाँ आवश्यक हो ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रुप से सहारा नहीं दिया जाता है, उपयोग में नहीं ली जाती है।

(घ) जब तक ऐसे धारक जो यथोचित मजबूती वाले हैं, दीवार से होकर कस नहीं दिए जाते है और वे दूसरी तरफ मजबूती से बांधे नहीं जाते है, कोई भी ऐसा कार्यकरण प्लेटफार्म जो धारकों पर आधारित है, जिसका एक सिरा दीवार में लगा दिया जाता है और बिना दूसरे सहारे के उपयोग नहीं किया जाता है।

203. भवन द्वारा समर्थित पाड़:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर

यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) जब तक उस भवन का ऐसा भाग पर्याप्त मजबूती से और सुरक्षित समर्थन देने के लिए मजबूत सामग्री का नहीं बनाया जाता है, भवन को किसी भी भाग का किसी पाड़ के समर्थन या उसके भाग के रुप में उपयोग नहीं किया जाता है,

(ख) बाहर निकले हुए छज्जें, पर नाले पाड़ के समर्थन के लिए उपयोग में नहीं लिए जाते है,

(ग) निलंबित पाड़, भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग किए जाने के पूर्व सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई जाती है।

204. निलंबित पाड़ के लिए विंच और क्लाइम्बरों का उपयोग-भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि--

(क) जब तक ऐसी पाड़ मजबूत सामग्री से यथोचित ताकत की नहीं बनाई जाती है और उपयोग में लिए जाने से पहले किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसे उठाने और नीचा करने के लिए विंच या क्लाइम्बर के उपयोग के लिए उसका परीक्षण नहीं कर लिया गया है और उसके द्वारा निरापद प्रमाणित नहीं कर दी गई है, कोई भी निलंबित पाड़विंच या क्लाइम्बरों द्वारा ऊँची या नीची नहीं की जाती है;

(ख) प्रतिभार द्वारा प्रति संतुलित सभी निलंबित पाड़ की टाइप ऐसी है जो भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने से पहले मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की जाती है;

(ग) निलंबित पाड़ के कार्यकरण प्लेटफार्म को सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसे प्लेटफार्म को हिलने से रोकने के लिए भवन या इमारत से मजबूती से बाँध दिया जाता है,

(घ) उस सुरक्षित कार्यकरण भार को जिसे निलंबित पाड़ वहन कर सकती है, वहाँ संप्रदर्शित कर दिया जाता है, जहाँ पर ऐसी पाड़ का उपयोग किया जाता है।

205. निलंबित पाड़ के लिए सुरक्षा युक्तियाँ:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि विंच क्लाइम्बरों द्वारा उठाई गई या नीची की गई प्रत्येक निलंबित पाड़ के साथ ऐसे प्रत्येक रस्से पर लगी स्वचालित सुरक्षा युक्ति के साथ एक सुरक्षा रस्सा की इसके प्रत्येक निलंबन बिंदु पर व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसी स्वचालित सुरक्षा युक्ति वाला ऐसा सुरक्षा रस्सा ऐसी निलंबित पाड़ को उठाने या नीचा करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक निलंबित तार के रस्सों, विंच क्लाइम्बर या ऐसी मेकेनिज्म के किसी भाग के असफल होने की स्थिति में ऐसी पाड़ के प्लेटफार्म को समर्थन देता है। परंतु यह नियम निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होगा:-

(क) जहाँ ऐसी पाड़ का प्लेटफार्म, जिसके ऐसे प्लेटफार्म के प्रत्येक सिरे पर या उसके निकट दो स्वतंत्र निलंबन तार रस्सों से समर्थन मिलता है ताकि ऐसे एक निलंबन तार रस्सा के काम न करने की स्थिति मे दूसरा रस्सा ऐसे प्लेटफार्म के वजन और इसके भार को उठाने और इसे झुकने से रोकने में समर्थ हो;

(ख) जहाँ किसी ऐसी पद्धति समाविष्ट है जो ऐसी पाड़ के प्राथमिक निलंबन तार रस्सा के काम न करने की स्थिति में ऐसी पाड़ के प्लेटफार्म और इसके भार को समर्थन देने के लिए स्वचालित रुप से प्रचालित होती है।

अध्याय-20

जलापरोध और नींव कोष्ठक

206. साधारण उपबंध:- नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित

करेगा कि--

(क) प्रत्येक जलावरोध और नींव कोष्ठक--

(i) अच्छी बनावट, मजबूत सामग्री का और यथोचित सामर्थ्य का है;

(ii) यथास्थिति ऐसे जलावरोध या नींव कोष्ठक की चोटी पर पानी के आधिक्य की स्थिति में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए यथोचित साधनों का प्रबंध है।

(iii) यथास्थिति ऐसे जलावरोध और नींव कोष्ठक के ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते है, पहुँचने के सुरक्षित साधनों की व्यवस्था है;

(ख) जलावरोध या नींव कोष्ठकों के निर्माण, स्थिति बनाने उपांतरण या उनको नष्ट करने से संबंधित कार्य किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संपादित किया जाता है;

(ग) सभी जलावरोध और नींव कोष्ठक मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किए जाते हैं;

(घ) मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी पिछली अवधि के भीतर ऐसे जलावरोध या नींव कोष्ठक का उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण कर लिया जाता है और सुरक्षित पाया जाता है, उसके पश्चात् ही जलावरोध या नींव कोष्ठक में किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्य करने दिया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख एक रजिस्टर में पोषित किया जाता है;

(ङ) किसी जलावरोध या नींव कोष्ठक में सम्पीड़ीत वायु में कार्य-

(i) सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संपादित किया जाता है,

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा संपादित किया जाता है जो अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके है और नियम 223 के अधीन यथा अपेक्षित जिनकी चिकित्सीय परीक्षा कर ली जाती है;

(iii) किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संपादित किया जाता है;

(च) यदि जलावरोध या नींव कोष्ठक में कार्य पारियों में संपादित किया जाता है तो प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार द्वारा ऐसे प्रत्येक पारी में किए गए कार्य के लिए व्यतीत समय का अभिलेख ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के संपीड़न के लिए गए समय की विशिष्टियों के साथ यदि कोई हो, एक रजिस्टर में पोषित किया जाता है;

(छ) जलावरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर जहां भवन निर्माण कर्मकार संपीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने के लिए नियोजित किए जाते है, ऐसे कार्य के दौरान ऐसे स्थल या परियोजना पर एक नर्स या प्रशिक्षित प्राथमिक उपचार परिचर द्वारा सहायता प्राप्त एक निर्माण चिकित्सा अधिकारी सभी समयों पर उपलब्ध है;

(ज) जलावरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर आपातकाल के लिए एक अलग उपलब्ध संपीड़क है।

207. दाब संयंत्र और उपस्कर :- नियोजक भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) दाब संयंत्र और उपस्कर-

(i) ऐसे कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने में पहले सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच और परीक्षित कर लिये जाते है;

(ii) उपयुक्त डिजाईन और मजबूत सामग्री का बना हुआ है तथा उस कार्य के संपादन की यथोचित सामर्थ्य का है, जिसके लिए यह उपयोग किया जाता है;

(iii) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण की दशा में उचित रूप से पोषित किया जाता है;

(ख) उपनियम (क) में विर्दिष्ट दाब संयंत्र और उपस्कर के साथ निम्नलिखित लगा हुआ है :-

(i) किसी भी समय अधिकतम सुरक्षित दाब को आगे बढ़ते हुए को निकालने के लिए एक उपयुक्त सुरक्षा वाल्व;

(ii) ऐसे संयंत्र और उपस्कर पर अधिकतम सुरक्षित कार्यकरण दाब के साथ किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में आंतरिक दाब और चिन्हित सभी समयों पर आसानी से दिखने योग्य और दर्शित करने के लिए बनाया गया एक प्वाइंट पांच गुणा से अन्युन और अधिकतम कार्यकरण दाब के दुगने से अनधिक को एक डायल रैंज के साथ एक उपयुक्त दाब गेज;

(iii) एक उपयुक्त स्टॉप वाल्व या ऐसे वाल्व जिनके द्वारा दाब संयंत्र या दाब संयंत्र की प्रणाली को दाब के प्रदाय के स्रोत या अन्यथा से अलग-थलग किया जा सकेगा।

(ग) प्रत्येक दाब संयंत्र या उपस्कर का सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतया परीक्षण किया जाएगा-

(i) बाह्य रूप से छः मास की प्रत्येक अवधि में एक बार;

(ii) आंतरिक रूप से बारह मास की प्रत्येक अवधि में एक बार;

(iii) जलीय परीक्षण द्वारा चार वर्ष की अवधि में एक बार।

अध्याय - 21

सुरक्षा संगठन

208. सुरक्षा समितियाँ :-

(1) प्रत्येक स्थापन जिसमें पांच सौ या उससे अधिक भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित है, वहां नियोजक द्वारा एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी, जो नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों की समान संख्या द्वारा रूपित होगी। किसी भी दशा में नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से अधिक नहीं होगी। जहां भी ऐसे संघ विद्यमान हैं, समिति मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों द्वारा रूपित होगी।

(2) सुरक्षा समिति के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में दुर्घटना के अधिसंभाव्य कारणों और असुरक्षित पद्धतियों को पहचानना और उपचारी उपाय सुझाना;

(ख) जैसे ही और जब भी अपेक्षित या जैसे ही आवश्यक हो सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा प्रतियोगिता, बात-चीतों और सुरक्षा पर फिल्म प्रदर्शन, इश्तहार तैयार करके या वैसे ही अन्य उपायों के आयोजन द्वारा नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के हित में सुरक्षा को बढ़ावा देना;

(ग) असुरक्षित पद्धतियों की जांच पड़ताल करने तथा असुरक्षित दशाओं का पता लगाने के उद्देश्य से निर्माण स्थल का दौरा करना और उनके सुधार के लिए उपचारी उपाय जिसके अंतर्गत प्रथम उपचार चिकित्सीय और कल्याणकारी सुविधाएं भी है, की सिफारिश करना;

(घ) विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रसायनों और अन्य निर्माण सामग्री की उठाई-धराई से सम्बद्ध स्वास्थ्य परिसंकटों का ध्यान रखना तथा उचित व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर के उपयोग जिसके अंतर्गत उपचारी उपाय भी है, सुझाना;

(ङ) निर्माण स्थल में कल्याणकारी सुख सुविधाएं समुन्नत करने और भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण के अन्य विविध पहलुओं के लिए उपाय सुझाना;

(च) भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपस्कर के उपयोग, उठाई-धराई तथा रख रखाव से सम्बद्ध परिसंकटों का, नियोजक का ध्यान दिलाना।

(3) सुरक्षा समिति की नियमित अंतरालों पर कम-से-कम एक मास में एक बार बैठक होगी और निर्माण स्थल के काम काज पर संपूर्ण नियंत्रण रखने वाला ज्येष्ठ व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) बैठक की कार्य सूची और कार्य वृत सभी सरोकार रखनेवाले को परिचालित की जाएगी और यह भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जानेवाली भाषा में होगी तथा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सुरक्षा समिति के विनिश्चियों तथा सिफारिशों का नियोजक द्वारा युक्तियुक्त समय सीमाओं के भीतर पालन किया जाएगा।

209. सुरक्षा अधिकारी :- (1) ऐसे प्रत्येक स्थापना में, जहां पर पांच सौ या इससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित किए जाते है, नियोजक इन नियमों से संलग्न अनुसूची-(viii) में अधिकथित वेतनमान के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करेगा। ऐसे सुरक्षा अधिकारी उपयुक्त तथा यथोचित कर्मचारीवृंद द्वारा सहायता प्राप्त हो सकेंगे।

(2) उपनियम (1) अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य,

अर्हताएँ और सेवा शर्तें इन नियमों से संलग्न अनुसूची-(viii) में यथा उपबंधित होंगी।

(3) जहाँ भी एकल नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या पाँच सौ से कम है, वहाँ नियोजक एक समूह बना सकेंगे और मुख्य निरीक्षक की पूर्व अनुज्ञा से नियोजकों के ऐसे समूह के लिए एक सामूहिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।

210. दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देना-(1) निर्माण स्थल पर ऐसी दुर्घटना जो या तो :

(क) जीवन हानिकारित करती है ; या

(ख) दुर्घटना के ठीक बाद अड़तालीस घंटे या इससे अधिक की अवधि के लिए किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्यकरण से निर्योग्य बनाती है, घातक दुर्घटनाओं की दशा में चार घंटों के भीतर और ऐसी अन्य दुर्घटनाओं की दशा में जिसमें भवन निर्माण कर्मकार अंतर्ग्रस्त है, बहत्तर घंटे के भीतर तार, दूरभाष, फैक्स या वैसे ही अन्य साधन जिसके अंतर्गत विशेष संदेशवाहक भी है; द्वारा निम्नलिखित को तुरंत सूचना भेजी जाएगी -

(i) उस क्षेत्र की अधिकारिता वाला उप श्रमायुक्त को, जिसमें ऐसी स्थापना अवस्थित है, जिसमें ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई। ऐसा उप श्रमायुक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होगा।

(ii) बोर्ड जिसके साथ दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

(iii) मुख्य निरीक्षक;

(iv) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार का निकट संबंधी या अन्य संबंधी।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर कोई ऐसी दुर्घटना जो --

(क) जीवन हानिकारित करती है ; या

(ख) दुर्घटना के ठीक बाद दस दिन से अधिक के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को काम से निर्योग्य बनाती है, की सूचना निम्नलिखित को भेजी जायेगी है :-

(i) निकटतम पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी;

(ii) जिला दंडाधिकारी या यदि जिला दंडाधिकारी आदेश द्वारा ऐसा चाहता है, तो उपखंड दंडाधिकारी को।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन होनेवाली दुर्घटना की दशा में आहत भवन निर्माण कर्मकार को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और उसके बाद चिकित्सीय उपचार के लिए किसी अस्पताल या अन्य स्थानों में तुरंत अंतरित कर दिया जाएगा।

(4) जहाँ कोई दुर्घटना निशक्तताकारित करते हुए तत्पश्चात् किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु में परिणित हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु को लिखित रूप में सूचना, ऐसी मृत्यु के बहत्तर घंटे के भीतर उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा उल्लिखित प्राधिकारियों को संसूचित की जाएगी।

(5) खतरनाक घटनाओं के निम्नलिखित वर्ग चाहे उनसे किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु या निशक्तताकारित होती है या नहीं, उपनियम (1) में विहित रीति में अधिकारिता वाले निरीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात --

(क) उत्थापक साधनों या उत्तोलक या प्रवहणी या भवन या निर्माण सामग्री की उठाई धराई के लिए अन्य वैसे ही उपस्कर का ढह जाना या निष्फल हो जाना या रस्सा, जंजीर या वियोजित गियरों का निष्फल हो जाना, भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की जानेवाली क्रेनों का उलट जाना, ऊँचाई से वस्तुओं का गिर जाना ;

(ख) मिट्टी किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत या किसी संरचना प्लेटफार्म, मंजिल, पाड़ के किसी अन्य भाग या पहुँच का किसी साधन जिसके अंतर्गत फोर्मवर्क (प्रारूप कार्य) भी है, का ढह जाना या धसाव;

(ग) संविदा कार्य, उत्खनन, पारेषण बुर्जो, पाइप लाइनों, पुलों आदि का ढह जाना;

(घ) भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जानेवाली किसी गैस या गैसों या किसी द्रव या ठोस का भंडारकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रापके चदपात्र का वातावरणिक दबाव से अधिक दबाव पर विस्फोट;

(ङ) ऐसे निर्माण स्थल पर, जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते है, क्षतिकारित करने वाली अग्नि और विस्फोट;

(च) हानिकारक पदार्थों का बहाव या रसाव और उनके आधानो की क्षति;

(छ) यातायात उपस्कर का ढह जाना, लुढ़क कर गिर जाना या टकरा जाना;

(ज) निर्माणस्थल पर हानिप्रद विषैली गैसों का रिसाव या निर्मोचन;

(6) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर किसी उत्थापक साधन, वियोजित गियर, उत्तोलक या भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य मशीनरी तथा यातायात उपस्कर की असफलता की दशा में ऐसे साधन, गीयर, उत्तोलक मशीनरी या उपस्कार और ऐसी घटना के उस स्थल का जबतक अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया जात है, यथासाध्य अविक्षुण्ण रखा जाएगा।

(7) उपनियम (1) उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन दी गयी प्रत्येक सूचना के अनुसरण में उचित अभिस्वीकृति के अधीन निरीक्षक, अधिनियम की धारा - 39 के अधीन प्राधिकारी, बोर्ड और मुख्य निरिक्षक को प्रपत्र-(xiv) में एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी।

211. दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों के जाँच की प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा - 39 की यथास्थिति उपधारा 2 या उपधारा (3) के अधीन जाच, नियम 210 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) में विर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में कीजाएगी, अर्थात् :-

(क) जाँच यथाशीघ्र प्रारम्भ की जाएगी और किसी भी दशा में नियम 210 के अधीन दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रारंभ की जाएगी ;

(ख) जाँच नियम 210 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखण्ड (i) मे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वंय या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी जाँच अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी ;

(ग) यथा स्थिति प्राधिकारी या जाँच अधिकारी ऐसी जाँच मे हाजिर होने के हकदार उसन सभी व्यक्तियों को जिनके नाम और पते ऐसे प्राधिकारी या जाँच अधिकारी को ज्ञात है, ऐसी जाँच की तारीख समय और स्थान संसूचित करते हुए लिखित में सूचनाओं की तामील करेगा या तामील करवाएगा;

(घ) खंड (ख) के उपबंध के होते हुए भी ऐसे अन्य व्यक्ति जो किसी तरह से ऐसी जाँच में संबद्ध या हितबद्ध है यथास्थिति प्राधिकारी या जाँच अधिकारी अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी जाँच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए, एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसी जाँच की सूचना प्रकाशित कर सकेंगे।

(2) जाँच के लिए हाजिर होने के हकदार व्यक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित आ सकेगा :-

(क) अधिनियम के सुरक्षा उपबंधों और संबंधित स्थापन के लिए इन नियमों के प्रवर्तन या अनुपालन से संबद्ध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी उपक्रम या लोक निकाय का निरीक्षक या कोई, अधिकारी;

(ख) व्यवसाय संघ या कर्मकारों का संगम या नियोजिकों का संगम ;

(ग) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त कर्मकार या उसका वैधिक वारिस या प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(घ) उस परिसर का स्वामी जिसमें घटना घटी;

(ङ) यथास्थिति प्राधिकारी या जाँच अधिकारी के विवेकाधिकार पर कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो किसी दुर्घटना

के कारण में हितबद्ध हो सकेगा या कारण से संबद्ध हो सकेगा या जो ऐसे कारण के बारे में जानकारी रखता है या जिसके ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के संबंध में तात्विक साक्ष्य या सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावना है।

(3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट हकदार व्यक्ति कोई निगमित निकाय, कोई कम्पनी या कोई अन्य संगठन, संगम, व्यक्तियों का समूह है तो ऐसे समूह को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत कांउसेल या सोलिसीटर भी है, के माध्यम से रूपित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच सार्वजनिक रूप से की जाएगी।

(5) ऐसी दशाओं में जहाँ :-

(क) राज्य सरकार की यह राय है कि जांच के विषय या उसका कोई भाग ऐसी प्रकृति के है कि सार्वजनिक रूप से जांच करना राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल होगी और यथास्थिति उक्त प्राधिकारी की जांच उक्त अधिकारी को बन्द कमरे में जांच करने का निदेश देती है ; या

(ख) जांच के किसी पक्षकार द्वारा उसको लिए गए आवेदन पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति प्राधिकारी या जांच अधिकारी यदि उसकी यह राय है कि सार्वजनक जांच करने से किसी व्यवसाय गुप्त से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण होगा, उस जांच या इसके ऐसे भाग की जांच बन्द कमरे में करने का विनिश्चय करता है तो ऐसी जांच सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी।

(6) सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई जानकारी या उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में साक्ष्य, जांच के प्रयोजन सिवाय किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी।

(7) किसी जांच में साक्ष्य या व्यपदेशन देने के लिए बुलाया गया, उपनियम (2) के अधीन हाजिर होने का हकदार व्यक्ति केवल जांच करने वाले प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीमा तक और अवस्था पर ही प्रारंभिक कथन करने, साक्ष्य देने, विनिर्दिष्ट दस्तावेज या साक्ष्य के लिए मांग करने के लिए जांच अधिकारी को अनुरोध करने अन्य व्यक्ति की साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करने का हकदार होगा।

(8) किसी जांच कोई भी साक्ष्य जांच के दौरान प्राधिकारी या जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर ही ग्रहण की जाएगी जो यह भी निदेश दे सकेगा कि साक्ष्य में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को किसी हकदार या ऐसी जांच मे हाजिर होने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और यह कि उनकी प्रतियाँ लेने या प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

(9) प्राधिकरी या जांच करने वाला जांच अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो राज्य सरकार का अधिकारी है, जहां आवश्यक हो, जांच करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी या जांच अधिकारी की सहायता करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया अधिकारी संबद्ध स्थापना के परिसर में कार्य के घंटो के दौरान प्रवेश कर सकेगा, और ऐसी जांच से सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा, अन्वेषण कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो ऐसी जांच करने के लिए अपेक्षित हो।

(10) गवाहों के कथनों सहित मूल रूप में सभी साक्ष्यों के साथ जांच के निष्कर्षों को, ऐसे मामलों में, जहाँ उप जांच ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वंय नहीं की गई थी, जांच की समाप्ति के पाँच दिन के भीतर अधिनियम की धारा - 39 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।

(11) इस नियम के अधीन की गई जांच से संबंधित तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ निषकर्षों की एक प्रति मुख्य निरिक्षक और राज्य सरकार को नियम 210 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय - 22

विस्फोटक

212. विस्फोटकों की उठाई धराई :- नियोजक भवन या सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सभी विस्फोटकों की उठाई, धराई, उपयोग या भंडारण ऐसे विस्फोटकों के विनिर्माता द्वारा दिए गए अनुदेशों और सामग्री आंकड़े शीट के अनुसार किए जाते हैं;

(ख) विस्फोटकों का उपयोग किसी भी व्यक्ति को क्षति से बचाने के लिए सुरक्षित रीति से और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है;

(ग) किसी विस्फोटक के उपयोग से पूर्व आवश्यक चेतावनी और खतरा के संकेत भवन कर्मकारों और साधारण जनता को ऐसे उपयोग में अंतर्ग्रस्त खतरे की चेतावनी देने के लिए, ऐसे उपयोग के सहज दृश्य स्थानों पर परिनिर्मित किए जाते है।

213. पूर्वावधानियां :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) नियम 212 के उपबंधों के होते हुए भी ऐसे विस्फोटकों के परिवहन, उठाई, धराई, भंडारण और उपयोग के स्थानों प निम्नलिखित पूर्वावधानियों का पालन किया जाता है, अर्थात :-

(i) जहां विस्फोटकों की उठाई, धराई, भंडारण और उपयोग किया जाता है उसके आस-पास में धूम्रपान खुली बत्तियों और कि अन्य ज्वलन के स्त्रोतों का प्रतिषेध,

(ii) विस्फोटकों के पैकेजों को खोलते समय सुरक्षित दूरी रखना तथा चिनगारी न छोड़नें वाले औजारों का उपयोग करना ;

(iii) जब मौसम के हालात ऐसे उपयोग या उठाई, धराई के लिए उपयुक्त नहीं हो तो विस्फोटकों के उपयोग और उनकी उठाई, धराई को बंद रखना;

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अतिरिक्त विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अधीन बनाये गये नियम के अधीन विस्फोटकों के उपयोग, उठाई, धराई, भंडारण या परिवहन के लिए पालन किए जाने वाले सभी अपेक्षित उपायों और पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाता है।

अध्याय - 23

पाइलिंग

214. साधारण उपबंध – नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) सभी पाइल चालन उपस्कर एर्गोनोमिक सिद्धांतों का विचार करते हुए अच्छी डिजाइन और ठोस सन्निर्माण के हैं तथा उपयुक्त रूप से पोषित किए जाते हैं,

(ख) पाइल चालक को किसी भारी काष्ठ सिल कंक्रीट बैंड या अन्य सुरक्षित आधार पर मजबूत सहारा दिया जाता है ;

(ग) यदि किसी पाइल ड्राइवर से किसी विद्युत कंडक्टर के खतरनाक सामीप्य में परिनिर्मित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां ली जाती है;

(घ) पाद्य के हौज और वायु हथौड़ा, ऐसे हथौड़े से मजबूती से बांध दिए जाते हैं ताकि कनेक्शन या ब्रेक की दशा में कशाताड़न से उनको रोका जा सके ;

(ङ.) पाइल चालक को उलटने से रोकने के लिए यथोचित पूर्वावधानी ली जाती है ;

(च) हथौड़े को पाइल से चूकने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक पूर्वावधानी ली जाती है ;

(छ) पाइल चालन उपस्कर निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसके उपयोग में लेने से पूर्व ऐसे उपस्कर का निरीक्षण करता है और ऐसे उपस्कर द्वारा पाइलिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए यथा अपेक्षित समस्त समुचित उपाय लेता है।

215. पार्श्वस्थ संरचना की स्थिरता - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ संरचना की स्थिरता का कोई प्रश्न है उसके साथ लगे हुऐ क्षेत्र के लिए पाइल किए जाने के लिए जिसका ऐसी संरचना को जहाँ आवश्यक हो, अंडर पाइलिंग, शीट पाइलिंग, शोरिंग, ब्रासिंग द्वारा या ऐसी संरचना की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के और किसी व्यक्ति की क्षति रोकने के लिए अन्य साधनों का सहारा दिया जाता है,

216. आपरेटर का संरक्षण - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पाइल चालन उपस्कर का ऑपरेटर वस्तुओं, बाष्प सिंडरों या पानी गिरने से सख्त आवरक द्वारा या अन्यथा या अन्य साधकों द्वारा संरक्षित है।

217. पाइल चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को अनुदेश तथा उनका पर्यवेक्षण :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाइल चालन उपस्कर पर कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मकार को पाइलिंग प्रचालन में अनुसरण की जाने वाली सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के विषय में अनुदेश के दे दिया जाता है और ऐसे समस्त कार्य के दौरान किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षित होता है।

218. अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पाइलिंग क्षेत्र जहां पाइल चालन उपस्कर उपयोग में हैं, अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए प्रभावी रूप से परिवेष्टित कर दिए जाते हैं।

219. पाइल-चालन उपस्कर का निरीक्षण और अनुरक्षण :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) पाइल - चालन उपस्कर, जब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण नहीं कर लिया गया है और ऐसे उपयोग के लिए सुरक्षित होना नही पाया गया है, उपयोग में नहीं लिया जाता है;

(ख) उपयोग में चल रहे पाइल-चालन उपस्कर का ऐसे उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अंतरालों पर ऐसे निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है;

(ग) सभी पाइल लाइनों और पुल्ली ब्लाकों का पाइलिंग प्रचालन की प्रत्येक पारी के शुरू होने से पूर्व किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

220. पाइल-चालन उपस्कर का प्रचालन :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) केवल अनुभवी और प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार ही पाइल-चालन प्रचालित करता है ताकि ऐसे प्रचालन से कोई किसी अधिसंभाव्य खतरे से बचा जा सके ;

(ख) पाइल-चालन संक्रियाएँ साधारणतः प्रचालित या स्वीकृत संकेतों से शासित होती है ताकि ऐसी संक्रियाओं से अधिसंभाव्य खतरा रोका जा सके ;

(ग) पाइल-चालन प्रचालन में नियोजित या ऐसे पाइल-चालन प्रचालन के सामीप्य में भवन निर्माण कर्मकार कर्ण परित्राण और सुरक्षा हेल्मेट या सख्त टोप और सुरक्षा जूते पहनता है।

(घ) पाइल-चालन संक्रियाओं के स्थान से कम से कम सबसे लम्बे पाइल की लम्बाई की दुगनी लम्बाई के बराबर की दूरी पर पाइल तैयार किए जाते हैं ;

(ङ) जब कोई पाइल-चालन प्रयोग में नहीं है ऐसे पाइल-चालन का हथौड़ा ऐसे पाइल-चाल के सिरे के पेंदे पर निरूद्ध कर दिया जाता है।

221. पाइलिंग चौखटों पर कार्यकरण प्लेटफार्म :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां कोई संरचनात्मक पूर्ण पाइल चालक के शीशा को सहारा देती है वहाँ ऐसे शीशों के समतलों पर यथोचित ताकत के उपयुक्त कार्यकरण प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है जो कि भवन निर्माण कर्मकारों के लिए काम करने के लिए आवश्यक है और ऐसे पाइल चालक के हथौड़े या ऐसे प्लेटफार्म के शीशा के पार्श्वों को छोड़कर ऐसे प्लेटफोर्मो में सुरक्षा रेलिंग ऐसे प्लेटफार्मों की प्रत्येक पार्श्व पर दो बोर्ड लगाए जाते हैं और जहाँ ऐसे प्लेटफार्मों में ऐसी रेलिंग और दो बोर्डों की व्यवस्था नहीं की जा सकती वह प्रत्येक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को एक सुरक्षा बेल्ट प्रदान की जाती है।

222. पाइल परीक्षण :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) पाइल का परीक्षण ऐसे परीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता है ;

(ख) जहां पाइल परीक्षण किया जाता है वहा सभी यथा साध्य उपाय जैसे चेतावनी सूचनाओं का प्रदर्शन क्षेत्र का अवरूद्ध करना और अन्य इसी प्रकार के उपाय क्षेत्र की संरक्षा के लिए किए जाते हैं;

(ग) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइल परीक्षण क्षेत्र में साधारण जनता का प्रवेश प्रतिषिद्ध किया जाता है।

अध्याय - 24

चिकित्सीय सुविधाएँ

223. भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा आदि :-

नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क)(i) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार जो ऐसे कार्य जिसमें जोखिम या परिसंकट अंतर्निहित है के लिए नियोजित किया जाता है, ऐसे कर्मकार के कालिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए जैसा मुख्य निरीक्षक

समुचित समझता है उसकी चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जांच ऐसे अन्तरालों पर कर ली जाती है जैसा मुख्य निरीक्षक समय समय पर निर्देश देता है ;

(ii) क्रेन, विंच या अन्य उत्थापक यातायात उपस्कर या यान के प्रत्येक ऑपरेटर की ऐसे ऑपरेटर के नियोजन से पूर्व और पुनः कालिकतः ऐसे अंतरालों पर जैसा मुख्य निरीक्षक समय-समय पर निर्देश देता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जांच कर ली जाती है।

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा इन नियमों से संलग्न अनुसूची – (vii) के अनुसार है और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा या ऐसे अस्पतालों पर संचालित होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय समय पर अनुमोदित की जाती है ;

(iv) किसी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की दशा में जो ऐसे कर्मकार को नियत नौकरी या कार्य के कारण से विशेष उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए आरक्षित छोड़ दिया जाता है उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट उस कालिक चिकित्सीय परीक्षा के अन्तर्गत उपजीविकाजन्य रोग के निदान के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की जांच करने वाले सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया ऐसा विशेष अन्वेषण भी है।

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) या उप खंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा के लिए कोई भवन निर्माण कर्मकार प्रभारित नहीं किया जाता है और ऐसी परीक्षा का खर्च ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण पत्र इन नियमों से संलग्न प्रपत्र – (xi) में जारी किया जाता है।

(घ) उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का अभिलेख इन नियमों से संलग्न प्रपत्र – (xii) में एक रजिस्टर में पोषित किया जाता है और ऐसा रजिस्टर मांग किए जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ.) यदि खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन किसी भवन निर्माण कर्मकार की जांच कर रहे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार परीक्षित ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का उस भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से, जिस पर वह नियोजित किया जाता है, दूर ले जाया जाना स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अपेक्षित है, ऐसा चिकित्सा अधिकारी तदनुसार ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के नियोजक को जानकारी देगा और ऐसा नियोजक जहाँ ऐसा कर्मकार हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उस बोर्ड को इत्तिला देगा।

224. सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्य :-

(1) नियम, 223 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई अनुसार होंगी; अर्थात् :-

(क) भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा ;

(ख) प्राथमिक उपचार देखरेख जिसमें आपात् चिकित्सीय उपचार भी सम्मिलित है ;

(ग) इन नियमों के अनुसार संबंद्ध प्राधिकारियों को उपजीविकाजन्य बीमारियों की अधिसूचना ;

(घ) प्रतिरक्षण सेवाएं ;

(ड.) चिकित्सीय अभिलेख अनुरक्षण और रख-रखाव ;

(च) स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण पर सलाहकार सेवाएँ, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा भी है ;

(छ) परामर्श सेवाएँ।

225. उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें इन नियमों से संलग्न अनुसूची – (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएँ अंतर्गत है, के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) ऐसे स्थल पर चल या स्थिर उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध कर दिया जाता है और सुव्यवस्था में रखा जाता है;

(ख) खंड(क) में निर्दिष्ट उपजीविकाजन्य स्वास्थय केन्द्र पर इन नियमों से संलग्न अनुसूची – (x) में अधिकथित मानक के अनुसार सेवाएँ और सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है;

(ग) उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी इन नियमों से संलग्न अनुसूची – (xi) में यथा अधिकथित अर्हता रखता है।

226. एम्बुलेंस कमरा :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) यदि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पाँच सौ या इससे कम कर्मकार नियोजित किए जाते है वहाँ ऐसे सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस कमरा है, या किसी निकट के अस्पताल से एम्बुलेंस कमरा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है, और ऐसे एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भारसाधन में है और ऐसे एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है, प्रत्येक समय पर उपलब्ध है;

(ख) यदि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पाँच सौ से अधिक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते है वहाँ प्रभावी संचार पद्धति के साथ एक एम्बुलेंस कमरा है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भार् साधन में है और ऐसे एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है, प्रत्येक समय पर उपलब्ध है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के संपूर्ण भारसाधन में है;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा इन नियमों से संलग्न अनुसूची –(iv) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सज्जित है।

(घ) खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा पर उपचारित दुर्घटनाओं और बीमारियों के सभी मामलों का अभिलेख पोषित किया जाता है और माँग किए जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है।

227. एम्बुलेंस वेन :- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस वेन उपलब्ध है या भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटना या बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल के लिए तत्परता से परिवहन के लिए ऐसा एम्बुलेंस वेन उपलब्ध कराने के लिए निकट के अस्तपताल से व्यवस्थ करवा दी जाती है और ऐसे एम्बुलेंस वेन अच्छी मरम्मत में रखा जाता है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची -(v) में विनिर्दिष्ट मानक सुविधाओं से सुसज्जित रहता है।

228. स्ट्रेचर- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा सन्निर्माण स्थल पर आपातकाल में आसानी से उपलब्ध कराए जाने के लिए स्ट्रेचर की पर्याप्त संख्या का प्रबंध कर दिया जाता है।

229. भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सेवाएं :- (1) नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य निर्माण स्थल पर, जहाँ पाँच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर सभी समयों पर विशेष चिकित्सीय सेवा या उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है और ऐसी सेवा -

(i) प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार का प्रबंध करेगी;

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उनके नियोजन से पूर्व उपजीविकाजन्य परिसंकटों के लिए और उसके पश्चात् समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये विशेष चिकित्सीय सेवा का संचालन करेगी;

(iii) ऐसी चिकित्सीय सेवा के प्राथमिक उपचार कार्मिकों के प्रशिक्षण का संचालन करेगी;

(iv) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य को परिसंकटों से बचाने के लिए ऐसे नियोजक को कार्य की दशाओं और अपेक्षित सुधार पर सलाह देगी;

(v) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण भी सम्मिलित है, प्रोन्नत करेगी;

(vi) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए हानिप्रद होने के संदिग्ध रासायनिक, भौतिक या जैव कारकों का पता चलाने, मापन और मूल्यांकन करने में अधिकारिता वाले निरीक्षक का सहयोग करेगी ;

(vii) टिटनेस, मोतीझारा, हैजा के और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरूद्ध ऐसे सभी कर्मकारो के लिए

प्रतिरक्षण का जिम्मा लेगी।

(ख) खंड(क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपचार, नौकरी, नियोजन, दुर्घटना विवरण और कल्याण के मामलों में बिहार सरकार के श्रम विभाग या किसी अन्य संबंद्ध विभाग का सेवा के साथ सहयोग करती है।

(ग) खंड(क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा की अध्यक्षता किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है और उसमें यथोचित कर्मचारीवृंद, प्रयोगशाला और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) खंड(क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा के परिसर सुविधानुसार सुगम है जिनमें कम से कम एक प्रतीक्षालय कक्ष, एक परामर्श कक्ष, एक उपचार कक्ष, एक प्रयोगशाला और ऐसी सेवा की नर्सो और अन्य कर्मचारिवृंद के लिए उपयुक्त वास सुविधा होती है।

(ड.) खंड(क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा खंड(क) के उपखंड(1) से (7) में निर्दिष्ट इसके कार्यकलापों के संबंध में अभिलेख पोषित करती है तथा प्रत्येक तीन मास में एक बार निम्नलिखित पर लिखित में जानकारी मुख्य निरीक्षक को भेजती है -

(i) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य की दशा और

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में से किसी को भी होने वाली उपजीविकाजन्य क्षति या बीमारी की प्रकृति और कारण ऐसे कर्मकार को उपलब्ध कराया गया उपचार और ऐसी क्षति या बीमारी के आवर्तन निवारण में लिए गए उपाय।

230. विषक्ता या उपजीविका जन्य बीमारियों की सूचना-नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार इन नियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किसी बीमारी के संसर्ग में आता है तो इन नियमों से संलग्न प्रपत्र- (xiii) में एक सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक और उस बोर्ड को अविलम्ब भेज दी जाती है जिसके साथ ऐसा भवन निर्माण कर्मकार एक हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;

(ख) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी खंड (क) में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित किसी भवन निर्माण कर्मकार की देखभाल करता है, तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नाम और संपूर्ण विशिष्टयाँ और उसके द्वारा उस बीमारी के विषय में जिससे वह पीड़ित है, अविलम्ब सूचना मुख्य निरीक्षक को भेजी दी जाती है।

231. प्राथमिक उपचार पेटियाँ - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) प्राथमिक उपचार पेटियों या आलमारियों की पर्याप्त संख्या का भवन निर्माण कर्मकारों का प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रबंध किया जाता है तथा पोषित किए जाते हैं ;

(ख) प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटी या आलमारी स्पष्टतः "प्राथमिक उपचार" चिन्हित की जाती है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची (iii) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित रहती है ;

(ग) प्राथमिक उपचार पेटी या आलमारी में प्राथमिक उपचार के लिए अपेक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाता है ओर ऐसी पेटी या आलमारी को इस प्रकार रखा जाता है ताकि इसकी धूल या अन्य बाह्य पदार्थ के संदूषण से या आर्द्रता के भेदन से संरक्षा की जा सके तथा ऐसी पेटी या आलमारी प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किसी ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाती है जो कार्य करण के घंटों के दौरान सदैव आसानी से उपलब्ध रहता है।

232. आपातकालीन देखभाल सेवाएं या आपातकालीन उपचार - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) निम्नलिखित का नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य जीवन रक्षक सहायक और अपेक्षित साधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं और किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखे जाते हैं -

(i) सिर की क्षति और मेरूदंड की क्षति;

(ii) रक्त बहना;

(iii) अस्थियों और जोड़ो का भंग और विसंधान ;

(iv) कुचलकर क्षति ;

(v) आघत जिसमें विधुत आघात भी सम्मिलित है ;

(vi) किसी भी कारण से निर्जलित होना ;

(vii) सांप का काटना, कीड़े का काटना, बिच्छु और मधुमेक्खी का डंक मारना ;

(viii) जलने जिसमें रासायनिक जलन भी सम्मिलित है ;

(ix) मोड़ या विविध पक्षपात;

(x) अन्य शल्य चिकित्सा संबंधी, स्त्री रोग संबंधी, अवरोधन संबंधी या बाल चिकित्सा संबंधी आपात काल ;

(xi) डूब जाना;

(12) भवन निर्माण कर्मकारों को लू लगना, और पाला मारना।

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) से (xii) में निर्दिष्ट किसी भी आपातकालिक परिस्थिति के लिए आवश्यक जीवन साधन किसी क्षतिग्रस्त या किसी बीमार भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे भवन निर्माण स्थल से किसी अस्पताल तक उसके परिवहन के दौरान और ऐसे अस्पताल में किसी डाक्टर द्वारा ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के देखभाल किए जाने तक उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

(ग) समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन निर्माण स्थल पर विशेष स्थानीय दशाओं और सन्निर्माण कर्मकार प्रक्रियाओं से उद्‌भूत भवन निर्माण कर्मकारों की आपातकालीन देखभाल या उपचार के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपस्कर या सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है।

अध्याय - 25

भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना

233. भारतीय मानक ब्यूरों को सूचना देना-नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) भवन या अन्य सन्निर्माण परियोजन के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त प्रत्येक वास्तुविद और अन्य वृतिक जैसे संरचना इंजीनियर या परियोजना इंजीनियर, भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रिया के संपादन और विचलन या कमी यदि कोई हो तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना जिसके लिए भारतीय मानक पहले से ही उपलब्ध है, के विषय में ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो को देता है ;

(ख) खंड(क) में निर्दिष्ट वास्तुविद और अन्य वृतिक भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रियाओं तथा अन्य ऐसे सन्निर्माण कार्यकलाप जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ भारतीय मानक विद्यमान नहीं है और ऐसी सामग्री, वस्तुओं या प्रक्रियाओं के संपादन के ब्यौरे, भारतीय मानक ब्यूरो के विचार करने और आवश्यक मानक स्थापित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उनके सुधार के लिए सुझावों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को जानकारी देता है।

भाग - 4

काम के घंटे, कल्याण, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि

अध्याय - 26

काम के घंटे, विराम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टी आदि

234. काम के घंटे, विराम अंतराल और विस्तृति आदि :-

(1) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से एक दिन में

नौ घंटे या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से, जब तक वह आधा घंटा से अन्यून का विराम अंतराल नहीं ले लेता है, पाँच घंटे से अधिक के लिए लगातार कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार का कार्यकरण दिन इस प्रकार क्रमाक्रित किया जाएगा कि विराम अंतराल यदि कोई हो, को मिलाकर किसी भी दिन को बारह घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी।

(4) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी दिन को नौ घंटे से अधिक के लिए या किसी सप्ताह में अड़तालिस घंटे से अधिक के लिए कार्य करता है तो वह अतिकालिक कार्य की बाबत मजदूरी की सामान्य दर से दुगनी मजदूरी के लिए हकदार होगा।

235. साप्ताहिक विराम, विराम के दिन पर किए कार्य के लिए अतिकालिक दर पर संदाय :- (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह विराम का एक दिन जिसे इसमें इसके पश्चात् विराम दिन कहा गया है, अनुज्ञात होगा, जो सामान्य रुप से रविवार होगा, किन्तु नियोजक सप्ताह का कोई अन्य दिन विराम दिन के रुप में नियत कर सकता है :

परन्तु यह कि विराम के रुप में नियत किए गए दिन की और ऐसे विराम दिन में कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन की जानकारी ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व इस निमित अधिकारित वाले निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर नियोजन के स्थान में तदर्थ एक सूचना के संप्रदर्शन द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को दे दी जायेगी।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी कर्मकार किसी विराम दिन पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे विराम दिन से ठीक पहले या बाद में पाँच दिन में से एक संपूर्ण दिन के लिए प्रतिस्थापित विराम पहले से नहीं ले लिया गया था या ले लिया जाएगा।

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जो किसी भवन निर्माण कर्मकार का एक संपूर्ण दिन के लिए किसी विराम दिन के बिना लगातार रुप से दस दिन से अधिक के लिए कार्य करने का कारण हो जाता है।

(3) जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार ने किसी विराम दिन पर कार्य किया है और इसे उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथा उपबंधित उस विराम दिन से पूर्व या बाद के पाँच दिनों में से कोई एक प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है, ऐसा विराम दिन कार्य के साप्ताहिक घंटों की गिनती करने के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापित

(4) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर संगणित किसी विराम दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी और यदि उसने किसी विराम दिन के लिए कार्य किया है और कोई प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है, ऐसे विराम दिन के लिए, जिस पर उसने काम किया था उसे अतिकालिक दर पर मजदूरी और ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के लिए मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1:- इस नियम के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी विराम दिन का पूर्ववर्ती यह अंतिम दिन या कोई प्रतिस्थापित विराम दिन जिसको किसी भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था और जहाँ ऐसा प्रतिस्थापित विराम दिन ऐसे विराम दिन के ठीक बाद में पड़ता है ऐसे ''पूर्ववर्ती दिन'' से अभिप्रेत है ऐसे विराम दिन का पूर्ववर्ती ऐसा अंतिम दिन जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था।

स्पष्टीकरण 2:- इस नियम के प्रयोजन के लिए सप्ताह शनिवार रात्रि को मध्यरात्रि पर आरंभ होने वाले सात दिन की कालावधि अभिप्रेत करेगा।

236. रात्रि की पारियाँ :- जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी ऐसी पारी पर कार्य करता है जिसका मध्यरात्रि के पश्चात् विस्तार होता है -

(क) नियम 236 के प्रयोजनों के लिए कोई विराम दिन उस समय से जब ऐसे पारी समाप्त होती है, आरंभ होने वाले लगातार चौबीस घंटे की कालावधि अभिप्रेत करेगा :

(ख) मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे घंटे जिनके दौरान ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया है, पूर्ववर्ती दिन के लिए गिने जाएंगे, और

(ग) अगला दिन ऐसी पारी जब समाप्त होती है, उस समय से आरंभ होने वाले चौबीस घंटे की अवधि समझी जाएगी।

237. भवन निर्माण कर्मकारों के कतिपय वर्गों को इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना :-

(1) अधिनियम की धारा – 28 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) तक के अधीन विनिर्दिष्ट भवन निर्माण कर्मकारों के वर्गों को इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन लागू होंगे , अर्थात् :-

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार विराम अंतराल को मिलाकर एक दिन में पन्द्रह घंटे या एक सप्ताह में साठ घंटे से अनधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा;

परन्तु यह कि नियम 235 की उपनियम (2) में अधिकथित अनुसार लगातार कार्य के प्रत्येक पाँच घंटे के पश्चात् आधा घंटा से अन्यून के विराम अंतराल दिए जाते हैं:

(ख) जब तक ऐसे कर्मकार को विराम के लिए चौबीस घंटे का विराम नहीं दिया जाता है, भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार चौदह लगातार दिन से अनधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) जहाँ भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार की बाबत कार्यकरण घंटे नियम 234 के उपनियम (1) में यथा अधिकथित काम के घंटे से अधिक हो गए हैं या जहाँ ऐसा कर्मकार इस नियम के उपनियम (1) को लागू होने के कारण किसी विराम दिन से वंचित कर दिया गया है, ऐसे कर्मकार को ऐसे दैनिक या साप्ताहिक घंटों के अतिरिक्त किए गए कार्य और ऐसे विराम दिन पर किए गए कार्य की बाबत सामान्य मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा।

अध्याय - 27

सूचनाएं, रजिस्टर, अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

238. मजदूरी कालावधि आदि की सूचना -

(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्य स्थान के सहज दृश्य स्थान पर ऐसे स्थापन में कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी की दरें, उनकी मजदूरी कालावधि, ऐसी मजदूरियों के संदाय, की तारीख, ऐसे स्थापन की अधिकारिता वाले निरीक्षकों के नाम और पते, ऐसे कर्मकारों को असंदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शित करने वाली सूचना, अंग्रेजी, हिन्दी में और ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित करवाएगा।

(2) उपनियम(1) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब भी ऐसी सूचना में अंतर्विष्ट तथ्यों की बाबत कोई परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन ऐसे निरीक्षक को नियोजक द्वारा भेज दिया जाएगा।

239. प्रारंभ और पूरा होने की सूचना-

(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीस दिन पहले ऐसे प्रारंभ वास्तविक तारीख, पूरा होने की अधिसंभाव्य तारीख और ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य की बाबत अधिनियम की धारा-46 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य विशिष्टियों को संसूचित करते हुए इन नियमों से संलग्न प्रपत्र-(iv) में एक लिखित सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजेगा या भेजवाएगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन भेजी गई विशिष्टियों में से किसी में भी कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर अधिकारिता वाले निरीक्षक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(3) उपनियम(1) की कोई भी बात भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे वर्ग को दशा में लागू

ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर अधिकारिता वाले निरीक्षक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(3) उपनियम(1) की कोई भी बात भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे वर्ग की दशा में लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आपातिक कार्य होना विनिर्दिष्ट करती है।

240. भवन निर्माण कर्मकारों के रूप में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर :- प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत जहाँ वह भवन निर्माण कर्मकार नियोजित करता है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र -(xv) में एक रजिस्टर पोषित करेगा।

241. मास्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकालिक रजिस्टर और मजदूरी बहियों और सेवा प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना-(1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कार्य की बाबत जिसपर वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है निम्नलिखित पोषित करेगा-

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-(xvi) और प्रपत्र-(xvii) में क्रमशः एक मास्टर रौल और एक मजदूरी का रजिस्टर:-

परन्तु यह कि इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-(xviii) में मजदूरी सह-मास्टर रौल का एक सम्मिलित रजिस्टर जहाँ ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के लिए मजदूरी कालावधि एक पक्ष या इससे कम है, नियोजक द्वारा पोषित किया जाएगा।

(ख) इन नियमों में उपाबद्ध प्रपत्र-(xix), प्रपत्र-(xx) और प्रपत्र-(xxi) में क्रमशः नुकसानी या हानि के लिए रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर :

(ग) अधिकालिक कार्य, यदि कोई हो के घंटों की संख्या और उसके लिए संदत्त मजदूरी का उसमें अभिलेख रखने के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-(xxii) में अधिकाल का एक रजिस्टर,

(2) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकार को लगाता है:

(क) जहाँ मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या इससे अधिक है, ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र-(xxiii) में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को मजदूरी पुस्तिका जारी करेगा जिसमें उनको मजदूरी के संवितरण से कम से कम एक दिन पूर्व प्रविष्टियाँ की जाएगी :

(ख) ऐसे कार्य के पूर्ण होने के कारण या किसी अन्य कारण से उसकी सेवा की समाप्ति पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियम से उपाबद्ध प्रपत्र-(xxiv) में ऐसा प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को एक सेवा प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ग) ऐसे सभी कर्मकार, जिनका भुगतान पंजी अथवा मास्टर रौल सहभुगतान पंजी में उससे संबंधित प्रविष्टि पर उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा, यथास्थिति ऐसी प्रविष्टियां नियोजक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित की जायेगी।

(3) ऐसे किसी स्थापना की बाबत जिसकी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या ठेका श्रम (विनियमन और प्रतिषेध) अधिनियम, 1970 लागू होते है ऐसे अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोजक द्वार पोषित किए जाने वाले निम्नलिखित अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखों को

(क) मास्टर रोल;

(ख) मजदूरियों का रजिस्टर;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) अतिकाल का रजिस्टर;

(ङ) जुर्मानों का रजिस्टर;

(च) अग्रिमों का रजिस्टर;

(छ) मजदूरी-सह-मास्टर रोल का सम्मिलित रजिस्टर।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्रपत्र के बदले में कोई सम्मिलित या अनुकल्पित प्रपत्र का, किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए कार्य के दोबारा करने से, बचने के लिए किसी नियोजक द्वारा उपयोग किया जाना चाहा जाता है वहाँ ऐसे सम्मिलित या अनुकल्पित प्रपत्र का राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपयोग किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक ऐसे कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थान पर, जहाँ वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है, अधिनियम और इन नियमों के संक्षिप्त सार को अंग्रेजी में और हिन्दी में तथा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जानेवाली किसी भाषा में संप्रदर्शित करेगा।

(6) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित किए जानेवाले अपेक्षित रजिस्टर या अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाता, तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय संबद्ध कार्य स्थान की प्रसीमाओं के भीतर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाता है।

(7) किसी स्थापन से संबंधित रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को, जिनका अधिनियम और इन नियमों के अधीन पोषित किया जाना अपेक्षित है, सुपाठ्य अंग्रेजी में और हिन्दी में या ऐसे स्थापन में नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जानेवाली भाषा में पोषित किया जाएगा।

(8) उपनियम (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्टर या अन्य अभिलेख को उस नियोजक द्वारा, जिससे ऐसा रजिस्टर या अन्य अभिलेख संबंध रखता है, उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में बनाए रखा जाएगा।

(9) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित प्रत्येक रजिस्टर, अभिलेख या सूचना को मांग किए जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य सरकार

द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या संबद्ध नियोजक द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा।

(10) जहाँ किसी मजदूरी कालावधि के दौरान किसी भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा कोई अतिकालिक कार्य संपादित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को अतिकालिक कार्य के लिए संदाय नहीं किया गया है, कि दशा में यथास्थिति प्रपत्र- xix, xx, xxi या xxii में घोषित सुसंगत रजिस्टर में समुचित स्थान पर ऐसी मजदूरी कालावधि के सामने 'शून्य' प्रविष्टि की जाएगी।

242. विवरणियाँ - किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक नियोजक इन नियमों से संलग्न प्रपत्र - xxv दो प्रतियों में ऐसे स्थापन की बाबत एक विवरणी प्राधिकारिता वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अधिकारिता वाले निरीक्षक को एक प्रति के साथ प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि उसके पास प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद पन्द्रह फरवरी तक पहुँच सके।

अध्याय - 28

भवन निर्माण कर्मकारों का कल्याण

243. शौचालय और मूत्रालय सुविधा - यथास्थिति शौचालय या मूत्रालय अधिनियम की धारा - 33 के अधीन उपबंधित की अपेक्षानुसार नीचे यथा विनिर्दिष्ट टाइप के होंगे, अर्थात् -

(क) प्रत्येक शौचालय ढ़का हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा ताकि एकांतता सुनिश्चित कर सके तथा उसमें यथोचित दरवाजा और कसाव होंगे,

(ख)(i) जहाँ पुरुष और महिला दोनों भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते है, वहाँ शौचालयों या मूत्रालयों के प्रत्येक खंड के बाहर की तरफ एक सूचना संप्रदर्शित की जाएगी, उसमें यथास्थिति ''केवल पुरुषों के लिए'' या ''केवल महिलाओं के लिए'' ऐसे कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जानेवाली भाषा में लिखा जाएगा।

(ii) ऐसी सूचना में यथास्थिति पुरुष की या महिला की आकृति भी लगी होगी,

(ग) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय सुविधाजनक रुप से स्थित होगा और सभी समयों पर भवन निर्माण कर्मकारों की पहुँच में होगा,

(घ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय यथोचित रुप से प्रकाशित होगा और सभी समयों पर स्वच्छ तथा स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा,

(ङ) फ्लस सिवेज प्रणाली से संसक्त से भिन्न प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की

अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा,

(च) पानी का नल या किसी अन्य साधन से इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय में या उसके निकट सुविधाजनक रुप से पहुँच सके,

(छ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय की दीवारें, भीतरी छतें और विभाजनों पर चार मास की प्रत्येक अवधि में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा।

(ज) प्रत्येक 25 महिला कर्मकार एवं प्रत्येक 25 पुरुष कर्मकार पर क्रमशः एक-एक शौचालय का प्रावधान किया जायेगा और यही व्यवस्था मूत्रालय पर भी लागू होगी।

244. कैंटीन -

(1) ऐसे प्रत्येक स्थान में जिसमें दो सौ पचास से अन्यून भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित किए जाते हैं, वहाँ ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजक ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए उस नियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति यथोचित कैंटीन का प्रबंध करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में ऐसी कैंटीन का उपयोग करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की सुविधा के लिए पर्याप्त फर्नीचर सहित एक डाइनिंग हाल, एक रसोई कक्ष, पैंट्री और भवन निर्माण कर्मकारों तथा बर्तनों के लिए पृथक रुप से धुलाई के स्थान होंगे।

(3)(i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन जब भी कोई व्यक्ति इसमें पहुँच रखता है सभी समयों पर पर्याप्त रुप से प्रकाशित रहेगी:-

(ii) ऐसी कैंटीन की फर्श चिकनी और अप्रवेश्य सामग्री की बनी होगी तथा ऐसी कैंटीन की भीतरी दीवारों पर कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सफेदी की जाएगी या रंग किया जाएगा:

परन्तु ऐसी कैंटीन की रसोई की ऐसी भीतरी दीवारों पर प्रत्येक तीन मास में एक बार सफेदी की जाएगी।

(4)(i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन की प्रसीमाएं साफ और स्वच्छ हालत में रखी जायेगी:

(ii) ऐसी कैंटीन से अपशिष्ट पानी उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और ऐसी कैंटीन के आस-पास में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा;

(iii) ऐसी कैंटीन से कूड़न के संग्रहण और व्ययन के लिए उपयुक्त इंतजाम किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन का भवन किसी शौचालय या मूत्रालय या धूल, धुआँ या आपत्तिजनक भाप के किसी स्रोत से कम से कम पन्द्रह प्वाइंट दो मीटर की दूरी पर स्थित होगा।

245. कैंटीन में परोसा जाने वाले खाद्य पदार्थ नियम 244 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में परोसे जानेवाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भवन निर्माण कर्मकारों को सामान्य आहारी आदतों के अनुरूपतः होगी।

246. कार्य स्थानों पर चाय और हल्का भोजन का परोसा जाना-ऐसे किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य पर जहाँ कोई कार्य स्थान नियम-244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन से शुन्य प्वाइंट दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थान पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को चाय और हल्का नाश्ता परोसने के लिए ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा इंतजाम किया जाएगा।

247. खाद्य पदार्थ के प्रभार :-

(1) नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन में परोसे गए खाद्य पदार्थ, सुपेय और अन्य चीजों के लिए प्रभार "न लाभ न हानि" पर आधारित होंगे तथा ऐसी वस्तुओं की मूल्य सूची ऐसी कैंटीन में सहज दृश्यतः संप्रदर्शित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य निकालते समय निम्नलिखित को व्यय के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी कैंटीन की भूमि और भवन के लिए किराया;

(ख) भवन और ऐसी कैंटीन में उपलब्ध कराए गए उपस्कर के लिए अवक्षण और अनुरक्षण प्रभार;

(ग) क्रय करने, मरम्मत और उपस्कर जिसके अन्तर्गत फर्निचर, क्राकरी, कटलरी, बर्तन भी है, के स्थान पर दूसरे बदलने की तथा ऐसी कैंटीन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई वर्दी की लागत;

(घ) जल प्रभार और ऐसी कैंटीन की रोशनी और संचालन के लिए उपगत अन्य प्रभार; और

(ङ) ऐसी कैंटीन के लिए फर्निचर और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जाने और उनके अनुरक्षण के लिए खर्च की गई रकम पर ब्याज।

(3) (क) रोकड़ बही एवं पंजियां तथा अन्य कागजात जिनका उपयोग कैंटिन के संचालन में किया गया हो, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर उपस्थापित किये जायेंगे।

(ख) कैंटिन संबंधी लेखा का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार योग्य अंकेक्षण के द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-29

मजदूरी

248. मजदूरी का संदाय- नियोजक भवन या सन्निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर जहाँ ऐसे भवन निर्माण कर्मकार एक हजार से कम नियोजित किए जाते हैं, वहाँ नियोजित किए गए प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी को उस समयावधि, जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेय है, के सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है और अन्य दशाओं

में उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरियाँ संदेय है, के अंतिम दिन के पश्चात दसवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है।

(ख) यदि ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन ऐसे नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, तो ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरियों का संदाय उस दिन से, जिसके ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन समाप्त किया जाता है, द्वितीय कार्यकरण दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है ;

(ग) मजदूरियों के सभी संदाय ऐसे सन्निर्माण स्थल पर और कार्यकरण समय के दौरान और पहले से ही अधिसूचित तारीख को कार्यकरण दिन में किए जाते हैं और यदि कार्य पूरा हो जाता है तो ऐसे समापन के अड़तालीस घंटों के भीतर मजदूरियों का अंतिम संदाय किया जाता है।

249. मजदूरियों के संदाय की तारीख के बारे में मजदूरी की सूचनाओं का प्रदर्शन- नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कालावधि जिसके लिए मजदूरियाँ का संदाय किया जाता हैं ऐसी मजदूरियों के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसी सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों को बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऐसे सन्निर्माण स्थल के सहज दृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है।

भाग - 5

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

अध्याय - 30

250. परिभाषाएँ- इस परिच्छेद में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो। ;-

(क) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जिसका गठन अधि नियम की धारा-18 के अन्तर्गत किया गया हो;

(ख) ''अंशदान''-से अभिप्रेत है, लाभार्थी द्वारा कोष में जमा की जानेवाली राशि;

(ग) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, पति एवं पत्नी एवं भवन कर्मकार का नाबालिग पुत्र एवं अविवाहित पुत्री तथा माता एवं पिता जो उस पर पूर्णतया आश्रित हो;

(घ) ''कोष'' से अभिप्रेत है, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष जिसका गठन बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत किया गया है;

(ङ.) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, बोर्ड का सचिव जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत किया गया हो;

(च) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, लेखा वर्ष।

251. बोर्ड का गठन :

(1) बोर्ड का गठन निम्नवत होगा :-

(i) अध्यक्ष श्रमायुक्त, बिहार वेलफेयरबोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे जिसकी अनुशंसा इस कार्यनिमित गठित एक्सपर्ट कमिटी द्वारा किया गया है;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम पांच व्यक्ति जिसमें एक सदस्य महिला होंगी;

(iv) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में लगे हुये अधिकतम पांच नियोजक प्रतिनिधि जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी;

(v) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम पांच सदस्य जिसमें एक अभियंता प्रमुख लोक निर्माण विभाग (भवन), एक प्रतिनिधि वित्त विभाग के, एक प्रतिनिधि विधि विभाग से एवं दो प्रतिनिधि श्रम विभाग के होंगे। जिसमें एक श्रमपक्ष सामान्य एवं एक श्रमपक्ष तकनिकी से होंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत खण्ड- (iii), (iv) एवं (v) के अधीन नामित सदस्यों की संख्या बराबर होगी।

(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति के तिथि से तीन वर्ष के लिये होगी,

वशर्ते कि सदस्य तबतक रह सकते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो।

वशर्ते कि किसी भी स्थिति में सदस्य उनकी नियुक्ति के 4 वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रहेंगे।

252. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना :- जो सदस्य आकस्मिक रिक्ति को भरने कि लिये नामित किये जायेंगे, वे उस सदस्य के शेष बची हुई अवधि के लिये सदस्यता धारित करेंगे जिनके स्थान पर उनको नामित किया गया हो।

253. बोर्ड की बैठक:- बोर्ड की बैठक सामान्यतया तीन माह में एक बार होगी:

परन्तु यह कि अगर अध्यक्ष को पन्द्रह दिन पूर्व इस तरह की अधियाचना एक तिहाई सदस्यों से प्राप्त हो तो वे विशेष बैठक बुला सकते हैं।

254. बैठक की सूचना एवं कार्यावली:- प्रत्येक बैठक की तिथि, समय एवं स्थान एवं कार्यावली निबंधित डाक से अथवा विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक के पन्द्रह दिन पूर्व भेजा जायेगा:

परन्तु यह कि अगर अध्यक्ष द्वारा किसी मुद्दे पर विचार करने हेतु जो उनके मत से अत्यावश्यक हो, तीन दिनों पूर्व की सूचना पर्याप्त होगी।

255. अध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता करना:-

(1) अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक जिसमें वे उपस्थित होंगे, अध्यक्षता किया जायेगा और अगर किसी कारणवश अध्यक्ष किसी कारण से बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा नामित सदस्य द्वारा की जाएगी।

(2) अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हों और उनके द्वारा किसी सदस्य को उनके द्वारा उपनियम (1) के तहत नामित नहीं किया गया हो तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिये चुनेंगे और इस तरह चुना गया सदस्य अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग बैठक की संचालन के लिये करेंगे।

(3) किसी भी बैठक में तबतक कोई कार्य संचालित नहीं होगा,

जब तक कि छः सदस्य उपस्थित नहीं हो जिसमें एक को नियम 251 के उपनियम (1) के खंड के तहत नामित किया गया हो।

256. राज्य से बाहर रहने पर :- अगर कोई सदस्य राज्य से कम से कम छह: माह बिना अध्यक्ष को किसी सूचना दिये बाहर रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने त्याग पत्र दे दिया है।

257. कार्यों का निपटारा :- बोर्ड में लिया गया कोई निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और अगर किसी मामले में मत बराबर हो तो अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जायेगा।

258. बैठक की कार्यवृत :- बोर्ड की बैठक में लिये गये सभी निर्णय उसी बैठक में कार्यावली पंजी में दर्ज किया जायेगा एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यावली पंजी स्थायी अभिलेख होगा।

259. शुल्क एवं भत्ता :- (1) बोर्ड के प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु एक सौ रूपये अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) बोर्ड के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान सरकार के कोटि-1 के पदाधिकारियों को दिये जाने वाले दर से देय होगा।

(3) सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता बोर्ड द्वारा उन्हें अनुमान्य नियम के आलोक में सरकारी कार्य हेतु किये गये दर से भुगतेय होगा।

260. जिला एवं अंचल कार्यालय खोलना :- अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं को लागु करने के उद्देश्य से सरकार की अनुमति प्राप्त कर जिला एवं अंचल स्तर का कार्यालय जहाँ यह आवश्यक एवं उपयुक्त समझे, खोलेगी।

261. बोर्ड की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कार्य :-

बोर्ड निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) कोष के प्रशासन से जुड़े सभी मामले,

(ख) कोष के लेखा में जमा की जानेवाली राशि के लिये नीतियों का निर्धारण करना;

(ग) स्वीकृति के लिये सरकार को वार्षिक बजट का उपस्थापन;

(घ) वार्षिक रिपोर्ट को सरकार के समक्ष उपस्थापित करना जो बोर्ड के क्रियाकलाप होंगे;

(ङ) लेखा का उचित संधारण;

(च) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बोर्ड के लेखा का वार्षिक अंकेक्षण;

(छ) कोष में अंशदान एवं अन्य व्ययों को इकट्ठा करना;

(ज) बोर्ड की तरफ से अभियोग पत्र दायर करना;

(झ) दावों का त्वरित निष्पादन एवं अग्रिमों एवं अन्य लाभों का स्वीकृति;

(ञ) बोर्ड को बकाये किसी भी राशि की उचित एवं समय पर वसूली;

इस प्रकार के मामले में बोर्ड सरकार को सूचनायें देगा, क्योंकि सरकार समय-समय पर इसका हवाला दे सकती है।

(ट) उन सभी मामलों, जिसकी अपेक्षा सरकार करती है बोर्ड समय-समय पर सम्बन्धित सूचना सरकार को प्रेषित करेगा।

262. बोर्ड का सचिव :- (1) बोर्ड का सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(2) अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव बोर्ड के बैठक की सूचना जारी करेगा और कार्यवाही के रिकॉर्ड को रखेगा और बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा।

263. सचिव एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति :- (1) सरकार की पूर्व सहमति से बोर्ड सरकार के किसी अधिकारी को जो बिहार के श्रम विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त के स्तर के नीचे का न हो, बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) बोर्ड, सरकार की पूर्व सहमति से नियुक्त कर सकती है।

(i) आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को जो श्रम विभाग बिहार में सहायक श्रमायुक्त के स्तर के नीचे का न हो।

(ii) आवश्यकतानुसार सरकार में किसी भी अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारी, जिसे यह बोर्ड के कार्यों में सहायता प्रदान करने एवं प्रभावी कार्य निष्पादन के लिये आवश्यक समझता हो।

264. सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ:-

(1) बोर्ड का सचिव, बिना बोर्ड को भेजे आपूर्ति एवं सेवाओं, सामग्रियों की खरीद में हुए आकस्मिक व्यय तथा कोष से निकासी/वापसी के मामलों में, उस सीमा के अधीन स्वीकृति दे सकेगा, जिसके लिए समय-समय पर एक वस्तु के लिए व्यय की स्वीकृति हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(2) ऊपर में दिये गये उपनियम (1) के अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया गया है।

(3) समय-समय पर बोर्ड इस प्रकार की परिस्थितियों के अधीन जो यह उचित समझता हो, अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का अपने नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत अन्य पदाधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यकलाप के लिये आवश्यक सीमा तक प्रत्यायोजन कर सकता है।

265. बिहार भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष :-

(1) बोर्ड को इस नियमावली के अस्तित्व में आने के पश्चात् बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण कोष की स्थापना इस अधिनियम एवं नियमावली के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार कर देना चाहिये।

(2) कोष उसी में निहित होगा तथा बोर्ड द्वारा प्रशासित होगा।

(3) कोष का वित्त पोषण होगा :-

(क) अनुदान अथवा ऋण अथवा अग्रिम यदि कोई हो जो भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकार से होगा;

(ख) इन नियमों के तहत लाभार्थियों द्वारा दिया जानेवाला अंशदान;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्य श्रोतों से प्राप्त राशि ।

266. सदस्यता :- प्रत्येक भवन कर्मकार जो 18 वर्ष की आयु का हो, किन्तु 60 वर्ष पूरे न किये हो और जो किसी अन्य कल्याण-कोष का जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्थापित हो-का सदस्य न हो, और जिसने भवन-कारगार के रूप में 90 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिए हो, वह उसके बाद के वर्ष में कोष में सदस्यता का अधिकारी होगा।

(2) उम्र को प्रमाणित करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र दाखिल करेंगे :-

(i) स्कूल पंजी के आधार पर; अथवा

(ii) जन्म एवं मृत्यु निबंधक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र; अथवा

(iii) किसी भी प्रमाण-पत्र के न होने पर, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र, जो कि सरकारी सेवा में सहायक सिविल सर्जन के नीचे के स्तर का न हो।

(3) नियोक्ता अथवा संवेदक (ठेकेदार) द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र कि आवेदक भवन- कर्मकार है, को निबंधन के लिये प्रयुक्त आवेदन-पत्र (प्रपत्र-XLi) में जमा करना होगा। यदि इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो किसी निबंधित भवन-निर्माण मजदूर संघ अथवा सहायक श्रमायुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अथवा उपश्रमायुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जो कि उसी क्षेत्र का हो, पर भी विचार किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक भवन-कर्मकार जो इस कोष का लाभार्थी बनने के योग्य है, उसे प्रपत्र- xxvii को सचिव को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जमा करना होगा। इस प्रकार का प्रत्येक आवेदन इस नियम में वर्णित कागजातों से युक्त होना चाहिये तथा 20/- रू० के निबंधन शुल्क के साथ होना चाहिये।

(5) जहाँ सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यदि संतुष्ट है कि आवेदक सभी शर्तों को पूरा करता है, तो ऐसे भवन-कामगार को सदस्य के रूप में निबंधित कर लिया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर उपनियम-5 के तहत लिये गये निर्णयों के विरोध में बोर्ड को अपील कर सकता है और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(7) भवन कर्मकार प्रपत्र- xxviii में नामांकन भी दाखिल करेगा। नामांकन को उसके पति/पत्नी के नाम पर पुनरीक्षित किया जा सकता है, यदि वह विवाहित हो अथवा परिवार में किसी कानूनी स्थिति परिवर्तन होने की स्थिति में भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

(8) सचिव अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी प्रत्येक लाभार्थी को उसके फोटो सहित परिचय-पत्र जो प्रपत्र-xxxii में दिया गया हो, जारी करेगा और प्रपत्र- xxxiii में संशोधित पंजी में इसकी विवरणी रखेगा।

267. कोष में अंशदान :- (1) कोष का लाभार्थी कोष में प्रतिमाह 20/- (बीस रूपये) की राशि जमा करेगा। यह अंशदान राशि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी बैंक में अग्रिम के रूप में तीन महीने में एक बार जमा की जाएगी जिस क्षेत्र में सदस्य रहता हो।

(2) यदि लाभार्थी के अंशदान के भुगतान में लगातार एक वर्ष टूट होगी तो वह कोष का लाभार्थी बनने से वंचित हो जाएगा।यदि सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से उसकी सदस्यता पुर्नजीवित किया जा सकता है, जब वह बकाये अंशदान राशि 2/- रू0 दंड प्रति माह की दर

से जमा कर दे बशर्ते कि इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

268.(1) रिटर्न फाइल करने हेतु नियोजक के दायित्व:- प्रत्येक नियोजक द्वारा इस नियम के लागू होने के 15 दिनों के भीतर सचिव को एकमुश्त रिटर्न प्रेषित करना होगा, जिसमें भवन/पंजीयन के लिये योग्य कर्मकार का विवरण, उनके मूल वेतन, भत्ते और मुफ्त खाना आदि पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो, तो उस विवरण का उल्लेख होगा।

(2) प्रत्येक नियोजक को माह के 15वें दिन से पहले सचिव या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को प्रपत्र-xxx में रिटर्न भरना होगा जिसमें पंजीयन के लिये योग्य कर्मकार का विस्तृत विवरण हो इसमें वैसे कर्मकार भी शामिल होंगे जिन्होंने एक माह पूर्व काम छोड़ दिया हो।

(3) प्रत्येक नियोजक सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को इस संबंध में प्रपत्र-xxxi में दिये गये विवरण, जिसमें शाखायें निदेशकों, प्रबंधकों, दखलकर्त्ताओं, साझाकर्त्ता व्यक्ति/व्यक्तिओं जिनका इस मामले में इस संस्था में अंतिम नियंत्रण हो, उपस्थित करेगा।

269. अभिलेख तथा पंजियों का संधारण एवं प्रस्तुतीकरण :-

(1) प्रत्येक नियोजक द्वारा भवन कर्मकारों के विवरण को दर्शाते हुए एक पंजी का संधारण करना होगा, और साथ ही अंशदान से संबंधी, एक ऐसा रजिस्टर जो कि सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निदेशित हो।

(2) जब भी सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी अधिकारी किसी नियोजक को व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित मंतव्य हेतु भवन कर्मकार के संबंध में अभिलेख को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करता है तो संबद्धित अधिकारी को निर्धारित समय पर इस प्रकार का अभिलेख मुहैया कराया जाय और यदि अभिलेख की वापसी नहीं की जाती है, तो रखे गये अभिलेख के लिये उसे के द्वारा एक रसीद जारी किया जाएगा।

270. किसी भी विद्यमान कोष में एकत्रित राशि का स्थानान्तरण - (1) यदि एक कर्मकार जो इस कोष का सदस्य बनता है, तो संबद्धित प्राधिकार इस प्रकार की जमा राशि को उस सदस्य के नाम से इस कोष में जमा कर देगा।

(2) कल्याण कोष प्राधिकार द्वारा सचिव को अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को प्रत्येक सदस्य के खाते में स्थानान्तरण की तिथि को एकत्रित राशि एवं किसी सदस्य द्वारा ली गई अग्रिम को दर्शाता हुआ विवरण, उपनियम-(1) के अन्तर्गत उपस्थापित करना होगा।

271. मेटरनिटी (मातृत्व) लाभ : ऐसी सभी महिला कर्मचारी, जो इस कोष के लाभार्थी है, प्रत्येक को 1000/- रू0 की राशि मातृत्व-लाभ के तहत उस अवधि के दौरान प्रपत्र-xxxiv में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर देय होगा, यदि इस लाभ के लिये विनिर्दिष्ट अन्य कागजातों के साथ समर्पित किए गये हो। इस प्रकार का लाभ दो बार से ज्यादा अनुमान्य नहीं होगा।

272. पेंशन के लिए अर्हताएं :- इस कोष के ऐसे सदस्य, जो इन नियमों के प्रभावी होने के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि (भवन कर्मकार के रूप में) पूरा कर चुके हों, वो 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद, पेंशन के हकदार हो जाएंगे। पेंशन की राशि 60 वर्ष उम्र के पूरा होने के पश्चात की तिथि से ही देय होगा।

273. पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया :-

(1) पेंशन के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र- xxxv में बोर्ड के सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) यदि बोर्ड के सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के मत में आवेदक पेंशन के लिए योग्य है तो वह पेंशन को स्वीकृति देगा और आवेदक को पेंशन की स्वीकृति का आदेश भेजेगा। शर्त यह होगा कि कोई भी आवेदन पर बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) यदि ऐसा पाया जाता है कि आवेदक पेंशन के योग्य नहीं है, तो आवेदन को अस्वीकृत कर आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

(4) आवेदक आदेश प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के अन्दर उप नियम (3) के तहत लिए गए निर्णयों के विरोध में बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है। बोर्ड पर्याप्त कारणों से लिखित रूप में अपील दाखिल करने में विलम्ब को एक वर्ष तक क्षान्त प्राप्त कर सकता है।

(5) पेंशन की राशि 150/- रु० प्रति माह होगी। 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक वर्ष पर 10/- रु० की राशि वृद्धि की जाएगी। बोर्ड सरकार की पूर्व अनुमति से पेंशन को क्षान्त कर सकती है।

(6) पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा प्रपत्र-xxxvi में एक पंजिका (रजिस्टर) का संधारण किया जाएगा।

274. मकान क्रय अथवा निर्माण के लिए अग्रिम :-

(1) बोर्ड सदस्य के आवेदन पर अग्रिम के रूप में मकान की खरीद अथवा निर्माण के लिए 50,000/- रु० तक की राशि की स्वीकृति कर सकता है। लाभार्थी द्वारा प्रपत्र-xxix में आवेदन के साथ इस प्रकार के कागजात जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो, प्रस्तुत किए जाएँगे।

(2) उप-नियम (1) के तहत उन्हें, जिनकी लगातार पाँच वर्षों तक कोष में सदस्यता नहीं है तथा जिनकी 15 वर्षों तक सेवा बाँकी नहीं है, उन्हें अग्रिम की राशि स्वीकृत नहीं होगी।

(3) अग्रिम की निकासी की तिथि से 6 महीने के अन्दर बोर्ड के सचिव को भवन पूरा किए जाने का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई राशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किश्तों में किया जायेगा।

275. विकलांगता पेंशन :-

(1) बोर्ड ऐसे लाभार्थी को जो लकवा, कोढ़, टीबी, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो, 150/- रु० की राशि प्रतिमाह विकलांगता पेंशन के रूप में स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह 5000/- रु० तक की अनुदान राशि प्राप्त करने के भी हकदार होगा जो कि इसकी विकलांगता की प्रतिशतता के ऊपर निर्भर करेगा अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा।

(2) विकलांगता पेंशन और अनुदान राशि का उप-नियम (1) के तहत भुगतान किए जाने से संबंधित

आवेदन प्रपत्र-xxxix में किए जाएंगे जो कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्रों एवं कागजातों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

276. औजार खरीदने हेतु ऋण :- कोष के सदस्य को औजार खरीदने के लिए 5000/ रु0 की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है, जो कोष की सदस्यता के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और वे, जो नियमित रूप से सहयोग राशि देते रहें है, वे ही इस ऋण के लिए योग्य होंगे। लाभार्थी की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण की राशि की वसूली अधिकतम 60 किश्तों में की जाएगी। इस ऋण हेतु प्रपत्र- XL में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कागजातों सहित आवेदन किया जा सकता है।

277. दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता :- दाह संस्कार के लिए बोर्ड 1000/- रु0 की राशि मृतक के नामित/आश्रित व्यक्ति को स्वीकृत कर सकती है। इस लाभ हेतु प्रपत्र- XLII में आवेदन किया जा सकता है।

278. मृत्यु लाभ का भुगतान :-

(1) मृत्यु लाभ के रूप में बोर्ड सदस्य द्वारा नामित/आश्रित किसी व्यक्ति को 15000/- रु0 की राशि स्वीकृत कर सकती है। यदि उसकी मृत्यु रोजगार के दौरान दुर्घटना द्वारा हुई हो तो उस सदस्य द्वारा नामित/आश्रित व्यक्ति को 50,000/- रु0 की राशि मृत्यु लाभ के रूप में अदा की जाएगी।

(2) मृत्यु-लाभ के लिए आवेदन :-

(i) इन नियम के तहत वह नामित व्यक्ति जो मृत्यु लाभ का अधिकारी है वह प्रपत्र-xxxvii में सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। इस संबंध में सरकारी डाक्टर, जो सहायक सिविल सर्जन से नीचे दर्जे का नहीं हो, द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र को आवेदन एवं बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कागजातों के साथ संलग्न करना होगा;

(ii) यदि सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की योग्यता के संबंध में जांच करवा सकते हैं। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन लिए हुए आवेदक से संतुष्ट हैं और उसे आर्थिक सहायता के लिए योग्य समझते है, तो वे उस राशि को स्वीकृत कर सकते हैं;

(iii) यदि सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दिए हुए आवेदक से संतुष्ट हैं और उसे आर्थिक सहायता के लिए योग्य समझते हैं, तो वे उस राशि को स्वीकृत कर सकते हैं;

(iv) स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी को प्रपत्र- xxxviii में इसके लिए इस पंजिका (रजिस्टर) का संधारण करना होगा;

(v) उप-नियम (iii) के तहत लिए गए निर्णय से यदि कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, तो वह बोर्ड के समक्ष आदेश प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर (उस उप नियम के तहत) अपील कर सकता है और ऐसी स्थिति में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

279. नकद पुरस्कार :- बोर्ड प्रत्येक वर्ष (प्रत्येक जिला में) तीन पुरुष एवं तीन महिला लाभार्थी के बच्चों को 1000/- रु0, 750/- रु0 तथा 500/- रु0 की नकद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान कर सकता है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अधिकतम अंक प्राप्त करने के आधार पर देय होगा। प्रपत्र-XLIII में आवेदन इस प्रकार के कागजात सहित बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए हुए नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

280. शैक्षणिक संस्थायें :- बोर्ड लाभार्थियों के बच्चों को रोजगारोन्मुख तकनिकी शिक्षा मुहैया कराने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं खोल सकती है।

281. लाभार्थियों की चिकित्सा सहायता :- बोर्ड लाभार्थियों को, जो दुर्घटना अथवा अन्य किसी रोग से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में पांच या पांच से ज्यादा दिनों तक भर्ती हों, उन्हें वित्तीय सहायता की स्वीकृति दे सकता है।

वित्तीय सहायता प्रथम पांच दिन के लिए 200/- रु0 का होगा तथा शेष दिनों के लिए 20/- रु0 की दर से होगा जो अधिकतम 1000/- का होगा। यह सहयोग की राशि उस लाभार्थी को भी दी जाएगी जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा प्लास्टर सहित घर में रहता है। यदि दुर्घटना के कारण वह अपंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह कामगार 5000/- रु0 तक की राशि पाने का हकदार होगा, जो कि विकलांगता की प्रतिशतता पर निर्भर करेगा। प्रपत्र-XLIV एवं प्रपत्र-XLIV (क) में आवेदन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय में आवश्यक अनुलग्नक सहित जमा किया जाएगा।

282. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता :- बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्य कर्मों के लिए सदस्यों के बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र- XLV में निर्धारित समय पर आवश्यक अनुलग्नक के साथ आवेदन करना होगा।

283. विवाह के लिए वित्तीय सहायता :- ऐसे भवन कर्मकार जिनके पास तीन वर्षों की लगातार सदस्यता है वे 2000/- रु0 तक की सहायता राशि अपने बच्चों के लिए प्राप्त कर सकते है। इस कोष की महिला सदस्या भी स्वयं अपनी शादी के लिए इस सहायता की हकदार है। यह सहायता लाभार्थी के दो बच्चों के लिए विवाह के लिए ही सीमित है। इसके लिए प्रपत्र-XLVI में एक आवेदन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में आवश्यक कागजातों के साथ जमा किया जाएगा।

284. परिवार पेंशन:- पेंशनधारी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन जीवित पति/पत्नी को दिया जाएगा। पेंशन की राशि पेंशनधारी की प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत या 100/- रु0 में, जो भी अधिक हो, होगी। प्रपत्र- XLVII में आवेदन पत्र पेंशनधारी की मृत्यु की तिथि से तीन महीने के अन्दर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कागजों के साथ जमा करना होगा।

285. अग्रिम एवं ऋण की वसूली:- बोर्ड को ऋण एवं अग्रिम की वसूली की शर्तों को सुनिश्चित करने का अधिकार होगा।

286. मृतक सदस्य के अंशदान की राशि की वापसी:-

(1) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके खाता में जमा अंशदान की राशि को उसके द्वारा नामित व्यक्ति

को दिया जाएगा। नामित व्यक्ति के अभाव में राशि का भुगतान वैध उत्तराधिकारियों के बीच में समान रूप से कर दिया जाएगा।

(2) मृत्यु लाभ एवं दुर्घटना के लिए चिकित्सा सहायता को छोड़कर इन नियमों के तहत सारे वित्तीय लाभ एक व्यक्ति को कोष का सदस्य बनने के एक वर्ष के बाद से ही भुगतान करने योग्य होगी।

287. जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम अदायगी के लिए निकासी :-

(1) कोष के सदस्य के खाता में जमा राशि से जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की अदायगी के लिए राशि की स्वीकृति की जा सकती है। इसके लिए राशि की निकासी की अनुमति एक वर्ष में एक बार से ज्यादा नहीं होगी।

(2) पॉलिसी का पूर्ण विवरण बोर्ड के सचिव को इस प्रकार के प्रपत्र में, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, प्रस्तुत करना होगा।

(3) वास्तविक रूप से प्रीमियम जमा करने की अपेक्षित राशि सदस्य के खाता में जमा राशि से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

288. पॉलिसी को कोष को सौंपा जाना:-

(1) राशि की निकासी के 6 महीने के भीतर पॉलिसी को बोर्ड के सचिव को सौंप दिया जाएगा, जो कि निकाली गई राशि को सिक्योरिटी के रूप में होगा।

(2) पुरानी पॉलिसी के प्रीमियम की अदायगी के लिए राशि की निकासी के लिए उचित स्वीकृति के लिए बोर्ड का सचिव भारतीय जीवन बीमा निगम से आश्वस्त होगा कि पॉलिसी किसी भी भारदेन मुक्त है अथवा नहीं।

(3) किसी पॉलिसी का अन्य पॉलिसी में स्थानांतरण संबंधी फेरबदल बोर्ड के सचिव की पूर्व अनुमति के बगैर संभव नहीं होगा और पॉलिसी में परिवर्तन से संबंधित विवरण अथवा किसी अन्य नये पॉलिसी में स्थानांतरण को बोर्ड के सचिव के समक्ष इस प्रकार के प्रपत्र में, जैसा कि निर्धारित है, समर्पित करना होगा।

(4) यदि पॉलिसी को बोर्ड को सौंपा नहीं गया है तो ऐसी स्थिति में सदस्य को उस कोष से निकासी की गई राशि को अविलम्ब उस ब्याज सहित, जो बोर्ड द्वारा सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया है, जमा करना होगा।

289. पॉलिसी को वापस लौटाया जाना:- बोर्ड द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में पॉलिसी को लौटा दिया जाएगा:-

(1) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा से अलग होने पर;

(2) शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता के कारण हमेशा के लिए सेवा से अलग होने पर;

(3) सेवा छोड़ने से पहले सदस्य की मृत्यु होने पर;

(4) यदि सेवा छोड़ने के पहले पॉलिसी परिपक्व हो जाय या किसी अन्य परिस्थिति में, यदि धारक भुगतान पाने का हकदार हो जाय।

290. लेखा:-

(1) प्रशासनिक व्यय को छोड़कर शेष सभी ब्याज, किराया एवं अन्य आय तथ निवेश पर यदि कोई मुनाफा या घाटा हो, उसका डेबिट एवं क्रेडिट, जो भी उसे उस खाते में जिसे "इन्ट्रेस्ट सस्पेंसेस खाता" कहा जाएगा, कर दिया जाएगा।

(2) बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष में मार्च के 15 तारीख अथवा अन्य किसी दिन तक जिसे सरकार निर्दिष्ट करती है, तक सरकार को एक वार्षिक ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा जिसमें कोष की सम्पत्ति का वर्गीकृत विवरणी में उल्लेख होगा।

291. राशि का निवेश:- कोष का सभी धन इंडिया ट्रस्ट अधिनियम 1882 (1882 के केन्द्रीय अधिनियम 2) के भाग 20 की धारा (क) से (घ) के तहत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।

292. कोष का उपयोग:-

(1) बिना सरकार की पूर्वानुमति के कोष का व्यय किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जायेगा जो अधिनियम एवं नियमावली में विनिर्दिष्ट नहीं हो;

(2) कोष के प्रशासन के लिए सभी व्यय, शुल्क एवं भत्ते बोर्ड के पदाधिकारियों का वेतन, अवकाश का वेतन कार्यभार ग्रहण करनेके समय का वेतन, यात्रा-भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, चार्ज भत्ता, पेंशन, अंशदान राशि और व्यक्तिगत व्यय के अन्य लाभ, जो कि बोर्ड की आवश्यकता के अनुरूप हो, और स्टेशनरी व्यय आदि की पूर्ति कोष के प्रशासनिक खाता से की जाएगी;

(3) कोष के प्रशासन के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि ऋण के बतौर होगी जिसकी अदायगी प्रशासन लेखा से की जाएगी।

293. बोर्ड के कार्यकलाप से संबंधित रिपोर्ट:-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्य कलाप पर एक रिपोर्ट अगले वर्ष जून माह के 15 तारीख तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जुलाई के 31 तारीख तक सरकार को जमा कर दिया जाएगा।

294. पंजियों एवं प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण:-सरकार के अनुमोदन के पश्चात् बोर्ड के सचिव द्वारा किसी नियोजक अथवा कोष के सदस्य द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक शुल्क जमा करने के पश्चात् कोष से संबंधित अभिलेख अथवा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि निर्गत की जा सकती है।

295. बकाये (एरियर्स) की वसूली:-किसी नियोजक अथवा किसी सदस्य का यदि कोई बकाया है, तो बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी इस संबंध में बकाए की राशि सुनिश्चित हो जाने के बाद बकाये की राशि का एक प्रमाण पत्र संबंद्ध जिला के जिला पदाधिकारी को जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जिला का जिला पदाधिकारी उसी प्रकार से इस राशि की वसूली करेगा जैसा कि भुराजस्वकी वसूली की जाती है।

296. संविदा का कार्यान्वयन:- सभी आदेश एवं साधन बोर्ड के नाम से जाने जाएँगे एवं क्रियान्वित किए जाएँगे और बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से इसकी प्रमाणिकता तय की जाएगी।

भाग-6

प्रकीर्ण उपबंध

अध्याय-31

मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की शक्तियाँ

297. विशेषज्ञ या अभिकरण रखने की शक्ति:-

(1) मुख्य निरीक्षक, जैसा आवश्यक समझें, सिविल इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, स्थापत्य इंजीनियरिंग तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को अन्य शाखाओं से किसी निरीक्षण, अन्वेषण या किसी दुर्घटना या किसी खतरनाक घटना या अन्यथा के कारण, करने के संचालन के प्रयोजन के लिए, जब भी अपेक्षित हो, विशेषज्ञ या अभिकरण रख सकेगा।

(2) उप नियम (1)में निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास-

(क)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में डिग्री होगी;

(ख)सुसंगत क्षेत्र में दस साल से अन्यून का कार्यकरण का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आर पर्यावरण के क्षेत्र में होगा।

(3) उपनियम (1)में निर्दिष्ट अभिकरण सुसंगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी और सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर उपनियम (1)में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों सुसंगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी अभिकरणों का पैनल तैयार कर सकेगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजिनियर या विशेषज्ञ या अभिकरण को ऐसे यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उसे उसके संगठन द्वारा अनुज्ञात है, जहां वह नियोजित है या ऐसा यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(6) उपनियम(5)में निर्दिष्ट किसी इंजीनियर या वास्तुविद या अभिकरण को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के साथ-साथ उनको समय-समय पर ऐसी दरों पर मानदेय का भी संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करती है।

298. निरीक्षकों की शक्तियाँ:-

(1) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर-

(i) ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले ऐसे सन्निर्माण

स्थल या स्थान या परिसर का परीक्षण कर सकेगा;

(ii) किसी व्यक्ति की ऐसी साक्ष्य घटना स्थल पर या अन्यथा ले ले सकेगा, जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध किसी परीक्षण या जाँच के प्रयोजन लिए आवश्यक समझता है;

परन्तु ऐसे व्यक्ति को किसी प्रश्न के जवाब के लिए या उस अपराध में फसाने के लिए उन्मुख किसी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा;

(iii) फोटोचित्र, वीडियो फिल्म्स, सेम्पल वजन या माप या अभिलेख ले सकेगा या ऐसे रेखाचित्र बना सकेगा जो इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जाँच के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझता है;

(iv) किसी ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जाँच कर सकेगा जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि वह ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध या आनुषंगिक किसी सक्रिया का परिणाम था या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन का परिणाम था।

(2) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम या नियमों के अधीन उपबंधित भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के विषय में नियोजकों को कारण बताओ सूचना या चेतावनी जारी कर सकेगा।

(3) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई परिवाद या अन्य कार्यवाही दाखिल कर सकेगा।

(4) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी ठेकेदार या नियोजक को भवन निर्माण कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षा करवाने के लिए निदेश दे सकेगा।

(5) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति वाले यथास्थिति किसी व्यक्ति या ऐसे सन्निर्माण स्थल के नियोजक, परियोजना प्रभारी या स्थल प्रभारी से ऐसे साधन या सहायता उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) या ऐसे सन्निर्माण स्थल या परियोजना से संबंधित इस नियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे निरीक्षक द्वारा प्रवेश निरीक्षण, परीक्षण या जाँच के लिए अपेक्षित है।

299. प्रतिषेध आदेश–

(1) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे स्थल या स्थान जिस पर कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है जो ऐसी हालत में है कि भवन कर्मकारों या आम जनता के जीवन,

सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो वह लिखित में भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजक पर या उस स्थापन के स्वामी पर या उस स्थल या स्थान के प्रभारी व्यक्ति पर ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या निर्माण कार्य को प्रतिसिद्ध करते हुए आदेश तामील कर सकेगा जब तक कि उस समाधानपूर्ण रूप में खतरे के कारण को दूर करने के लिए उपाय नहीं कर लिए जाते है।

(2) उपनियम (1)के अधीन आदेश तामील करने वाला निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक के एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(3) ऐसे प्रतिबंध आदेश का नियोजक द्वारा तुरन्त पालन किया जाएगा।

(4) उपनियम (1)के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यथित उस तारीख से, जिसको उसे ऐसा आदेश संसूचित किया जाता है, 15 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को या जहाँ ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक द्वारा है, वहाँ सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना को अपील कर सकेगा और यथास्थिति सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना या मुख्य निरीक्षक अपिल को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से अपील का निष्पादन करेगा:

परन्तु यथास्थिति सचिव, श्रम विभाग, बिहार या मुख्य निरीक्षक का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपिलार्थी द्वारा समय के भीतर अपील दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह 15 दिन की उक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रतिषेध का सचिव, श्रम विभाग, बिहार या मुख्य निरीक्षक के विनिश्चय तक पालन किया जाएगा।

अनुसूची-i

[नियम 56 (क), नियम 71 (क)और नियम 72), देखें]

उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर और तार रज्जु के प्रथम उपायों हेतु किए जाने वाली जाँच और परीक्षण की रीति।

जाँच भार:

(1)उत्थापक साधित्र:

प्रत्येक उत्थापक साधित्र इसके उपसाधन गियर के साथ, ऐसे जाँच भार के अध्यधीन रखा जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार (नि0 का0 भा0) से इस प्रकार अधिक होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट है:-

सारणी

निरापद कार्यकरण भार	जाँच भार
20 टन तक	निरापद कार्यकरण भार से 25 प्रतिशत अधिक

20 से 50 टन	निरापद कार्यकरण भार से 5 प्रतिशत अधिक
50 से अधिक	निरापद कार्यकरण भार से 10 प्रतिशत अधिक

(2)वियोजित गियर:

(क)प्रत्येक रिंग, हुक, चैन, शैक्ल, सिवर्वल, आई-बोल्ट प्लेट क्लेम्प, त्रिभुजाकार प्लेट अथवा घिरनी खंड (सिवाय एकल शीव खंड के) ऐसे जाँच भार के अध्यधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा:

सारणी

निरापद कार्य करण भार (टनों में)	जाँच भार (टनों में)
25 तक	2 X निरापद कार्यकरण भार
25 से ऊपर	(1.22 X निरापद कार्यकरण भार) + 20

(ख) एकल शीव खंड के मामले में निरापद कार्यकरण भार ऐसा अधिकतम भार होगा जिसे खंड, जब इसे शीर्ष फिटिंग द्वारा लटकाया गया हो और भार उस रज्जु से जोड़ा गया हो जो खंड की शीव के चारों ओर लिपटी है, सुरक्षित रूप से उठा सकता है और प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार के चार गुणा से कम कार्य भार खंड के शीर्ष पर नहीं लगाया जाएगा।

(ग)बहु शीव खंड के मामले में, जाँच भार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा:

सारणी

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जाँच भार (टनों में)
25 तक	2 X निरापद कार्यकरण भार
25 से 160	(0.9933 X निरापद कार्यकरण भार) + 27

160 से ऊपर	1.1 x निरापद कार्यकरण भार

(घ) हस्त चालित घिरनी खंडों के, जो स्थिर चैनों और रिंगों, हुकों, शेक्लस अथवा इससे स्थायी रूप से जुड़ी सिवेल के साथ प्रयुक्त होते हैं, मामले में वह जाँच भार लगाया जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा।

(ङ) बालटी से युक्त घिरनी खंड की दशा में, बालटी की जाँच की जाएगी और उस खंड की जाँच के दौरान बालटी पर लगाया गया भार को बालटी के जाँच भार के रूप में स्वीकारा किया जाएगा।

(च) दो टांगों वाली स्लिंग की दशा में, निरापद कार्यकरण भार तब संगणित किया जाएगा जब दोनों टांगों के बीच 90 अंश का कोण हो। कई टांगों वाली स्लिंग की दशा में निरापद कार्यकरण भार राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक उत्थापक बीम, उत्थापक विरचना, छिड़काव करने वाला पात्र (कन्टेनर स्प्रेडर) बालटी, टब अथवा अन्य समान युक्तियों पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम जाँच भार नहीं लगाया जाएगा:

सारणी

प्रस्तावित कार्यकरण भार	निरापद (टनों में)	जाँच भार टनों में
10 टन तक		2 x निरापद कार्यकरण भार
10 से 160		(1.04 x निरापद कार्यकरण भार) + 9.6
160 से ऊपर		1.1 x निरापद कार्यकरण भार

(ज) तार रज्जु: तार रज्जुओं की दशा में एक नमूने की, जब तक वह नष्ट न हो जाए, जाँच की जाएगी। जाँच प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। निरापद कार्यकरण भार उस भार को जिस पर नमूना टूट जाता है उपयोग के गुणांक से जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्टानुसार अवधारित होता है भाग देर निश्चित किया जाएगा:

सारणी

मद	उपयोग का गुणांक
(क) वह तार रज्जु जो स्लिंग का भाग है: स्लिंग का नि० का० भा० 10 टन तक या	

उसके बराबर नि0 का0 सा0	5
10 टन से ऊपर 160 टन तक या 160 टन के बराबर	10
160 टन से ऊपर नि0 का0 भार	8.8 x नि0 का0 भा0 + 1910 3
(ख) वह तार रज्जु जो उत्थापक साधित्र का अभिन्न अंग है:	
उत्थापक साधित्र का नि0 का0 भा0 160 टन तक या उसके बाराबर सु0 का0 भा0	10
160 टन से ऊपर नि0 का0 भा0	8.85 x नि0 का0 भा0 + 1910 3

जाँच की प्रक्रिया:

(3)डैरिक :

(क)डैरिक की जाँच ऐसी अवस्था में होगी जब इसकी बूम इसके क्षैतिज से जिसके लिए डेरिक बनाया गया है, न्यूनतम कोण पर हो (साधारणतया 15 अंश) अथवा कोई ऐसा बड़ा कोण भी जिस पर सहमति हो। वह कोण जिस पर जाँच की गई है जाँच प्रमाण-पत्र में उल्लिखित होगा। जाँच भार चल बाटों के उत्तोलन द्वारा लगाया जाएगा। जाँच के दौरान बूम को जाँच भार के साथ दोनों दिशाओं में जहाँ तक हो सके झुलाया जाएगा।

(ख)लटके हुए भार के साथ शक्ति से ऊपर उठाये जाने के लिए बनाये गए डैरिक बूम को (क)में की जाँचों के अतिरिक्त (लटके हुए भार के साथ) क्षैतिज से और दो बाह्यतम स्थितियों से अधिकतम कार्य करण कोण तक उठाया जाएगा।

(ग)भारी उत्थापक डैरिक पर जाँच भार लगाते हुए जाँच के लिए जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति उस पर चल बाट लगाते समय मालिक से यह अभिनिश्चित करेगा कि पोत जाँच के लिए पर्याप्त मजबूत है।

(4) खंड(3)के अधीन जाँचे गए डैरिक का उपयोग संघ क्रय रिंग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि:

(क)संघ क्रय रिगड डैरिकों की जाँच संघ क्रय में नि0 का0 भा0 के समुचित जाँच भार से नहीं की जाती (बनाए गए हैंडरूम पर और जब डैरिक बूम अपनी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में हों);

(ख)उस डैरिक का संघ क्रय रिंग में दिया गया निरापद कार्यकरण भार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रपत्र (v) की रिपोर्ट में भी विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता;

(ग)उक्त रिपोर्ट मे विनिर्दिष्ट परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता; और

(घ)दोनों उत्तोलक रज्जुओं को स्विवैल असेम्बली द्वारा इकट्ठे युग्मित नहीं किया जाता।

टिप्पणी:-डैरिकों का निरापद कार्यकरण भार (संघ क्रय सहित रिंग की प्रत्येक रीति के लिए) जाँच के प्रमाण-पत्र पर उपदर्शित किया जाएगा और डैरिक बूमों पर भी चिह्नांकित किया जाएगा।

(5) उत्थापक साधित्र

(क)जाँच भार को ऊपर उठाया जाएगा और दोनों दिशाओं में जितनी दूरी तक संभव हो झुलाया जाएगा। यदि क्रेन के जिब या बूम का अर्द्धव्यास परिवर्तनशील है तो उसकी जाँच अधिकतम और न्यूनतम अर्द्धव्यासों पर जाँच भार लगा कर की जाएगी। हाइड्रौलिक क्रेनों की दशा में जब दबाव की परिसीमा के कारण मद (1)के अधीन सारणी के अनुसरण में जाँच भार उठाना असंभव है तब सर्वाधिक संभव भार को जो निरापद कार्यकरण भार से अधिक होगा, उठाना पर्याप्त है।

(ख)जाँच अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्द्धव्यास बिन्दुओं पर और साथ ही चक्रानुक्रम के वृतांश के ऐसे बिन्दुओं पर जो सक्षम व्यक्ति विनिश्चित करे संपादित की जाएगी। जाँच में उत्तोलन, नीचे करना, तोड़ना और सभी स्थितियों में घुमाना और सामान्यत: संपादित संक्रियाएं सम्मिलित हैं। निरापद कार्यकरण भार लटका कर मशीन का उसकी अधिकतम कार्यकरण गति पर परिचालन कर एक अतिरिक्त जाँच भी की जाएगी।

(6)जाँच भार डालने के लिए स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला इत्यादि का उपयोग:

सामान्यत: सभी जाँचे स्थावर बाटों की सहायता से की जाएगी। कालिक जाँच प्रतिस्थापना या नवीकरण, की दशा में जाँच भार स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे मामलो में, जाँच भार, जब बूम दोनों दिशाओं में यथासाध्य बाहर लगाया जायेगा, जाँच को तब तक संतोषप्रद नहीं माना जाएगा, जबतक कि तुला-2.0 प्रतिशत तक की यथार्थता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती है और मशीन की सुई जाँच भार पर कम से कम पाँच मिनट की अवधि के लिए स्थिर नहीं रहती ।

(7) जाँच करने वाली मशीनें और स्थावर बाट:

(क) जंजीरें, तार रज्जुओं और अन्य उत्थापक गियरों की जाँच के लिए उपयुक्त जाँच मशीनों का उपयोग किया जाएगा;

(ख) जाँच भार लगाने, जाँच और चेक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जाँच मशीनों और तुलाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जबतक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती बारह मासों में कम से कम एक बार यथार्थता के लिए प्रमाणित न किए गए हों;

(ग) उत्थापक साधित्रों को जाँच भार लगाने में प्रयुक्त होने वाले जंगम बाट, जिसका निरापद कार्यकरण भार बीस टन से अधिक नहीं है, यथार्थता के लिए प्रमाणित यथार्थतावाली उपयुक्त तुलन मशीन द्वारा चेक किए जाएँगे।

(8) जाँच अथवा जाँच के लिए भार लगाने के पश्चात् संपूर्ण परीक्षण: जाँच अथवा जाँच के लिए भार लगाने के पश्चात् प्रत्येक उत्थापक साधित्र और सहयुक्त गियर की संपूर्ण जाँच यह देखने के लिए की जाएगी कि जाँच के दौरान उनके किसी भाग को नुकसान तो नहीं पहुँचा अथवा वह स्थायी तौर पर विरूपित तो नहीं हो गया।

इस प्रयोजन के लिए उत्थापक साधित्र या गियर को उस प्रमाण-तक खोला जाएगा जिसे सक्षम व्यक्ति आवश्यक समझता है।

अनुसूची-ii

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचनीय उपजीविकाजन्य रोग

[नियम-230(क)देखें]

1. उपजीविकाजन्य त्वचा शोथ
2. उपजीविकाजन्य कैंसर
3. एस्बेस्टोसिस
4. सिलिकोसिस
5. सीसा विषाक्तता जिसमें सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है।
6. बैंनजीन विषाक्तता जिसमें इसकी किसी सजातीय, उनके नाइट्रो अथवा एमाइडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है।
7. उपजीविकाजन्य दमा
8. जीवनाशी विषाक्तता
9. कार्बन मोनो ऑक्साइड विषाक्तता
10. विषैली पीलिया
11. विषैली रक्तक्षीणतता
12. संपीड़ितवायु रुग्णता (रो नीच कोष्ठक)
13. शोर प्रेरित श्रवण क्षति।
14. आइसोसाइनेट विषाक्तता।
15. विषैली नैफराइटिस।

अनुसूची-iii

प्राथमिक उपचार पेटिका की अंर्तवस्तु

[नियम-231 (ख) देखें]

i. आसुत जल अथवा उपयुक्त द्रव से भारी नेत्र धवन बोतलों की पर्याप्त संख्या जो सदैव दृश्यमान सुभेदक चिह्न द्वारा उपदर्शित होगी।

ii. 4% जाइलोकेन आई ड्राप्स और बोरिक एसिड आई ड्राप्स और सोडा बाई कार्बोनेट आई ड्राप्स

iii. चौबीस छोटी विसंक्रमित मरहम पट्टी।

iv. बारह मध्यम आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।

v. बारह बड़ा आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।

vi. बारह बड़ा आकार की विसंक्रमित बर्न मरहम पट्टी।

vii. बारह (पन्द्रह से0 मी0) विसंक्रमित रुई के पैकेट।

viii. सिटरी माईड घोल (1 प्रतिशत)या उपयुक्त पूर्तिरोधी घोल की बोतल (दो सौ मि. ली.)

ix. पानी में मरक्यूरोक्रोम (2 प्रतिशत) घोल की 1 बोतल (200 मि0 ली0)

x. एमोनियम कार्बोनेट की 1 बोतल (एक सौ बीस मि. ली.) जिसके लेबल पर डोज और उसको देने / लगाने की रीति उपदर्शित हो।

xi. एक जोड़ा कैंची

xii. आसंजक प्लास्टर का एक रोल (छः से. मी. x एक मीटर)

xiii. आसंजक प्लास्टर के दो रोल (दो से. मी. x एक मीटर)

xiv. पृथक पैकेट में सीलबंद बार विसंक्रमित आई पैड।

xv. सौ एस्प्रिन या अन्य कोई पीड़ाहारी गोलियाँ (प्रत्येक तीन सौ पच्चीस मि. ग्रा. की) से युक्त एक बोतल

xvi. दस से0 मी0 चौड़ी बारह रोलर पट्टियाँ

xvii. पांच से. मी. चौड़ी बारह रोलर पट्टियाँ

xviii. एक टुर्निकेट

xix. उपयुक्त स्पलिन्ट की पूर्ति

xx. सुरक्षा पिन के तीन पैकेट

xxi. गुरदा ट्रे

xxii. एक सर्पदंश नस्तर

xxiii. पोटाशियम परमेगनेट क्रिस्टलस से युक्त एक बोतल (तीस मि. ली.)

xxiv. मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार के पर्चे की एक प्रति

xxv. ,छः त्रिभुजाकार पट्टियाँ

xxvi. दो उपयुक्त, विसंक्रमित, असंस्कृत खंड के दस्तानों के जोड़े।

अनुसूची-iv

(नियम 226 (ग) देखें)

एम्बुलेंस कमरे के लिए विषय सूची:-

i. एक काँचक सिंक जिसमें गर्म और ठंडा पानी सदैव उपलब्ध रहे।

ii. चिकने फलक वाली एक मेज जो कम से कम 180 से0 मी0 X 105 से. मी. हो

iii. उपकरणों को विसंक्रमित करने के साधन।

iv. एक कोच

v. दो स्ट्रेचर

vi. दो बाल्टिया अथवा पात्र जिनके ढक्कन कम मजबूती से बंद होते हों।

vii. दो रबड़ के गर्म पानी के थैले।

viii. एक केतली और स्पिरिट स्टोव अथवा पानी उबालने का कोई उपयुक्त साधन।

ix. बारह लकड़ी के समतल स्पलिन्ट 900 से. मी. X 100 से. मी. X 6 से. मी.

x. बारह लकड़ी के समतल स्पलिन्ट 350 से. मी. X 75 से. मी. X 6 से. मी.

xi. छह लकड़ी के समतल स्पलिन्ट 250 से. मी. X 50 से. मी. X 12 से. मी.

xii. छह ऊन के कंबल

xiii. तीन धमनी चिमटी के जोड़े।

xiv. स्पिरिट एनिमी एरिमेशन की एक बोतल (120 मि. ली.)

xv. स्मैलिंग साल्ट (60 ग्राम)

xvi. दो मध्यम आकार की स्पंज

xvii. छह छोटे तौलिए

xviii. चार गुरदा ट्रे

xix. चार हाथ धोने के साबुन की जो अधिमानतः पूतिरोधी हो, टिक्कियाँ

xx. दो काँच के गिलास और दो वाईन के गिलास

xxi. दो क्लीनिकल थर्मामीटर

xxii. दो छोटे चम्मच

xxiii. दो अशांकित मापन गिलास (120 मि. ली.)

xxiv. दो न्यूनतम मापन गिलास

xxv. आँखें धोने के लिए वाश बोतल (1000 सीसी)

xxvi. कार्बोलिक लोशन 20 में की एक बोतल (एक लीटर)

xxvii. तीन कुर्सियाँ

xxviii. एक स्क्रीन

xxix. एक छोटी चौर बत्ती

xxx. चार प्राथमिक उपचार कोटिकाएँ या आलमारियाँ जिनमें अनुसूची 7 में विहित मानकों के अनुसार सामान हो।

xxxi. टैटनस टोक्साईड की पर्याप्त पूर्ति।

xxxii. मार्फिया, पैथिडायन, एट्रोपिन, एडरेनेलिन, कोरामाइन, नावोकाइन के टीके(प्रत्येक 6)

xxxiii. क्रमाइन द्रव (60 मि. ली.)

xxxiv. एन्टीहिस्टामिनिक, एन्टीस्पासमोडिक की गोलिया (प्रत्येक 25)

xxxv. सिरिंजें-2 सी. सी., 5 सी॰ सी॰, 10 सी.सी.और 500 सी. सी. की सूईयों के साथ।

xxxvi. तीन शल्यक कैंचियाँ।

xxxvii.दो सुई पकड़ने वाले, एक छोटा और एक बड़ा

xxxviii टाका लगाने वाली सूईयाँ और सामान।

xxxix. तीन विच्छेदन करने वाली चिमटियाँ।

xxxx. तीन मरहम पट्टी करने वाली चिमटियाँ।

xxxxi. तीन छुरिकाएँ।

xxxxii एक परिश्रावक और एक बी. पी. उपकरण।

xxxxiii.रबड़ पट्टी-दाब पट्टी।

xxxxiv ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यक संलग्नकों के साथ।

xxxxvएट्रोपाइन आँखों का विलेपन।

xxxxvi.आई. वी. तरल और सेट 10 की संख्या में।

xxxxvii.उचित, पाँव से खुलने वाले, ढक्कन वाले, कचरे के पात्र।

xxxxviii.पर्याप्त संख्या में विसंक्रमित, असंस्कृत रबड़ के दस्तानों के जोड़े।

अनुसूची V

(नियम 227 देखें)

एम्बुलेंस वैन अथवा गाड़ी की अन्तर्वस्तुएँ

एम्बुलेंस वैन में ऐसे उपस्कर होंगे जो निम्न विहित हैं:

(क) साधारण : एक वहनीय स्ट्रेचर जिसके साथ मुड़ना और समायोजी युक्तियाँ हो, साथ ही स्ट्रेचर का शीर्ष ऊपर मुड़ने में समर्थ हो। उपस्कर के साथ स्थिर चूषण इकाई। उपस्कर के साथ स्थिर ऑक्सीजन आपूर्ति / तकिया गिलास के साथ, चादरें, कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बेड, पेन, मूत्रपात्र गिलास।

(ख) सुरक्षा उपस्कर : तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फ्लोरस, फ्लोर लाइटें, फ्लैश लाइटें, अग्निशामक (शुष्क पावर टाइप) विद्युतरोधी गन्टलेट।

(ग) आपातकालीन देखभाल उपस्कर :

(i) पुनरुज्जीवन : वहनीय चूषण इकाई, वहनीय ऑक्सीजन इकाई, बेगवाल्व मास्क, हाथ से चलने वाली

कृत्रिम श्वसन इकाई, वायु मार्ग, माउथपीस-ट्रैकियोस्टोमी अनुकूलक, छोटा स्पाइन बोर्ड, अन्तः शिरीय तरल लगाने वाली इकाई के साथ रक्त चाप मैनोमीटर ,कफ, परिश्रावक।

(ii) अनम्यता : लम्बे और छोटे गद्देदार बोर्ड, तार सीढ़ी, स्पलिंट, त्रिभुजाकार पट्टी लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(iii) मरहम पट्टी : गॉज पैड – 100 मी0 X 100 मि0 मी0 युनिवर्सल मरहम पट्टी, 250 X 1000 मि0मी0 एल्युमिनियम फाइल का रोल, सापट रौलर पट्टी 150 मि0 मी0 X 5 मि0 मी0 गद चिपकाने वाली टेप 75 मि0 मी0 के थैल में सेफ्टी पिन, बेन्डेज शीट, बर्न शीट ।

(iv) विषाक्तता : इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पैकेटिड डोश, सर्पदंश किट, पीने का पानी।

(v) आपातकालीन दवाइयाँ : आवश्यकता के अनुसार (निर्माण चिकित्सा अधिकारी की सलाह) के अधीन

अनुसूची vi

निरन्तर शोर के मामलों में अनुज्ञेय उच्छन्न

(नियम 34 को देखें)

उच्छन्न का कुल समय (निरंतर अथवा अल्पकालीन उच्छनों की संख्या) प्रतिदिन घंटो में	ध्वनि दाब स्तर (डी0 बी0 ए0)
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102

1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

टिप्पणियाँ - 1. 115 डी0 बी0 ए0 से अधिक का कोई उच्छन्न अनुज्ञात नहीं है।

2. उच्छन्न की किसी ऐसी अवधि के लिए, जो स्तम्भ 1 में उपदर्शित किसी अंक और उसके निकटतम ऊपर वाले अथवा नीचे वाले अंक के बीच में आती है, ध्वनि दाब स्तर अनुपातिक आधार पर बहिर्वेशन द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

अनुसूची - vii

भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जाँच की आवर्तिता

[नियम 81 (iv) और 223 (क) (iii) देखें]

1. नियोजक ऐसी सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जो उत्थापक साधित्रों अथवा परिवहन उपस्करों में चालकों, आपरेटरों के रूप में नियुक्त है, नियुक्ति से पूर्व और बीमारी अथवा शारीरिक क्षति के पश्चात, यदि यह प्रतीत होता है कि बीमारी अथवा शारीरिक क्षति उसकी समर्थता को प्रभावित किया है और उसके पश्चात चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष में एक बार चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगा।

2. चिकित्सीय जाँच का संपूर्ण और गोपनीय अभिलेख नियोजक अथवा नियोजक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक रखेगा।

3. चिकित्सीय जांच में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) सम्पूर्ण चिकित्सीय और उपजीविकीय इतिहास।

(ख) निम्न के प्रति विशिष्ट निर्देश में रोग विषयक जांच:-

(i) सामान्य शरीर गठन:-

(ii) दृक्शक्ति: मानक औरथेरेटर जैसे कि टिटमस दृक्शक्ति परीक्षक का उपयोग करके टोटल विजुअल परफार्मेंस का प्राक्कलन किया जाएगा और विहित नौकरी मानों के अनुसार नियोजन की उपयुक्ता अभिनिश्चित की जाएगी।

(iii) श्रवण शक्ति : सामान्य श्रवण वाले व्यक्ति किसी फोर्सड सरगोशी को चौबीस फुट की दूरी से

सुनने में समर्थ होने चाहिए। श्रवण सहाय प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कोलाहलपूर्ण कार्यकरण परिस्थितियों में चेतावनी पुकार सुनने में समर्थ होना चाहिए।

(iv) श्वसन : मानक पीक फ्लो-मीटर का प्रयोग करते हुए पीक फ्लो दर का और इस प्रकार की गई जांच के पाठयांकों से औसत पीक फ्लो दर का निर्धारण। पूर्व-नियोजन चिकित्सीय जांच के अभिलिखित परिणाम उस व्यक्ति के, उसी ऊँचाई पर पश्चातवर्ती जांचों के लिए मानक निर्देश के रूप में प्रयोग किए जा सकते है।

(v) ऊपरी अंग : पर्याप्त बाजू कृत्य और पकड़ (दोनों बाजुओं की)

(vi) नीचला अंग : पर्याप्त टांग और पांव कृत्य।

(vii) रीढ़ की हड्डी : संबंध नौकरी के लिए पर्याप्त लचीली।

(viii) साधारण : अच्छे आंख, हाथ-पांव समन्वयन के साथ दिमागी सतर्कता और स्थिरता।

(ग) अन्य कोई परिक्षण जिसे जांच करने वाला डाक्टर आवश्यक समझता है।

अनुसूची-viii

[नियम-209 (1) और 209 (2) देखें]

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएँ कर्तव्य इत्यादि

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति -

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या -.

इन नियमों के प्रवर्त्तन के छः माह के भीतर प्रत्येक ऐसी स्थापन जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजित करती है और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रत्येक नियोजक सुरक्षा अधिकारियों की, जैसा कि नीचे दिए गए मापमान में अधिकथित किया गया है, नियुक्ति करेगा :-

1. 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक-एक सुरक्षा अधिकारी
2. 2000 भवन निमार्ण कमकारों तक-दो सुरक्षा अधिकारी
3. 5000 भवन निमार्ण कमकारों तक-तीन सुरक्षा अधिकारी
4. 10000 भवन निमार्ण कमकारों तक-चार सुरक्षा अधिकारी

प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक सुरक्षा अधिकारी।

कोई भी नियुक्ति, जिस समय की जाए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की सेवा की अर्हताओं, निबंधनों और शर्तों के पूरे ब्यौरे के साथ क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले इन्सपेक्टर को अधिसूचित की जाएगी।

अर्हताएं : -

(क) कोई व्यक्ति तब सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब होगा जबकि वह :

(i) इन्जीनियरिंग या प्रौद्योगिक या स्थापत्यकला के किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में 2 वर्ष क कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक या स्थापत्यकला की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम पांच वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो,

(ii) औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता हो जिसका कम से कम एक पेपर निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विषय के रूप में) हो और

(iii) उस निर्माण स्थल के, जहाँ उसकी नियुक्ति की जानी है बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता हो।

(ख) खंड (क) में किसी उपबंध के होते हुए, कोई व्यक्ति जो :-

(i) इंजिनियरिंग या प्रौद्योगिक या स्थापत्यकला में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता है और ऐसे क्षेत्र में जो कारखाना अधिनियम, 1948 या डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से जुड़ा है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता है।

(ii) इंजिनियरिंग या प्रौद्योगिक में मान्यता उपाधि या डिप्लोमा रखता है और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग पतन किसी संस्था या किसी स्थापन में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान का प्रशिक्षण लिया हो।

सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह कि, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग का पतन, संस्था या किसी स्थापन में सुरक्षा अधिकारी के रूप में अवधि से कार्य कर रहा हो, उन नियमों के प्रवृत होने की तारीख को कम से कम तीन वर्ष की मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर सकता है, उपयुक्त अर्हताओं में से सभी को या किसी को शिथिल कर सकता है।

<u>सेवा की शर्तें :</u>

(क) जहाँ नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहाँ उनमें से एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका हैसियत अन्यों से ऊपर होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड (iv) में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यों का और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षाअधिकारियों के समग्र प्रभार में होगा ।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, को वरिष्ट कार्यपालक की हैसियत प्रदान की जाएगी ताकि अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकें।

(ग) सुरक्षा अधिकारियों जिनमें मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है। वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएंगें और उनकी सेवा की शर्तें भी वही होंगी की उस स्थापन के जिसमें कि नियोजित है के तत्समान अधिकारियों की है।

सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य

(क) सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति की रोकथाम और सुरक्षित कार्यकरण वातावरण बनाए रखने संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है। इन कर्तव्यों में निम्न है अर्थात :-

(i) भवन निर्माण कर्मकारों को, वैयक्तिक क्षति को प्रभावी नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके आयोजन करने के लिए सलाह देना ।

(ii) भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा कार्यकलापों का ब्यौरे बार सुरक्षा अध्ययन करना ;

(iii) वैयक्तिक क्षति की रोकथाम के लिए किए गए उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों की जांच पड़ताल और मूल्यांकन करना ;

(iv) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी क्वालिटी को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना ;

(v) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की, कार्य की भौतिक परिस्थितियों और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा अपनाए जाने वाली कार्य पद्धति और प्रक्रिया का संप्रेक्षण के लिए सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित भौतिक परिस्थितियों को दूर करने और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यो को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना।

(vi) सभी घातक और चुनिंदा दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना ;

(vii) उपजीविकाजन्य रोग लगने के मामलों और रिपोर्ट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना ।

(viii) ऐसे अभिलेखों को, जो दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और उपजीविकाजन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है बनाए रखने पर सलाह देना ;

(ix) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य

करना ;

(x) संबंधित विभागों के सहयोजन से अभियान, प्रतिस्पर्धाओं प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों को कार्य की सुरक्षित परिस्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में अभिरुचि बढ़ाए और बनाए रखे;

(xi) भवन निर्माण कामकारों की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम चलाना;

(xii) स्थापन के ज्येष्ठ अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा नियमों और सुरक्षित कार्यकरण पद्धतियों को बनाना;

(xiii) स्थापन के पतन, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लिए जाने वाले सुरक्षा पूर्वावधानियों कार्य पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना। सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं ।

नियोजक प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है ।

अन्य कर्तव्यों के पालन का निषेध:

कोई सुरक्षा अधिकारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं होगी जो उपखंड (4) में विहित कर्तव्यों से जुड़ा न हो, असंगत हो अथवा उनके पालन में अहितकर हों।

छूट :

मुख्य निरीक्षक किसी नियोजक अथवा नियोजकों के किसी अन्य समूह को उसके द्वारा ऐसी छूटों के आदेश में अनुमोदित और अधिसूचित किसी अनुकंपी इंतजाम के अनुपालन के अधीन इन नियमों के किसी या सभी उपबंधों से निम्नलिखित में छूट दे सकता है।

अनुसूची - ix

(नियम - 225 देखें)

परिसंकटमय प्रक्रिया :

1. छत का कार्य
2. इस्पात का निर्माण
3. पानी के भीतर और ऊपर कार्य
4. भंगित करना
5. परिरुद्ध स्थानों में कार्य ।

अनुसूची - X

(नियम - 225 (ख) देखें)

व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएँ :-

(1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिए एक पूर्णकालिक निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों और उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त निर्माण चिकित्सा अधिकारी।

(2) प्रत्येक निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ पूर्ण कार्य-घंटों के लिए स्टाफ जिसमें एक नर्स, एक ड्रेसर एवं कंपाउंडर, सफाई वाला एवं वार्ड ब्वाए सम्मिलित है।

(3) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्रफल न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी दीवारों और इनपेतियश सेवा वाले दो कमरे बने हो और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हो ।

(4) रोजमर्रा के उपचार के लिए पर्याप्त उपस्कर।

(5) किसी चिकित्सीय आपातकाल के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपस्कर ।

अनुसूची - xi

(नियम 119 (2) और नियम 225 (ग) देखें)

निर्माण चिकित्सा अधिकारी का अर्हताएं :-

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि; और

(2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षा का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण - पत्र ।

(3) एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जिसे खानों, पत्तन तथा डाक कारखानों और भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों की नीति, निष्पादन तथा सलाह और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े संगठन/स्थापन में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो, मुख्य निरीक्षक के समाधान के अधीन, उपर मद (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का रखना आवश्यक नहीं है।

(4) उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठन राज्य सरकार से अनुमोदित होंगे और वह समय समय पर ऐसे संगठनों का पैनल बना सकेगी।

(5) निर्माण चिकित्सा अधिकारी के नाम, अर्हता और अनुभव सहित संपूर्ण विशिष्टयां अधिकारिता रखने वाले इन्सपेक्टर को प्रज्ञापित की जाएगी।

अनुसूची - xii

(नियम 152 (क) देखें)

कार्यानुकुल वातावरण में कतिपय रसायनिक पदार्थों का अनुज्ञात स्तर

क्रम संख्या	पदार्थ	उच्छन्न की अनुज्ञा सीमा टाईम-वेएड ओसत सांद्रता (टी डब्ल्यू ए) (8) घंटे		लघु-अवधि उच्छन्न की सीमा (एस. टी. इ. एल) (15 मिनट)	
		पी पी एम	मि ग्रा/मी0³	पी पी एम	मि.ग्रा/मी.³
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	एसिटेलडीहाइड	100	180	150	270
2.	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3.	एसिटोन	750	1700	1000	2375
4.	एक्रेलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5	एकरिलोनाइटराइल - त्वचा (एस.सी)	2	4.5	–	–
6.	एल्ड्रिन - त्वचा	–	0.25	–	–
7.	एलाइड फ्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	एलिलाइन - त्वचा	2	10	–	–
10.	एनसाइडाइन (ओ-,पी-आइसोमर)-त्वचा	0.1	0.5	–	–
11.	आरसिनिक और विलेय सम्मिश्रण (ए एस के रूप में)	–	0.2	–	–

12.	बेनजीन (एस सी)	10	30	–	–
13.	बेरिलियम और सम्मिश्रण (बी ई के रूप में (एस सी)	–	0.002	–	–
14.	बोरोन ट्राइफ्लोराइडन्सी	1	3	–	–
15.	ब्रोमोन	0.1	0.7	0.3	2
16.	ब्यूटेन	300	1900	–	–
17.	2 ब्यूटानोन (मिथाइल इथायल कीटोन – एम बी के)	200	590	300	885
18.	एन ब्युटाइल एसीटेट	150	710	200	950
19.	एन ब्यूटाइल एल्कोहल त्वचा-सी	50	150	–	–
20.	सेकेण्ड्री/टर्शरी ब्युटाइल ए सीटेट	200	950	–	–
21.	ब्युटाइल मर्कापटान	0.5	1.5	–	–
22.	केडमियम धुल और साल्ट (सिडके रूप में)	–	0.05	–	–
23	कैल्शियम आक्साइड	–	2	–	–
24.	कार्बटाइल (सेबिन)	–	5	–	–
25.	कार्बोफ्यूरान (फ्यूराडान)	–	0.1	–	–
26.	कार्बन डाइसल्फाइड-त्वचा	10	30	–	–
27.	कार्बन मोनोआक्साइड	50	55	400	550
28.	कार्बन टैट्राक्लोराइड-त्वचा (एस. सी)	5	30	–	–

29.	क्लोरडेन-त्वचा	–	0.5	–	–
30.	क्लोरीन	1	3	3	9
31.	क्लोरोबेनजीन (मोनोक्लोरो बेनजीन)	75	350	–	–
32.	क्लोरोफार्म (एस. सी.)	10	50	–	–
33.	बिस (क्लोरोमेथाइल (ईथर) (एच॰सी॰)	0.001	0.005	–	–
34.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेटस (सी आर के रूप में) (पानी में विलेय)	–	0.05	–	–
35.	क्रोमस साल्टस (सी आर के रूप में)	–	0.5	–	–
36.	कॉपर फ्यूम	–	0.2	–	–
37.	कॉटन धूल, कच्ची	–	0.2'	–	–
38.	क्रिसोल, सभी आइसोमर-त्वचा	5	22	–	–
39.	सायनाइडस(सी. एन के रूप में)-त्वचा	–	1	–	–
40.	सायनोजेन	10	20	–	–
41.	डी.डी.टी(डाइक्लोरो डाइफिनायल ट्राइक्लोरोईथेन)	–	1	–	–
42.	डिमेटोन-त्वचा	0.01	0.1	–	–
43.	डाइजिनोन त्वचा	–	0.1	–	–
44.	डाइब्यूटाइलो थेलेट	–	5	–	–
45.	डाइक्लोरवोस (डी डी वी पी)-त्वचा	0.1	1	–	–
46.	डाइएल्ड्रिन त्वचा	–	0.25	–	–

47.	डाइनोइट्रोबेनजीन (सभी आइसोमर)-त्वचा	0.15	1	–	–
48.	डाइनाइट्रोटोलवीन-त्वचा	–	1.5	–	–
49.	डाइफिनाइल (बाइफिनायल)	0.2	1.5	–	–
50.	एनडो सल्फेन (थायोडेन-त्वचा)	–	0.1	–	–
51.	एन्ड्रिन त्वचा	–	0.1	–	–
52.	इथायल एसीटेट	400	1400	–	–
53.	इथायल एल्कोहल	1000	1900	–	–
54.	इथायल अमीन	10	18	–	–
55.	फ्लोराइड (एफ. के रूप में)	–	2.5	–	–
56.	फ्लोरीन	1	2	2	4
57.	फोरमेल्डीहाइड(एस.सी)	1.0	1.5	2	3
58.	फोर्मिक एसीड	5	9	–	–
59.	गैसोलीन	300	900	500	1500
60.	हाइड्राजीन-त्वचा(एस.सी)	0.1	0.1	–	–
61.	हाइड्रोजन क्लोराइड-सी	5	7	–	–
62.	हाइड्रोजन सायनाइड-त्वचा-सी	10	10	–	–
63.	हाइड्रोजन फ्लोरीन (एफ के रूप में) सी	3	2.5	–	–
64.	हाइड्रोजन परआक्साइड	1	1.5	–	–
65.	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
66.	आयोडीन-सी	0.1	1	–	–
67.	आयरन आक्साइड फयूम (एफ ई ओ)एफ ई के रूप में)	–	5	–	–

68. आइसोएमायल एसीटेट	100	525	–	–
69. आइसोएमाएल अल्कोहल	100	360	125	450
70. आइसोब्यूटायल अलकेहल	50	150	–	–
71. सीसा, इनआरगेनिक धूलें और फ्यूम (पी बी के रूप में)	–	0.15	–	–
72. लिनडेन–त्वचा	–	0.5	–	–
73. मेलाथिओन–त्वचा	–	10	–	–
74. मैगनीज धूल और सम्मिश्रण	–	5	–	–
75. मैगनीज फ्यूम(एम एन के रूप में)	–	1	–	–
76. पारा (एच जी के रूप में)–त्वचा				
(i)एल्कायल सम्मिश्रण	–	0.01	–	0.03
(ii)सिवाय एल्कायल वाष्प के सभी रूप	–	0.05	–	–
(iii)एरायल और इन आर्गेनिक सम्मिश्रण	–	0.1	–	–
77. मिथायल अल्कोहल (मिथानोल)–त्वचा	200	260	250	310
78. मिथायल कोलोसाल्व(2–मिथोक्सी इथेनोल)–त्वचा	5	16	–	–
79. मिथायल आइसोब्युटाइल किटोन	50	205	75	300
80. मिथाइल आइसोसायनेट–त्वचा	0.02	0.05	–	–
81. नेपथ्यालीन	10	50	15	75
82. निकेल कार्बोनायल (एन आई के के रूप में)	0.05	0.35	–	–

83. नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84. नाइट्रिक आक्साइड	25	30	–	–
85. नाइट्रो बेनजीन-त्वचा	1	5	–	–
86. नाइट्रोजन डाय-अक्साइड	3	6	5	10
87. आयल मिस्ट मिनरल	–	5	–	10
88. ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
89. पैराथिओन-त्वचा	–	0.1	–	–
90. फिनोल-त्वचा	5	19	–	–
91. फोरेट(थिमेट)-त्वचा	–	0.05	–	0.2
92. फॉसजीन(कार्बोक्साइल क्लोराइड)	0.1	0.4	–	–
93. फॉसफीन	0.3	0.4	1	1
94. फासफारिक एसिड	–	1	–	3
95. फासफोरस (पीला)	–	0.1	–	–
96. फासफोरस पैन्टाक्लोराइड	0.1	1	–	–
97. फासफोरस ट्राई क्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
98. पिक्रिक एसिड-त्वचा	–	0.1	–	0.3
99. पिरीडीन	5	15	–	–
100. सिलेन (सिलिकोन टेट्राहाइड्राइड)	5	7	–	–
101. सोडियम हाइड्रोक्साइड-सी	–	2	–	–
102. सटाइरीन, मोनोमर (फिनायल इथाईलीन)	50	215	100	425
103. सल्फर डाइआक्साइड	2	5	5	10
104. सल्फर हैक्सा फ्लोराइड	1000	6000	–	–

105. सल्फ्यूरिक एसिड	–	1	–	–
106. टेट्राइथयल लेड (पी बी के रूप में) -त्वचा	–	0.1	–	–
107. टोल्युन (टोल्यूल)*	100	375	150	560
108. ओ-टोलवीडीन-त्वचा (एस. सी.)	2	9	–	–
109. ट्राइब्युटवी फास्फेट	0.2	2.5	–	–
110. ट्राइक्लोराइड इथायलीन	50	270	200	1080
111. यूरेनियम प्राकृतिक (यू के रूप में)	–	0.2	–	–
112. विनायल क्लोराइड (एच.सी)	5	10	–	–
113. वेलडिंग फ्यूम	–	5	–	–
114. जाइलीन (ओ-एम-पी-आइसोमर)	100	435	150	655
115. जिंक आक्साइड				
(i) फ्यूम	–	5.0	–	10
(ii) (धूल) (कुल धूल)	–	10.0	–	–
116. जिरकोनियम सम्मिश्रण (जेड आर के रूप में)	–	5	–	10

* लाइन मुक्त धूल जो वर्टीकल इलुट्रीएटर काटन-धूल सम्पलर द्वारा मापी गई

पी पी एम — 25 डिग्री सी0 और एच जी के 760 मि. मी. पर वौल्यूम से दूषित वायु के प्रति दस लाख भाग में वाष्प अथवा गैस के भाग

मि॰ग्रा॰/मी॰^{3} — वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में पदार्थ के मिली ग्राम

* — एक दिन में 4 बार से अधिक नहीं और आनुक्रमिक अच्छनों में कम से कम 60 मिनट का अंतराल हो।

** — मि. ग्रा. / मी॰ = मालीक्यूलर भार x पी पी एम / 24.25

जी. अधिकतम सीमा का द्योतक है।

त्वचा त्वचीय मार्ग से जिसमें श्लेष्म झिल्ली और आंख भी सम्मिलित है, होने वाले समग्र उच्छन्न को संभाव्य अभिदाव का द्योतक है।

एस॰ सी॰ संदिग्ध मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है।

एच॰ सी॰ कुष्ट मानवीय कर्कट जनकों का द्योतक है।

पदार्थ	अनुज्ञ टाइम-वेएड औसत सांद्रता (टी डब्ल्यू ए) (8 घंटे)

सिलिका, एस आई ओ

(क) स्फटकीय

(1) स्फटिक

(1) धूल गणना के रूप में — 10600 एम पी0 पी0 सी एम / % स्फटिक + 10

(2) सांस लेने योग्य धूल के रूप में — 10 / % सांस लेने योग्य स्फटिक → 2 मि. ग्रा./ मी.^{3}

(3) कुल धूल के रूप में — 30 / % स्फटिक + 3 मि. ग्रा. / मी.^{3}

(ii)	क्रिस्टोवेलाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(iii)	ट्राइडवमाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(iv)	सिलीका, फ्यूस्ड	वह सीमा जो स्फटिक के लिए है।
(v)	ट्राइपोली	वह सीमा जो मद (2) में सूत्र में स्फटिक के प्रति दी गई है।
(ख)	अमोंकस सिलेकेट्स	10 मि. ग्रा. / मी.^{3} कुल धूल

एसबेस्टस (एच सी)	*2' फाइबर्स / मि. ली., लम्बाई में 5 मी. से अधिक और चौड़ाई में 3 मी. से कम जिसका लंबाई चोड़ाई अनुपात 3:1 के समुतल्य या अधिक है।
पोर्टलैंड सीमेंट	10 मि. ग्रा/मी. कुल धूल जिसमें स्फटिक 1 प्रतिशत से कम है।
कोयला धूल	2 मि. ग्रा. / मी. सांस लेने योग्य धूल का भाग जिसमें स्फटिक 5% से कम है।

एम. एम. पी. सी. एम. लाईट-फील्ड तकनीकों द्वारा गणित इम्पिंगर सैम्पल पर आधारित वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में दस लाख कण।

जैसा कि 400-450 x मैग्निफिकेशन (4 मि.मी. आबजेक्टिव फेस कन्ट्रास्ट इल्युमिनेशन पर मेम्बरेन फिल्टर विधि द्वारा विनिश्चित सांस लेने योग्य धूल।

निम्नलिखित लक्षणों वाला भाग जो साइज-सलेक्टर से गुजरता है :

एअरोडायनमिक व्यास (मी) (युनिट इन सिटी सफौयर)	सलैक्टर से %	गुजरने वाला %
<2		90
2.5	75	
3.5	50	
5.0	25	0
10	0	0

प्रपत्र - i

बिहार भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम) नियमावली 2005

(नियम 23 (1) देखें)

भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवदेन -

1 स्थापन का नाम और अवस्थिति जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य होना है।

2 स्थापन का डाक पता।

3 स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो।

4 स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।

5 स्थापन में हो चुके/होने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति।

6 किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कार्यकारों की अधिकतम संख्या

7 भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की अनुमानित तारीख।

8 भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तारीख।

9 परिविष्ट मांग ड्राफ्ट की विशिष्टयाँ (बैंक का नाम, रकम, मांग ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि) संलग्न

नियोजक द्वारा घोषणा

(1) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(2) मैं भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।

मुख्य नियोजक
मुद्रा और स्टाम्प

आवेदन प्राप्ति की तारीख

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए राज्य नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरणअधिकारी का कार्यालय

प्रपत्र - II

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 24 (1) देखें)

सं0 तारीख

बिहार सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-7 की उपधारा 3 के और अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स... निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है :-

1 उस स्थान का डाक/पता अवस्थिति जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।

2 नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है।

3 स्थापन का नाम और स्थायी पता।

4 उस कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जाने हैं।

5 नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।

6 कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख।

7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियाँ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ।

उपाबद्ध

यहां ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात :-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा;

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी;

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहां वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी करार समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई है वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं है

(ङ.) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

प्रपत्र - iii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 24 (2) देखें)

स्थापनों का रजिस्टर

क्र0 सं0	रजिस्ट्रीकरण सं0 और तारीख	रजिस्ट्रीकृत स्थापना का जहां भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य होता है, नाम और पता अवस्थिति	नियोजक का नाम और उसका पता	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5

6	7	8	9	10
स्थापना का नाम और स्थायी पता	कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तारीख	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम सं0	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की संभाव्य कार्यविधि और कार्य समाप्ति की संभावित तारीख	टिप्पणियाँ

प्रपत्र - iv

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम - 26 (3) और नियम 239 (1) देखें)

भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ / समाप्ति की सूचना।

1 (i) स्थापना का नाम और पता (स्थायी)

(ii) नियोजक का नाम और पता.............

2 स्थान का, जहां भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने का प्रस्ताव है, नाम और स्थिति

3 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सं0 और तारीख...............

4 निर्माण कार्य के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता

5 वह पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित संसूचना भेजी जा सके।

6 कार्य की प्रकृति और संयंत्र तथा मशीनरी सहित प्रदान की गई प्रसुविधाएं।

7 भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले विस्फोटक, यदि कोई है तो, का भंडारण इंतजाम।

8 कार्य प्रारंभ की सूचना की दशा में, कार्य की संभावित कालावधि।

मैं/हम यह सूचना देता हूँ/देते हैं कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण सं0 .... तारीख .... है, ... तारीख से/को प्रारंभ/समाप्त होने की संभावना है।

नियोजक का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक

....

....

प्रपत्र - V

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 56 और नियम 74 (ख) अनुसूची देखें)

विंच, डेरिक और उनके उपसाधन गियर के प्रारंभिक तथा कालिक जांच और परीक्षण का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं0..

(क) निर्माण स्थल की दशा में, उस निर्माण स्थल का नाम जहां उत्थापक साधित्र फिट/अवस्थित/स्थापित है:

सुभेदक संख्यांक या चिन्ह (यदि कोई है) वाले उन उत्थापक साधित्रों और गियर का स्थान और विवरण जिनकी जांच और पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है।	डेरिक बूम के क्षैतिज के साथ वह कोण जिस पर जांच भार लगाया गया	लगाया गया जांच भार	स्तंभ (2) में दिखाए गए कोण पर निरापद कार्यकरण भार	जांच और परीक्षण करने वाली, सहयोजन, कम्पनी या फर्म या जांचकर्ता स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म या जांचकर्ता स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(डिग्री)	(टन)	(टन)		

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि स्तंभ (1) में दर्शाए उत्थापक साधित्र को इसके आवश्यक गियर के साथ तारीख .... को पीछे वर्णित रीति के अनुसार मेरी उपस्थिति में जांच की गई और यह कि उक्त उत्थापक साधित्र के सावधानी पूर्वक किये गये परीक्षण के पश्चात की गई जांच ने यह दर्शाया कि इसने बिना किसी हानि या स्थायी विरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र और उपसाधन गियर का निरापद कार्यकरण भार स्तंभ (4) में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

.... तारीख

मुद्रा

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्रपत्र - vi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 56 और 74 (ख) देखिए)

क्रेनों या उत्तोलकों और उनके उपसाधन गियर को प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण के प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं0 ....

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर क्रेन या उत्तोलक फिट/अवस्थित/स्थापित किये गये :-

स्थति और	जिब क्रेन के लिए अर्धकपात जांच भार पर जांच भार अनुप्रयुक्त हुआ था	अनुप्रयुक्त	जिब क्रेन के लिए सुरक्षा कार्यकरण भार स्तंभ (2) में दर्शाए गए व्यास पर है।	जांच और परीक्षण करने वाले लोकसेवा सहयोजन या फर्म या अथवा जांच स्थाप का नाम और पद	लोकसेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन के संदर्भ में नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(मीटर)	(टन)	(टन)		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... वर्ष की तारीख ....
को उपरोक्त उत्थापक साधित्रों को इसके उपसाधन गियर के साथ, दूसरी ओर दी गई रीति से की गई जांच के पश्चात् उत्थापक साधित्र और गियर की सावधानी पूर्वक परीक्षण ने यह दर्शाया है इसमें किसी हानि अथवा स्थायी निरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापन साधित्र तथा गियर के सुरक्षा कार्यकरण भार को स्तंभ (4) में प्रदर्शित किया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

(टिप्पण 3 देखिए)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण सं0

प्रपत्र - vii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

नियम 70 और 74 (ख) देखिए

लूज गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं..

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर लूज गियर फिट किए गए / अवस्थित है :

अलग अलग संख्या या चिह्न	गियर/युक्ति का वर्णन, आकार और सामग्री	जांच संख्या	जांच की तारीख	अनुप्रयुक्त जांच भार (टन)	सुरक्षा कार्यकरण भार (सु. का. भा.) (टन)
1	2	3	4	5	6

विनिर्माता या प्रदायकर्ता का नाम और पता	प्रारंभिक जांच और परीक्षण प्रमाण-पत्र सं0 और तारीख (केवल कालिक जांच और परीक्षण की बाबत	जांच और परीक्षण करने वाले लोकसेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोकसेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
7	8	9	10

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... वर्ष की तारीख .... को उपरोक्त गियर की जांच की गई थी और दूसरी ओर दी गई रीति से परीक्षण की गई कि उक्त गियर/युक्ति की परीक्षण ने यह दर्शाया कि इसमें बगैर किसी हानि अथवा विरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त गियर/युक्ति के सुरक्षा कार्यकरण भार के स्तंभ (6) में प्रदर्शित किया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण सं0

प्रपत्र - viii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 62 और 74 (ख) देखिए)

उपयोग में लाए जाने से पूर्व वायर रोप के जांच और परीक्षण का प्रमाणपत्र

जांच प्रमाण पत्र सं...

(1) निष्पादक प्रदायकर्त्ता का नाम और पता :

(2) (क) परिधि/व्यास या रोप

(ख) उत्कूलन की संख्या

(ग) प्रत्येक उत्कूलन वायर की संख्या

(घ) ले (बटन)

(ड.) कोर (क्रोड)

(3) वायर की क्वालिटी (सर्वोत्तम प्लाउ स्टील इत्यादि)

(4) (क) रोप के नमूने की जांच की तारीख

(ख) वह भार जिस पर टूटे-फूटे नमूने (टनों में)

(ग) रोप के सुरक्षा कार्यकरण भार (टनों में)

(घ) आशयित उपयोग

(5) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता।

(6) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियाँ सही है और यह कि जांच और परीक्षण मेरे द्वारा किए गए और इसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसमें उसका सुरक्षा कार्यकरण भार (सु॰का॰भा॰) प्रभावित हो

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्रपत्र - IX

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 72 और 74 (ख) देखिए)

उत्थापक गियर के तापानुशीलन का प्रमाणपत्र

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम, जहां पर उत्थापक गियर फिट/अवस्थित/स्थापित किए गए है :

अलग अलग संख्या या चिह्न	गियर/ का वर्णन	जांच और परीक्षण का प्रमाण-पत्र सं0	तापानुशीलित संख्या	तापानुशीलन की तारीख	तापानुशीलन के पश्चात सावधानी-पूर्वक निरीक्षण करने पर पाई गई त्रुटिया
1	2	3	4	5	6

तापानुशलीन और निरीक्षण किए जाने वाले लोक सेवा, सहयोजन कम्पनी या फार्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
7	8

मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्तंभ (1) से (4) में वर्णित गियर स्तंभ (5) में दर्शाई गई तारीख को, मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावी तौर पर तापानुशीलित की गई थी और यह कि इस प्रकार तापानुशीलन के पश्चात् प्रत्येक वस्तु का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया और यह कि इसमें स्तंभ (6) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा कार्यकरण शर्त को प्रभावी करने वाली कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण सं0

प्रपत्र - X

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

नियम 69 और 73 देखिए

तापानुशीलन से उत्थापक गियर का सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षा से छुट प्राप्त का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं...

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर उत्थापक गियर फिट/अवस्थित/स्थापित किए गए है:

अलग अलग संख्या या चिह्न	गियर का वर्णन	आरम्भि और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण-पत्र की संख्या	टिप्पणियाँ	जांच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फार्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन कम्पनी या फार्म अथवा जांच स्थापना में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
1	2	3	4	5	6

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .... वर्ष की तारीख .... को, स्तंभ (2) में वर्णित उपरोक्त गियर की पूर्ण रूप से परीक्षण की गई है और यह कि इसमें स्तंभ (4) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा कार्यकरण शर्त को प्रभावी करने वाली कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण सं0

प्रपत्र - xi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 223 (ग) देखिए)

चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण-पत्र

1. प्रमाण-पत्र क्रम संख्या..

तारीख .... तारीख..

2. नाम ....

पहचान चिन्ह (1) ....

(2) ....

3. पिता का नाम ....

4. लिंग..

....

....

5. निवास..पुत्र/पुत्री ....

6. जन्म की तारीख, यदि उपलब्ध हो ....

और/या आयु प्रमाण-पत्र..

7. शारीरिक स्वस्थता

मैं प्रमाणित करता हूँ (नाम) ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.. जो.. का निवासी है जिसका परीक्षण मैंने व्यक्तिगत रूप से किया मेरे परीक्षण से उसकी आयु यथाशक्य निकटतम....................वर्ष अभिनिश्चित की जाती है और वह भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित होने की इच्छुक है और वह वयस्क/किशोर है जो .... में नियोजन के लिए उपयुक्त है।

8. कारण के लिए :-

(1) इन्कार करने का प्रमाण-पत्र..

....

(2) प्रतिसहत करने का प्रमाण पत्र ....

....

भवन कर्मकार के हस्ताक्षर/
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

चिकित्सीय निरीक्षक/
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

टिप्पणी :- 1. शारीरिक नि:शक्तता के कारण के यथावत ब्यौरे स्पष्ट तौर पर विवरणित किए जाए।

2. यदि नि:शक्तता विवरण दिया गया है तो क्रियात्मक/उत्पादन कार्य योग्यताओं का भी विवरण दिया जाएगा।

प्रपत्र - xii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 223 (घ) देखिए)

स्वास्थ्य रजिस्टर

(भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्तियों की बाबत जिसमें जोखिम वाली प्रक्रियाएं अंतर्गस्त हैं)

सन्निर्माण चिकित्सा/चिकित्सीय निरीक्षक का नाम

(क) श्री...तारीख.......................से.......................................तक

(ख) श्री...तारीख.......................से.......................................तक

(ग) श्री...तारीख.......................से.......................................तक

क्र०सं०	संकर्म सं०	भवन कर्मकार का नाम	लिंग	आयु (जन्म की अंतिम तारीख की)	वर्तमान कार्य के नियोजन की तारीख	दूसरे कार्य पर चले जाने या स्थानांतरण की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

स्थानांतरण पर चले जाने या सेवोन्मुक्त करने का कारण	कार्य या उपजीविका की प्रकृति	कच्ची सामग्री या उप-उत्पाद को हाथ से उपयोग करना	प्रमाणकर्त्ता सर्जन चिकित्सीय निरीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण की तारीख
8	9	10	11
1			
2			
3			
4			
5			

चिकित्सीय परीक्षण का परिणाम	यदि कार्य से निलंबित हो तो विस्तृत कारणों सहित निलंबन अवस्था की अवधि	चिकित्सीय निरीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपनी ड्यूटी पर फिर से वापस आने को उपयुक्त प्रमाणित किए गए।	यदि कर्मकार को अनुपयुक्तता या निलंबन जारी किया गया है तो उसका प्रमाण-पत्र
12	13	14	15
1			
2			
3			
4			
5			

चिकित्सीय निरीक्षक के हस्ताक्षर सहित तारीख

टिप्पणी :- 1. स्तंभ 8 स्थानांतरण या सेवोन्मुक्त के लिए कारण ब्योरेवार संक्षिप्त में विवरणित किए जाए।

2. स्तंभ 12-उपयुक्त/अनुपयुक्त/निलंबित के रूप में उल्लिखित किए जाए।

प्रपत्र - xiii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 230 (क) देखिए)

विषाक्तता या उपजीविकाजन्य अधिसूचनीय रोगों की सूचना

1. नियोजक का नाम और पता :

2. भवन कर्मकार का नाम और उसकी कार्य संख्या, यदि कोई हो :

3. भवन कर्मकार का पता:

4. लिंग और आयु,:

5. उपजीविका :

6. ठीक ठीक बताएं कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था:

6. ठीक ठीक बताएं कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था:

7. उस विषाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार पीड़ित है :

तारीख :

नियोजक/मुख्य चिकित्सा
अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : जब कोई भवन कर्मकार अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है तब ऐसी सूचना तत्काल मुख्य निरीक्षक को भेजें।

प्रपत्र - xiv

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली– 2005

(नियम 210 (7) देखिए)

दुर्घटनाओं और भयंकर घटनाओं की रिपोर्ट

1. परियोजना/कार्य का नाम

2. परियोजना/कार्य का स्थान

3. सन्निर्माण कार्य का प्रक्रम

4. नियोजक की विशिष्टियां

क. फर्म/कम्पनी का मुख्य संविदाकार	ख. उप संविदाकार की विशिष्टियां
नाम	नाम
पता	पता
फोन न.	फोन न.
व्यवसाय की प्रकृति	व्यवसाय की प्रकृति

5. क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियां :

क नाम

(प्रथम) (मध्यम) (उपनाम)

ख घर का पता

ग उपजीविका

घ कर्मकार की हैसियत

नैमितिक

नियमित

ङ लिंग:पुरुष/स्त्री

च आयु

छ अनुभव

ज वैवाहिक स्थिति: विवाहित/अविवाहित/विवाह-विच्छेद

6. दुर्घटना की विशिष्टियां :

क वास्तविक स्थान जहां पर दुर्घटना घटित हुई थी।

ख तारीख

ग समय

घ क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना के समय काम कर रहा था?

ङ. मौसम की हालत

च इस विशिष्ट कार्य के लिए आप कितनी अवधि तक नियोजित थे?

छ ऐसी विशिष्ट जिसमें उपस्कर/मशीन/औजार अंतर्ग्रस्त है और दुर्घटना घटित होने के पश्चात् उसकी स्थिति वैसी ही है।

ज दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण

7. क्षतियों की प्रकृति

क घातक

ख अघातक

ग यदि अघातक हो तो क्षतियों की प्रकृति का प्रमितत:अवस्था (क्षति की प्रकृति के ब्यौरे का वर्णन, उदाहरणार्थ दाहिने अंग का भंग, मोच आदि)

घ प्राथमिक उपचार: किया गया ; नहीं किया गया ;

ङ. यदि नहीं किया गया तो उसका कारण बताएं?

च ऐसे व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया था:

छ क्या अस्पताल में भर्ती है,
उस अस्पताल का नाम :
उस अस्पताल का पता :
फोन न.

चिकित्सक का नाम :

8 उपयोग किए गए परिवहन का प्रकार

एम्बुलेंस ट्रक टेम्पो टैक्सी प्राइवेट कार

9 (क) क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हटाने में कितना समय लगा था? यदि बहुत विलंब हुआ तो उसके कारण बताएं।

(ख) किस प्रकार रिपोर्ट की थी।

टेलीफोन से टैलीग्राम से विशेष संदेशवाहक से पत्र से

(ग) दुर्घटना स्थल का पहली बार किसने निरीक्षण किया और उसके द्वारा क्या कार्वाई प्रस्तावित की गई थी।

(घ) नियोजक द्वारा दुर्घटना के अन्वेषण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? (फोटोग्राफ/वीडियो फिल्म/दिए गए माप इत्यादि, के बारे में वर्णन करें)

10 साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियाँ :

क	नाम	पता	उपजीविका
1.			
2.			
3.			
4.			

ख क्या अस्थायी स्थायी

11 प्राणांतक की दशा में विशिष्टयाँ :

तारीख समय
यदि वह रजिस्टर्ड है तो भवन और अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड का रजि. सं. दें।

12 विनियम सं. के अन्तर्गत आने वाली खतरनाक घटनाएं (ब्योरा दें)

क उत्थापक साधित्रों, उत्तोलक, प्रवहणियों आदि के बैठ जाने या फेल हो जाने

ख मिट्टी, कोई दीवार, फर्श, गैलरी आदि के बैठ जाने या धस जाने

ग पारेषण टावरों, पाइपलाइनों, पुलों आदि के बैठ जाने

घ रिसीवर, जलयान आदि का विस्फोट

ङ अग्नि और विस्फोटक

च परिसंकटमय उपादानों का छलकन या रिसन

छ परिवहन उपस्करों के बैठ जाने, उलट जाने, गिर पड़ने या टकराने

ज सन्निर्माण स्थान पर हानिप्रद विषैली गैसों के रिसन या निर्मोचन

झ उत्थापक साधित्र, लूज गियर, उत्तोलक या भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य को संत्र; परिवहन, उपस्कर आदि के फेल हो जाने

13 नियोजक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणपत्र।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियां सभी प्रकार से सही है।

स्थान हस्ताक्षर

तारीख पदनाम

प्रति निम्नलिखित को जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित

1.

2.

3.

टिप्पण : यदि एक से अधिक व्यक्ति अंतर्वलित है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी पृथक प्रपत्रों में दी जानी है।

प्रपत्र – XV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 240 देखिए)

नियोजक द्वारा नियोजित भवन कर्मकार का रजिस्टर

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

स्थापन का नाम और स्थायी पता

कार्य का प्रकार और स्थान

क्रम सं0	कर्मकार का नाम और उपनाम	आयु और लिंग	पिता या पति का नाम	नियोजन की प्रकृति और पदनाम	कर्मकार के घरका स्थायी पता (ग्राम, ताल्लुका और जिला)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

स्थानीय पता	नियोजन के प्रारंभ की तारीख	कर्मकार का हस्ताक्षर और अंगुठा निशान	कर्मकार के पर्यवसान की तारीख	पर्यवसान के लिए कारण
7	8	9	10	11
1				
2				
3				
4				

यदि वह भवन कर्मकार या हिताधिकारी है/था तो, हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रेशन की तारीख, रजिस्ट्रेशन सं0 और कल्याण बोर्ड के नाम	टिप्पणियां
12	13
1	
2	
3	
4	

प्रपत्र - xvi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मास्टर रोल

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहाँ पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है, किया जाना है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

नियोजक का नाम और पता

.... मास के लिए

क्रम सं0	भवन कर्मकार का नाम नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	तारीख	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

प्रपत्र - xvii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मजदूरी का रजिस्टर

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है

स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

नियोजक का नाम और पता

मजदूरी अवधि : मासिक

क्र० सं०	कर्मकार का नाम	कर्मकार रजिस्टर में क्रम/संख्या	किए गए कार्य का नाम/ प्रकार	कार्य किए गए दिनों की संख्या	किए गए कार्य की यूनिट
1	2	3	4	5	6

अर्जित मजदूरी की रकम

दैनिक मजदूरी की दर मात्रानुपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अतिकालिक	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
7	8	9	10	11	12

कटौती, यदि कोई हो, (उपदर्शित करें)	शुद्ध संदत्त रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगुठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13	14	15	16

प्रपत्र - xviii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मजदूरी-सह-मस्टर रौल के रजिस्टर का प्रपत्र

उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है।

स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

क्र0 सं0	भवन कर्मकारों के रजिस्टर में क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	कार्य का नाम/ प्रकार	दैनिक उपस्थिति/ दिए गए कार्य की यूनिट	कुल उपस्थिति/ किए जा चुके कार्य का यूनिट
1	2	3	4	5	6
				1 2 3	1 2 3

अर्जित मजदूरी की रकम

दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अधिकालिक	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
7	8	9	10	11	12

कटौती, यदि कोई हो, (उपदर्शित करें)	शुद्ध संदत्त रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13	14	15	16

प्रपत्र - xix

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

नुकसान और हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है।
भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

भवन कर्मकार का नाम और स्थायी पता

नियोजक का नाम और स्थायी पता

क्र० सं०	कार्य का नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन का नाम/प्रकार	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	यदि भवन कर्मकार के विरुद्ध कटौती की जानी है तो कारण दर्शाएं
1	2	3	4	5	6	7

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था	अधिरोपित कटौती की रकम	किश्तों की सं०	वसुली की तारीख	
			प्रथम किश्त	अंतिम किश्त
8	9	10	11	12

प्रपत्र - XX

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

जुर्माना पंजी

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया हैं/किया जाता है। स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार नियोजक का नाम और पता

क्र० सं०	भवन कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन का नाम और प्रकार	कार्यालय जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया	अपराध की तारीख
1	2	3	4	5	6

यदि भवन कर्मकार के विरूद्ध जुर्माना किया गया है तो कारण बताए	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था	मजदूरी कालावधि और संदेय मजदूरी रकम	अधिरोपित जुर्माने की रकम	तारीख जिसको जुर्मानावसूल किया गया	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

प्रपत्र - xxi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

अग्रिमों का रजिस्टर

उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया हैं/किया जाना है। स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार नियोजक का नाम और पता

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन/पदाभिदान की प्रकृति	मजदूरी की अवधि और संदेय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम
1	2	3	4	5	6

प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया है	किश्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का संदाय किया जाना है	प्रति संदत्त प्रत्येक किश्त की तारीख और रकम	अन्तिम किश्त के प्रति संदाय की तारीख	टिप्पणियां
7	8	9	10	11

प्रपत्र - xxii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (1) (ग) देखिए)

अतिकाल का रजिस्टर

उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है/किया जाना है — स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार — नियोजक का नाम और पता

क्रम सं	निर्माण कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदाभिदान/नियोजन की प्रकृति	जिस तारीख को अतिकाल किया गया
1	2	3	4	5	6

कुल अतिकाल किया गया या मात्रानुपाती दर की दशा में उत्पादन	सामान्य मजदूरी की दर	अधिकाल मजदूरी की दर	उपार्जित अधिकाल	तारीख जिसको अधिकाल मजदूरी दी गई	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

प्रपत्र - xxiii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (2) (क) देखिए)

मजदूरी पुस्तिका

नियोजक का नाम और पता — स्थापन का नाम और स्थाई पता

स्थापन का नाम और पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जान है। — भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति

सप्ताह/पाक्षिक/माह................ तक के लिए

1. दिनों की संख्या जब तक कार्य किया

2. मात्रानुपाति दर के कर्मकारों की दशा में ....
कार्य की गई इकाईयों की संख्या

3. दैनिक मजदूरी/मासिक मजदूरी/मात्रानुपाति दर
मजदूरी की दरें

4. अधिकाल मजदूरी की रकम

5. दी जाने वाली सकल मजदूरी

6. निम्नलिखित कटौतिया, यदि कोई हो, के कारण:-

(क) जुर्माना

(ख) नुकसान या हानि

(ग) ऋण और उधार

(घ) भविष्य निधि के लिए अभिदान

(ड़) भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण को निधि के लिए अभिदान

(च) अन्य कटौतिया जैसे सहकारी सोसाइटी के लिए अभिदान या सहकारी सोसाइटी में उधार लेखा, मजदूरी संदाय अधिनियम को धारा-7 की उपधारा (2) के खंड (त) के उपखंड के अनुसार कोई अन्य राहत निधि में अंशदान या किसी अन्य एल. आई. सी. के प्रीमियम के लिए संदाय

7. शुद्ध रकमको दी गई मजदूरी — नियोजक या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र-xxiv

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 241 (2) (ख) देखिए)

सेवा प्रमाणपत्र

स्थापना का नाम और स्थाई पता — नाम और पता/वह स्थान जहां निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाता है/ किया जाना है।

कार्य की प्रकृति और स्थान ....

कर्मकार का नाम और पता ....

आयु या जन्म की तारीख ....

पहचान चिन्ह ....

पिता/पति का नाम ....

क्रम सं0	नियोजन की कुल अवधि से .... तक		किए गए कार्य की प्रकृति	मजदूरी की दरें मात्रानुपाति कार्य की दशा में यूनिट की विशिटिया	यदि भवन निर्माण का कर्मकार हिताधिकारी या तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या तारीख और बोर्ड का नाम
1.	2.	3.	4	5.	6.

पर्यवसित नियोजन के कारण/आधार	टिप्पणियां
7.	8.

नियोजक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-XXV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005
(नियम 242, देखिए)

रजिस्ट्रीकारण अधिकारी को दी जाने वाली नियोजक की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बार को समाप्त होने वाला वर्ष

1. स्थापना का पूरा नाम और पूरा पता जहाँ भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाना है (स्थान, डाकघर, जिला)..
2. स्थापना का नाम और स्थाई पता ....
3. नियोजक का नाम और पता ....

4. किये जा रहे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य की प्रवृति...

5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के उत्तरदायी प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम..................

6. मामूली तौर से नियोजित भवन निर्माण कर्मकार की संख्या ....

7. वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिसमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित थे ....

8. वर्ष के दौरान कुल कार्य के दिनों की संख्या जिनमें भवन निर्माण कर्मकारों ने काम किया

9. वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन नियोजित अधिकतम भवननिर्माण कर्मकारों की संख्या

10. नीचे दी गई वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या:-

(क)कुल दुर्घटनाओं की संख्या

(ख)ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए है, दुर्घटना ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा नष्ट कार्य दिवसों की संख्या।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से अधिक समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं परन्तु ऐसी अशक्तमान तो आंशिक है और न पूर्ण रूप से स्थाई है, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा ऐसी हुई दुर्घटनाओं के कारण से नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणाम स्वरूप स्थाई, आंशिक अथवा पूर्वअशक्तता हुई दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों की संख्या और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या;

(ड.) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिसके परिणाम स्वरूप भवन कर्मकार की मृत्यु हुई हो और जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की संख्या;

अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थापन के स्वामियों को यह निर्देश देगा कि वे संबंद्ध राज्य सरकार या समुचित सरकार की बाबत इस अधिनियम की धारा 60. के उपबंधों आधार पर रजिस्ट्रीकृत स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करें।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन उस स्थापन के स्वामियों को, यह निदेश देगा कि वह जो कि इस अधिनियम की धारा 60 के उपबंधों के आधार पर संबद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत आफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए है, निदेश देगा कि वे अपनी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करें।

11. स्थापन के प्रबंध में, उसके स्थान या किसी अन्य में यदि तब्दीली करनी है तो उसकी विशिष्टियाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में जिसमें तारीख भी उपदर्शित हो, रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देनी होगी।

नियोजक

स्थान-

तारीख-

प्रपत्र-xxvi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(नियम 74 (ख) देखें)

भाग I

उत्थापक यंत्रों की आरंभिक और कालिक भार की जाँच तथा उनका संपूर्ण वार्षिक परीक्षण

"संपूर्ण परीक्षण" से अभिप्रेत है चाक्षुण परीक्षा और यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपरक के लिए किसी अन्य साधनों के द्वारा जैसे हथौड़ा परीक्षण जो कि यदि परिस्थितियां अनुज्ञात करें उसे सावधानी पूर्वक किया जाए, इसलिए कि मांगों की सुरक्षा का परीक्षण करके एक विश्वसनीय निष्कर्ष निकल सके, और यदि जरूरत हो तो ऐसे परीक्षण के लिए उत्थापक यंत्रों और गियर को खोल दिया जाए।

(क)

उत्थापक यंत्र की आरंभिक और कालिक भार की जाँच

जाँच दिए गए उत्थापक यंत्रों की अवस्थिति और वर्णन उसके साथ सुभेदक चिन्ह यदि कोई हो।	जाँचका प्रमाणपत्र और सक्षम व्यक्ति के परीक्षण का संख्यांक	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए हैं स्तंभ (1)में दर्शाया उत्थापक यंत्र की जाँच हो गई थी और इसमें कोई खराबिया नहीं पाई गई जो कि दर्शाई गई स्तम्भ (5) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हों।	टिप्पणियां (तारीख के साथ हस्ताक्षर किए हुए।
		मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर

1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				

(ख)

सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए है स्तंभ (1) में दर्शाया उत्थापक यंत्र का सम्पूर्ण परीक्षण हो गया है और इसमें कोई खराबिया नहीं पाई गई जो कि दर्शाई गई स्तम्भ (1) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हो।

मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	हस्ताक्षर और तारीख के साथ टिप्पणिया
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.						
2.						

टिप्पणी:-यदि उत्थापक यंत्रों का सम्पूर्ण परीक्षण उसी तारीख को हो जाता है तो वे "सब उत्थापक यंत्रों" के स्तम्भ (1) में प्रविष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि नहीं, तो वे उन तारीखों को स्पष्ट तौर पर उपदर्शित करें जिन पर उनका सम्पूर्ण परीक्षण किया है।

भाग-2

लूज गियर का आरंभिक और अनधिक भार परीक्षण और संपूर्ण वार्षिक परीक्षा लूज गियर की सूची:

लूज गियर की निम्नलिखित श्रेणियाँ है,

1. कुट्टनीय ढलवा लोहे से बनी चेनें

2. प्लेट से जुड़ी चेने

3. इस्पात से बनी चेने, रिंग, हुक, कुन्डे और चुलछल्ला:

4. पिण्ड चेने,

5. पिण्ड चेनें, पुली ब्लौक, आधीन स्प्रेअर्स, ट्रेज, स्लिंग, बास्केट आदि और वैसी ही कोई अन्य गियर के साथ स्थायी रूप से जुड़ी रिंग, हुक, कुन्डे और चुलछल्ले:

6. स्क्रू थ्रेड वाले हुक और चुलछल्ले या बाल बियरिंग या अन्य केस हार्डन्ड पुर्जे और

7. थार्डा संयोजन

लुज गियरों का आरंभिक और आवधिक भार परीक्षण

सुमेक्षक चिन्ह सं0	परीक्षण और जाँच किए लूज गियर का वर्णन	परीक्षण के प्रमाणपत्रों को संख्या और सक्षम व्यक्ति की जाँच,	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मेरे हस्ताक्षर उपाबद्ध किए गए हैं, स्तंभ (1) और (2) में दर्शित गियरों का परीक्षण किया गया था और उसमें स्तम्भ (6)में दर्शित के सिवाय, सुरक्षित कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटियां' नहीं है	
			मुहर सहित तारीख और हस्ताक्षर	मुहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

लूज गियर की वार्षिक सम्पूर्ण परीक्षा

टिप्पणियां (हस्ताक्षरित करना और तारीख के साथ)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, स्तम्भ (1) और स्तम्भ (2) में दर्शित लूज गियरों की मेरे द्वारा संपूर्णतः परीक्षा ली गई थी और उनके सुरक्षित कार्यकरण की दशा को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटियां, सिवाय उनके जो स्तंभ (10) में दर्शाई गई है, नहीं पाई गई थी			
	तारीख और मुद्रा सहित हस्ताक्षर	तारीख और मुद्रा सहित हस्ताक्षर	तारीख और मुद्रा सहित हस्ताक्षर	टिप्पणियां हस्ताक्षर और तारीख के साथ
6.	7.	8.	9.	10.

1.
2.
3.
4.
5.

भाग iii

चेनों, रिंगों, हुकों, कुडियां और चूलछल्लों (सिवाय उनके जिन्हें छूट प्राप्त है) का तापानुशीतन

भाग-ii देखिए

सामान्य उपयोग में 12.5 मि. मी. वाले और इससे छोटे चैनें, रिंग, हुकें कुडियां और चूल, छल्ले	यदि विद्युत चलित उत्थापक साधित्र के साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए। यदि केवल हाथ से पकड़ कर उत्थापक साधित्र के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक बारह मास के कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए।
सामान्य उपयोग में अन्य चैनें, रिंग, हुकें, कुंडियां और चूलछल्ले	यदि विद्युत चलित उत्थापक साधित्र के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए। यदि हाथ से पकड़ कर उत्थापक सधित्र के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: यद्यपि नियमों द्वारा उपेक्षित नहीं है, यह सिफारिश की जाती है कि 30 मि. और 60 मिनट की अवधि तक 1100 डिग्री और 1300 डिग्री फारेनहाइट या 600 डिग्री और 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सामान को उचित रूप से किसी स्प्रीमीतित फरनेस में तापानुशीतित किया जाना चाहिए।

सुभेदक चिन्ह सं0	तापानुशीतित गियर का वर्णन	प्रमाणपत्र की सं. या परीक्षण और जाँच	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मेरे हस्ताक्षर उपाबद्ध किए गए है, स्तम्भ 1 और स्तम्भ 2 में वर्णित गियर मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावकारी रीति से तापानुशीतित या उसके पश्चात् इस प्रकार तापानुशीतित किए जा रहे प्रत्येक वस्तु को सावधानी पूर्वक जाँच कर ली गई थी और स्तम्भ 7 में दर्शित के सिवाय उसके सुरक्षित कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली त्रुटियां नहीं थी।			टिप्पणियां (हस्ताक्षर और तारीख)
			मुहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मुहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मुहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र- XXVII

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005
निबंधन हेतु आवेदन-पत्र

[देखें नियम-266 (4)]

1. नाम -
2. पता -
3. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं-हां/नहीं -
4. पिता का नाम -
5. वैवाहिक स्थिति - (विवाहित/अविवाहित/विधवा)
6. जन्म तिथि -
7. नाम, पता एवं लाइसेंस/निबंधन संख्या जहाँ आवेदक कार्य करते है। -
8. कार्य/नियोजन की प्रकृति -
9. ई0 एस0 आई0/भविष्यनिधि संख्या -
10. नियोजक का नाम एवं पता -
11. कुल सेवा अवधि -
12. चन्दे की दर - रु0 बीस
13. बैंक का नाम एवं शाखा जहाँ चंदा जमा किया जायेगा -
14. आवेदक अगर पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो उसका नाम, एवं आवेदक का निबंधन संख्या -

उपरोक्त तथ्य मेरे जानकारी एवं विश्वास से सही है।

स्थान-

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक-

नियोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या-xxviii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

नामांकन पत्र

[देखें नियम-266 (7)]

मैं निम्न व्यक्ति / व्यक्तियों को अधिकारिक आश्रित के रूप में नामित करता हूँ जो मेरेबदले मेरे मृत्यु होने की स्थिति में निधि से सभी देय रकम जो मेरे लाभ के रूप में है ग्रहण करेंगे:-

नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम एवं पता	सदस्य के साथ संबंध	नामांकित व्यक्ति की उम्र	नामांकितों को दी जानेवाली जानेवाली राशि
1.	2.	3.	4.

स्थान-

कामगार का नाम, पता एवं निबंधन संख्या

तिथि-

प्रपत्र संख्या-xxix

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड

(देखें नियम-274)

भवन निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र

आवेदन संख्या- शुल्क रू0-

(नये निर्माण/मरम्मत/जमीन भवन के साथ क्रय करने हेतु)

1. (क) आवेदक का नाम

(ख) स्थायी पता

(ग) वर्त्तमान पता

2. जन्म-तिथि

3. सेवा निवृति की तिथि

4. (क) पंजी संख्या-

(ख) निबंधन की संख्या-

(ग) किस्त की दर

(घ) प्रथम किस्त की तिथि

(ङ) अंतिम किस्त की तिथि

(च) कुल भेजे गये किस्त की रकम

(छ) क्या सदस्यता कभी पुर्नजीवित किया गया है

(ज) पुर्नजीवित सदस्यता की विवरणी

5. अग्रिम का उद्देश्य (नया निर्माण/मरम्मती/जमीन भवन के साथ क्रय करने हेतु।

6. क्या आवेदक को अपना घर है (पूर्ण विवरण दें)

7. याचित अग्रिम की राशि-

8. सम्पत्ति की विवरणी-

(क) पंचायत/शहर

(ख) ग्राम/मुहल्ला

(ग) प्रखंड/थाना

(घ) जिला

(ङ.) क्षेत्रफल

(च) सर्वे नं0-

(छ) संपत्ति का मूल्य-

9. क्या आवेदक भवन निर्माण अग्रिम कहीं से प्राप्त किया है?

10. नक्से के अनुसार निर्माण / मरम्मती हेतु अनुमानित राशि

11. ऋण के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से जमा राशि

12. क्या आवेदक इस बोर्ड से पूर्व में ऋण प्राप्त किया है

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरे जानकारी एवं विश्वास से सत्य एवं सही है।

स्थान- हस्ताक्षर

दिनांक- नाम-

संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की विवरणी

1. नक्शा एवं प्राक्लन (अनुमोदित)
2. 14 वर्षों का भार रहित प्रमाण पत्र (Non incumbrance Certificate)
3. अवस्थिति प्रमाण पत्र
4. भुगतान रसीद
5. मूल निबंधन पत्र
6. राशन कार्ड की सत्यापित प्रति (केवल मरम्मत के लिये)
7. भवन स्वत्वाधिकार पत्र (केवल मरम्मत हेतु)
8. पहचान पत्र एवं पास बुक की सत्यापित प्रति
9. भवन अधिकार प्रमाण-पत्र
10. भवन मरम्मत हेतु भवन की अवधि प्रमाण-पत्र
11. परिसंपत्ति का मूल्यांकण प्रमाण-पत्र
12. निर्माण हेतु प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र
13. घोषणा पत्र की आवेदक/आवेदक की पत्नी/पति और बच्चों के नाम से कोई भवन नहीं है।

MORTGAGE DEED

This deed of Mortgage is executed on this the .... day of .... one thousand nine hundred and ninety .... by Sri/Smt. .... son / daughter / wife of .... aged .... residing at .... Village .... Block .... District and Sri/Smt. .... son / daughter / wife of Sri .... Aged .... residing .... Village .... Block .... District ....

(thereinafter called the Mortgagor / Mortgagors which expression shall include his / her their executers, administers, legal representatives and assigns) in favour of the Bihar Building and other Construction work Welfare Board established under the Building and other Construction Workers. Welfare Act and having its Chief Office at Patna. (thereinafter called the 'the Mortgage' which expression shall include its successors or assigns wherever the context or meaning thereof shall so require or permit).

Where as the Mortgagor / Mortgagors has / have applied to the Mortagee for a loan of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) for the construction of a house on the land more particularly mentioned and described in the schedule here under written :-

AND WHEREAS on the request of the Mortgager / Mortgagors the Morgagee has agreed to lent an advance in two instalments to the mortgager a loan of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) subject to the converants, terms and conditions herein contained and having the repayment thereof, secured in the manner hereinafter expressed

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) now lent and advance / and paid by the Mortgagee to the Mortgagor / Morigagors, (the receipt where of the Mortgagor hereby admist and acknowledges) the Mortgagor / Mortgagors hereby transfers / transfer by way of simple Mortgage the immovable property more particularly mentioned and described in the schedule hereunder written togather with the building to be constructed thereon and other improvements thereon from time to time to the intent that of the said property and the building and other improvements shall remain and be charged as security for payment to the Mortgagee of the said loan amount interest and cost and the Mortgagee shall have the first charge over the same.

2. The loan amount shall be paid to the Mortgagor / Mortgagors by the Mortgagee in two instalments that the first instalment of sum of Rs. 20,000/- (Rs. Twenty thousand only) equal to 40% of the loan sanctioned shall be paid to the Mortgagors / Mortgagors for starting construction, that the 2nd and final instalment of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty thousand only) equal to 60% of the loan shall be paid after completing the construction of roof and on starting finishing works. The construction of the building shall be completed in all respects utilising the 2nd instalment and certificate of completion shall be produced within two month from the receipt of last instalment.

3. The instalments shall be paid only subject to the availability of funds and the non-payment of amounts due to paucity of funds shall not entitle the Mortgagor / Mortgagors to realise any loss that he / she / they may sustain on that account from the Mortgagee.

4. The Mortgagor / Mortgagors hereby assures / assure up to the Mortgagee that he / she / they are the absolute owners of the property mentioned in the schedule here to and that they are free from any encumbrance or charge of any description whatsoever or any attachment or restraints on alienation.

5. The Mortgagor / Morgagors shall not at any time during the continuance of this security create any Mortgage lien or charge by way of hypothecation, pledge, or otherwise create encumbrance of any kind whatsoever in respect of the properties described in the schedule here to or any part thereof or let or lease them except with the prior permission in writing of the Chief Executive Officer, Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board until the whole amount with interest are fully repaid.

6. The loan shall bear interest at the rate of 5% per annum or such other higher rate of interest as may be fixed by the Mortgagee from time to time.

7. The loan shall be repaid by the Mortgagor / Morgagors in monthly instalments at the rate as would be fixed and intimated by the Mortgagee. The first instalment becoming due on the expiry of 6 months from the date of disbursement of the first instalmen, subsequent instalments shall be paid on or before the 10th day of succeeding month for 167 months. Any interest due on the loan amount outstanding on the date of payment of an instalment shall be paid along with the instalment.

8. At the time of disbursement of the 2nd instalment the Mortgagee shall deduct the interest and other expenses due on the 1st instalment till the date of payment of the 2nd instalment. If the Mortgagee pays only a part of the loan amount to the Mortgagor due to the non availability of funds such part of the loan shall be repaid by the Mortgager in instalments at the rate as would be fixed and intimated by the Mortgagee.

9. If the Mortgagor / Mortgagors dies / die before the disbursement of the remaining instalments of the loan after having received one or more instalments of the loan and if his / her / their heir on in his executor / executors refused / refuse to avail of the remaining instalments and also refused or refuse to complete the construction of the house according the approval plan and estimate within one year after the date of disbursement of the first instalment of the loan the whole loan advanced with interest shall be liable to be summarily recovered by proceeding against the proprieties movable or immovable of the deceased Mortgagor / Mortagors under the provision of the Revenue Recovery Act for the time being in force and the relevant provisions of the Bihar building and other Construction Workers Welfare Rules as if such sum were arrears of public Revenue due on land or in such other manner as the Mortgagee may deem fit.

10. If the heir / heirs executors of the deceased Mortgagor / Mortgagors does / do not require the balance instalments of the loan and are, however willing to complete the construction at her / his / their cost the amount already paid to the Mortgagor / Mortgagors out of the sanctioned loan will be treated as the actual amount of the loan sanctioned and the recovery shall be effected at the rate of instalments prescribed for that amount of loan.

11. The Mortgagor/Mortgagors shall remit the instalments in the Banks prescribed by the Mortgagee in the manner specified for this purpose or by the chalan prescribed by the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board.

12. If any instalment of principal or interest is not remitted on the due dates a penal interest at the rate of 5% in addition to the usual rates shall be paid and such amount as are not paid on due dates.

13. The loan amount shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned. Each instalment of the loan referred to in Clause II above shall be utilised within the time limit prescribed. In case the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to claim the subsequent instalment within three months from the drawl of the previous instalments such previous instalment shall be treated as the last instalment unless the time is extenede by conditions prescribed for the grant of the loan.

14. If the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to utilise any instalment of loan within the maximum period admissible and does not apply for such sequent instalment of loan as provided in the conditions the amount already disbursed shall be recoverable from him/her/them with interest in lump.

14. A If the Mortgagor/Martgagors is/ are found to have failed in utilising the amount for the construction of house as specified in the mortgage deed within the prescribed period, the mortgagee is entitled to realise the entire loan amount plus other charges with interest in a lump after the issuance of a registered notice directing to pay the amount within a period of 30 days.

(a) If the Mortgagor/Mortgagors repay the amount due in lump sum within the stipulated period the mortgage deed shall be released.

(b) If the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to repay the amount due within the period of 60 days as stipulated above the mortgagee will have the right to take step to realise the entire dues to the Board in lump. In addition to that a penalty not exceeding 5% of the loan amount actually received by the loanee or Rs. 1000/-(Rupees One thousand only). Whichever is higher shall also be realised from the Mortgagor/ Mortgagors.

15. In the event of any information furnished in the application being found false or materially incorrect, the Mortgagee shall cancel the loan and recover the entire amount outstanding in lump with interest accrued thereon by selling the mortgaged property besides taking such legal action against the borrower as may be considered desirable.

16. The Mortgagor/Mortgagors shall not alter or modify the building constructed in accordance with the plan approved by the Mortgagee so as to diminish the value of the property or construct any other building in the property, offered as security till the entire amount with interest are repaid.

17. In case of the Mortgagor/ Mortgagors any time make default in the payment of two consecutive instalments or commits breach of all or any of the terms and conditions contained herein the balance of the principle of sum which shall for the time being remain unpaid together with interest accured thereon and all sums found due to the Mortgagee under or by virtue of these presents shall forth with become payable in a lump at once and in case of default of payment of the whole sum immediately the Mortgagee shall have power without the intervention of any court to take possession of the Mortgaged property amounts due to the Mortgagee will be disbursed to the Mortgagor. The Mortgagee shall also have all the powers vested in the Mortgagee under the provision of the Transfer of Property Act, 1882.

18. Without prejudice to any or all of the other rights and remedies of the Mortgagee all sums found due to the Mortgagee under or by virtue of these presents shall be recoverable from the Mortgagee /Mortgagors and his/her /their properties, movable and immovable under the provisionms of the Revenue Recovery Act for the time being in force as though they are arrears of Public Revenue due on land and in accordance with the relevant provision of the Bihar Building and Other construction Workers Act in any other manner as the Mortgagee may deem fit.

19. The Mortgagor/Mortgagors shall be bound by the terms of the application form and the condi-

tions attached there to which shall from part of this deed as if they are incorporated on this deed.

20. This Mortgage has been fully explained to the Mortgagor/Mortgagors and the Mortgagor/ Mortgagors has/have executed these presents fully understanding the implications thereof and all his/her/their obligations there under and after receiving such advice.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

(here enter details of all land and buildings)

IN WITNESS WHEREOF Sri ....

The Mortgagor/s here to set his / her / their bands the day and year first above written signed by Sri / Smt. .... in the presence of witnessess:

1.

2.

Signed by Sri/Smt .... in the presence of witnesses

1.

2.

STATE CERTIFICATE FOR RELEASE OF SECOND INSTALMENT OF ADVANCE SANCTIONED BY THE BIHAR BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD UNDER HOUSING LOAN SCHEME

BENEFICIARY

1. Reg. No. ....
2. Name ....
3. Address ....
4. Signature ....

PROPERTY

District ....

Block ....

Village ....

Sl. No. ....

The Construction of building in the property detailed above by the beneficiary specified above has reached/completion of foundation basement and on completion work up to lintel level/completion of the lintel work/completion of the linter work and 50% of the work of the roof and stored and materials for the work of shutters/completion of the roof work and has been completed 40% of the finished works as per the plan and the beneficiary is eligble for the second instalment of the loan sanctioned by the Bihar Building and other Construction Workers Welfare Board.

Certified that the work valued of Rs. .... has been carried out by the beneficiary as on ....

Place :

Date :

Signature of District, Executive Officer / B. E.O.
or any Authorised officer with name and
Designation
Name of Office.

प्रपत्र संख्या-XXX

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

[(देखें नियम-268(2)]

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

कामगारों की विस्तृत विवरणी से संबंधित माह का विवरणी।

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता-

क्रमांक	पिछले माह के अंत में कामगारों की संख्या	वैसे कामगार/कामगारों की संख्या/नाम जो माह के अन्तर्गत सेवा छोड़कर चले गये	कामगारों की सं0 एवं नाम जिसे निबंधित करना है	माह के अंत में कामगारों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.

स्थान

तिथि कार्यालय मुहर नियोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

प्रपत्र-XXXi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

[देखें नियम-268 (3)]

प्रतिष्ठान विवरणी

1. प्रतिष्ठान का नाम-
2. प्रतिष्ठान का स्वरूप-कंपनी/साझेदारी/अथवा वैयक्तित्व स्वामित्व
3. साझेदारी/निर्देशक/मालिक का नाम
4. कार्यकारी साझेदार/कार्यकारी निदेशक/जिनका प्रतिष्ठान पर स्वत्वाधिकार हो उसका नाम-

5. शाखाओं के संबंध में विस्तृत विवरणी-

6. दखलकारों के संबंध में विवरणी-

स्थान-

दिनांक- नाम, हस्ताक्षर एवं पदनाम

कार्यालय मुहर-

प्रपत्र-xxxii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्त विनियमन) नियमावली- 2005

[(देखें नियम-266(8)]

परिचय पत्र का प्रपत्र

फोटो

पृष्ठ-1

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर,

दिनांक एवं पदनाम

(कार्यालय मुहर सहित)

पृष्ठ-ii

सदस्य का नाम-

पता

पुरुष/महिला

कार्य का नाम

निबंधन संख्या

जिला-

निबंधन तिथि-

बैंक का नाम एवं शाखा जहाँ चंदा जमा किया जायेगा-

चंदे की दर - 20 रुपये प्रतिमाह

पृष्ठ-iii

जन्म-तिथि

उम्र-

सेवा निवृत्ति की तिथि-

वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित

पति/पत्नी का नाम-

पता-

क्या पति/पत्नी इस बोर्ड के सदस्य है-हाँ / नहीं

अगर हाँ तो नाम एवं निबंधन संख्या-

नामांकित व्यक्ति का नाम-

सदस्य से संबंध-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निबंधन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रपत्र-xxxiii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

पहचान पत्र पंजी

[देखें नियम-266 (8)]

जिला का नाम-

क्रमांक	परिचय पत्र संख्या	जारी करने की तिथि	कामगार का नाम एवं पता	जिला कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर	मंतव्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्रपत्र-XXXIV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-271)

मातृत्व लाभ हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता-
2. निबंधन संख्या-
3. उम्र एवं जन्म तिथि-
4. पति का नाम-
5. गर्भधारण की अवधि
6. क्या आपने इस लाभ को प्राप्त करने के लिये पूर्व में आवेदन दिया था
7. अगर हाँ तो कितनी बार पूर्ण विवरण के साथ
8. निबंधन की तिथि
9. प्रथम किश्त भुगतान की तिथि एवं राशि-
10. अंतिम किश्ते भुगतान की तिथि-
11. बैंक का नाम एवं स्थान -
12. जमा किये गये अभिलेखों की विवरणी

    (क) चालान की प्रति

    अथवा

    पास बुक की प्रति

    (ख) चिकित्सा प्रमाण-पत्र मूल रूप में

उपरोक्त दिये गये तथ्य मेरे विश्वास एवं जानकारी से सही हैं।

स्थान-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि-

चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक सिविल सर्जन के स्तर से नीचे नहीं हो से प्राप्त किया जाना चाहिये

मैंने श्रीमती- उम्र

पत्नी का परीक्षण किया है।

वे माह की गर्भवती हैं। इन्होंने बच्चे का जन्म को दिया था।

स्थान- कार्यालय मुहर-डॉक्टर का नाम

तिथि-

प्रपत्र-XXXV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली 2005

(देखें नियम-273)

सेवा निवृत्ति वेतन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता-
2. निबंधन संख्या-
3. 60 वर्ष उम्र पूरा करने की तिथि-
4. प्रथम किस्त जमा करने की तिथि-
   राशि एवं बैंक का नाम-
5. क्या किस्त जमा करने में कोई टूट हुई है?

   अगर हाँ तो कारण-
6. अंतिम किस्त जमा करने की तिथि, राशि एवं बैंक का नाम-
7. अभिलेखों की विवरणी-

   (क) परिचय पत्र

   (ख) पास बुक

   (ग) चालान/बैंक ड्राफ्ट

8. पेंशन किस पते पर भेजा जायेगा-

9. कोई अन्य सूचना-(किसी अन्य कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त किये हो तो उसकी विवरणी

उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही है।

स्थान-

तिथि-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र-XXXVi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली 2005

[(देखें नियम-273 (6)]

पेंशन भुगतान पंजी-

पी० पी० ओ० नम्बर	पेंशन पाने वाले का नाम एवं पता तथा बोर्ड की सदस्यता संख्या	जन्म तिथि योजना में शामिल होने की तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	कुल सेवा अवधि
1.	2.	3.	4.	5.

स्वीकृति पदाधिकारी का आदेश की संख्या एवं तिथि	पेंशन जारी होने की तिथि	पेंशन की मासिक दर रूपये	सचिव/जिला प्रशासक के/लघु हस्ताक्षर एवं तिथि
6.	7.	8.	9.

मंतव्य

पेंशन को रद्द करने की तिथि, कारण के साथ यहाँ उल्लेख किया जाय। सचिव/जिला प्रशासक के हस्ताक्षर के साथ

10.

भुगतान किये गये पेंशन की विवरणी

माह/वर्ष	पेंशन की राशि	मनिआर्डर भेजने की तिथि	सचिव/जिला प्रशासक का लघु हस्ताक्षर तिथि सहित	मंतव्य अहस्तगत मनिऑर्डर इत्यादि की विवरणी का उल्लेख
11.	12.	13.	14.	15.

प्रपत्र-xxxvii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्त विनियमन) नियमावली- 2005

[(देखें नियम-278 (2)]

मृत्यु लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदन का नाम एवं पता-
2. कामगार से संबंध-
3. कामगार का नाम एवं पता-
4. निबंधन संख्या-
5. उम्र एवं जन्म तिथि-

6. क्या कामगार विवाहित थे-

7. मृत्यु का प्रकृति (विस्तृत विवरणी दें)

8. जमा किये गये अभिलेखों की विवरणी-

9. सहायता राशि जिसके लिये आवेदन किया गया है-

उपरोक्त सूचनायें मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही है-

स्थान- नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि-

प्रपत्र-XXXVIII

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

[देखें नियम-278 (4)]

मृत्यु लाभ पंजी

1 क्रमांक

2. आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि-

3. कामगार का नाम एवं निबंधन संख्या

4. किस्त अवधि

5. मृत्यु तिथि

6. आदेश संख्या एवं तिथि

7. नामांकित व्यक्ति का नाम एवं पता

8. तथा सदस्य के साथ संबंध

9. मृत्यु लाभ की राशि

10. राशि वापसी

11. कुल-

12. लघु हस्ताक्षर-

प्रपत्र-xxxix

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियमावली- 2005

[देखें नियम-275 (2)]

विकलांगता पेंशन आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम-
2. उम्र एवं जन्म तिथि-
3. निबंधन संख्या-
4. प्रथम किस्त भुगतान की तिथि/
   राशि एवं बैंक का नाम तथा शाखा
5. अंतिम किस्त भुगतान की तिथि, राशि एवं बैंक का नाम-
6. भुगतान किये गये किस्त की कुल राशि-
7. बीमारी/दुर्घटना विवरणी-
8. अशक्तता की प्रकृति/बीमारी/दुर्घटना-
9. सरकारी अस्पताल में कराये गये चिकित्सा की विवरणी-
   भर्त्ती की तिथि-छुट्टी की तिथि
10. क्या रोगी को पलास्टर चढ़ाया गया था? अगर हाँ तो कितने दिनों के लिये-
11. चिकित्सा पर किये गये व्यय की राशि (मेडिकल बिल चिकित्सक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न किया जाना चाहिये।
12. जमा किये गये अभिलेखों की विवरणी
13. अगर किसी तरह की सहायता पूर्व में प्राप्त की गयी हो तो विवरणी दें:-
14. सरकार से/किसी अन्य संस्थान से उपरोक्त चिकित्सा के लिये सहायता प्राप्त की गयी हो तो उसकी विवरणी दें।

उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही हैं।

स्थान-

तिथि- आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या-XL

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-276)

उपकरण ऋण हेतु आदेश पत्र

आवेदन/संख्या- शुल्क-2.00रु0

1. आवेदक का नाम-
2. पिता/पति का नाम-
3. आवासीय पता-
4. निबंधन संख्या-
5. बैंक का नाम जहाँ किस्त जमा किया गया है-
6. उम्र एवं जन्म-तिथि-
7. मासिक आय
8. आवेदक के अन्य संपतियाँ
9. जमानतदार का विवरणी

   नाम एवं पता-

   व्यवसाय एवं पता-

   उम्र एवं जन्म तिथि-

   वर्त्तमान कुल मासिक आय-

जमानतदार द्वारा धारित अन्य संपतियों की विवरणी-

क्या जमानतदार द्वारा आय लेन देन में जमानत दिया गया है-

अगर हाँ तो विवरणी दें:-

10. क्या नियोजक द्वारा दिये गये वेतन प्रमाण-पत्र को संलग्न किया गया है:-
11. ऋण किये जाने वाले उपकरणों की विवरणी-

(क) प्रकार

(ख) निर्माण वर्ष-

(ग) मोडल

(घ) बीजक मूल्य (प्रति संलग्न)

(ङ.) आपूर्ति कर्त्ता/विक्रेता का नाम एवं पता

12. (क) आवेदित ऋण राशि-

(ख) कटौती हेतु प्रस्तावित किश्त की संख्या-

घोषणा

(क) मैं/हमलोग विश्वास दिलाते हैं कि प्राप्त राशि का उपभोग उल्लेखित कार्य के लिये किया जायेगा।

(ख) अगर राशि का उपभोग दिये गये उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तो बोर्ड को राशि वापस लेने का अधिकार होगा।

(ग) मैं, हमलोग इस तथ्य से अवगत हैं कि राशि स्वीकृत करने का स्वत्वाधिकार बोर्ड का है जिसके लिये मैं/हमलोग आवश्यक बंधक पत्र बोर्ड के आवश्यकतानुसार एवं जरूरत के अनुसार देंगे।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान-

दिनांक-

जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर-

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिये)

आवेदन पत्र जो श्री ....द्वारा जमा किया गया है के रूप में........................ नियोजित हैं, को सत्यापित किया गया।

नियोजन प्रमाण-पत्र एवं जमानतदार प्रमाण-पत्र जो जमानत के रूप में संलग्न है। नियोजक का जवाबदेही पत्र संलग्न है।

राशि-(अंकों में) - रुपये शब्दों में- स्वीकृत उपरोक्त उद्देश्य के लिये किया जा सकता है। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से 75% बीजक मूल्य रू0................ की वापसी - किश्तों में कर ली जाय।

ऋण की अंतिम किस्त-किस्तों के भुगतान के बाद शेष राशि एवं अन्य कर्ज की राशि होगी।

जिला कार्यान्वयन पदाधिकारी

स्वीकृत/अस्वीकृत

सचिव

प्रपत्र-XLi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

[देखें नियम-266 (3)]

नियोजन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/पुत्र/पुत्री/पत्नी................................श्री.................................... ग्राम/मुहल्ला.........................थाना.....................प्रखंड...........................जिला...................जिनका वर्तमान निवास..................................ग्राम/मुहल्ला-अथवा-प्रखंड................................जिला........................स्थायी/कार्यकारी/अस्थायी कामगार-पदनाम..................................है।

उनका/उनकी विस्तृत सेवा विवरणी निम्न है –

1. सेवा में प्रवेश की तिथि-
2. निरंतर सेवा प्रारंभ की तिथि-
3. सेवा निवृत्ति की तिथि-

उनका/उनकी वेतन इत्यादि की विवरणी

वेतनमान	रुपये	कटौती	रुपये
1. मूल वेतन		1. भविष्यनिधि	
2. महँगाई भत्ता		2. जीवन बीमा कटौती	

3. किराया भत्ता

4. क्षतिपूरक भत्ता

5. अन्य

कुल-(क)

शुद्ध वेतन-(क-ख) रुपये

3. आयकर

4. ऋण अदायगी

5.अन्य अदायगी

कुल- (ख)

स्थान-

तिथि

हस्ताक्षर

नाम-

कार्यालय प्रधान का पदनाम/विभाग

कार्यालय मुहर-

वेतन से ऋण अदायगी हेतु जिम्मेवारी प्रमाण-पत्र

मैं (पूरा नाम)

(कार्यालय/विभाग) बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से वादा करता हूँ कि रू0.......... ....एवं सूद की राशि बोर्ड के अनुसार जिसके वापसी का जिम्मा..............................किस्तों में करने का वापस लिया गया है...........................किस्तों में वापसी का जिम्मा लेता हूँ......................... जो प्रत्येक माह....................तिथि................................तक वापस किया जायेगा।

मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर भुगतान में टूट होती है तो उपरोक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि मेरे वेतन से काट कर मेरे नियोजक द्वारा बोर्ड को भुगतान किया जायेगा जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

स्थान-

तिथि-

मैं उपरोक्त भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूँ।

स्थान-

तिथि-

कार्यालय प्रधान/विभाग का हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

प्रपत्र XLii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-277)

दाह संस्कार सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता-
2. आवेदक का कर्मकार के साथ संबंध-
3. कर्मकार का नाम एवं पता
4. निबंधन संख्या-
5. निबंधन तिथि-
6. प्रथम किस्त भुगतान की तिथि, राशि एवं बैंक का नाम तथा शाखा
7. अंतिम किस्त भुगतान की तिथि, राशि, बैंक का नाम तथा शाखा
8. सदस्यता अवधि-
9. क्या सदस्यता चालू था?
10. कामगार के मृत्यू की तिथि-
11. मृत्यु का कारण-
12. क्या आवेदक कामगार द्वारा नामांकित थे।
13. अगर नहीं तो क्या आवेदक द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र दिया गया है-
14. नामांकित का नाम, उम्र एवं जन्म-तिथि-
15. अगर नामांकित नाबालिग हैं तो उनके अभिभावक का नाम एवं बच्चों से संबंध-
16. क्या दुसरे नामांकित का सहमति पत्र संलग्न किया गया है (जहां नामांकित की संख्या एक से अधिक हो)
17. क्या नाबालिग बच्चों द्वारा अभिभावक प्रमाण पत्र जमा किया गया है-
18. आवेदित सहायता राशि-

उपरोक्त सूचनायें मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही है।

स्थान-

तिथि- आवेदक का हस्ताक्षर नाम एवं पता

प्रपत्र-XLiii

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-279)

नगद पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

उत्तीर्ण परीक्षा का नामः-

1. छात्र का नाम- पु0/स्त्री
2. पता
3. विद्यालय का नाम एवं पता
4. अद्यतन सत्र-परीक्षा पास करने का - निबंधन सं0
   माह एवं वर्ष
5. उम्र एवं जन्म-तिथि-
6. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के है
7. परीक्षा में प्राप्तांक-
   विषय- प्राप्तांक- अधिकतम अंक
   कुल-
8. माता/पिता का नाम-
9. पता
10. निबंधन संख्या-बि0 भ0 ए0 स0 क0 बोर्ड
11. प्रथम किश्त भुगतान की तिथि, राशि, बैंक का नाम एवं शाखा

स्थान-

दिनांक-

स्थान-

तिथि-

उपरोक्त सूचनायें मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही हैं।

छात्र का हस्ताक्षर

माता-पिता का शपथ पत्र

मैं...(नाम एवं पता) बि0भ0 एवं स0क0 बोर्ड का सदस्य हूँ। मेरी सदस्यता संख्या...है। श्री/कु0 मेरे पुत्र/पुत्री है। आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही है। अगर यह जाँच करने पर गलत पाया गया तो बोर्ड से इस मद में प्राप्त सभी राशि वापस कर दी जायेगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि सचिव द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा

स्थान-
तिथि- माता/पिता का हस्ताक्षर

जिला कार्यान्वयन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन श्री/श्रीमती...............................पता............................... बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं जिसका निबंधन सं0.......................... है। ये नियमित रूप से किस्त का भुगतान तिथि...से कर रहेहै। मैं इस आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने कीअनुशंसा करता हूँ।

जिला कार्यान्वयन पदाधिकारी।

प्रपत्र-XLIV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-281)

चिकित्सा लाभ हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता-
2. उम्र एवं जन्म तिथि-
3. निबंधन संख्या-
4. प्रथम किस्त भुगतान की तिथि राशि-बैंक का नाम
5. अंतिम किस्त. भुगतान की तिथि राशि-बैंक का नाम-
6. किश्त के रूप में भुगतान की गई कुल राशि-
7. बीमारी/आपरेशन के संबंध में विवरणी-
8. बीमारी के कारण अक्षमता की विवरणी-
9. सरकारी अस्पताल में अंत रोगी के रूप में चिकित्सा की अवधि-
   भर्ती की तिथि- छुट्टी की तिथि-
10. जमा दिये गये अभिलेखो की विवरणी-
11. पूर्व में प्राप्त चिकित्सा लाभ की विवरणी-

उपरोक्त तथ्य मेरे जानकारी एवं विश्वास में सही है।

स्थान-
तिथि- आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र-XLIV (क)

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-281)

दुर्घटना स्थिति में एक्सग्रेसिया चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन पत्र-

1. आवेदक का नाम एवं पता
2. उम्र एवं जन्म तिथि-
3. निबंधन संख्या-
4. प्रथम किश्त भुगतान की तिथि, राशि, चालान संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा
5. अंतिम किश्त भुगतान की तिथि, चालान संख्या, राशि, बैंक का नाम एवं शाखा
6. किश्त भुगतान की पूरी राशि-
7. दुर्घटना की पूर्ण विवरणी-
8. दुर्घटना के कारण अपंगता की प्रकृति
9. क्या सरकारी अस्पताल में चिकित्सा हुई थी? अगर हाँ तो प्रवेश की तिथि ....
   एवं छुट्टी................................की तिथि
10. क्या आवेदक को प्लास्टर चढ़ाया गया था, हाँ तो कितने दिनों तक
11. जमा किये अभिलेखों की विवरणी-
12. आवेदित आर्थिक सहायता की विवरणी
13. क्या चिकित्सा हेतु पूर्व में आपको किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो विवरणी का उल्लेख करें।

उपरोक्त तथ्य मेरे विश्वास एवं जानकारी से सही है।

स्थान-

दिनांक- आवेदक का नाम

प्रपत्र-XLV

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-282)

छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र

पाठ्यक्रम का नाम- वर्ष-

1. छात्र/छात्रा का नाम
2. स्त्री/पुरुष
3. (क)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

   (ख)क्या प्रमाण-पत्र संलग्न है-
4. महाविद्यालय का नाम- विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता-
5. पाठ्यक्रम का नाम एवं वर्ष-
6. पाठ्यक्रम में नामांकण की तिथि-
7. छात्र/छात्रा की उम्र एवं जन्म तिथ-
8. उत्तीण अर्हता परीक्षा की विवरणी-
9. परीक्षा का नाम- संम्बद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/राज्य- अर्हता परीक्षा के उत्तीण होने का माह एवं वर्ष
10. अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक- पूर्णांक-

    विषय- प्राप्तांक- पूर्णांक- प्रतिशत
11. (क)आवेदक के माता पिता का नाम-

    (ख)निबंधन संख्या-

    (ग)प्रथम किस्त भुगतान की तिथि-

    (घ)अंतिम किस्त भुगतान की तिथि-

    (ङ)कुल भुगतान किये गये किस्त की संख्या-

    (च)कुल भुगतान किये गये रकम-

(छ)स्थायी पता-

(ज)क्या सदस्यता पुर्नजीवित किया गया है-हाँ/नहीं

उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है। अगर मुझे छात्रवृति हेतु चयनित किया गया तो मैं निर्धारित नियमों का पालन करूँगा।

स्थान-

दिनांक- छात्र का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र के माता/पिता का शपथ पत्र

मैं (नाम एवं पता) छात्र/छात्रा का नामएवं पता- का पिता सत्यनिष्ठा से निम्न घोषणा करता हूँ।

1. मेरा पुत्र/पुत्र श्री/सुश्री.................................अध्ययन कर रहे है। पाठ्यक्रम का नाम............ ....एवं वर्ष...

2. मैं बोर्ड का..वर्षो से सदस्य हूँ।

निबंधन संख्या.........................है।

3. किस्त का भुगतान..........................तक किया हूँ।

4. अगर उपरोक्त तथ्य गलत पाया गया तो छात्र को स्वीकृत छात्रवृति मेरे द्वारा वापस कर दिया जायेगा। सचिव द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय मुझ पर बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। इससे मैं सहमत हूँ।

5. मैं किसी राशि के गलत भुगतान होने पर वापसी की जिम्मेवारी लेता हूँ।

स्थान-

तिथि- नाम एवं हस्ताक्षर

(राजपत्रित पदाधिकारी के सामने हस्ताक्षर किया जायेगा)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमती/श्री..........................ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

स्थान-

दिनांक- मुहर- अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर एवं पदनाम

मैं.................................प्राचार्य (संस्था का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि श्रीमती/श्री................ ....वर्ष में ....पाठ्यक्रम के छात्र है। मैं छात्र द्वारा जमा किये जानेवाले आवेदन पत्र का जाँच किया हूँ। मैं संतुष्ट हूँ कि यह सही है। यह संस्था....................विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है।

स्थान
दिनांक कार्यालय मुहर प्राचार्य/प्रधान का हस्ताक्षर
नाम-
पदनाम-

जिला कार्यपालक पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन

1. श्री/श्रीमती..............................बोर्ड के नियमित सदस्य है, जिसका निबंधन सं0................है नियमित रूप से किस्त का भुगतान करते है।

2. इन्होने..............................से......................तक नियमित रूप से किस्त का भुगतान किया है। इनके नाम किस्त भुगतान में टुट नहीं की गयी है। सदस्यता...................की अवधि का पुर्नजीवित किया गया है।

मैं आवेदन पत्र का अनुशंसा करता हूँ/अनुशंसा नहीं करता हूँ

(रद्द करने का कारण)

जिला कार्यपालक पदाधिकारी

प्रपत्र-XLvi

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-283)

विवाह सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम-
2. पता-
3. निबंधन संख्या-
4. उम्र एवं जन्म-तिथि-
5. प्रथम किस्त भुगतान की तिथि, राशि, बैंक का नाम एवं शाखा-

6. अंतिम किस्त भुगतान की तिथि, राशि बैंक का नाम एवं शाखा-

7. सदस्यता की अवधि-

8. क्या सदस्यता चालू है-

9. आवेदन पत्र क्या पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु है:-

(1)क्या पति/पत्नी इस बोर्ड के सदस्य है-

(2)अगर हाँ तो क्या वे आर्थिक सहायता के लिये आवेदन दिये है।

(3)पुत्र/पुत्री की उम्र तिथि जिसका विवाह हो रहा है।

(4)पुत्र/पुत्री के वर/वधू का पता

(5)विवाह की तिथि एवं स्थान

(6)विवाह प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं तिथि-

(7)अगर किसी अन्य पुत्र/पुत्री के विवाह अग्रिम के लिये आवेदन दिया है तो उसकी विवरणी

10. क्या आवेदन पत्र अपने विवाह के लिये है (केवलमहिला कर्मियों का)

(1)वर का नाम एवं पता-

(2)विवाह का स्थल एवं तिथि-

(3)विवाह प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं तिथि/पदाधिकारी का नाम और पता जिन्होंने विवाह प्रमाण पत्र दिया है।

11. क्या आप उपरोक्त कार्य हेतु सरकार अथवा अन्य संस्था से आर्थिक सहायता प्राप्त किया है।

उपरोक्त तथ्य मेरे जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान-

तिथि-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र-XLVII

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली- 2005

(देखें नियम-284)

पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पता-
2. निवृति वेतन ग्राही/कामगार का पता-
3. कामगार से संबंध-
4. कामगार के मृत्यु की तिथि-
5. कामगार द्वारा प्राप्त मासिक निवृति वेतन अर्द्ध सरकारी संस्था अथवा अन्य संस्थान
6. क्या आवेदक सरकार/से निवृति वेतन प्राप्त कर रहे है?

   अगर हाँ तो विवरणी दें:-
7. क्या आवेदकसरकार/अर्द्ध सरकारी संस्था/किसी संस्थान से वेतन प्राप्त कर रहे हैं? अगर हाँ तो विवरणी-
8. संलग्न अभिलेखो की विवरणी-

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की विवरणी।

1. कामगार का मृत्यु प्रमाण-पत्र-
2. मुखिया/वार्ड आयुक्त के द्वारा निर्गत किया गया आवेदक एवं कर्मकार से संबंध का प्रमाण-पत्र
3. मुखिया/वार्ड आयुक्त का प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि आवेदक किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं निजी संस्था से निवृति वेतन प्राप्त नहीं करता है।

व्याख्यात्मक विवरणी

(यह अधिसूचना का अंश नहीं है)

(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को बिहार राज्य में प्रवर्तन हेतु यह आवश्यक है कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमावली का गठन किया जाय। नियमावली बनानें हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन संकल्प संख्या-4/एफ/3011/2001 श्र0 नि0 1954 दिनांक-1.8.2001 द्वारा किया गया था। विशेषज्ञ समिति के परामर्श के अनुसार नियमावली के अधिसूचना का उद्देश्य उपरोक्त नियमावली का प्रवर्तन है।

(2) नियमावली के किसी नियम एवं उपनियम, के अँग्रेजी एवं हिन्दी अंशों में अर्थ विभेद होने पर नियमावली के अँग्रेजी पाठ को अधिकारित पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-4/एफ-3011/2001-श्रमनि-2831 / 03-9-05)

राज्यपाल के आदेश से

(मो० शमशीद अहमद)

आयुक्त एवं सचिव,

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,

बिहार सरकार